

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AU-7** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री शम्भू शरण यादव पुत्र श्री राम राज यादव,
ग्राम-बोकटा, पोस्ट-सहजनवाँ,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **19** दिनांक **15.07.1993** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AU-7** से. **13** क्षे. **400.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	1999	रु0 7
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	12000	रु0 40
योग (अ)	रु0	13999	रु0 47

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1820	रु0 3
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4400	रु0 16
योग (ब)	रु0	6220	रु0 19
महायोग (अ एवं ब)	रु0	20219	रु0 66

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **440.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-11** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स एस0के0 ट्रेडर्स

द्वारा श्री संजय कुमार जायसवाल एवं श्री मोहनलाल जायसवाल

निवासी-ग्राम-लुचई, वार्ड नं0-15, सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **10** दिनांक **07.06.1993** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-11** से. **13** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4849	रु0
योग (अ)	रु0	4849	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	311	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4950	रु0
योग (ब)	रु0	5261	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	10110	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FE-1** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स ए. जे.आर.इण्डस्ट्रीज (साझेदारी फर्म)
द्वारा श्री अभय दूबे पुत्र श्री राम लगन दूबे,
निवासी-मकान संख्या सी/271, बुद्ध विहार कालोनी,
रुस्तमपुर, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **14** दिनांक **21.06.1993** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FE-1** से. **13** क्षे. **1999.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 5673
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	142740	रु0 1852
योग (अ)	रु0	142740	रु0 7525

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1627	रु0 493
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	21989	रु0 80
योग (ब)	रु0	23616	रु0 573
महायोग (अ एवं ब)	रु0	166356	रु0 8098

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2199.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-15** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री नरेश कुमार गुप्ता द्वारा मैसर्स प्रिया स्टोर्स, टाउन हाल, गोरखपुर।
सी/117/6, जगरनाथपुर, रिड साहब के धर्मशाला के पीछे,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **29** दिनांक **29.09.1993** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-15** से. **13** क्षे. **621.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6831	रु0
योग (ब)	रु0	6831	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	6831	रु0

नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **683.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-8** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

**श्री राम प्रभाकर मल्ल/सिंह पुत्र श्री पौहारी मलल,
निवासी-ग्राम-पौंती,
पोस्ट आफिस-मधुवन,
जिला-मऊ।**

आवंटन पत्र संख्या **24** दिनांक **30.08.1993** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-8** से. **13** क्षे. **1000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-107	रु0
योग (अ)	रु0	-107	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11000	रु0
योग (ब)	रु0	11000	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	10893	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AS-15** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री अनूप कुमार जायसवाल पुत्र श्री विजय प्रताप
निवासी-ग्राम व पोस्ट-जैतपुर,
सहजनवाँ,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **140** दिनांक **18.11.1995** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AS-15** से. **13** क्षे. **144.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	1328	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6172	रु0 -21
योग (अ)	रु0	7500	रु0 -21

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	975	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1584	रु0 4
योग (ब)	रु0	2559	रु0 4
महायोग (अ एवं ब)	रु0	10059	रु0 -17


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **158.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AT-11** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री हरिहर सिंह पुत्र श्री राम नरेश सिंह
ग्राम-नेवास, पोस्ट-बड़गहन,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **46** दिनांक **25.03.1994** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AT-11** से. **13** क्षे. **400.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 28
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	126	रु0 28
योग (अ)	रु0	126	रु0 56

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	12	रु0 4
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4400	रु0 16
योग (ब)	रु0	4412	रु0 20
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4538	रु0 76


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **440.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AU-6** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री केदार नाथ शर्मा पुत्र श्री तीरथ शर्मा
ग्राम-नेवास, पोस्ट-बड़गहन,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **22** दिनांक **27.07.1993** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AU-6** से. **13** क्षे. **400.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	50903	रु0 1122
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	44800	रु0 369
योग (अ)	रु0	95703	रु0 1491

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	12441	रु0 98
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4400	रु0 16
योग (ब)	रु0	16841	रु0 114
महायोग (अ एवं ब)	रु0	112544	रु0 1605


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **440.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AS-9** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री रमेश धर दूबे पुत्र स्व० सरयू धर दूबे
ग्राम व पोस्ट—मालहनपार,
जिला—गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **151** दिनांक **09.02.1996** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AS-9** से. **13** क्षे. **100.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	8957	रु० 234
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	9980	रु० 84
योग (अ)	रु०	18937	रु० 318

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	2462	रु० 21
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	1100	रु० 3
योग (ब)	रु०	3562	रु० 24
महायोग (अ एवं ब)	रु०	22499	रु० 342


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **110.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AS-13** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री मुहम्मद इमरान पुत्र श्री मुस्ताक अहमद
निवासी-669-तुर्कमानपुर, पोस्ट-गीता प्रेस,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **204** दिनांक **15.12.1997** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AS-13** से. **13** क्षे. **100.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	77	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	362	रु0
योग (अ)	रु0	439	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	53	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1100	रु0
योग (ब)	रु0	1153	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	1592	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **110.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AS-4** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री देवेन्द्र कुमार यादव
निवासी-मकान संख्या 25, ग्राम-कालेसर,
सहजनवाँ,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **177** दिनांक **30.04.1997** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AS-4** से. **13** क्षे. **100.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	3029	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6711	रु0 -40
योग (अ)	रु0	9740	रु0 -40

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1266	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1100	रु0 3
योग (ब)	रु0	2366	रु0 3
महायोग (अ एवं ब)	रु0	12106	रु0 -37

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **110.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FE-5** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स विजन पेरेन्टल प्रा0 लि0 द्वारा श्री सन्दीप अग्रवाल (निदेशक)
पुत्र श्री जय प्रकाश अग्रवाल, पता-भूखण्ड संख्या ए-2/44 एवं 45
सेक्टर-15, गीडा, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **64** दिनांक **18.08.1994** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FE-5** से. **13** क्षे. **1998.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-2769	रु0
योग (अ)	रु0	-2769	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	21986	रु0
योग (ब)	रु0	21986	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	19217	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2199.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AL-1** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स ए0 बी0 आर0 पेट्रो प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0
ए0एल0-1, सेक्टर संख्या-15, गीडा,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **44** दिनांक **11.03.1994** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AL-1** से. **15** क्षे. **12498.0** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	3741	रु0 24
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	124980	रु0 375
योग (अ)	रु0	128721	रु0 399

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	16734	रु0 70
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	137478	रु0 500
योग (ब)	रु0	154212	रु0 570
महायोग (अ एवं ब)	रु0	282933	रु0 969


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **13748.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-8(A)** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स महाशक्ति फूड प्रा0 लि0
भूखण्ड संख्या एफ एल-8 ए,
सेक्टर संख्या-13, गीडा,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **81** दिनांक **15.10.1994** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-8(A)** से. **13** क्षे. **6049.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-208	रु0
योग (अ)	रु0	-208	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	66539	रु0
योग (ब)	रु0	66539	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	66331	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **6654.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-54** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री पतिराज सिंह पुत्र स्व० रामदास,
निवासी-ग्राम-अमिनी,
पोस्ट-मिर्जामुराद,
जिला-वाराणसी।

आवंटन पत्र संख्या **197** दिनांक **17.09.1997** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-54** से. **13** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-10	रु० -382
योग (अ)	रु०	-10	रु० -382

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	4950	रु० 14
योग (ब)	रु०	4950	रु० 14
महायोग (अ एवं ब)	रु०	4940	रु० -368


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AU-3** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री राज कुमार निषाद पुत्र श्री राम किशोर निषाद,
ग्राम-कोइली, पोस्ट-पाण्डेय कोडर, तहसील-गोला बाजार,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **287** दिनांक **31.03.2001** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AU-3** से. **13** क्षे. **400.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	50903	रु0 12
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	44800	रु0 45
योग (अ)	रु0	95703	रु0 57

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	12441	रु0 4
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4400	रु0 12
योग (ब)	रु0	16841	रु0 16
महायोग (अ एवं ब)	रु0	112544	रु0 73


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **440.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AT-10** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती मधुबाला सिंह पत्नी स्व० शिव शरण सिंह
ग्राम-जूड़ियान
पोस्ट-सहजनवाँ,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **20** दिनांक **15.07.1993** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AT-10** से. **13** क्षे. **200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	11065	रु०	568	
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	16800	रु०	185	
योग (अ)	रु०	27865	रु०	753	

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	3622	रु०	49	
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	2200	रु०	8	
योग (ब)	रु०	5822	रु०	57	
महायोग (अ एवं ब)	रु०	33687	रु०	810	


नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **220.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-5 / से. 13 / 2023-24 दिनांक

श्री रविन्द्रनाथ सिंह पुत्र श्री शिवनाथ सिंह
196 ए, शिवपुरम,
बशारतपुर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 2 दिनांक 20.05.1993 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-5 से. 13 क्षे. 1000.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	9268	रु0
योग (अ)	रु0	9268	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1205	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11000	रु0
योग (ब)	रु0	12205	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	21473	रु0


नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 1100.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-4** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती शीला देवी पत्नी श्री उमाशंकर निगम
पिपरौली बाजार, सहजनवाँ,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **17** दिनांक **14.07.1993** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-4** से. **13** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-730	रु0
योग (अ)	रु0	-730	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4950	रु0
योग (ब)	रु0	4950	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4220	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-14** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती प्रेमशीला मिश्रा पत्नी श्री ए0 पी0 मिश्रा,
गजरजगदीश, हरनही,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **9** दिनांक **01.06.1993** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-14** से. **13** क्षे. **642.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-469	रु0
योग (अ)	रु0	-469	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7062	रु0
योग (ब)	रु0	7062	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	6593	रु0

नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **706.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-5** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री विजय शंकर एवं श्री विशाल कुमार पुत्रगण दयानाथ
निवासी-ग्राम-करहल,
पोस्ट-भुसवल
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **27** दिनांक **29.09.1993** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-5** से. **13** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	458	रु0
योग (अ)	रु0	458	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	46	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4950	रु0
योग (ब)	रु0	4996	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5454	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-9** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती आबदा खातून पत्नी श्री शकील अहमद
निवासी-गाजीरौजा (ऊचवा)
थाना-तिवारीपुर,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **28** दिनांक **29.09.1993** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-9** से. **13** क्षे. **1000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	17832	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	89990	रु0 -86
योग (अ)	रु0	107822	रु0 -86

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	14017	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11000	रु0 40
योग (ब)	रु0	25017	रु0 40
महायोग (अ एवं ब)	रु0	132839	रु0 -46

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-4** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स सुमित्रा इण्डस्ट्रीज प्रोपराईटर श्री अमरजीत वर्मा पुत्र स्व०
निवासी-ग्राम व पोस्ट-अमारी, तहसील-बूढनपुर, थाना-अतरौलिया,
जनपद-आजमगढ़-276142

आवंटन पत्र संख्या **3** दिनांक **20.05.1993** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-4** से. **13** क्षे. **1000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-56	रु० -14
योग (अ)	रु०	-56	रु० -14

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	11000	रु० 40
योग (ब)	रु०	11000	रु० 40
महायोग (अ एवं ब)	रु०	10944	रु० 26

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **1100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FE-12** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स नांगलिया फूड इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0
द्वारा श्री रमेश गोयल (निदेशक)
भूखण्ड संख्या एफ0 ई0-12, सेक्टर संख्या-13, गीडा,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **21** दिनांक **23.07.1993** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FE-12** से. **13** क्षे. **1998.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-470	रु0
योग (अ)	रु0	-470	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	21986	रु0
योग (ब)	रु0	21986	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	21517	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2199.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AS-5** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती ममता त्रिपाठी पत्नी श्री घनश्याम त्रिपाठी
ग्राम व पोस्ट-बरईपार,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **178** दिनांक **30.04.1997** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AS-5** से. **13** क्षे. **100.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	12726	रु0 212
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11200	रु0 80
योग (अ)	रु0	23926	रु0 292

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	3110	रु0 19
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1100	रु0 3
योग (ब)	रु0	4210	रु0 22
महायोग (अ एवं ब)	रु0	28136	रु0 314


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **110.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AS-1** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स हनुमान केमिकल इण्डस्ट्रीज
ए0एस0-1, सेक्टर संख्या-13, गीडा
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **96** दिनांक **23.12.1994** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AS-1** से. **13** क्षे. **100.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	10400	रु0 255
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	10501	रु0 87
योग (अ)	रु0	20901	रु0 342

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	2717	रु0 22
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1100	रु0 4
योग (ब)	रु0	3817	रु0 26
महायोग (अ एवं ब)	रु0	24718	रु0 368

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **110.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FE-13** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स नन्द टेक्सटाइल्स फूड डीवीजन

द्वारा श्री सुरेश चन्द्र गोयल, भूखण्ड संख्या एफ0 ई0-13, सेक्टर संख्या
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **228** दिनांक **23.10.1998** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FE-13** से. **13** क्षे. **1999.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-462	रु0
योग (अ)	रु0	-462	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	21989	रु0
योग (ब)	रु0	21989	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	21527	रु0

नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2199.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AL-12/13** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स के0 एम0 मर्केन्टाइल प्रा0 लि0 द्वारा श्री कृष्ण मुरारी जायसवाल (
10 पार्क रोड, मुरारी सा मिल, कम्पाउण्ड,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **94** दिनांक **16.12.1994** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AL-12/13** से. **13** क्षे. **7989.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	168173	रु0 593
योग (अ)	रु0	168173	रु0 593

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	7547	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	87879	रु0 320
योग (ब)	रु0	95426	रु0 320
महायोग (अ एवं ब)	रु0	263599	रु0 913

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **8788.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AS-11** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री मुहम्मद आवेश पुत्र स्व0 फजलुरहमान
निवासी-मुहल्ला-भरपुरवा,
कच्चीबाग, निजामपुर,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **42** दिनांक **21.02.1994** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AS-11** से. **13** क्षे. **100.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-454	रु0
योग (अ)	रु0	-454	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1100	रु0
योग (ब)	रु0	1100	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	646	रु0

-346


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **110.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AS-14** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री रवि कुमार शाव पुत्र श्री रामलवट शाव,
निवासी-मकान संख्या-417, कोतवाली रोड, सहारा कार्यालय के पास,
इस्माईलपुर,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **139** दिनांक **17.11.1995** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AS-14** से. **13** क्षे. **100.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-586	रु0
योग (अ)	रु0	-586	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1100	रु0
योग (ब)	रु0	1100	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	514	रु0

-452


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **110.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-8B** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स तुलसी सर्जिकल डिवाइसेज प्रा० लि०
द्वारा श्रीमती डा० रीता गुप्ता पत्नी डा० रमेश गुप्ता
एफ० एल०-8बी, सेक्टर-13, गीडा,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **1081** दिनांक **15.10.1994** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-8B** से. **13** क्षे. **6049.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	1414	रु० 5
योग (अ)	रु०	1414	रु० 5

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	140	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	66539	रु० 242
योग (ब)	रु०	66679	रु० 242
महायोग (अ एवं ब)	रु०	68093	रु० 247

नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **6654.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FE-2** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री दीपक कारीवाल पुत्र स्व० सागर मल कारीवाल
निवासी-करोड़ी मल का हाता,
सुमेर सागर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **34** दिनांक **24.11.1993** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FE-2** से. **13** क्षे. **1998.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-397	रु० -517
योग (अ)	रु०	-397	रु० -517

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	21986	रु० 80
योग (ब)	रु०	21986	रु० 80
महायोग (अ एवं ब)	रु०	21589	रु० -437

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **2199.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FE-3** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मर्सर्स श्रीराम एग्रो इण्डस्ट्रीज
एफ0 ई0-3, सेक्टर संख्या-13
गीडा, सहजनवाँ,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **35** दिनांक **15.12.1993** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FE-3** से. **13** क्षे. **1998.75** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	129497	रु0 5477
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	188041	रु0 1823
योग (अ)	रु0	317538	रु0 7300

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	41280	रु0 478
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	21986	रु0 80
योग (ब)	रु0	63266	रु0 558
महायोग (अ एवं ब)	रु0	380804	रु0 7858

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2199.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FE-6** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स अन्नपूर्णा प्लास्टिक प्रा0 लि0
द्वारा श्री पशुपति नाथ गुप्ता (निदेशक)
बसन्तपुर, लाल डिग्गी चौक,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **82** दिनांक **18.10.1994** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FE-6** से. **13** क्षे. **1784.25** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	160925	रु0 22
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	178502	रु0 160
योग (अ)	रु0	339427	रु0 182

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	44125	रु0 12
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	19627	रु0 71
योग (ब)	रु0	63752	रु0 83
महायोग (अ एवं ब)	रु0	403179	रु0 265


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1963.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-24** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री शोएब खान पुत्र श्री नन्हें खान
निवासी-मकान संख्या सी/120/339, एक मीनार मस्जिद के पास,
बक्शीपुर,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **108** दिनांक **22.03.1995** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-24** से. **13** क्षे. **451.87** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	6094	रु0 28
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	22323	रु0 77
योग (अ)	रु0	28417	रु0 105

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	3694	रु0 7
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4971	रु0 14
योग (ब)	रु0	8665	रु0 21
महायोग (अ एवं ब)	रु0	37082	रु0 126


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **497.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. A-1 / से. 13 / 2023-24 दिनांक

श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री मुन्नन सिंह
ग्राम-नसीरपुर, पोस्ट-बौसगौव,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 225 दिनांक 05.06.1993 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. A-1 से. 13 क्षे. 621.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 13
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5885	रु0 85
योग (अ)	रु0	5885	रु0 98

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	765	रु0 6
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6831	रु0 25
योग (ब)	रु0	7596	रु0 31
महायोग (अ एवं ब)	रु0	13481	रु0 129


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 683.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-43** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती रचना अग्रवाल पत्नी श्री राजेश अग्रवाल
निवासी-लाल डिग्गी, पानी टेकी के सामने,
पोस्ट-गीता प्रेस,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **37** दिनांक **17.12.1993** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-43** से. **13** क्षे. **587.78** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1809	रु0
योग (अ)	रु0	-1809	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6466	रु0
योग (ब)	रु0	6466	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4657	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **647.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-45** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री संजय अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल
निवासी-786ए, कैलाश कृन्ज,
सुमेरसागर, करोडीमल का हाता,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **273** दिनांक **02.06.2000** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-45** से. **13** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	26303	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	38546	रु0 -29
योग (अ)	रु0	64849	रु0 -29

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	8430	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4950	रु0 14
योग (ब)	रु0	13380	रु0 14
महायोग (अ एवं ब)	रु0	78229	रु0 -15

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-6** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री विनोद कुमार गुप्ता पुत्र श्री मिश्री लाल गुप्ता,
ग्राम व पोस्ट-सरया तिवारी,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **138** दिनांक **08.09.1995** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-6** से. **13** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	21815	रु0 105
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	36000	रु0 132
योग (अ)	रु0	57815	रु0 237

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	7516	रु0 16
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4950	रु0 14
योग (ब)	रु0	12466	रु0 30
महायोग (अ एवं ब)	रु0	70281	रु0 267

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-50** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती आराधना वैश्य पत्नी श्री संतोष कुमार
निवासी-278, हांसूपुर,
पोस्ट-गीता प्रेस,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **115** दिनांक **23.05.1995** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-50** से. **13** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	26902	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	39372	रु0 -9471
योग (अ)	रु0	66274	रु0 -9471

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	8616	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4950	रु0 14
योग (ब)	रु0	13566	रु0 14
महायोग (अ एवं ब)	रु0	79840	रु0 -9457


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-29** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री नेबूलाल प्रजापति पुत्र स्व० नीफीकीर प्रसाद प्रजापति
ग्राम-अड़िलापार, पोस्ट-अमटौरा,
सहजनवाँ,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **31** दिनांक **29.09.1993** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-29** से. **13** क्षे. **601.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	31	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	6346	रु० -426
योग (अ)	रु०	6377	रु० -426

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	829	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	6611	रु० 24
योग (ब)	रु०	7440	रु० 24
महायोग (अ एवं ब)	रु०	13817	रु० -402


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **661.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-42** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती ब्रह्मचारी देवी पत्नी स्व० रामदलारे सिंह, श्री उदयभान सिंह पुत्र
एवं श्री भानू प्रताप सिंह पुत्र स्व० रामदलारे सिंह, निवासी-104 आवास
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **135** दिनांक **26.08.1995** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-42** से. **13** क्षे. **600.70** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-271	रु० -54
योग (अ)	रु०	-271	रु० -54

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	6608	रु० 18
योग (ब)	रु०	6608	रु० 18
महायोग (अ एवं ब)	रु०	6337	रु० -36


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **661.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-35** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी इन्जिनियर ए0 के0 दूबे
द्वारा मैसर्स नव साहित्य निकेतन
बक्सीपुर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **128** दिनांक **26.08.1995** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-35** से. **13** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	10964	रु0 83
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	27900	रु0 120
योग (अ)	रु0	38864	रु0 203

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	5052	रु0 13
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4950	रु0 14
योग (ब)	रु0	10002	रु0 27
महायोग (अ एवं ब)	रु0	48866	रु0 230


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-44** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री प्रेम चन्द्र जायसवाल पुत्र श्री बी० एल० जायसवाल
137, बिलन्दपुर, डी० आई० जी० बंगले के सामने
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **288** दिनांक **31.03.2001** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-44** से. **13** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	495	रु० -970
योग (अ)	रु०	495	रु० -970

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	54	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	4950	रु० 14
योग (ब)	रु०	5004	रु० 14
महायोग (अ एवं ब)	रु०	5499	रु० -956


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-41** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स एहसान एग्रो उड प्रोडक्ट्स प्रा० लि० द्वारा श्री एहसान करीम खा (निदेशक) पुत्र स्व० शब्बीर हसन खा, निवासी मकान सं० मु०-दिवान बाजार, हिमालय प्लाई के सामने, जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **202** दिनांक **21.10.1997** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-41** से. **13** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-450	रु० 0
योग (अ)	रु०	-450	रु० 0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	4950	रु० 14
योग (ब)	रु०	4950	रु० 14
महायोग (अ एवं ब)	रु०	4500	रु० 14


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-23** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री अहमद फैसल पुत्र श्री मोहम्मद शरीफ अन्सारी
दुर्गावाडी रोड, रुद्रपुर
अलीनगर
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **106** दिनांक **22.03.1995** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-23** से. **13** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	36046	रु0 1161
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	43162	रु0 403
योग (अ)	रु0	79208	रु0 1564

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	10297	रु0 103
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4950	रु0 14
योग (ब)	रु0	15247	रु0 117
महायोग (अ एवं ब)	रु0	94455	रु0 1681

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-28** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री विनोद कुमार वर्मा पुत्रा श्री जगदीश प्रसाद वर्मा
निवासी-227, बसन्तपुर खण्ड प्रथम,
पोस्ट-गीताप्रेस,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **43** दिनांक **01.03.1994** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-28** से. **13** क्षे. **620.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	8522	रु0 66
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	30900	रु0 129
योग (अ)	रु0	39422	रु0 195

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	5125	रु0 13
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6820	रु0 25
योग (ब)	रु0	11945	रु0 38
महायोग (अ एवं ब)	रु0	51367	रु0 233


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **682.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-26** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स इस्टर्न डोर्स द्वारा श्री एहसान करीम खॉ (पार्टनर) पुत्र स्व० शब्बीर निवासी-मकान संख्या-0354बी, मू०-दिवान बाजार, हिमालय प्लाई के जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **79** दिनांक **11.10.1994** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-26** से. **13** क्षे. **455.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-455	रु० 0
योग (अ)	रु०	-455	रु० 0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	5005	रु० 18
योग (ब)	रु०	5005	रु० 18
महायोग (अ एवं ब)	रु०	4550	रु० 18


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **501.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-19** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स श्री राणी सती इण्डस्ट्रीज (साझेदारी फर्म) द्वारा श्री दीपक कुमार
श्री अतुल कुमार जालान एवं श्री पवन कुमार जालान पुत्र श्री धनराज
हॉस्पूर, पोस्ट आफिस के ऊपर वार्ड नं. 45,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **102** दिनांक **22.03.1995** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-19** से. **13** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	22889	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	43191	रु0 -30830
योग (अ)	रु0	66080	रु0 -30830

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	8590	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4950	रु0 14
योग (ब)	रु0	13540	रु0 14
महायोग (अ एवं ब)	रु0	79620	रु0 -30816


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-27** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स ईस्टर्न डोर्स द्वारा श्री एहसान करीम खान (पार्टनर)
पुत्र श्री मो० शब्बीर हसन, निवासी-मुहल्ला-घोषीपुर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **272** दिनांक **02.06.2000** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-27** से. **13** क्षे. **456.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-456	रु० 0
योग (अ)	रु०	-456	रु० 0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	5016	रु० 14
योग (ब)	रु०	5016	रु० 14
महायोग (अ एवं ब)	रु०	4560	रु० 14


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **502.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-22** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री अहमद फैसल पुत्र श्री मुहम्मद शरीफ
दुर्गावाड़ी रोड, रुद्रपुर (अलीनगर)
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **107** दिनांक **22.03.1995** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-22** से. **13** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 1161
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2637	रु0 403
योग (अ)	रु0	2637	रु0 1564

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	343	रु0 103
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4950	रु0 14
योग (ब)	रु0	5293	रु0 117
महायोग (अ एवं ब)	रु0	7930	रु0 1681

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-37** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती किसमती देवी पत्नी श्री सिकमी प्रसाद प्रजापति
ग्राम-सेवई बाजार, पोस्ट-ककरा खोर,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **159** दिनांक **26.06.1996** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-37** से. **13** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4950	रु0	14
योग (ब)	रु0	4950	रु0	14
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4950	रु0	-396


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-48** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती प्रीती गुप्ता पत्नी श्री गोविन्द कुमार
निवासी-मकान संख्या-236, सूर्या नगर,
फेज-2, सेक्टर-91, फरीदाबाद,
हरियाणा-121003

आवंटन पत्र संख्या **268** दिनांक **18.04.2000** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-48** से. **13** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-15	रु0	-107
योग (अ)	रु0	-15	रु0	-107

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4950	रु0	14
योग (ब)	रु0	4950	रु0	14
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4935	रु0	-93


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-25** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स इस्टर्न डोर्स द्वारा श्री एहसान करीम खॉं (साझेदार)
पुत्र स्व0 शब्बीर हसन खॉं, मकान संख्या-सी-153/9
घोसीपुर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **117** दिनांक **23.05.1995** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-25** से. **13** क्षे. **454.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-454	रु0
योग (अ)	रु0	-454	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4994	रु0
योग (ब)	रु0	4994	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4540	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **499.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-17** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री सुरेश कुमार रामरायका
द्वारा प्रो0 प्रा0 मै0 नेजर वेज,
भूखण्ड संख्या ए-17, सेक्टर संख्या-13,
गीडा, सहजनवाँ, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **279** दिनांक **16.11.2000** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-17** से. **13** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1327	रु0
योग (अ)	रु0	-1327	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4950	रु0
योग (ब)	रु0	4950	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	3623	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-12** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स उड फैब्स,

द्वारा—श्री एहसान करीम, श्री फैजान अहमद एवं श्रीमती इस्मत फातिमा

निवासी—मकान संख्या—0354बी, मु०—दिवान बाजार, हिमालय

प्लाई के सामने, जिला—गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **156** दिनांक **23.03.1996** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-12** से. **13** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :—

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-1892	रु० -206
योग (अ)	रु०	-1892	रु० -206

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :—

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	4950	रु० 14
योग (ब)	रु०	4950	रु० 14
महायोग (अ एवं ब)	रु०	3058	रु० -192

नोट:—रख-रखाव शुल्क— समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट— समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !



(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-13** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स ईस्टर्न डोर्स द्वारा श्री योगेन्द्र गुप्ता पुत्र श्री हरी शंकर गुप्ता
निवासी-मकान संख्या-0354बी, मू0-दिवान बाजार,
हिमालय प्लाई के सामने,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **244** दिनांक **19.06.1999** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-13** से. **13** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक	31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2.	रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-450	रु0	0
	योग (अ)	रु0	-450	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4950	रु0	14
योग (ब)	रु0	4950	रु0	14
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4500	रु0	14

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-39** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स राम जानकी पेन्टस एण्ड केमिकल्स इण्डस्ट्रीज
द्वारा श्री राम प्रीत सिंह एवं श्रीमती मालती देवी (पार्टनर)
निवासी-ग्राम व पोस्ट-भैसला, तहसील-सहजनवाँ,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **230** दिनांक **19.11.1998** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-39** से. **13** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-450	रु0	-92
योग (अ)	रु0	-450	रु0	-92

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4950	रु0	14
योग (ब)	रु0	4950	रु0	14
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4500	रु0	-78

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-53** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री अजय कुमार दूबे पुत्र श्री चन्द्रभान दूबे
मैसर्स हाई-टेक स्टिचवेल इन्जीनियरिंग,
33-कसया रोड़, बेतियाहाता,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **210** दिनांक **11.02.1998** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-53** से. **13** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	57267	रु0 916
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	50400	रु0 362
योग (अ)	रु0	107667	रु0 1278

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	13997	रु0 84
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4950	रु0 14
योग (ब)	रु0	18947	रु0 98
महायोग (अ एवं ब)	रु0	126614	रु0 1376

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-32** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री प्रसिद्ध नारायण दूबे पुत्र श्री मुक्तनाथ दूबे
19, आवास विकास कालोनी,
बेतिया हाता
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **133** दिनांक **26.08.1995** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-32** से. **13** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	3470	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	17847	रु0 -935
योग (अ)	रु0	21317	रु0 -935

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	2771	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4950	रु0 14
योग (ब)	रु0	7721	रु0 14
महायोग (अ एवं ब)	रु0	29038	रु0 -921


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-36** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री सिकमी प्रसाद प्रजापति पुत्र श्री सकाल प्रसाद
प्रो0 प्रा0 मैसर्स प्रजापति टैक्सटाईल, भूखण्ड संख्या ए-36,
सेक्टर संख्या-13, गीडा, सहजनवाँ,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **158** दिनांक **26.06.1996** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-36** से. **13** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	1
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0	11
योग (अ)	रु0	0	रु0	12

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	1
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4950	रु0	14
योग (ब)	रु0	4950	रु0	15
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4950	रु0	27


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-31** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री वैभव तिवारी पुत्र स्व० नितेश तिवारी,
निवासी-मकान संख्या 05213, बक्शीपुर,
पोस्ट-मुख्य डाकघर, थाना-कोतवाली,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **199** दिनांक **14.10.1997** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-31** से. **13** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-395	रु० -120
योग (अ)	रु०	-395	रु० -120

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	4950	रु० 14
योग (ब)	रु०	4950	रु० 14
महायोग (अ एवं ब)	रु०	4555	रु० -106


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-51** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स बिन्नु टेक्सटाईल्स,
ए-51, सेक्टर संख्या-13,
गीडा, सहजनवाँ,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **172** दिनांक **30.01.1997** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-51** से. **13** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	9133	रु0 50
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	26051	रु0 95
योग (अ)	रु0	35184	रु0 145

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	4574	रु0 10
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4950	रु0 14
योग (ब)	रु0	9524	रु0 24
महायोग (अ एवं ब)	रु0	44708	रु0 169

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-40** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स एहसान एग्रो उड प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0
द्वारा श्री एहसान करीम खॉ (निदेशक) पुत्र स्व0 शब्बीर हसन खॉ,
0354बी, मु0-दिवान बाजार, हिमालय प्लाई के सामने,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **229** दिनांक **10.11.1998** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-40** से. **13** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-450	रु0	0
योग (अ)	रु0	-450	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4950	रु0	14
योग (ब)	रु0	4950	रु0	14
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4500	रु0	14

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-1 / से. 13 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती उषा अग्रहरी पत्नी श्री विनोद अग्रहरी,
मू०-निजामपुर, पोस्ट-गीताप्रेस,
थाना-तिवारीपुर,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 275 दिनांक 29.07.2000 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-1 से. 13 क्षे. 1842.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	17674	रु० -2385
योग (अ)	रु०	17674	रु० -2385

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	2298	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	20262	रु० 55
योग (ब)	रु०	22560	रु० 55
महायोग (अ एवं ब)	रु०	40234	रु० -2330


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० 2026.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-22** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री रामचन्द्र पुत्र स्व० दुर्बल
निवासी-मल्हीपुर, पिपरौली खर्द,
खजनी, गोरखपुर,
उत्तर प्रदेश-273212

आवंटन पत्र संख्या **198** दिनांक **30.09.1997** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-22** से. **13** क्षे. **1000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु० 0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु० 9492	रु० -596
योग (अ)	रु० 9492	रु० -596

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु० 1234	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु० 11000	रु० 30
योग (ब)	रु० 12234	रु० 30
महायोग (अ एवं ब)	रु० 21726	रु० -566

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **1100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-15** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती सनीमा खानम पत्नी श्री सृहेल अहमद खान
निवासी-डा0 अजीज अहमद नर्सिंग होम के पास,
मोहल्ला-उचवौं,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **122** दिनांक **14.07.1995** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-15** से. **13** क्षे. **1000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11000	रु0
योग (ब)	रु0	11000	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	11000	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-11** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स खूशबू पैकेजिंग प्रा० लि०
औद्योगिक भूखण्ड संख्या डी-11, सेक्टर संख्या-13,
गीडा, सहजनवाँ,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **224** दिनांक **26.08.1998** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-11** से. **13** क्षे. **1000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	48961	रु० 1884
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	80294	रु० 761
योग (अ)	रु०	129255	रु० 2645

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	16803	रु० 173
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	11000	रु० 30
योग (ब)	रु०	27803	रु० 203
महायोग (अ एवं ब)	रु०	157058	रु० 2848


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **1100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-21** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री शमीम अहमद खान पुत्र श्री नन्हें खान
निवासी-चौरहिया गोला,
बक्शीपुर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **243** दिनांक **29.05.1999** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-21** से. **13** क्षे. **1000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	24623	रु0 1760
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	70490	रु0 738
योग (अ)	रु0	95113	रु0 2498

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	12365	रु0 164
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11000	रु0 30
योग (ब)	रु0	23365	रु0 194
महायोग (अ एवं ब)	रु0	118478	रु0 2692


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-10** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स सैमको बायोटेक प्रा0 लि0
द्वारा श्रीमती सादिया हसन (निदेशक) पत्नी श्री मोहम्मद फैजी,
पता-283, छोटे काजीपुर, गोरखपुर
उ0 प्र0-273001

आवंटन पत्र संख्या **45** दिनांक **18.03.1994** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-10** से. **13** क्षे. **1000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0 -61
योग (अ)	रु0	0	रु0 -61

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11000	रु0 40
योग (ब)	रु0	11000	रु0 40
महायोग (अ एवं ब)	रु0	11000	रु0 -21


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-18** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री सुनील कुमार केजरीवाल पुत्र श्री सत्य नारायन केजरीवाल
निवासी-0343 पी, साकेत नगर
लच्छीपुर,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **235** दिनांक **20.02.1999** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-18** से. **13** क्षे. **1000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	408	रु0
योग (अ)	रु0	408	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	41	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11000	रु0
योग (ब)	रु0	11041	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	11449	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-14** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती फैजा खान पत्नी श्री जावेद अहमद
निवासी-273, बक्सीपुर,
निकट एक मिनार मस्जिद,
थाना-कोतवाली, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **134** दिनांक **26.08.1995** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-14** से. **13** क्षे. **1000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	456	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	9998	रु0
योग (अ)	रु0	10454	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1359	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11000	रु0
योग (ब)	रु0	12359	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	22813	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-7 / से. 13 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती फैजा खान (साझेदार) पत्नी श्री जावेद अहमद
निवासी-चौरहिया गोला,
बक्सीपुर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 41 दिनांक 22.12.1993 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-7 से. 13 क्षेत्र 1188.27 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	185	रु0 3283
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	14950	रु0 1093
योग (अ)	रु0	15135	रु0 4376

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1968	रु0 287
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	13071	रु0 48
योग (ब)	रु0	15039	रु0 335
महायोग (अ एवं ब)	रु0	30174	रु0 4711


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 1307.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-23** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री अभिजीत जैसवाल पुत्र श्री बेचू लाल जैसवाल,
निवासी-935, टी-त्रिलोकी भवन,
अन्सारी रोड, अशोक नगर,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **146** दिनांक **01.02.1996** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-23** से. **13** क्षे. **1000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8771	रु0
योग (अ)	रु0	8771	रु0
			-1190

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1140	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11000	रु0
योग (ब)	रु0	12140	रु0
			30
महायोग (अ एवं ब)	रु0	20911	रु0
			-1160

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-20** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती सीमा मिश्रा पत्नी श्री प्रकाश मिश्रा
ग्राम-पतरा, पोस्ट-कोडरी,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **130** दिनांक **26.08.1995** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-20** से. **13** क्षे. **1000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	100852	रु0 2411
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	103947	रु0 851
योग (अ)	रु0	204799	रु0 3262

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	26624	रु0 214
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11000	रु0 30
योग (ब)	रु0	37624	रु0 244
महायोग (अ एवं ब)	रु0	242423	रु0 3506


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-12** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती कृशमावती देवी पत्नी श्री विष्णु धर दूबे,
निवासी-116ए, लाजपत नगर,
हिमायुपुर उत्तरी,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **63** दिनांक **23.08.1994** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-12** से. **13** क्षे. **1000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	47109	204
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	79100	270
योग (अ)	रु0	126209	474

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	16407	31
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11000	40
योग (ब)	रु0	27407	71
महायोग (अ एवं ब)	रु0	153616	545


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-17** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री ओम बाबू अग्रहरी पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रहरी
निवासी-2-जटेपुर दक्षिणी प्रथम,
गोलघर, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **124** दिनांक **14.07.1995** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-17** से. **13** क्षे. **1000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-211	रु0
योग (अ)	रु0	-211	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11000	रु0
योग (ब)	रु0	11000	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	10789	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-16** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री ओम बाबू अग्रहरी पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रहरी
धर्मशाला बाजार,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **266** दिनांक **18.04.2000** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-16** से. **13** क्षे. **1000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-139	रु0	-1596
योग (अ)	रु0	-139	रु0	-1596

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11000	रु0	30
योग (ब)	रु0	11000	रु0	30
महायोग (अ एवं ब)	रु0	10861	रु0	-1566

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-3** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती रुपाली चौधरी पत्नी श्री प्रबल कुमार चौधरी
प्रोपराईटर-श्री नेचुरल मार्बल एण्ड ग्रेनाइट इण्डस्ट्रीज,
निवासी-हनुमान मंदिर, हजारीपुर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **231** दिनांक **23.11.1998** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-3** से. **13** क्षे. **1000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	7861	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	40018	रु0
योग (अ)	रु0	47879	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	6224	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11000	रु0
योग (ब)	रु0	17224	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	65103	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-2 / से. 13 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स आनन्दी इण्डस्ट्रीज,
द्वारा श्री अशोक कुमार सिंह एवं श्री अनिल, विजय एवं सत्येन्द्र कुमार
ग्राम-पिपरा, सहजनवाँ,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 207 दिनांक 27.01.1998 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-2 से. 13 क्षे. 1000.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	40690	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	74921	रु0
योग (अ)	रु0	115611	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	15029	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11000	रु0
योग (ब)	रु0	26029	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	141640	रु0


नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 1100.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-25** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी पत्नी श्री पशुपति नाथ गुप्ता
निवासी-बसन्तपुर खास, लाल डिग्गी चौक,
गोरखनाथ,

आवंटन पत्र संख्या **193** दिनांक **12.08.1997** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-25** से. **13** क्षे. **1000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	18665	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	56125	रु0 -1158
योग (अ)	रु0	74790	रु0 -1158

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	9723	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11000	रु0 30
योग (ब)	रु0	20723	रु0 30
महायोग (अ एवं ब)	रु0	95513	रु0 -1128


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-19** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती किरण श्रीवास्तव पत्नी श्री सुनील कुमार
निवासी-राम नरायन लाल कन्या इण्टर कालेज,
पुर्दिलपुर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **129** दिनांक **26.08.1995** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-19** से. **13** क्षे. **1000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-678	रु0
योग (अ)	रु0	-678	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11000	रु0
योग (ब)	रु0	11000	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	10322	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/4** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री परमात्मा श्रीवास्तव पुत्र श्री रामानन्द लाल श्रीवास्तव
भूखण्ड संख्या बी-2/4, सेक्टर संख्या-13,
गीडा, सहजनवाँ,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **201** दिनांक **15.10.1997** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/4** से. **13** क्षे. **200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	335	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4385	रु0
योग (अ)	रु0	4720	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	614	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2200	रु0
योग (ब)	रु0	2814	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	7534	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **220.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/20** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स सनग्लोरी इण्डस्ट्रीज द्वारा श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी (पार्टनर) पुत्र
निवासी 196-अशोक नगर, बशारतपुर, गोरखपुर एवं श्री राजेश कुमार
ग्राम व पोस्ट-ग्रहमसारी, थाना-बेलघाट, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **253** दिनांक **06.09.1999** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/20** से. **13** क्षे. **600.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	33180	40
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	50393	99
योग (अ)	रु0	83573	139

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	10864	9
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6600	18
योग (ब)	रु0	17464	27
महायोग (अ एवं ब)	रु0	101037	166

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **660.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/3** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती शशीला उपाध्याय पत्नी श्री एस0 एन0 उपाध्याय
ग्राम-रानीपुर, पोस्ट-भरसाड़,
सहजनवाँ,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **280** दिनांक **17.02.2001** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/3** से. **13** क्षे. **200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	22397	रु0 297
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	21593	रु0 137
योग (अ)	रु0	43990	रु0 434

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	5719	रु0 28
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2200	रु0 6
योग (ब)	रु0	7919	रु0 34
महायोग (अ एवं ब)	रु0	51909	रु0 468


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **220.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/5** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती कल्पना गार्गी श्रीवास्तव पत्नी श्री गिरीश कुमार श्रीवास्तव
निवासी-मू0सी/102/1009,
मोहददीपुर उत्तरी, पोस्ट-कूडाघाट, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **203** दिनांक **11.11.1997** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/5** से. **13** क्षे. **200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	51	रु0 -16
योग (अ)	रु0	51	रु0 -16

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	5	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2200	रु0 6
योग (ब)	रु0	2205	रु0 6
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2256	रु0 -10

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **220.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/14** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती शभाहत यास्मीन पत्नी श्री इफ्तेखार अहमद,
निवासी-मकान संख्या 211, मालवीय नगर, चित्तबड़ागाँव,
रसड़ा,
जनपद-बलिया 221713

आवंटन पत्र संख्या **264** दिनांक **06.03.2000** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/14** से. **13** क्षे. **1469.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	21088	रु0 79
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	74518	रु0 221
योग (अ)	रु0	95606	रु0 300

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	12429	रु0 20
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	16159	रु0 44
योग (ब)	रु0	28588	रु0 64
महायोग (अ एवं ब)	रु0	124194	रु0 364

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1616.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/2** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री शैलेन्द्र चतुर्वेदी पुत्र श्री अरुण चतुर्वेदी
निवासी-ग्राम-बरी, पोस्ट-पोपया,
सन्तकबीर नगर,
खलीलाबाद।

आवंटन पत्र संख्या **190** दिनांक **09.08.1997** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/2** से. **13** क्षे. **200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	12567	रु0 408
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	17594	रु0 158
योग (अ)	रु0	30161	रु0 566

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	3921	रु0 37
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2200	रु0 6
योग (ब)	रु0	6121	रु0 43
महायोग (अ एवं ब)	रु0	36282	रु0 609


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **220.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B1-4** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती मीना जालान पत्नी श्री हरिनारायण जालान
निवासी-गोयल कोठी के सामने,
मोहल्ला-गीता प्रेस, पोस्ट-गीता प्रेस,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **40** दिनांक **22.12.1993** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B1-4** से. **13** क्षे. **600.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	18362	रु0 56
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	40440	रु0 122
योग (अ)	रु0	58802	रु0 178

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	7644	रु0 12
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6600	रु0 24
योग (ब)	रु0	14244	रु0 36
महायोग (अ एवं ब)	रु0	73046	रु0 214

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **660.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-55** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स शाही प्लास्टिक द्वारा-श्री राम प्रताप शाही
भूखण्ड संख्या ए-55, सेक्टर संख्या-13,
गीडा, सहजनवाँ,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **87** दिनांक **15.11.1994** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-55** से. **13** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4288	रु0
योग (अ)	रु0	4288	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	557	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4950	रु0
योग (ब)	रु0	5507	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	9795	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B1-9** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स एस0एस0 इन्फ्राकानस्ट्रक्सन्स प्रा0 लि0 द्वारा श्री सत्येन्द्र सिंह
पुत्र स्व0 बेचन सिंह, पता-2-आई, कसूम निवास, हड़हवा फाटक रोड,
रेलवे क्रासिंग के पास, साकेतनगर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **90** दिनांक **16.12.1994** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B1-9** से. **13** क्षे. **592.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-600	रु0
योग (अ)	रु0	-600	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6512	रु0
योग (ब)	रु0	6512	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5912	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **651.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/1** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री राधे श्याम सिंह
मैसर्स रवि इन्जिनियरिंग वर्क्स
भूखण्ड संख्या बी-2/1, सेक्टर संख्या-13,
गीडा, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **189** दिनांक **26.07.1997** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/1** से. **13** क्षे. **201.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	1718	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8275	रु0
योग (अ)	रु0	9993	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1299	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2211	रु0
योग (ब)	रु0	3510	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	13503	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **221.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **DE-3** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स सुप्रीम इण्डस्ट्रीज द्वारा श्री धनश्याम चौधरी (साधेदार) पुत्र श्री एवं श्रीमती उषा चौधरी पत्नी श्री धनश्याम चौधरी, निवासी-57, हरिओम नगर, सिविल लाईन्स, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **216** दिनांक **06.06.1998** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **DE-3** से. **13** क्षे. **1458.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1458	रु0
योग (अ)	रु0	-1458	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	16038	रु0
योग (ब)	रु0	16038	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	14580	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1604.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **DE-9** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स सूशीला पालीटेक्स प्रा0 लि0

द्वारा श्री महेन्द्र सिंह (निदेशक) पुत्र स्व0 द्वारिका प्रसाद

1033, पिकौरा बाक्स, हाइडिल कालोनी,

गौधी नगर, बस्ती।

आवंटन पत्र संख्या **221** दिनांक **21.07.1998** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **DE-9** से. **13** क्षे. **1981.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-138	रु0
योग (अ)	रु0	-138	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	21791	रु0
योग (ब)	रु0	21791	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	21653	रु0


नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2179.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **DE-8** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स सिद्धी विनायक इण्डस्ट्रीज द्वारा श्री घनश्याम चौधरी (साझेदार)
पुत्र श्री राम मिलन चौधरी, निवासी-मकान संख्या-57,
हरिओम नगर, सिविल लाइन्स,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **185** दिनांक **21.05.1997** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **DE-8** से. **13** क्षे. **1982.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1982	रु0
योग (अ)	रु0	-1982	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	21802	रु0
योग (ब)	रु0	21802	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	19820	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2180.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **DE-5** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती गरिमा गोयल पत्नी श्री अमरदीप गोयल,
निवासी-बिलेरिया की चूँगी,
आजगमढ़।

आवंटन पत्र संख्या **165** दिनांक **05.11.1996** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **DE-5** से. **13** क्षे. **1983.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-12384	रु0
योग (अ)	रु0	-12384	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	21813	रु0
योग (ब)	रु0	21813	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	9429	रु0

-1974


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2181.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **DE-10** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स बी0आर0 पालीपैक्स प्रा0 लि0

द्वारा श्रीमती प्रीति अग्रवाल (निदेशक) पत्नी श्री राजीव रंजन अग्रवाल

निवासी-निकट जैन मन्दिर आर्य नगर दक्षिणी,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **53** दिनांक **16.07.1994** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **DE-10** से. **13** क्षे. **1963.38** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	668	रु0 -1142
योग (अ)	रु0	668	रु0 -1142

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	68	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	21597	रु0 79
योग (ब)	रु0	21665	रु0 79
महायोग (अ एवं ब)	रु0	22333	रु0 -1063


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2160.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AU-8** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री हरिहर सिंह पुत्र श्री राम नरेश सिंह
ग्राम-नेवास,
पोस्ट-बड़गहन,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **18** दिनांक **09.07.1993** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AU-8** से. **13** क्षे. **400.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	5
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	126	रु0	31
योग (अ)	रु0	126	रु0	36

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	12	रु0	2
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4400	रु0	16
योग (ब)	रु0	4412	रु0	18
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4538	रु0	54

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **440.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **DE-1/D** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री नजमुद्दीन फारुकी पुत्र स्व० क़तुबुद्दीन फारुकी
मुहल्ला-छोटे काजीपुर,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **255** दिनांक **01.09.1999** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **DE-1/D** से. **13** क्षे. **690.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	65576	रु० 1204
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	70297	रु० 511
योग (अ)	रु०	135873	रु० 1715

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	17663	रु० 112
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	7590	रु० 21
योग (ब)	रु०	25253	रु० 133
महायोग (अ एवं ब)	रु०	161126	रु० 1848


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **759.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **DE-1/C** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री रामरेखा यादव पुत्र स्व० वंशराज यादव
ग्राम-बोक्टा, पोस्ट-सहजनवाँ,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **241** दिनांक **17.05.1999** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **DE-1/C** से. **13** क्षे. **368.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	17560	रु० 28
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	29256	रु० 64
योग (अ)	रु०	46816	रु० 92

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	6086	रु० 6
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	4048	रु० 11
योग (ब)	रु०	10134	रु० 17
महायोग (अ एवं ब)	रु०	56950	रु० 109


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **405.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-4/15** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती छाया श्रीवास्तव पत्नी श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव
निवासी-ग्राम एवं पोस्ट-अमटौरा, सहजनवाँ,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **249** दिनांक **23.08.1999** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-4/15** से. **13** क्षे. **200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1998	रु0
योग (अ)	रु0	1998	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	260	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2200	रु0
योग (ब)	रु0	2460	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4458	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **220.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-49** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती साधना वर्मा पत्नी श्री रंजित वर्मा
मुहल्ला-हासूपुर, पोस्ट-गीताप्रेस,
थाना-राजघाट,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **114** दिनांक **23.05.1995** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-49** से. **13** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	3434	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	17762	रु0 -1777
योग (अ)	रु0	21196	रु0 -1777

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	2755	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4950	रु0 14
योग (ब)	रु0	7705	रु0 14
महायोग (अ एवं ब)	रु0	28901	रु0 -1763

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. DE-7 / से. 13 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स एस0एस0 प्लास्ट (साझेदारी फर्म) द्वारा श्री सौरभ जालान एवं श्री
पुत्रगण श्री श्रवण कुमार जालान व श्रीमती सुषमा जालान पत्नी श्री श्रवण
निवासी-25, साकेत नगर,
लच्छीपुर, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 261 दिनांक 27.01.2000 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. DE-7 से. 13 क्षे. 1982.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	36767	रु0 191
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	110992	रु0 383
योग (अ)	रु0	147759	रु0 574

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	19209	रु0 38
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	21802	रु0 59
योग (ब)	रु0	41011	रु0 97
महायोग (अ एवं ब)	रु0	188770	रु0 671


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 2180.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **DE-6** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स बालाजी प्रोडक्ट्स

द्वारा श्री बाल कृष्ण जालान (प्रोप्राइटर)

भूखण्ड संख्या डी0 ई0 -6, सेक्टर संख्या-13

गीडा, सहजनवाँ, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **257** दिनांक **12.11.1999** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **DE-6** से. **13** क्षे. **1983.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	141160	रु0 3325
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	182401	रु0 1424
योग (अ)	रु0	323561	रु0 4749

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	42063	रु0 311
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	21813	रु0 59
योग (ब)	रु0	63876	रु0 370
महायोग (अ एवं ब)	रु0	387437	रु0 5119


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2181.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AT-4** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स अन्नपूर्णा प्लास्टिक प्रोडक्ट्स प्रा० लि०
द्वारा श्री पशुपति नाथ गुप्ता (निदेशक), निवासी-लाल डिग्गी चौक,
बसन्तपुर खास, तहसील-सदर,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **174** दिनांक **20.02.1997** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AT-4** से. **13** क्षे. **200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	1461	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	7736	रु० -109
योग (अ)	रु०	9197	रु० -109

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	1196	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	2200	रु० 6
योग (ब)	रु०	3396	रु० 6
महायोग (अ एवं ब)	रु०	12593	रु० -103

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **220.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AT-3** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री रविन्दर नाथ पुत्र श्री राम देव
निवासी-ग्राम-2328, नई विकास नगर, तहसील-कैम्प,
सरकारी विद्यालय के पास पानीपत,
हरियाणा-132103

आवंटन पत्र संख्या **171** दिनांक **30.01.1997** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AT-3** से. **13** क्षे. **200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	25454	रु0 1
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	22400	रु0 12
योग (अ)	रु0	47854	रु0 13

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	6221	रु0 1
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2200	रु0 6
योग (ब)	रु0	8421	रु0 7
महायोग (अ एवं ब)	रु0	56275	रु0 20

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **220.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **DE-1/B** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री साजिद अली पुत्र श्री आशिक अली
ग्राम व पोस्ट-पिपरौली बाजार,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **274** दिनांक **28.06.2000** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **DE-1/B** से. **13** क्षे. **269.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	8610	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	18449	रु0
योग (अ)	रु0	27059	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	3518	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2959	रु0
योग (ब)	रु0	6477	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	33536	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **296.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AT-9** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री निवास राम पुत्र श्री विश्वनाथ राम
द्वारा-मैसर्स रोटो पम्पस लि0
बी-14, होजरी कॉपलेक्स, फेज-2, नोएडा,
जिला-गौतमबुद्धनगर।

आवंटन पत्र संख्या **154** दिनांक **23.03.1996** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AT-9** से. **13** क्षे. **200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-167	रु0	-39
योग (अ)	रु0	-167	रु0	-39

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2200	रु0	6
योग (ब)	रु0	2200	रु0	6
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2033	रु0	-33

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **220.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AT-8** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री प्रमोद कुमार कृशवाहा पुत्र श्री केदार नाथ कृशवाहा,
मैसर्स यशवीर इण्डस्ट्रीज,
निवासी-दरगहिया मौर्या टोला,
कूडाघाट, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **157** दिनांक **06.04.1996** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AT-8** से. **13** क्षे. **200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	14021	रु0 5
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	18295	रु0 23
योग (अ)	रु0	32316	रु0 28

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	4201	रु0 2
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2200	रु0 6
योग (ब)	रु0	6401	रु0 8
महायोग (अ एवं ब)	रु0	38717	रु0 36


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **220.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AT-5** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री अशोक कुमार सिंह पुत्र श्री रामभजन सिंह
निवासी-ग्राम-बोदवल
पोस्ट-मुण्डेरवा
जिला-बस्ती

आवंटन पत्र संख्या **196** दिनांक **03.09.1997** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AT-5** से. **13** क्षे. **200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	72	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1797	रु0
योग (अ)	रु0	1869	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	330	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2200	रु0
योग (ब)	रु0	2530	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4399	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **220.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B1-15** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स एहसान एग्रो उड प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0

द्वारा श्री एहसान करीम खान पुत्र स्व0 शब्बीर हसन खॉ,

निवासी-भवन संख्या-0354बी, मु0-दिवान बाजार, हिमालय

प्लाई के सामने, जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **89** दिनांक **17.11.1994** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B1-15** से. **13** क्षे. **639.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	774	5
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	12792	39
योग (अ)	रु0	13566	44

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1764	3
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7029	26
योग (ब)	रु0	8793	29
महायोग (अ एवं ब)	रु0	22359	73


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **703.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AL-9** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स आजम रबर प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0
(मोहम्मद आजम अली खॉन)
भूखण्ड संख्या ए. एल.-9, सेक्टर संख्या -13,
गीडा, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **73** दिनांक **20.09.1994** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AL-9** से. **13** क्षे. **12236.0** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	232509	रु0 31645
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	691272	रु0 10748
योग (अ)	रु0	923781	रु0 42393

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	120092	रु0 2778
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	134596	रु0 489
योग (ब)	रु0	254688	रु0 3267
महायोग (अ एवं ब)	रु0	1178469	रु0 45660

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **13460.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AL-11** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री राम इण्डस्ट्रीज द्वारा श्री ओम प्रकाश अग्रवाल, शिव प्रकाश अग्रवाल
श्रीराम अग्रवाल पुत्र स्व० विश्वनाथ प्रसाद अग्रवाल (साझेदार), नि०
निवासी-लेटाघाट, बड़हलगंज,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **100** दिनांक **22.03.1995** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AL-11** से. **13** क्षे. **13837.5** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 474
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-1420	रु० 1688
योग (अ)	रु०	-1420	रु० 2162

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 142
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	152213	रु० 415
योग (ब)	रु०	152213	रु० 557
महायोग (अ एवं ब)	रु०	150794	रु० 2719


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **15221.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **DE-4** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स श्री केशव इण्डस्ट्रीज प्रा० लि० द्वारा श्रीमती प्रभा रँगटा
(निदेशक) पत्नी श्री सुमीत रँगटा, निवासी-मकान संख्या-208,
सर्राफ रेजीडेन्सी, बेतियाहाता,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **51** दिनांक **23.05.1994** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **DE-4** से. **13** क्षे. **1962.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	0	रु० -3034
योग (अ)	रु०	0	रु० -3034

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	21582	रु० 78
योग (ब)	रु०	21582	रु० 78
महायोग (अ एवं ब)	रु०	21582	रु० -2956


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **2158.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-52** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स प्रज्ञा उद्योग सेवा संस्थान

द्वारा श्री अजय कुमार दूबे (सचिव) पुत्र श्री चन्द्रभान दूबे, ग्राम-पिपरा,

पोस्ट-सहजनवाँ,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **236** दिनांक **15.03.1999** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-52** से. **13** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	57267	रु0 832
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	50400	रु0 347
योग (अ)	रु0	107667	रु0 1179

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	13997	रु0 77
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4950	रु0 14
योग (ब)	रु0	18947	रु0 91
महायोग (अ एवं ब)	रु0	126614	रु0 1270


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B1-8** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स श्री दुर्गा उद्योग

द्वारा श्रीमती कल्पना अग्रवाल एवं श्रीमती सुनीता अग्रवाल

निवासी-इस्माइलपुर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **72** दिनांक **16.09.1994** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B1-8** से. **13** क्षे. **985.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	7314	रु0 2
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	38389	रु0 27
योग (अ)	रु0	45703	रु0 29

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	5941	रु0 8
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	10835	रु0 39
योग (ब)	रु0	16776	रु0 47
महायोग (अ एवं ब)	रु0	62479	रु0 76


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1084.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-13** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती प्रेमरानी पाण्डेय पत्नी स्व0 डी0एस0 पाण्डेय
निवासी-न्यू कालोनी,
कूसम्ही बाजार,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **166** दिनांक **05.11.1996** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-13** से. **13** क्षे. **1000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	127261	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	112000	रु0 -53
योग (अ)	रु0	239261	रु0 -53

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	31104	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11000	रु0 30
योग (ब)	रु0	42104	रु0 30
महायोग (अ एवं ब)	रु0	281365	रु0 -23

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-30** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री वैभव तिवारी पुत्र स्व० नितेश तिवारी,
निवासी-मकान संख्या 05213, बक्सीपुर,
पोस्ट-मुख्य डाकघर, थाना-कोतवाली,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **232** दिनांक **01.02.1999** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-30** से. **13** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-395	रु० -61
योग (अ)	रु०	-395	रु० -61

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	4950	रु० 14
योग (ब)	रु०	4950	रु० 14
महायोग (अ एवं ब)	रु०	4555	रु० -47

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B1-14** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री विनय कुमार अग्रवाल पुत्र श्री विजय कुमार अग्रवाल
प्रेम कूँज
रहमत नगर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **187** दिनांक **14.07.1997** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B1-14** से. **13** क्षे. **631.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6941	रु0
योग (ब)	रु0	6941	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	6941	रु0

नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **694.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-3** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स श्री राधा सर्विसेज प्रा० लि० द्वारा श्री संत कुमार भीमसरिया,
पुत्र स्व० चिरांजी लाल भीमसरिया, निवासी-306, सर्राफ, रेजीडेन्सी,
बेतियाहाता, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **60** दिनांक **11.08.1994** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-3** से. **13** क्षे. **12480.0** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	2090	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	124711	रु० -90
योग (अ)	रु०	126801	रु० -90

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	16484	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	137280	रु० 499
योग (ब)	रु०	153764	रु० 499
महायोग (अ एवं ब)	रु०	280565	रु० 409


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **13728.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-1** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स रायल सवेरा फूड्स प्रा0 लि0 द्वारा श्री राज कुमार अग्रवाल
पुत्र श्री अयोध्या नाथ अग्रवाल, निवासी-ए-80, गायत्री मन्दिर के पास,
तिवारीपुर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **58** दिनांक **10.08.1994** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-1** से. **13** क्षे. **12467.0** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-65	रु0
योग (अ)	रु0	-65	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	137137	रु0
योग (ब)	रु0	137137	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	137072	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **13714.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AL-16** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स श्री जेट्टी जी एग्रो इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०
द्वारा श्री सन्तोष कुमार सुरेका (निदेशक)
द्वारा मैसर्स राम चरण साजन कुमार, साहबगंज,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **95** दिनांक **23.12.1994** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AL-16** से. **13** क्षे. **4840.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	5454	रु० -1166
योग (अ)	रु०	5454	रु० -1166

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	592	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	53240	रु० 194
योग (ब)	रु०	53832	रु० 194
महायोग (अ एवं ब)	रु०	59286	रु० -972


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **5324.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-2** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स अम्बे प्रोसेसर्स
मैसर्स श्री राधा सर्विसेज प्रा० लि०
पाण्डेय हाता,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **59** दिनांक **11.08.1994** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-2** से. **13** क्षे. **12480.0** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	3942	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	124777	रु० -57
योग (अ)	रु०	128719	रु० -57

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	16733	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	137280	रु० 499
योग (ब)	रु०	154013	रु० 499
महायोग (अ एवं ब)	रु०	282732	रु० 442


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **13728.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-4/16** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती कृष्ण कुमारी राय पत्नी स्व० कमलेश राय
निवासी-101-ए, शक्तिनगर कालोनी,
पोस्ट-शिवपुरी नई कालोनी,
रुस्तमपुर, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **248** दिनांक **23.08.1999** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-4/16** से. **13** क्षे. **200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-23	रु० -311
योग (अ)	रु०	-23	रु० -311

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	2200	रु० 6
योग (ब)	रु०	2200	रु० 6
महायोग (अ एवं ब)	रु०	2177	रु० -305

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **220.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AS-10** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री ऐजाज हसैन पुत्र श्री हिदायत हसैन
निवासी-मोहल्ला-रहमत नगर, मस्जिद के पास,
पोस्ट-गीताप्रेस,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **286** दिनांक **31.03.2001** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AS-10** से. **13** क्षे. **100.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	7231	रु0 147
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	9247	रु0 68
योग (अ)	रु0	16478	रु0 215

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	2142	रु0 14
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1100	रु0 3
योग (ब)	रु0	3242	रु0 17
महायोग (अ एवं ब)	रु0	19720	रु0 232


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **110.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **DL-2** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स केजी स्नैक्स प्रा0 लि0
द्वारा श्री राजीव शोरेवाला (निदेशक)
भूखण्ड संख्या डी. एल.-2, सेक्टर संख्या-13,
गीडा, सहजनवाँ, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **153** दिनांक **09.02.1996** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **DL-2** से. **13** क्षे. **4800.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-259	रु0
योग (अ)	रु0	-259	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	52800	रु0
योग (ब)	रु0	52800	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	52541	रु0

नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **5280.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AL-5/7** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री रमेश यादव पुत्र श्री राम हरि यादव
निवासी-ग्राम-पैसा, पोस्ट-बढ़नी गोपालपुर,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **263** दिनांक **10.02.2000** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AL-5/7** से. **13** क्षे. **107.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	743	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4050	रु0 -50
योग (अ)	रु0	4793	रु0 -50

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	623	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1177	रु0 3
योग (ब)	रु0	1800	रु0 3
महायोग (अ एवं ब)	रु0	6593	रु0 -47

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **118.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AL-7** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स आदित्य मोटर प्रा0 लि0

द्वारा श्री राजू कुमार जायसवाल (निदेशक)

पता-601, गैलेन्ट लैण्ड मार्क, बैंक रोड़,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **188** दिनांक **14.07.1997** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AL-7** से. **13** क्षे. **10330.0** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-485	रु0	-134
योग (अ)	रु0	-485	रु0	-134

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	113630	रु0	310
योग (ब)	रु0	113630	रु0	310
महायोग (अ एवं ब)	रु0	113145	रु0	176


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **11363.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/4A** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स एस0 पी0 केमिकल्स वर्क्स

द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रहरी पुत्र श्री शिवपूजन प्रसाद अग्रहरी

धर्मशाला बाजार,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **246** दिनांक **28.07.1999** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/4A** से. **13** क्षे. **2313.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-384	रु0
योग (अ)	रु0	-384	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	25443	रु0
योग (ब)	रु0	25443	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	25059	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2544.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-4/2** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स एस. पी. इण्डस्ट्रीज (साझेदारी फर्म) द्वारा श्री घननजय गुप्ता, श्री गुप्ता पुत्रगण स्व० ओम प्रकाश गुप्ता (साझेदार) निवासी-70/बी, रामदत्तपुर, महाराणा प्रताप गर्ल्स डिग्री कालेज के पास, बडे काजीपुर, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **234** दिनांक **09.02.1999** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-4/2** से. **13** क्षे. **870.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	11732	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	42978	रु० -222
योग (अ)	रु०	54710	रु० -222

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	7112	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	9570	रु० 26
योग (ब)	रु०	16682	रु० 26
महायोग (अ एवं ब)	रु०	71392	रु० -196


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **957.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/11** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स तिरथ राम गुप्ता
द्वारा श्री राजीव कुमार गुप्ता (साझीदार)
आई0 बी0 पी0 पेट्रोल पम्प, धर्म शाला बाजार,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **233** दिनांक **01.02.1999** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/11** से. **13** क्षे. **1095.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-370	रु0
योग (अ)	रु0	-370	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	12045	रु0
योग (ब)	रु0	12045	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	11675	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1205.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AU-1** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स शिवम इंजिनियरिंग वर्क्स
द्वारा श्री उदय प्रताप सिंह
आवास विकास कोलोनी, महादेव झारखंडी चौकी
कूड़ाघाट, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **214** दिनांक **22.04.1998** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AU-1** से. **13** क्षे. **351.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	1042	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	10227	रु0 -8
योग (अ)	रु0	11269	रु0 -8

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1465	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3861	रु0 11
योग (ब)	रु0	5326	रु0 11
महायोग (अ एवं ब)	रु0	16595	रु0 3

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **386.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **BL-1** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स रूंगटा इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०
भूखण्ड संख्या बी० एल०-1,
सेक्टर संख्या-15, गीडा,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **61** दिनांक **11.08.1994** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **BL-1** से. **15** क्षे. **12480.0** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु०	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	0	रु०	0
योग (अ)	रु०	0	रु०	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु०	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	137280	रु०	499
योग (ब)	रु०	137280	रु०	499
महायोग (अ एवं ब)	रु०	137280	रु०	499

नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **13728.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-24** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री पी0 एन0 शुक्ला पुत्र स्व0 छेदी शुक्ला
दुकान नम्बर-8 श्री निवास हाउसिंग
को-आपरेटिव सोसायटी लि0 मानपारा रोड-डोम्बावली इ
जिला-थाणे (महाराष्ट्र) ।

आवंटन पत्र संख्या **180** दिनांक **15.05.1997** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-24** से. **13** क्षे. **1000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-256	रु0	-652
योग (अ)	रु0	-256	रु0	-652

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11000	रु0	30
योग (ब)	रु0	11000	रु0	30
महायोग (अ एवं ब)	रु0	10744	रु0	-622


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AU-4** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स विश्व शक्ति ग्रामोद्योग सेवा संस्थान,
द्वारा श्री अर्जुन (सचिव) पुत्र स्व० राम देव तिवारी
नथमलपुर, पोस्ट-गोरखनाथ,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **183** दिनांक **09.05.1997** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AU-4** से. **13** क्षे. **400.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	50145	रु० 842
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	44800	रु० 320
योग (अ)	रु०	94945	रु० 1162

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	12343	रु० 76
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	4400	रु० 12
योग (ब)	रु०	16743	रु० 88
महायोग (अ एवं ब)	रु०	111688	रु० 1250


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **440.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AS-2** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री विनोद कुमार गुप्ता पुत्र स्व० गुलाब चन्द गुप्ता
मकान नम्बर 138, चौधरी बलदेव प्रसाद रोड,
हजारीपुर
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **175** दिनांक **30.04.1997** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AS-2** से. **13** क्षे. **100.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	10673	रु० 212
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	10595	रु० 80
योग (अ)	रु०	21268	रु० 292

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	2765	रु० 19
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	1100	रु० 3
योग (ब)	रु०	3865	रु० 22
महायोग (अ एवं ब)	रु०	25133	रु० 314


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **110.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AS-8** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री उमाशंकर गुप्ता
निवासी-कौला मुण्डेरा, पोस्ट बघड़ा महारानी,
तहसील एवं जिला-देवरिया।

आवंटन पत्र संख्या **152** दिनांक **09.02.1996** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AS-8** से. **13** क्षे. **100.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7962	रु0
योग (अ)	रु0	7962	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	235	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1100	रु0
योग (ब)	रु0	1335	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	9297	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **110.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-7** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स महाशक्ति फूड्स प्रा0 लि0
एफ0 एल0-7, सेक्टर संख्या-13,
गीडा, सहजनवाँ,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **74** दिनांक **23.09.1994** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-7** से. **13** क्षे. **4177.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-138	रु0	-1
योग (अ)	रु0	-138	रु0	-1

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	45947	रु0	167
योग (ब)	रु0	45947	रु0	167
महायोग (अ एवं ब)	रु0	45809	रु0	166

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **4595.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-4/1** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री संजय भार्गव पुत्र स्व० मोतीलाल भार्गव,
बेतियाराज हाउस,
बेतियाहाता,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **285** दिनांक **24.03.2001** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-4/1** से. **13** क्षे. **849.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	21	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	10776	रु० -242
योग (अ)	रु०	10797	रु० -242

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	1396	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	9339	रु० 25
योग (ब)	रु०	10735	रु० 25
महायोग (अ एवं ब)	रु०	21532	रु० -217


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **934.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/10** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री हरि प्रसाद गुप्ता पुत्र स्व० पल्लू प्रसाद
भूखण्ड संख्या डी-1/10, सेक्टर संख्या-13,
गीडा, सहजनवाँ,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **259** दिनांक **03.12.1999** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/10** से. **13** क्षे. **1086.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	138203	रु० 1857
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	121632	रु० 795
योग (अ)	रु०	259835	रु० 2652

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	33779	रु० 174
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	11946	रु० 33
योग (ब)	रु०	45725	रु० 207
महायोग (अ एवं ब)	रु०	305560	रु० 2859


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **1195.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AL-4** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स हाई-टेक मेडिक्स प्राईवेट लिमिटेड
द्वारा डा0 मोहम्मद अयूब (निदेशक)
जोहरा हास्पिटल काम्पलेक्स,
बरहलगंज, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **97** दिनांक **03.02.1995** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AL-4** से. **13** क्षे. **12879.0** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 9
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	115603	रु0 136
योग (अ)	रु0	115603	रु0 145

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	15028	रु0 10
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	141669	रु0 386
योग (ब)	रु0	156697	रु0 396
महायोग (अ एवं ब)	रु0	272300	रु0 541

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **14167.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AS-3** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री मुहम्मद हनीफ पुत्र श्री मुहम्मद सलीम शेख
ग्राम-बरवा विद्यापीठ,
पोस्ट-शिकारगढ़ चौक,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **176** दिनांक **30.04.1997** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AS-3** से. **13** क्षे. **100.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	373	रु0
योग (अ)	रु0	373	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	48	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1100	रु0
योग (ब)	रु0	1148	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	1521	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **110.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AS-6** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री राजेश कुमार यादव पुत्र स्व० रामलाल
निवासी-ग्राम-कालेसर, तहसील-सहजनवाँ,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **169** दिनांक **08.01.1997** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AS-6** से. **13** क्षे. **100.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	699	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	3791	रु० -112
योग (अ)	रु०	4490	रु० -112

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	584	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	1100	रु० 3
योग (ब)	रु०	1684	रु० 3
महायोग (अ एवं ब)	रु०	6174	रु० -109

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **110.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AL-2** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स चेतना फूड्स प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्रा० लि०
(निदेशक श्री राम चन्द्र गुप्ता)
शाह मारुफ, हिन्दी बाजार,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **55** दिनांक **28.07.1994** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AL-2** से. **15** क्षे. **4900.25** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	19417	रु० 36
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	151731	रु० 285
योग (अ)	रु०	171148	रु० 321

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	22249	रु० 21
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	53903	रु० 196
योग (ब)	रु०	76152	रु० 217
महायोग (अ एवं ब)	रु०	247300	रु० 538


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **5390.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AL-1** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स वर्नेट फार्मास्यूटिकल्स प्रा0 लि0
भूखण्ड संख्या ए. एल.-1, सेक्टर संख्या-13,
गीडा, सहजनवाँ,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **47** दिनांक **04.04.1994** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AL-1** से. **13** क्षे. **8100.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	47399	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	502200	रु0
योग (अ)	रु0	549599	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	71448	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	89100	रु0
योग (ब)	रु0	160548	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	710147	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **8910.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AL-10** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स नेमानी प्लाइवुड प्रा0 लि0
द्वारा श्री कैलाश कुमार नेमानी
भूखण्ड संख्या ए0 एल0 -10, सेक्टर संख्या-13,
गीडा, सहजनवाँ, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **67** दिनांक **02.09.1994** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AL-10** से. **13** क्षे. **12236.0** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3591	रु0	-14464
योग (अ)	रु0	3591	रु0	-14464

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	336	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	134596	रु0	489
योग (ब)	रु0	134932	रु0	489
महायोग (अ एवं ब)	रु0	138523	रु0	-13975

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **13460.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **BL-1** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स बालाजी बेकर्स प्रा0 लि0
द्वारा श्री अशोक कुमार अग्रवाल
13-सिविल लाइन्स, नियर इदिरा बाल बिहार, अपोजिट डी0
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **252** दिनांक **02.09.1999** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **BL-1** से. **13** क्षे. **7765.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	9424	रु0
योग (अ)	रु0	9424	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1024	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	85415	रु0
योग (ब)	रु0	86439	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	95863	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **8542.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AL-5/1** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स फेयर मेडिक्स प्रा0 लि0 द्वारा श्री मोहम्मद उस्मान (निदेशक)

पता-18-03-बी मेट्रो सिटी पेपर मिल कम्पाउण्ड

निशातगंज, महानगर,

लखनऊ।

आवंटन पत्र संख्या **162** दिनांक **27.08.1996** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AL-5/1** से. **13** क्षे. **982.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1792	रु0
योग (अ)	रु0	-1792	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	10802	रु0
योग (ब)	रु0	10802	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	9010	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1080.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. C-4 / से. 13 / 2023-24 दिनांक

श्री फहद अहमद खान पुत्र श्री शकील अहमद खान,
निवासी-273, बक्शीपुर,
शम्भू क्लार्क हाउस के पास,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 155 दिनांक 23.03.1996 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. C-4 से. 13 क्षेत्र 793.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7515	रु0	-4
योग (अ)	रु0	7515	रु0	-4

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	977	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8723	रु0	24
योग (ब)	रु0	9700	रु0	24
महायोग (अ एवं ब)	रु0	17215	रु0	20


नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 872.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-5** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स हरियाणा ब्रीडिंग फर्म (साझेदारी फर्म) द्वारा श्री दिनेश कुमार एवं
निवासी-वी0पी0ओ0 कवी, तहसील-मडलौडा,
जिला-पानीपत (हरियाणा)

आवंटन पत्र संख्या **149** दिनांक **09.02.1996** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-5** से. **13** क्षे. **793.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-962	रु0
योग (अ)	रु0	-962	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8723	रु0
योग (ब)	रु0	8723	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	7761	रु0

-1181


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **872.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AS-7** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री गौतम बरनवाल पुत्र श्री भोला बरनवाल,
निवासी-ढाढ़ा ब्रजग,
थाना एवं तहसील-हाटा,
जिला-कृशीनगर।

आवंटन पत्र संख्या **168** दिनांक **08.01.1997** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AS-7** से. **13** क्षे. **100.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	6139	रु0 217
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8718	रु0 81
योग (अ)	रु0	14857	रु0 298

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1931	रु0 20
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1100	रु0 3
योग (ब)	रु0	3031	रु0 23
महायोग (अ एवं ब)	रु0	17888	रु0 321


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **110.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-4/14** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स मालती प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज
श्री अजीत कुमार सेलही पुत्र श्री वाई0 एन0 सेलही,
मकान नं0 631/सी (बिहाइन्ड श्री टाकिज), मोहददीपुर,
पोस्ट आफिस कूडाघाट, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **242** दिनांक **17.05.1999** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-4/14** से. **13** क्षे. **200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	21356	रु0 357
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	21183	रु0 148
योग (अ)	रु0	42539	रु0 505

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	5530	रु0 33
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2200	रु0 6
योग (ब)	रु0	7730	रु0 39
महायोग (अ एवं ब)	रु0	50269	रु0 544


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **220.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-8/1** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती रेश्मा देवी पत्नी श्री प्रेम चन्द गुप्ता
ग्राम-कौवा मुरेरा,
पोस्ट-पथरदेवा
जिला-देवरिया।

आवंटन पत्र संख्या **281** दिनांक **26.02.2001** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-8/1** से. **13** क्षे. **300.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	15028	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	24314	रु0 -231
योग (अ)	रु0	39342	रु0 -231

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	5114	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3300	रु0 9
योग (ब)	रु0	8414	रु0 9
महायोग (अ एवं ब)	रु0	47756	रु0 -222

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **330.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-8/5** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री राजा राम यादव पुत्र श्री केशव यादव
ग्राम-सूती,
पोस्ट आफिस सुकरौली,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **282** दिनांक **26.02.2001** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-8/5** से. **13** क्षे. **300.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	18761	रु0 451
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	26340	रु0 206
योग (अ)	रु0	45101	रु0 657

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	5863	रु0 43
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3300	रु0 9
योग (ब)	रु0	9163	रु0 52
महायोग (अ एवं ब)	रु0	54264	रु0 709


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **330.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-8/2** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री विजय डी0 सिंह पुत्र श्री ध्रुव सिंह
ग्राम-बसूधा,
पोस्ट आफिस-पिपरौली बाजार,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **289** दिनांक **18.04.2001** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-8/2** से. **13** क्षे. **300.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	24051	रु0 442
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	28783	रु0 204
योग (अ)	रु0	52834	रु0 646

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	6868	रु0 42
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3300	रु0 9
योग (ब)	रु0	10168	रु0 51
महायोग (अ एवं ब)	रु0	63002	रु0 697


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **330.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-8/7** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री पन्ने लाल यादव पुत्र श्री झिनकू यादव,
निवासी-ग्राम-मऊ धरमंगल, पोस्ट-खजनी,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **291** दिनांक **19.04.2001** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-8/7** से. **13** क्षे. **300.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	11869	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	22248	रु0 -164
योग (अ)	रु0	34117	रु0 -164

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	4435	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3300	रु0 9
योग (ब)	रु0	7735	रु0 9
महायोग (अ एवं ब)	रु0	41852	रु0 -155

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **330.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-8/3** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री मुरारी लाल मधेशिया पुत्र श्री भगौती राम
ग्राम व पोस्ट-पिपरौली बाजार,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **290** दिनांक **19.04.2001** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-8/3** से. **13** क्षे. **300.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	290	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3000	रु0 -49
योग (अ)	रु0	3290	रु0 -49

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	428	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3300	रु0 9
योग (ब)	रु0	3728	रु0 9
महायोग (अ एवं ब)	रु0	7018	रु0 -40


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **330.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AU-2** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री सुभाष गिरी पुत्र श्री राम लगन गिरी
मैसर्स विनर इंजिनियरिंग कम्पनी
ग्राम व पोस्ट-पाली (वाया सहजनवाँ)
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **173** दिनांक **12.02.1997** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AU-2** से. **13** क्षे. **400.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-400	रु0
योग (अ)	रु0	-400	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4400	रु0
योग (ब)	रु0	4400	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4000	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **440.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-4/11** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री विजेन्द्र उपाध्याय पुत्र श्री कलाधर उपाध्याय
ग्राम-पडरूरी बरौली, पोस्ट-मदनपुरा,
तहसील-सहजनवाँ,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **227** दिनांक **12.10.1998** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-4/11** से. **13** क्षे. **200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	24027	रु0 366
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	21998	रु0 151
योग (अ)	रु0	46025	रु0 517

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	5983	रु0 34
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2200	रु0 6
योग (ब)	रु0	8183	रु0 40
महायोग (अ एवं ब)	रु0	54208	रु0 557

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **220.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-4/13** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स वीजार्ड फ़ैगरेन्सेस

द्वारा श्री अमर तुलस्यान पुत्र श्री कृष्ण कुमार तुलस्यान

मुहल्ला-खूनीपुर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **217** दिनांक **06.06.1998** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-4/13** से. **13** क्षे. **200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	50	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2806	रु0
योग (अ)	रु0	2856	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	371	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2200	रु0
योग (ब)	रु0	2571	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5427	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **220.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-3/12** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री जगदीश चौधरी पुत्र श्री सूनेश्वर चौधरी
ग्राम-द्वारपार (एलासगढ़)
पोस्ट आफिस-मनियर
जिला-बलिया

आवंटन पत्र संख्या **223** दिनांक **06.08.1998** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-3/12** से. **13** क्षे. **100.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	58	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	993	रु0
योग (अ)	रु0	1051	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	137	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1100	रु0
योग (ब)	रु0	1237	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2288	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **110.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **DE-1/A** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स बाम्बे रीड रिपेयरिंग सेन्टर
द्वारा श्री केसरी नाथ यादव (प्रोपराईटर)
भूखण्ड संख्या डी ई-1/ए, सेक्टर संख्या-13,
गीडा, गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र संख्या **265** दिनांक **06.03.2000** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **DE-1/A** से. **13** क्षे. **200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	16057	रु0 330
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	19200	रु0 143
योग (अ)	रु0	35257	रु0 473

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	4583	रु0 31
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2200	रु0 6
योग (ब)	रु0	6783	रु0 37
महायोग (अ एवं ब)	रु0	42040	रु0 510


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **220.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AT-1** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती निर्मला रूंगटा पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद रूंगटा
पाण्डेय कालोनी, अलहदादपुर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **167** दिनांक **05.11.1996** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AT-1** से. **13** क्षे. **283.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-311	रु0	-43
योग (अ)	रु0	-311	रु0	-43

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3113	रु0	8
योग (ब)	रु0	3113	रु0	8
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2802	रु0	-35

नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **311.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-16** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती किरन गुप्ता पत्नी श्री नरेन्द्र नाथ गुप्ता
153 ए, बेतियाहाता, हनुमान मंदिर के सामने,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **30** दिनांक **29.09.1993** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-16** से. **13** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1576	रु0
योग (अ)	रु0	-1576	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4950	रु0
योग (ब)	रु0	4950	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	3374	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AS-12** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री मुहम्मद आवेश पुत्र स्व0 फजलूरहमान
निवासी-मुहल्ला-भरपुरवा, कच्चीबाग,
निजामपुर, जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **23** दिनांक **27.07.1993** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AS-12** से. **13** क्षे. **100.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	77	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	362	रु0
योग (अ)	रु0	439	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	53	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1100	रु0
योग (ब)	रु0	1153	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	1592	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **110.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-1/22 / से. 13 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती कौशिल्या देवी पत्नी स्व० जय सिंह
ग्राम-कालेसर, पोस्ट आफिस-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 238 दिनांक 26.04.1999 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-1/22 से. 13 क्षे. 724.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 39
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	6072	रु० 107
योग (अ)	रु०	6072	रु० 146

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	789	रु० 10
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	7964	रु० 22
योग (ब)	रु०	8753	रु० 32
महायोग (अ एवं ब)	रु०	14825	रु० 178


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० 796.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-3/11** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती वन्दीता पाण्डेय पत्नी श्री अनिल पाण्डेय
निवासी-56, ग्राम-पड़ियापार,
थाना-खजनी, तहसील-हरनही,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **213** दिनांक **25.03.1998** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-3/11** से. **13** क्षे. **100.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	303	रु0
योग (अ)	रु0	303	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	39	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1100	रु0
योग (ब)	रु0	1139	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	1442	रु0

-471


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **110.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/12** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती नेहा टिबडेवाल पत्नी श्री हिमाशू टिबडेवाल,
निवासी-मकान संख्या-एच0आई0जी0-3,
आवास विकास कालोनी,
बेतियाहाता, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **262** दिनांक **27.01.2000** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/12** से. **13** क्षे. **1104.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 2
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1168	रु0 31
योग (अ)	रु0	-1168	रु0 33

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0 2
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	12144	रु0 33
योग (ब)	रु0	12144	रु0 35
महायोग (अ एवं ब)	रु0	10976	रु0 68


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1214.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AL-14** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स विनायक उद्योग

द्वारा श्री मुकेश कुमार (निदेशक)

**भूखण्ड संख्या ए. एल.-14, सेक्टर संख्या-13, गीडा,
गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **258** दिनांक **12.11.1999** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AL-14** से. **13** क्षे. **5838.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 3890
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0 3606
योग (अ)	रु0	0	रु0 7496

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0 491
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	64218	रु0 175
योग (ब)	रु0	64218	रु0 666
महायोग (अ एवं ब)	रु0	64218	रु0 8162


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **6422.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AL-5/6A** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स मॉ वैष्णो टिम्बर (साझेदारी फर्म) द्वारा श्री संतोष कुमार
एवं श्री मनोज कुमार जायसवाल पुत्र श्री राधेश्याम जायसवाल
वार्ड नं० 15, लुचई,
सहजनवाँ, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **292** दिनांक **19.04.2001** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AL-5/6A** से. **13** क्षे. **610.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	62241	रु० 888
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	63651	रु० 409
योग (अ)	रु०	125892	रु० 1297

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	16366	रु० 85
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	6710	रु० 18
योग (ब)	रु०	23076	रु० 103
महायोग (अ एवं ब)	रु०	148968	रु० 1400


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **671.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AU-5** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती मंजरी श्रीवास्तव पत्नी श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव
निवासी-ग्राम-कोदवट, पोस्ट-गायघाट, तहसील-धनघटा,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **220** दिनांक **07.07.1998** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AU-5** से. **13** क्षे. **400.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	439	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7621	रु0 -592
योग (अ)	रु0	8060	रु0 -592

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1048	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4400	रु0 12
योग (ब)	रु0	5448	रु0 12
महायोग (अ एवं ब)	रु0	13508	रु0 -580

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **440.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/7** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री कौशल सिंह पुत्र श्री ब्रिजेन्द्र सिंह
ग्राम-मजुरी (शिवपुर), पोस्ट आफिस-नवोदा,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **254** दिनांक **09.09.1999** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/7** से. **13** क्षे. **200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2000	रु0
योग (अ)	रु0	2000	रु0
			-479

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	260	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2200	रु0
योग (ब)	रु0	2460	रु0
			6
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4460	रु0
			-473

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **220.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **DE-2** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स जय कृष्णा इन्टरप्राइजेज प्रा० लि०
द्वारा श्री जय प्रकाश जायसवाल (निदेशक)
8-सूखवानी चैम्बर, प्रथम फ्लोर पिम्प्री
पिन कोड-411018

आवंटन पत्र संख्या **267** दिनांक **18.04.2000** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **DE-2** से. **13** क्षे. **4210.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	149850	रु० 6817
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	305589	रु० 2987
योग (अ)	रु०	455439	रु० 9804

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	59207	रु० 643
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	46310	रु० 126
योग (ब)	रु०	105517	रु० 769
महायोग (अ एवं ब)	रु०	560956	रु० 10573


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **4631.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-10** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री उत्सव गुप्ता पुत्र श्री राजराजेश्वर नाथ गुप्ता
टेलीफोन कालोनी के सामने, अम्बिका सिंह गली,
ए-3, रुस्तमपुर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **209** दिनांक **09.02.1998** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-10** से. **13** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1239	रु0
योग (अ)	रु0	-1239	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4950	रु0
योग (ब)	रु0	4950	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	3711	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/9** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती सूरमा जालान पत्नी श्री श्रवण कुमार जालान
निवासी-25-साकेत नगर, लच्छीपुर,
गोरखनाथ,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **239** दिनांक **03.05.1999** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/9** से. **13** क्षे. **1075.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	66426	रु0 188
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	93971	रु0 271
योग (अ)	रु0	160397	रु0 459

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	20852	रु0 30
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11825	रु0 32
योग (ब)	रु0	32677	रु0 62
महायोग (अ एवं ब)	रु0	193074	रु0 521

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1183.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-8/14** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री रामपाल शर्मा पुत्र श्री कप्तान शर्मा
ग्राम-कस्बा, पोस्ट-अल्हागंज,
जिला-शाहजहाँपुर,

आवंटन पत्र संख्या **293** दिनांक **11.05.2001** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-8/14** से. **13** क्षे. **300.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	4038	रु0 106
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	14809	रु0 300
योग (अ)	रु0	18847	रु0 406

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	2450	रु0 27
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3300	रु0 60
योग (ब)	रु0	5750	रु0 87
महायोग (अ एवं ब)	रु0	24597	रु0 493


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **330.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-8/15** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

कमारी अक्षरा श्रीवास्तव (संरक्षिका) एवं श्रीमती रेशमा श्रीवास्तव पत्नी
निवासी-ई0डब्ल्यू0एस0.447, सुभाषचन्द्र बोस नगर कालोनी,
बिलन्दपुर खत्ता, सूरजकृण्ड कालोनी,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **294** दिनांक **11.05.2001** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-8/15** से. **13** क्षे. **300.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 28
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-310	रु0 5
योग (अ)	रु0	-310	रु0 33

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0 2
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3300	रु0 60
योग (ब)	रु0	3300	रु0 62
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2990	रु0 95

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **330.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-8/4** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री आशुतोष जैशवाल पुत्र श्री गंगा प्रसाद जैशवाल
पोस्ट आफिस के सामने, गोला बाजार,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **296** दिनांक **11.06.2001** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-8/4** से. **13** क्षे. **300.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-40	रु0
योग (अ)	रु0	-40	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3300	रु0
योग (ब)	रु0	3300	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	3260	रु0


नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **330.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AL-5/5** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती शमीना खान पत्नी श्री सुहेल अहमद
निवासी-बक्शीपुर चौरहिया गोला के पास,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **299** दिनांक **15.06.2001** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AL-5/5** से. **13** क्षे. **990.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	227	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1090	रु0 -438
योग (अ)	रु0	1317	रु0 -438

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	144	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	10890	रु0 198
योग (ब)	रु0	11034	रु0 198
महायोग (अ एवं ब)	रु0	12351	रु0 -240

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1089.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-8/12** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री शमशाद आलम खॉ पुत्र श्री कबीर अहमद खॉ
द्वारा-मे0 जी0 एन0 एलेक्ट्रिकल्स, शाहमारुफ,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **301** दिनांक **20.06.2001** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-8/12** से. **13** क्षे. **300.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	24990	रु0 360
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	32451	रु0 512
योग (अ)	रु0	57441	रु0 872

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	7467	रु0 57
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3300	रु0 60
योग (ब)	रु0	10767	रु0 117
महायोग (अ एवं ब)	रु0	68208	रु0 989

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **330.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-8/13** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री राम लखन गुप्ता पुत्र श्री सोनई प्रसाद गुप्ता
ग्राम-कृष्णापुरा, पोस्ट-पटखौली,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **302** दिनांक **20.06.2001** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-8/13** से. **13** क्षे. **300.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक	31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2.	रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	70	रु0	0
	योग (अ)	रु0	70	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	7	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3300	रु0	60
योग (ब)	रु0	3307	रु0	60
महायोग (अ एवं ब)	रु0	3377	रु0	60


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **330.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/2A** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मे0 एगवेट फूड्स एण्ड फीड्स

द्वारा-श्री नीलरतन सिंह (पार्टनर), सी0-102/660, मोहद्वीपुर, श्री

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **303** दिनांक **05.07.2001** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/2A** से. **13** क्षे. **2622.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6120	रु0
योग (अ)	रु0	6120	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	796	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	28842	रु0
योग (ब)	रु0	29638	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	35758	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2884.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/2C** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मे0 नायक पालीटेक्स

गोरखपुर-273015

आवंटन पत्र संख्या **314** दिनांक **01.09.2001** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/2C** से. **13** क्षे. **1100.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	139987	रु0 10487
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	123200	रु0 4914
योग (अ)	रु0	263187	रु0 15401

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	34214	रु0 1009
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	12100	रु0 220
योग (ब)	रु0	46314	रु0 1229
महायोग (अ एवं ब)	रु0	309501	रु0 16630


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1210.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/2B** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मे0 नायक पालीटिक्स,

गोरखपुर-273015

आवंटन पत्र संख्या **315** दिनांक **01.09.2001** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/2B** से. **13** क्षे. **1100.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	139987	रु0 10487
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	123200	रु0 4914
योग (अ)	रु0	263187	रु0 15401

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	34214	रु0 1009
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	12100	रु0 220
योग (ब)	रु0	46314	रु0 1229
महायोग (अ एवं ब)	रु0	309501	रु0 16630


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1210.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/20B** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री हरीशचन्द्र सिंह पुत्र स्व० बिन्दाबन सिंह
ग्राम व पोस्ट-बड़गहन,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **308** दिनांक **31.07.2001** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/20B** से. **13** क्षे. **218.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	17	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	2447	रु० -19
योग (अ)	रु०	2464	रु० -19

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	320	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	2398	रु० 44
योग (ब)	रु०	2718	रु० 44
महायोग (अ एवं ब)	रु०	5182	रु० 25


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **240.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/3 B** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मे0 केयर मेडिकल डिवाइसेस लिमिटेड
द्वारा श्री मो0 फैजी (निदेशक) पुत्र श्री मो0 जूनैद,
बदूद, 497, काजीपुर खूद,
गोरखपुर 273001

आवंटन पत्र संख्या **310** दिनांक **08.08.2001** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/3 B** से. **13** क्षे. **2785.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	30635	रु0
योग (ब)	रु0	30635	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	30635	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **3064.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B1-17** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती उरोज खान पत्नी श्री शूएब खान,
निवासी-बक्शीपुर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **311** दिनांक **08.08.2001** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B1-17** से. **13** क्षे. **706.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	12434	रु0 6765
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	38693	रु0 3159
योग (अ)	रु0	51127	रु0 9924

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	6647	रु0 650
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7766	रु0 141
योग (ब)	रु0	14413	रु0 791
महायोग (अ एवं ब)	रु0	65540	रु0 10715


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **777.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/3A** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मे0 एगवेट फूड्स और फीड्स

**द्वारा-श्री नीलरतन सिंह (पार्टनर), सी/102/660, मोहददीपुर,
 गोरखपुर-273008**

आवंटन पत्र संख्या **313** दिनांक **01.09.2001** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/3A** से. **13** क्षे. **1399.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-3290	रु0
योग (अ)	रु0	-3290	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	15389	रु0
योग (ब)	रु0	15389	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	12099	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1539.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/12** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स आर्शिवाद इण्डस्ट्रीज (साझेदारी फर्म) द्वारा श्री परमहंस मौर्य
पुत्र स्व० राम बली कोईरी एवं अन्य, निवासी-ग्राम-पिडरी,
जिला-देवरिया।

आवंटन पत्र संख्या **316** दिनांक **06.10.2001** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/12** से. **15** क्षे. **510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	872	रु० 6
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	11303	रु० 89
योग (अ)	रु०	12175	रु० 95

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	1583	रु० 6
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	5610	रु० 102
योग (ब)	रु०	7193	रु० 108
महायोग (अ एवं ब)	रु०	19368	रु० 203


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **561.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-4/12** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री अजय कुमार सेल्ही पुत्र श्री यदुनाथ नाथ सेल्ही
निवासी-631/सी0, मोहद्वीपुर
गोरखपुर-273008

आवंटन पत्र संख्या **318** दिनांक **31.10.2001** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-4/12** से. **13** क्षे. **200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	19563	रु0 1878
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	20585	रु0 887
योग (अ)	रु0	40148	रु0 2765

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	5219	रु0 181
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2200	रु0 40
योग (ब)	रु0	7419	रु0 221
महायोग (अ एवं ब)	रु0	47567	रु0 2986


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **220.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AL-18B** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स एस0डी0 इण्टरनेशनल प्रा0 लि0

द्वारा श्रीमती शारदा देवी अग्रवाल (निदेशक) पत्नी विजय कुमार अग्रवाल

निवासी-मुहल्ला-रहमतनगर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **319** दिनांक **09.11.2001** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AL-18B** से. **13** क्षे. **3109.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0	-3110
योग (अ)	रु0	0	रु0	-3110

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	34199	रु0	622
योग (ब)	रु0	34199	रु0	622
महायोग (अ एवं ब)	रु0	34199	रु0	-2488


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **3420.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/13** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स पूर्वान्वल उद्योग

द्वारा श्री अजीत चन्द (पार्टनर) पुत्र श्री योगेन्द्र चन्द एवं श्री रमेश गुप्ता

ग्राम-यशवन्तपुर, पोस्ट-मालहनपार,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **320** दिनांक **09.11.2001** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/13** से. **15** क्षे. **595.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	53301	रु0 1778
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	59379	रु0 1543
योग (अ)	रु0	112680	रु0 3321

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	14648	रु0 218
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6545	रु0 119
योग (ब)	रु0	21193	रु0 337
महायोग (अ एवं ब)	रु0	133873	रु0 3658


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **655.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. J-L / से. 15 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि०
पंजीकृत कार्यालय- इण्डियन ऑयल भवन, जी-9,
अली यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (ईस्ट),
मुम्बई-400051

आवंटन पत्र संख्या 634 दिनांक 07.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. J-L से. 15 क्षे. 155809. वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-155810	रु0
योग (अ)	रु0	-155810	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1713905	रु0	155810
योग (ब)	रु0	1713905	रु0	155810
महायोग (अ एवं ब)	रु0	1558096	रु0	155810


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 171391.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/17** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री अमरजीत वर्मा पुत्र श्री श्यामदेव वर्मा
निवासी-ग्राम व पोस्ट-अमारी कोयलसा,
तहसील-बुढनपुर,
जिला-आजमगढ़।

आवंटन पत्र संख्या **522** दिनांक **05.12.2007** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/17** से. **13** क्षे. **295.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-46	रु0
योग (अ)	रु0	-46	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3245	रु0
योग (ब)	रु0	3245	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	3199	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **325.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AT-6** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स लालझारी देवी एण्ड सन्स द्वारश्री चन्द्रमा कुंवर, श्री विजय कुंवर,
निवासी-250, शक्तिनगर कालोनी,
पोस्ट-बशारतपुर, पोस्ट-आरोग्य मंदिर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **324** दिनांक **29.11.2001** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AT-6** से. **13** क्षे. **200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	24028	रु0 1871
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	22000	रु0 884
योग (अ)	रु0	46028	रु0 2755

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	5984	रु0 181
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2200	रु0 40
योग (ब)	रु0	8184	रु0 221
महायोग (अ एवं ब)	रु0	54212	रु0 2976


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **220.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/17** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री अरुण गोयल पुत्र स्व० नन्दलाल गोयल
निवासी-मकान संख्या-42/1,
सूरजकूण्ड कालोनी,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **325** दिनांक **29.11.2001** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/17** से. **15** क्षे. **595.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-415	रु० -33
योग (अ)	रु०	-415	रु० -33

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	6545	रु० 119
योग (ब)	रु०	6545	रु० 119
महायोग (अ एवं ब)	रु०	6130	रु० 86

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **655.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/16** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मे0 नेशनल पेट्रोलियम एण्ड केमिकल्स
द्वारा-श्री वीरेन्द्र चौधरी (पार्टनर) 234, सी0, दाऊदपुर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **326** दिनांक **29.11.2001** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/16** से. **15** क्षे. **595.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	75721	रु0 5545
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	66640	रु0 2629
योग (अ)	रु0	142361	रु0 8174

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	18507	रु0 536
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6545	रु0 119
योग (ब)	रु0	25052	रु0 655
महायोग (अ एवं ब)	रु0	167413	रु0 8829

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **655.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. C-1 / से. 13 / 2023-24 दिनांक

श्री श्रवण कुमार गुप्ता पुत्र स्व० बाबूलाल कसौधन,
निवासी-ट्रांसपोर्ट नगर,
तहसील-सदर,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 327 दिनांक 29.11.2001 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. C-1 से. 13 क्षे. 790.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0 0	रु0 10
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 7108	रु0 158
योग (अ)	रु0 7108	रु0 168

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0 924	रु0 11
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 8690	रु0 158
योग (ब)	रु0 9614	रु0 169
महायोग (अ एवं ब)	रु0 16722	रु0 337


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 869.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **BL-3** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती कौशिल्या देवी पत्नी स्व० जय सिंह
ग्राम-कालेसर, पोस्ट-सहजनवाँ
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **333** दिनांक **29.12.2001** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **BL-3** से. **13** क्षे. **2715.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	182	रु० 970
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	30260	रु० 2710
योग (अ)	रु०	30442	रु० 3680

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	3958	रु० 241
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	29865	रु० 543
योग (ब)	रु०	33823	रु० 784
महायोग (अ एवं ब)	रु०	64265	रु० 4464

नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **2987.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/4** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री समृद्ध अग्रवाल पुत्र श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल
निवासी-मकान संख्या-142, दिवान बाजार,
रामदेई कन्या इन्टर कालेज के पास,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **334** दिनांक **29.12.2001** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/4** से. **15** क्षे. **1091.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-8530	रु0
योग (अ)	रु0	-8530	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	12001	रु0
योग (ब)	रु0	12001	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	3471	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1200.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/20** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री विजय कुमार गुप्ता पुत्र स्व० लखीचन्द गुप्ता
भारत बैट्री-ट्रांसपोर्ट नगर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **335** दिनांक **29.12.2001** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/20** से. **15** क्षे. **595.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-595	रु० -405
योग (अ)	रु०	-595	रु० -405

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	6545	रु० 119
योग (ब)	रु०	6545	रु० 119
महायोग (अ एवं ब)	रु०	5950	रु० -286


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **655.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-26** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

**श्री गोविन्द प्रसाद पुत्र स्व० फेकूलाल,
निवासी-मकान संख्या-393एच,
आजाद नगर, रुस्तमपुर, पोस्ट-शिवपुरी नई कालोनी,
गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **336** दिनांक **31.12.2001** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-26** से. **13** क्षे. **1850.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	4	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	18677	रु० -394
योग (अ)	रु०	18681	रु० -394

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	2429	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	20350	रु० 370
योग (ब)	रु०	22779	रु० 370
महायोग (अ एवं ब)	रु०	41460	रु० -24


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **2035.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AT-7** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री जीतेन्द्र प्रसाद शुक्ला
ग्राम-पानापार, पोस्ट-भौसाबाजार,
गोरखपुर-273212

आवंटन पत्र संख्या **338** दिनांक **31.12.2001** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AT-7** से. **13** क्षे. **200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	4299	रु0 152
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11862	रु0 283
योग (अ)	रु0	16161	रु0 435

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	2101	रु0 29
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2200	रु0 40
योग (ब)	रु0	4301	रु0 69
महायोग (अ एवं ब)	रु0	20462	रु0 504

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **220.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. A-1/6 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री बन्दावन सिंह

मकान न0 200 ए0, निकट मानसरोवर रामीलीला मैदान पुराना,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 341 दिनांक 31.12.2001 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. A-1/6 से. 15 क्षे. 1104.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	5517	रु0 7402
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	33120	रु0 4863
योग (अ)	रु0	38637	रु0 12265

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	5023	रु0 804
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	12144	रु0 221
योग (ब)	रु0	17167	रु0 1025
महायोग (अ एवं ब)	रु0	55804	रु0 13290


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 1214.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/7** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मे0 हिन्दुस्तान स्टील्स द्वारा श्री अरशद अहमद (प्रोपराईटर)
पुत्र स्व0 इश्तेयाक अहमद,
मोहल्ला-रेती चौक,
गोरखपुर-273001

आवंटन पत्र संख्या **343** दिनांक **31.12.2001** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/7** से. **15** क्षे. **1111.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	255	रु0 67
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	13832	रु0 542
योग (अ)	रु0	14087	रु0 609

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1831	रु0 40
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	12221	रु0 1111
योग (ब)	रु0	14052	रु0 1151
महायोग (अ एवं ब)	रु0	28139	रु0 1760


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1222.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/22** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स त्रिपुरारी लुब्रीकेन्ट प्रा० लि०

द्वारा श्रीमती राजमती सिंह (निदेशक) पत्नी श्री कृष्ण प्रताप सिंह

निवासी-ग्राम-सहबाजगंज, पोस्ट-सहजनवाँ,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **344** दिनांक **31.12.2001** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/22** से. **15** क्षे. **595.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	37449	रु० 3727
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	52371	रु० 2377
योग (अ)	रु०	89820	रु० 6104

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	11677	रु० 400
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	6545	रु० 119
योग (ब)	रु०	18222	रु० 519
महायोग (अ एवं ब)	रु०	108042	रु० 6623


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **655.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-1/26 / से. 13 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती विभापाण्डेय पत्नी श्री चन्द्रशेखर पाण्डेय
ग्राम व पोस्ट-बड़गहन, तहसील-सहजनवां,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 347 दिनांक 31.01.2002 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-1/26 से. 13 क्षे. 206.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	208	रु0 1731
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3783	रु0 899
योग (अ)	रु0	3991	रु0 2630

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	519	रु0 172
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2266	रु0 41
योग (ब)	रु0	2785	रु0 213
महायोग (अ एवं ब)	रु0	6776	रु0 2843

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 227.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/4B** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स शिव शक्ति इण्डस्ट्रीज
द्वारा श्री नागेन्द्र सिंह (साझेदार) पुत्र श्री गंगा सिंह,
निवासी-ग्राम-माहिलवार, पोस्ट-खजनी,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **330** दिनांक **22.12.2001** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/4B** से. **13** क्षे. **2311.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	191812	रु0 20704
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	254210	रु0 10178
योग (अ)	रु0	446022	रु0 30882

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	57983	रु0 2024
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	25421	रु0 462
योग (ब)	रु0	83404	रु0 2486
महायोग (अ एवं ब)	रु0	529426	रु0 33368


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2542.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AL-5/6B** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती राधिका यादव पत्नी श्री ओमप्रकाश यादव
ग्राम व पोस्ट-छपिया,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **348** दिनांक **07.02.2002** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AL-5/6B** से. **13** क्षे. **321.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	16661	रु0 263
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	26766	रु0 463
योग (अ)	रु0	43427	रु0 726

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	5646	रु0 48
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3531	रु0 64
योग (ब)	रु0	9177	रु0 112
महायोग (अ एवं ब)	रु0	52604	रु0 838

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **353.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. A-1/8 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री अरशद खान पुत्र श्री मोहम्मद शोएब खान,
निवासी-1012/ए,
तुर्कमानपुर,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 351 दिनांक 27.03.2002 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. A-1/8 से. 15 क्षे. 1119.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	7805	रु0 1798
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	55950	रु0 4876
योग (अ)	रु0	63755	रु0 6674

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	8288	रु0 437
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	12309	रु0 224
योग (ब)	रु0	20597	रु0 661
महायोग (अ एवं ब)	रु0	84352	रु0 7335


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 1231.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/17** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स जे०एम० एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा० लि० द्वारा श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव
पुत्र स्व० काशी प्रसाद लाल, निवासी-26डी, सविता सदन, मान्टेशनरी
बिछिया, पी०ए०सी० कैम्प,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **352** दिनांक **27.04.2002** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/17** से. **13** क्षे. **1659.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-745	रु० -61
योग (अ)	रु०	-745	रु० -61

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	18249	रु० 332
योग (ब)	रु०	18249	रु० 332
महायोग (अ एवं ब)	रु०	17504	रु० 271

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **1825.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/26** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री संजय कुमार पुत्र श्री विश्वनाथ गुप्ता
ग्राम-एकला बाजार, पोस्ट-बाघागाड़ा,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **370** दिनांक **21.09.2002** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/26** से. **15** क्षे. **595.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-302	रु0	-31
योग (अ)	रु0	-302	रु0	-31

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6545	रु0	119
योग (ब)	रु0	6545	रु0	119
महायोग (अ एवं ब)	रु0	6243	रु0	88

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **655.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. I-3 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री मुकचन्द पुत्र श्री लालमन
निवासी-ग्राम व पोस्ट-कराह पिलिया,
जनपद-बस्ती।

आवंटन पत्र संख्या **733** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **I-3** से. **15** क्षे. **525.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 131
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1547	रु0 1025
योग (अ)	रु0	-1547	रु0 1156

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0 76
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5775	रु0 525
योग (ब)	रु0	5775	रु0 601
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4228	रु0 1757

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **578.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/27** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती ब्रद्धा देवी पत्नी श्री रामकेवल
निवासी-हरदिया,
पोस्ट-बेलीपार, तहसील-बासगौव,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **371** दिनांक **21.09.2002** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/27** से. **15** क्षे. **595.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5853	रु0
योग (अ)	रु0	5853	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	761	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6545	रु0
योग (ब)	रु0	7306	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	13159	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **655.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. A-1/9 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

मे0 ऐश प्लास्टिक्स

द्वारा-श्री कमलेश सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह, मु0-राजेन्द्र नगर
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 353 दिनांक 21.05.2002 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. A-1/9 से. 15 क्षे. 1128.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	88201	रु0 10036
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	107247	रु0 4886
योग (अ)	रु0	195448	रु0 14922

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	25408	रु0 978
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	12408	रु0 226
योग (ब)	रु0	37816	रु0 1204
महायोग (अ एवं ब)	रु0	233264	रु0 16126


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 1241.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. H-35 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती विद्यावती सिंह पत्नी श्री हीरालाल सिंह
निवासी-ग्राम-बैदौली बाबू, पोस्ट-भटौली बाजार,
उनवल, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 771 दिनांक 24.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. H-35 से. 15 क्षे. 714.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1183	रु0
योग (अ)	रु0	-1183	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7854	रु0
योग (ब)	रु0	7854	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	6671	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 785.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-15B** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री हामिद अली पुत्र स्व० आबिद अली,
निवासी-वार्ड सं. 14, लूचई,
सहजनवाँ, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **821** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-15B** से. **15** क्षे. **900.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	4498	रु० 695
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	27000	रु० 2700
योग (अ)	रु०	31498	रु० 3395

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	4095	रु० 222
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	9900	रु० 900
योग (ब)	रु०	13995	रु० 1122
महायोग (अ एवं ब)	रु०	45493	रु० 4517

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **990.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-8/10** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती शिल्पी जायसवाल पत्नी श्री नन्द किशोर जायसवाल
निवासी-मोहल्ला-मोहददीपुर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **355** दिनांक **28.06.2002** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-8/10** से. **13** क्षे. **300.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	5199	रु0 164
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	16666	रु0 375
योग (अ)	रु0	21865	रु0 539

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	2842	रु0 35
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3300	रु0 60
योग (ब)	रु0	6142	रु0 95
महायोग (अ एवं ब)	रु0	28007	रु0 634

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **330.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/10** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती मीरा सिंह पत्नी श्री शम्भू नाथ सिंह
निवासी-शिवाजी नगर पार्ट-2, रानीबाग,
निकट गरिमा एकेडमी स्कूल,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **357** दिनांक **28.06.2002** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/10** से. **15** क्षे. **1136.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	54930	रु0 772
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	90786	रु0 1502
योग (अ)	रु0	145716	रु0 2274

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	18943	रु0 149
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	12496	रु0 227
योग (ब)	रु0	31439	रु0 376
महायोग (अ एवं ब)	रु0	177155	रु0 2650

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1250.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-7** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री राजमन सिंह पुत्र स्व0 बंशी सिंह
ग्राम-कालेशर, पोस्ट-सहजनवाँ,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **359** दिनांक **25.07.2002** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-7** से. **13** क्षे. **1147.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	16008	रु0 424
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	57522	रु0 1161
योग (अ)	रु0	73530	रु0 1585

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	9559	रु0 104
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	12617	रु0 229
योग (ब)	रु0	22176	रु0 333
महायोग (अ एवं ब)	रु0	95706	रु0 1918

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1262.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/21** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री गोविन्द जैशवाल पुत्र स्व० बैजनाथ जैशवाल
ग्राम व पोस्ट-पिपरौली बाजार,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **360** दिनांक **03.08.2002** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/21** से. **13** क्षे. **592.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	14425	रु० 1550
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	36704	रु० 1676
योग (अ)	रु०	51129	रु० 3226

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	6647	रु० 211
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	6512	रु० 118
योग (ब)	रु०	13159	रु० 329
महायोग (अ एवं ब)	रु०	64288	रु० 3555


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **651.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/19** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री जीतेन्द्र यादव पुत्र श्री रामदास यादव
ओंकार नगर, सिकटौर, पोस्ट-मानीराम,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **372** दिनांक **27.09.2002** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/19** से. **15** क्षे. **595.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	11401	रु0 548
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	33696	रु0 911
योग (अ)	रु0	45097	रु0 1459

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	5863	रु0 96
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6545	रु0 119
योग (ब)	रु0	12408	रु0 215
महायोग (अ एवं ब)	रु0	57505	रु0 1674

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **655.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-8/6** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री अभयनन्दन बेचई पाण्डेय पुत्र श्री बेचई राम बसन्त पाण्डेय,
 निवासी-मकान संख्या ए-504, गलैक्सी हाईट निकोल टोरेन्ट्स विद्युत
 रिंग रोड, अहमदाबाद सिटी,
 अहमदाबाद।

आवंटन पत्र संख्या **373** दिनांक **08.10.2002** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-8/6** से. **13** क्षे. **300.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2678	रु0
योग (अ)	रु0	2678	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	348	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3300	रु0
योग (ब)	रु0	3648	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	6326	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **330.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/8** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री राम प्रसाद मौर्या पुत्र स्व० गौरी मौर्या
ग्राम-ढडवा, पोस्ट-ढकवा बाजार, (इसरौली),
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **365** दिनांक **31.08.2002** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/8** से. **13** क्षे. **200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	3593	रु० 1727
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	11053	रु० 854
योग (अ)	रु०	14646	रु० 2581

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	1904	रु० 169
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	2200	रु० 40
योग (ब)	रु०	4104	रु० 209
महायोग (अ एवं ब)	रु०	18750	रु० 2790

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **220.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-8** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

**मैसर्स देवांश स्टील (साझेदारी फर्म) द्वारा श्री जसवन्त जायसवाल एवं
 पुत्र श्री भगौती प्रसाद जायसवाल, निवासी-मकान नं०-171,
 जंगल सिकरी उर्फ खोराबार, गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **833** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-8** से. **15** क्षे. **577.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-24	रु० 0
योग (अ)	रु०	-24	रु० 0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	6353	रु० 578
योग (ब)	रु०	6353	रु० 578
महायोग (अ एवं ब)	रु०	6330	रु० 578

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **635.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-7** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती कृष्णम जायसवाल पत्नी श्री राजेश जायसवाल
निवासी-छोटे काजीपुर खर्द,
पोस्ट-सदर,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **661** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-7** से. **15** क्षे. **1007.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	1551	रु0 167
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	21551	रु0 1541
योग (अ)	रु0	23102	रु0 1708

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	3003	रु0 112
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11077	रु0 1007
योग (ब)	रु0	14080	रु0 1119
महायोग (अ एवं ब)	रु0	37182	रु0 2827

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1108.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-21** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री हरिओम पुत्र श्री राम चन्दर
निवासी-मकान संख्या-68,
ग्राम एवं पोस्ट-हाटा ब्रजग,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **843** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-21** से. **13** क्षे. **361.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1.ब्याज दिनांक	31.12.2022 तक	रु0	0
2.रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट		रु0	-3
	योग (अ)	रु0	-3

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3971	रु0	361
योग (ब)	रु0	3971	रु0	361
महायोग (अ एवं ब)	रु0	3248	रु0	358


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **397.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-9** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

**श्री श्याम देव निषाद पुत्र स्व0 हरिद्वार
निवासी-ग्राम-रामपुर, कैथवलिया,
पोस्ट-कानापार, पीपीगंज,
गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **765** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-9** से. **15** क्षे. **561.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-278	रु0	-12
योग (अ)	रु0	-278	रु0	-12

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6171	रु0	561
योग (ब)	रु0	6171	रु0	561
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5893	रु0	549

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **617.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AL-17** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री विनोद कुमार सुरेका पुत्र स्व० हरि राम सुरेका
सहजनवां,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **364** दिनांक **29.08.2002** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AL-17** से. **13** क्षे. **3118.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-21	रु० -1
योग (अ)	रु०	-21	रु० -1

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	34298	रु० 624
योग (ब)	रु०	34298	रु० 624
महायोग (अ एवं ब)	रु०	34277	रु० 623

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **3430.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AL-18A** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मे0 मोदी केमिकल प्रा0 लि0
मोदी निवास, खरादी टोला, पाण्डेय हाता,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **369** दिनांक **18.09.2002** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AL-18A** से. **13** क्षे. **2614.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	28754	रु0	523
योग (ब)	रु0	28754	रु0	523
महायोग (अ एवं ब)	रु0	28754	रु0	523


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2875.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/28** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री इस्तफा अख्तर पुत्र स्व० सुल्तान अहमद
निवासी-मकान संख्या-46-एच, मु०-इस्लाम चक,
निकट जाफरा बाजार (न्यू कालोनी),
गोरखपुर-273001

आवंटन पत्र संख्या **381** दिनांक **19.12.2002** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/28** से. **15** क्षे. **595.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-738	रु० -2339
योग (अ)	रु०	-738	रु० -2339

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	6545	रु० 119
योग (ब)	रु०	6545	रु० 119
महायोग (अ एवं ब)	रु०	5807	रु० -2220


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **655.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AT-2** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री भगवान दास पुत्र श्री महन्त गौड़,
निवासी-ग्राम-रामपुर, पोस्ट-सिधौली,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **382** दिनांक **21.12.2002** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AT-2** से. **13** क्षे. **200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	206	रु0 1
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1976	रु0 18
योग (अ)	रु0	2182	रु0 19

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	284	रु0 8
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2200	रु0 40
योग (ब)	रु0	2484	रु0 48
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4666	रु0 67

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **220.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AL-8** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मे0 आजम रबर प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0
ग्राम-सर्या, पोस्ट-छपिया खजनी रोड,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **384** दिनांक **14.01.2003** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AL-8** से. **13** क्षे. **12182.0** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	231487	रु0 101001
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	688226	रु0 51076
योग (अ)	रु0	919713	रु0 152077

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	119563	रु0 9966
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	134002	रु0 2436
योग (ब)	रु0	253565	रु0 12402
महायोग (अ एवं ब)	रु0	1173278	रु0 164479


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **13400.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-16** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री हरीनारायण गुप्ता पुत्र स्व० हरिवंश गंप्ता
निवासी-ग्राम-कूचडेहरी, पोस्ट-हरपुर बुदहट,
तहसील-सहजनवाँ,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **824** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-16** से. **15** क्षे. **453.36** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेंट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु०	-1	रु० 0
योग (अ)	रु०	-1	रु० 0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु०	4987	रु० 453
योग (ब)	रु०	4987	रु० 453
महायोग (अ एवं ब)	रु०	4986	रु० 453

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **499.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेंट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. I-7 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री विनोद कुमार सिंह पुत्र श्री उदयभान सिंह
निवासी-ग्राम-भरवलिया बूजुर्ग,
पोस्ट-न्यू सिद्धार्थ इनक्लेव,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 938 दिनांक 01.03.2019 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. I-7 से. 15 क्षे. 1214.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	4559	रु0 737
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	35402	रु0 3642
योग (अ)	रु0	39961	रु0 4379

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	5195	रु0 287
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	13354	रु0 1214
योग (ब)	रु0	18549	रु0 1501
महायोग (अ एवं ब)	रु0	58510	रु0 5880


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 1335.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-1/2** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री राकेश सिंह पुत्र श्री
ग्राम-कालेसर, पोस्ट-सहजनवां,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **363** दिनांक **27.08.2002** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-1/2** से. **13** क्षे. **402.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	5721	रु0 156
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	20306	रु0 413
योग (अ)	रु0	26027	रु0 569

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	3384	रु0 37
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4422	रु0 80
योग (ब)	रु0	7806	रु0 117
महायोग (अ एवं ब)	रु0	33833	रु0 686


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **442.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-18** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती अरुन्धती तिवारी पत्नी श्री ओम प्रकाश तिवारी
निवासी-बडा गांव, पिपराईच तिवारी,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **368** दिनांक **12.09.2002** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-18** से. **13** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	18461	रु0 3882
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	33800	रु0 1918
योग (अ)	रु0	52261	रु0 5800

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	6794	रु0 380
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4950	रु0 90
योग (ब)	रु0	11744	रु0 470
महायोग (अ एवं ब)	रु0	64005	रु0 6270

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FE-4** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती किरन पत्नी श्री सुनील कुमार
निकट-चित्रकूट मंदिर, कोतवाली रोड माया बाजार,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **375** दिनांक **01.11.2002** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FE-4** से. **13** क्षे. **1998.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	161645	रु0 9295
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	192324	रु0 6414
योग (अ)	रु0	353969	रु0 15709

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	46016	रु0 1029
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	21978	रु0 400
योग (ब)	रु0	67994	रु0 1429
महायोग (अ एवं ब)	रु0	421963	रु0 17138


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2198.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/24** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री छेदी सिंह पुत्र स्व० राम हजूर सिंह
निवासी-ग्राम-सकरुआँ, पोस्ट एवं तहसील-खजनी,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **402** दिनांक **27.08.2003** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/24** से. **13** क्षे. **714.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	34085	रु० 1350
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	56772	रु० 1506
योग (अ)	रु०	90857	रु० 2856

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	11811	रु० 187
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	7854	रु० 143
योग (ब)	रु०	19665	रु० 330
महायोग (अ एवं ब)	रु०	110522	रु० 3186


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **785.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/29** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

सूश्री रिया सिंह पुत्री श्री ब्रजेश कुमार सिंह
पता-103 सिधारीपुर रोड, सूरजकण्ड,
निकट संत निरंकारी भवन, गोरखनाथ,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **385** दिनांक **26.02.2003** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/29** से. **15** क्षे. **595.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1455	रु0
योग (अ)	रु0	-1455	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6545	रु0
योग (ब)	रु0	6545	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5090	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **655.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B1-7** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती पूष्पा जायसवाल पत्नी श्री कृष्ण मुरारी जायसवाल
निवासी-मकान संख्या-9,
सिद्धार्थपुरम विस्तार, तारामण्डल रोड,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **389** दिनांक **31.03.2003** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B1-7** से. **13** क्षे. **1133.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	8919	रु0 21
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	45377	रु0 265
योग (अ)	रु0	54296	रु0 286

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	7058	रु0 19
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	12463	रु0 227
योग (ब)	रु0	19521	रु0 246
महायोग (अ एवं ब)	रु0	73817	रु0 532


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1246.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/14** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री विकास चन्द्र अग्रहरी पुत्र श्री मारकण्डेय अग्रहरी
निवासी-निकट मिल गेट, प्रेम कोल्ड स्टोरेज के सामने,
आनन्द नगर,
जिला-महाराजगंज।

आवंटन पत्र संख्या **386** दिनांक **07.03.2003** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/14** से. **15** क्षे. **595.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	27599	रु0 770
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	47648	रु0 1052
योग (अ)	रु0	75247	रु0 1822

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	9782	रु0 119
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6545	रु0 119
योग (ब)	रु0	16327	रु0 238
महायोग (अ एवं ब)	रु0	91574	रु0 2060


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **655.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-8** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स वी0के0 इण्डस्ट्रीज (साझेदारी फर्म) द्वारा श्रीमती विमला सिंह
पुत्री श्री राजेन्द्र सिंह एवं श्री विनोद सिंह (साझेदार) पुत्र श्री हरख चन्द्र,
पता-वार्ड नं.-7, केशवपुर,
सहजनवाँ, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **390** दिनांक **13.05.2003** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-8** से. **13** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-2528	रु0
योग (अ)	रु0	-2528	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4950	रु0
योग (ब)	रु0	4950	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2422	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-34** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती प्रीति गुप्ता पत्नी श्री गोविन्द कुमार गुप्ता
निवासी-236 फ़्लोर सूर्या नगर, फेज-2,
सेक्टर-91, फरीदाबाद,
हरियाणा-121003

आवंटन पत्र संख्या **392** दिनांक **04.06.2003** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-34** से. **13** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-216	रु0	-4952
योग (अ)	रु0	-216	रु0	-4952

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4950	रु0	90
योग (ब)	रु0	4950	रु0	90
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4734	रु0	-4862


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/5** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री रतन कुमार गुप्ता पुत्र श्री रविन्द्र नाथ गुप्ता,
निवासी-निजामपुर, पोस्ट-गीता प्रेस,
थाना-तिवारीपुर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **393** दिनांक **18.06.2003** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/5** से. **15** क्षे. **1097.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1118	रु0
योग (अ)	रु0	-1118	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	12067	रु0
योग (ब)	रु0	12067	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	10949	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1207.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. A-2/15 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

मे0 नेशनल पेट्रोलियम एण्ड केमिकल्स
द्वारा श्री अजय चौधरी (पार्टनर) पुत्र श्री एस0 पी0 चौधरी, 234-सी0,
दाउदपुर-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 395 दिनांक 03.07.2003 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. A-2/15 से. 15 क्षे. 595.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	69464	रु0 4721
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	64853	रु0 2440
योग (अ)	रु0	134317	रु0 7161

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	17461	रु0 469
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6545	रु0 119
योग (ब)	रु0	24006	रु0 588
महायोग (अ एवं ब)	रु0	158323	रु0 7749


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 655.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. A-7 / से. 13 / 2023-24 दिनांक

श्री संजय सिंह पुत्र श्री भिवेनी सिंह
ग्राम व पोस्ट-रामपुर अवस्थी,
जिला-देवरिया।

आवंटन पत्र संख्या 394 दिनांक 18.06.2003 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. A-7 से. 13 क्षे. 450.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	641	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8124	रु0
योग (अ)	रु0	8765	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1139	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4950	रु0
योग (ब)	रु0	6089	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	14854	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 495.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/3D** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री टूनाजी पाण्डेय पुत्र श्री राधेश्याम पाण्डेय
ग्राम-25-नेतवार, नेतवार शहर,
अंचल-दरौली,
जिला-सिवान।

आवंटन पत्र संख्या **401** दिनांक **14.08.2003** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/3D** से. **13** क्षे. **2221.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	41731	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	124991	रु0 -8285
योग (अ)	रु0	166722	रु0 -8285

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	21674	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	24431	रु0 444
योग (ब)	रु0	46105	रु0 444
महायोग (अ एवं ब)	रु0	212827	रु0 -7841


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2443.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/18** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री अशोक उपाध्याय पुत्र श्री सत्यव्रत उपाध्याय
अशोक नगर कालोनी, पोस्ट-गोरखनाथ,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **396** दिनांक **18.07.2003** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/18** से. **13** क्षे. **1854.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	58970	रु0 1842
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	126870	रु0 2911
योग (अ)	रु0	185840	रु0 4753

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	24159	रु0 311
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	20394	रु0 371
योग (ब)	रु0	44553	रु0 682
महायोग (अ एवं ब)	रु0	230393	रु0 5435

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2039.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **BL-2A** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री बालाजी बेकर्स प्रा0 लि0 (विस्तार)
द्वारा श्री अशोक कुमार अग्रवाल (पार्टनर),
13 सिविल लाईन्स-गर्लस हास्टल के सामने,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **397** दिनांक **22.07.2003** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **BL-2A** से. **13** क्षे. **2147.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2680	रु0
योग (अ)	रु0	2680	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	291	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	23617	रु0
योग (ब)	रु0	23908	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	26588	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2362.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !

(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **BL-2B** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती कौशिल्या देवी पत्नी स्व० जय सिंह
ग्राम-कालेसर, पोस्ट-सहजनवां,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **398** दिनांक **24.07.2003** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **BL-2B** से. **13** क्षे. **1530.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	107	रु० 543
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	17130	रु० 1520
योग (अ)	रु०	17237	रु० 2063

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	2241	रु० 135
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	16830	रु० 306
योग (ब)	रु०	19071	रु० 441
महायोग (अ एवं ब)	रु०	36308	रु० 2504


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **1683.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-56** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल पुत्र स्व० विन्देश्वरी प्रसाद
ग्राम व पोस्ट-पथरहट, तहसील-देवरिया,
जनपद-देवरिया-274202

आवंटन पत्र संख्या **405** दिनांक **30.08.2003** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-56** से. **13** क्षे. **588.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	8462	209
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	29879	588
योग (अ)	रु०	38341	797

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	4984	52
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	6468	118
योग (ब)	रु०	11452	170
महायोग (अ एवं ब)	रु०	49793	967


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **647.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. A-2 / से. 13 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स सिंह इन्जिनियरिंग वर्क्स

द्वारा-श्री रेवती रमण सिंह (साझीदार) पुत्र श्री राम पदारथ सिंह

ग्राम-देईपार, पोस्ट-पिपरौली,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 403 दिनांक 27.08.2003 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. A-2 से. 13 क्षे. 450.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	264	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8209	रु0
योग (अ)	रु0	8473	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1101	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4950	रु0
योग (ब)	रु0	6051	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	14524	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 495.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/15** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री सुहेल अहमद पुत्र श्री नन्हे खॉ,
निवासी-चौरहिया गोला,
मस्जिद के पास, बक्सीपुर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **407** दिनांक **25.09.2003** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/15** से. **13** क्षे. **1486.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0	-246
योग (अ)	रु0	0	रु0	-246

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	16346	रु0	297
योग (ब)	रु0	16346	रु0	297
महायोग (अ एवं ब)	रु0	16346	रु0	51


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1635.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B1-5 & 6** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती समीना खानम पत्नी श्री सहेल अहमद खान
निवासी-अबू बाजार उचवा, नियर डा0 अजीज अहमद
नर्सिंग होम,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **409** दिनांक **25.09.2003** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B1-5 & 6** से. **13** क्षे. **1200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	13200	रु0	240
योग (ब)	रु0	13200	रु0	240
महायोग (अ एवं ब)	रु0	13200	रु0	240


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1320.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B1-12** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री राजीव कुमार शर्मा पुत्र श्री सन्तोष प्रसाद शर्मा,
101, घोस कम्पनी चौराहा, माया बाजार,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **406** दिनांक **25.09.2003** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B1-12** से. **13** क्षे. **616.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक	31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2.	रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-53	रु0	-4
	योग (अ)	रु0	-53	रु0	-4

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6776	रु0	123
योग (ब)	रु0	6776	रु0	123
महायोग (अ एवं ब)	रु0	6723	रु0	119


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **678.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/3C** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मेसर्स मॉ विन्द वासिनी इण्डस्ट्रीज,
द्वारा- श्री रोहित अग्रवाल एवं श्रीमती सरोज अग्रवाल
जजेज कम्पाउण्ड, सिविल लाइन्स,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **411** दिनांक **12.11.2003** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/3C** से. **13** क्षे. **2068.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	4539	रु0 252
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	49800	रु0 828
योग (अ)	रु0	54339	रु0 1080

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	7064	रु0 71
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	22748	रु0 414
योग (ब)	रु0	29812	रु0 485
महायोग (अ एवं ब)	रु0	84151	रु0 1565


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2275.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-1/1** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मे0 बालाजी बेकर्स प्रा0 लि0, द्वारा श्री अशोक कुमार अग्रवाल
13, सिविल लाइन्स, गर्ल्स हास्टल के सामने,
गोरखपुर-273001

आवंटन पत्र संख्या **399** दिनांक **28.07.2003** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-1/1** से. **13** क्षे. **435.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	528	रु0	2
योग (अ)	रु0	528	रु0	2

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	57	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4785	रु0	87
योग (ब)	रु0	4842	रु0	87
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5370	रु0	89


नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **479.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/23** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मे0 सिंह उद्योग द्वारा श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री सत्यदेव सिंह
ग्राम-गोहटा, पोस्ट-चड़राव, सहजनवां,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **400** दिनांक **28.07.2003** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/23** से. **13** क्षे. **805.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	106	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	10297	रु0 -237
योग (अ)	रु0	10403	रु0 -237

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1352	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8855	रु0 161
योग (ब)	रु0	10207	रु0 161
महायोग (अ एवं ब)	रु0	20610	रु0 -76


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **886.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-8/11** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती प्रतिभा भारती पत्नी श्री शरद चन्द्र भारती,
सिद्धार्थपुरम तारामण्डल, मकान संख्या-एम0आई0जी0-25,
थाना-खोराबार, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **404** दिनांक **27.08.2003** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-8/11** से. **13** क्षे. **300.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-332	रु0
योग (अ)	रु0	-332	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3300	रु0
योग (ब)	रु0	3300	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2968	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **330.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/34** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मेसर्स शान्ती फूड इन्डस्ट्रीज

द्वारा-श्री उपेन्द्र सिंह (पार्टनर) पुत्र श्री एच0 एन0 सिंह,

28 न्यू आवास विकास कालोनी-बेतिया हाता (दक्षिणी

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **413** दिनांक **21.11.2003** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/34** से. **15** क्षे. **3984.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	50395	रु0 23365
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	191262	रु0 16032
योग (अ)	रु0	241657	रु0 39397

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	31415	रु0 2582
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	43824	रु0 797
योग (ब)	रु0	75239	रु0 3379
महायोग (अ एवं ब)	रु0	316896	रु0 42776


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **4382.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B1-10** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती मालती गुप्ता पत्नी श्री विजय चन्द्र गुप्ता
निवासी-कोतवाली चौक बेतिया (पश्चिमी चम्पारण)
बिहार।

आवंटन पत्र संख्या **414** दिनांक **18.12.2003** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B1-10** से. **13** क्षे. **601.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-877	रु0
योग (अ)	रु0	-877	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6611	रु0
योग (ब)	रु0	6611	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5734	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **661.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/12** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती दुर्गावती देवी पत्नी श्री शम्भू जायसवाल,
निवासी-ग्राम एवं पोस्ट-कतरारी,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **416** दिनांक **18.12.2003** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/12** से. **15** क्षे. **1151.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	64951	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	97742	रु0 -2934
योग (अ)	रु0	162693	रु0 -2934

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	21150	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	12661	रु0 230
योग (ब)	रु0	33811	रु0 230
महायोग (अ एवं ब)	रु0	196504	रु0 -2704


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1266.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/4C** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मेसर्स एच0 एम0 एस0 टेक्सटाइल्स
द्वारा श्री वसी अहमद (पार्टनर) पुत्र श्री हाजी मो0 शमीम,
निवासी-जाहिदाबाद,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **417** दिनांक **18.12.2003** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/4C** से. **13** क्षे. **2014.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	22154	रु0
योग (ब)	रु0	22154	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	22154	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2215.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **BL-4** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स एस0डी0 इण्टरनेशनल प्रा0 लि0 द्वारा श्रीमती शारदा देवी
पत्नी श्री विजय कुमार अग्रवाल, निवासी-45, फेज-2, हरिओम नगर,
डी0एम0 आवास के पास, सिविल लाइन्स,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **419** दिनांक **17.01.2004** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **BL-4** से. **13** क्षे. **4199.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-720	रु0	-114
योग (अ)	रु0	-720	रु0	-114

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	46189	रु0	840
योग (ब)	रु0	46189	रु0	840
महायोग (अ एवं ब)	रु0	45469	रु0	726


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **4619.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/21** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती देवमती यादव पत्नी स्व० मुनेश्वर यादव
निवासी-ग्राम-कूरावल, पोस्ट-शाहपुर, थाना-उरुवा,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **425** दिनांक **18.03.2004** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/21** से. **15** क्षे. **595.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-658	रु० -27
योग (अ)	रु०	-658	रु० -27

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	6545	रु० 119
योग (ब)	रु०	6545	रु० 119
महायोग (अ एवं ब)	रु०	5887	रु० 92

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **655.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-20** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स पी0डी0के0 मिडिया प्रा0 लि0 द्वारा श्री ध्रुव कुमार श्रीवास्तव एवं
श्रीमती प्रगति श्रीवास्तव (निदेशक)
निवासी-मकान नं. 288बी, शिवपुर सहबाजगंज,
पादरी बाजार, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **423** दिनांक **18.03.2004** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-20** से. **13** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	4500	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	20324	रु0 -1455
योग (अ)	रु0	24824	रु0 -1455

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	3227	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4950	रु0 90
योग (ब)	रु0	8177	रु0 90
महायोग (अ एवं ब)	रु0	33001	रु0 -1365


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-21** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स एम.आर.डी. लाइफ साइंसेज प्रा0 लि0
द्वारा श्री मनोज कुमार वर्मा (निदेशक) पुत्र श्री सुदामा प्रसाद वर्मा
निवासी-सी-161/291, तिवारीपुर,
गोरखपुर

आवंटन पत्र संख्या **424** दिनांक **18.03.2004** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-21** से. **13** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-450	रु0	0
योग (अ)	रु0	-450	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4950	रु0	90
योग (ब)	रु0	4950	रु0	90
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4500	रु0	90

नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/11** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री जितेन्द्र कुमार मल्ल पुत्र श्री पौहारी मल्ल
निवासी-ग्राम-पन्ती, पोस्ट-मधुबन,
जिला-मऊ।

आवंटन पत्र संख्या **422** दिनांक **04.03.2004** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/11** से. **15** क्षे. **767.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-7	रु0	-7
योग (अ)	रु0	-7	रु0	-7

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8437	रु0	153
योग (ब)	रु0	8437	रु0	153
महायोग (अ एवं ब)	रु0	8430	रु0	146

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **844.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/7** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती संजु गुप्ता पत्नी श्री संजय गुप्ता
निवासी-278, हांसूपुर, वार्ड नं.-59,
गोरखपुर-273005

आवंटन पत्र संख्या **421** दिनांक **04.03.2004** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/7** से. **13** क्षे. **1263.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	189	रु0 13
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11327	रु0 200
योग (अ)	रु0	11516	रु0 213

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1497	रु0 16
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	13893	रु0 253
योग (ब)	रु0	15390	रु0 269
महायोग (अ एवं ब)	रु0	26906	रु0 482

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1389.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/18** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स प्रतिमा शंकर फ्लोर मिल प्रा0 लि0
द्वारा श्री सुधीर कुमार जैसवाल (निदेशक) पुत्र श्री विजय शंकर
म0न0-6, गैस गोदाम गली, विजय चौक,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **427** दिनांक **31.03.2004** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/18** से. **15** क्षे. **595.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-655	रु0	-18
योग (अ)	रु0	-655	रु0	-18

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6545	रु0	119
योग (ब)	रु0	6545	रु0	119
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5890	रु0	101


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **655.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B1-2** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती पूनम टिबडेवाल पत्नी श्री सुरेश टिबडेवाल,
निवासी-एम0आई0जी0-03,
आवास विकास कालोनी,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **430** दिनांक **31.03.2004** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B1-2** से. **13** क्षे. **600.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-799	रु0	-48
योग (अ)	रु0	-799	रु0	-48

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6600	रु0	120
योग (ब)	रु0	6600	रु0	120
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5801	रु0	72

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **660.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/31** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री अवधेश भगत पुत्र श्री राम नन्दन भगत
निवासी, ग्राम व पोस्ट-खुखुन्द,
जिला-देवरिया।

आवंटन पत्र संख्या **428** दिनांक **31.03.2004** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/31** से. **15** क्षे. **595.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-680	रु0	-43
योग (अ)	रु0	-680	रु0	-43

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6545	रु0	119
योग (ब)	रु0	6545	रु0	119
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5865	रु0	76

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **655.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. B-1/1 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती इन्द्रावती देवी पत्नी श्री ब्रह्मा सिंह
निवासी-मकान संख्या 59, ग्राम-जिगना, पोस्ट-धवरेपार बड़या,
महली, जिला-संतकबीर नगर।

आवंटन पत्र संख्या 426 दिनांक 27.03.2004 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. B-1/1 से. 15 क्षे. 370.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-129	रु0	-98
योग (अ)	रु0	-129	रु0	-98

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4070	रु0	74
योग (ब)	रु0	4070	रु0	74
महायोग (अ एवं ब)	रु0	3941	रु0	-24

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 407.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. E-1 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

मेसर्स इण्डिया ग्लोबल लिमिटेड

ए-1, औद्योगिक क्षेत्र, बाजपुर रोड़, काशीपुर-2441713

जनपद-उधम सिंह नगर,

उत्तरांचल,

आवंटन पत्र संख्या 431 दिनांक 18.09.2004 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. E-1 से. 15 क्षे. 226624. वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0 0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 0	रु0 0
योग (अ)	रु0 0	रु0 0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0 0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 2492864	रु0 45325
योग (ब)	रु0 2492864	रु0 45325
महायोग (अ एवं ब)	रु0 2492864	रु0 45325


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 249286.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-3** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स ओम इण्डस्ट्रीज (साझेदारी फर्म)

द्वारा श्री मनोज सिंह, श्रीमती सुनीता सिंह एवं श्रीमती पूजा सिंह

निवासी-करौता, पोस्ट-चेरो, थाना-मईल,

जनपद-देवरिया।

आवंटन पत्र संख्या **415** दिनांक **18.12.2003** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-3** से. **13** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1492	रु0
योग (अ)	रु0	-1492	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4950	रु0
योग (ब)	रु0	4950	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	3458	रु0

नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !



(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/33** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती पूजा सिंह पत्नी श्री हरिकेश सिंह
निवासी-मकान संख्या-215,
अलहदादपुर, पोस्ट-रायगंज,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **418** दिनांक **18.12.2003** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/33** से. **15** क्षे. **595.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-595	रु0
योग (अ)	रु0	-595	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6545	रु0
योग (ब)	रु0	6545	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5950	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **655.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B1-1** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स-यहसान एग्रो उड प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0
द्वारा-श्री यहसान करीम खॉ (निदेशक), घोसीपुर, तिवारीपुर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **429** दिनांक **31.03.2004** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B1-1** से. **13** क्षे. **992.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	3655	रु0 248
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	30863	रु0 836
योग (अ)	रु0	34518	रु0 1084

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	4487	रु0 71
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	10912	रु0 198
योग (ब)	रु0	15399	रु0 269
महायोग (अ एवं ब)	रु0	49917	रु0 1353


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1091.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **H-4** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स श्री बद्रीनाथ फूड्स प्रा0 लि0 द्वारा श्री अनुराग केशरवानी
पुत्र श्री मदन मोहन केशरवानी, निवासी-100, मिर्जापुर, गुरमडी,
वार्ड नं.-41, चक दोइम, गोरखपुर-273005

आवंटन पत्र संख्या **677** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **H-4** से. **15** क्षे. **714.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-2159	रु0
योग (अ)	रु0	-2159	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7854	रु0
योग (ब)	रु0	7854	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5695	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **785.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/28** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स स्पलाईस लेमिनेट्स प्रा० लि० द्वारा श्री एहसान करीम खान,
 (निदेशक) पुत्र स्व० शब्बीर हसन खान, निवासी-0354बी, मुहल्ला-
 दीवान बाजार,
 गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **587** दिनांक **01.03.2011** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/28** से. **15** क्षे. **12873.0** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	18395	रु० 757
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	243507	रु० 5150
योग (अ)	रु०	261902	रु० 5907

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	34047	रु० 387
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	141603	रु० 2575
योग (ब)	रु०	175650	रु० 2962
महायोग (अ एवं ब)	रु०	437552	रु० 8869


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **14160.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-6** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री राम आश्रय सिंह पुत्र श्री परमहंस सिंह
निवासी-ग्राम-लौकहा (पिपरा पुरुषोत्तम)
पोस्ट-बरडिहादल,
जिला-देवरिया।

आवंटन पत्र संख्या **680** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-6** से. **15** क्षे. **500.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5500	रु0	500
योग (ब)	रु0	5500	रु0	500
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5500	रु0	485

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **550.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. A-1/11 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री रमेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री जवाहर प्रसाद
निवासी-शीतला माता मेन्दिर के सामने,
चोरहिया गोला, इस्माईलपुर,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 438 दिनांक 28.02.2005 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. A-1/11 से. 15 क्षे. 1144.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	56060	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	91892	रु0
योग (अ)	रु0	147952	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	19234	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	12584	रु0
योग (ब)	रु0	31818	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	179770	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 1258.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-33** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती सिद्धेश्वरी पाण्डेय पत्नी श्री वंश गोपाल पाण्डेय
निवासी-ग्राम-केवटली, पोस्ट-हेमधापुर वाया पिपराईच,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **432** दिनांक **04.02.2005** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-33** से. **13** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	21741	रु0 113
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	35953	रु0 379
योग (अ)	रु0	57694	रु0 492

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	7500	रु0 32
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4950	रु0 90
योग (ब)	रु0	12450	रु0 122
महायोग (अ एवं ब)	रु0	70144	रु0 614


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/30** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री राजू पुत्र श्री विश्वनाथ
निवासी-एकला बाजार, पोस्ट-बाघागाड़ा,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **442** दिनांक **31.03.2005** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/30** से. **15** क्षे. **595.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 4
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5552	रु0 65
योग (अ)	रु0	5552	रु0 69

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	722	रु0 5
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6545	रु0 119
योग (ब)	रु0	7267	रु0 124
महायोग (अ एवं ब)	रु0	12819	रु0 193

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **655.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. C-2 / से. 13 / 2023-24 दिनांक

श्री गोपाल जायसवाल पुत्र श्री लाल जी जायसवाल,
निवासी-आनन्द हास्पिटल के सामने, नथमलपुर,
पोस्ट-गोरखनाथ,
गोरखपुर-273015

आवंटन पत्र संख्या 440 दिनांक 14.03.2005 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. C-2 से. 13 क्षे. 793.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	25189	रु0 28
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	54210	रु0 248
योग (अ)	रु0	79399	रु0 276

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	10322	रु0 18
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8723	रु0 159
योग (ब)	रु0	19045	रु0 177
महायोग (अ एवं ब)	रु0	98444	रु0 453


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 872.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/4D** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मेसर्स एम0आर0 इण्डस्ट्रीज
द्वारा श्री अमित गुप्ता (पार्टनर) पुत्र श्री मनोज गुप्ता,
निवासी तुरकमानपुर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **444** दिनांक **19.04.2005** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/4D** से. **13** क्षे. **2041.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	123057	रु0 13293
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	204006	रु0 7633
योग (अ)	रु0	327063	रु0 20926

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	42518	रु0 1371
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	22451	रु0 408
योग (ब)	रु0	64969	रु0 1779
महायोग (अ एवं ब)	रु0	392032	रु0 22705


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2245.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. E-17 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स प्रताप उद्योग (साझेदारी फर्म) द्वारा श्री महेन्द्र प्रताप सिंह
पुत्र श्री कृष्ण प्रताप सिंह, निवासी-सहबाजगंज,
सहजनवाँ,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 780 दिनांक 24.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. E-17 से. 15 क्षे. 807.43 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	803	रु0
योग (अ)	रु0	803	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	85	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8882	रु0
योग (ब)	रु0	8967	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	9770	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 888.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/42** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मेसर्स प्रतीमा शंकर फ्लोर मिल प्रा0 लि0
द्वारा श्री सुधीर कुमार जैसवाल (निदेशक),
मकान संख्या-6, गैस गोदाम गली, विजय चौक,
गोरखपुर-273001

आवंटन पत्र संख्या **433** दिनांक **04.02.2005** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/42** से. **15** क्षे. **2587.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-3724	रु0
योग (अ)	रु0	-3724	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	28457	रु0
योग (ब)	रु0	28457	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	24733	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2846.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AL-5/2** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री अजय कारीवाल पुत्र स्व० सागरमल
निवासी-768बी, करोडीमल का हाता,
सुमेरसागर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **437** दिनांक **26.02.2005** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AL-5/2** से. **13** क्षे. **2639.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-1003	रु० -96
योग (अ)	रु०	-1003	रु० -96

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	29029	रु० 528
योग (ब)	रु०	29029	रु० 528
महायोग (अ एवं ब)	रु०	28026	रु० 432

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **2903.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-1/8 / से. 13 / 2023-24 दिनांक

श्री रतन कुमार गुप्ता पुत्र श्री रविन्द्र कुमार गुप्ता
निवासी-खूनीपुर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 436 दिनांक 04.02.2005 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-1/8 से. 13 क्षे. 1064.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1124	रु0
योग (अ)	रु0	-1124	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11704	रु0
योग (ब)	रु0	11704	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	10580	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 1170.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/32** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स दिवान पैकेजिंग प्रा0 लि0 द्वारा श्रीमती अनुराधा कक्कड़
(निदेशक) पत्नी स्व0 रविकान्त कक्कड़, निवासी-ए-118,
सूरजकूण्ड आवास विकास कालोनी,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **434** दिनांक **04.02.2005** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/32** से. **15** क्षे. **595.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6545	रु0	119
योग (ब)	रु0	6545	रु0	119
महायोग (अ एवं ब)	रु0	6545	रु0	119


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **655.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-3** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती बीना त्रिपाठी पत्नी श्री राजेश पति त्रिपाठी
निवासी-ग्राम-भिटहां, पोस्ट-डबरपार,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **439** दिनांक **01.03.2005** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-3** से. **13** क्षे. **793.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1671	रु0
योग (अ)	रु0	-1671	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8723	रु0
योग (ब)	रु0	8723	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	7052	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **872.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/16** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स बालाजी इण्डस्ट्रीज द्वारा श्री पंकज गुप्ता एवं श्री आशीष गुप्ता पुत्र
निवासी-मूहल्ला-मिर्जापुर, पोस्ट-गीता प्रेस,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **441** दिनांक **31.03.2005** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/16** से. **13** क्षे. **1544.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	36225	रु0 806
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	95650	रु0 1821
योग (अ)	रु0	131875	रु0 2627

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	17144	रु0 172
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	16984	रु0 309
योग (ब)	रु0	34128	रु0 481
महायोग (अ एवं ब)	रु0	166003	रु0 3108

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1698.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B1-11** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती मालती गुप्ता पत्नी श्री विजय चन्द्र गुप्ता,
निवासिनी कोतवाली चौक, बेतिया (पश्चिमि चम्पारण)
बिहार-845438

आवंटन पत्र संख्या **443** दिनांक **19.04.2005** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B1-11** से. **13** क्षे. **609.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-208	रु0
योग (अ)	रु0	-208	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6699	रु0
योग (ब)	रु0	6699	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	6491	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **670.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. E-19 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री अभय कुमार सिंह पुत्र श्री शिवाजी सिंह
निवासी-सिद्धार्थनगर कालोनी, पूर्वा चल डाक सेवा के पास,
पोस्ट-न्यू शिवपुरी कालोनी,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 763 दिनांक 24.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. E-19 से. 15 क्षे. 849.99 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	1077	रु0 204
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	17266	रु0 1622
योग (अ)	रु0	18343	रु0 1826

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	2385	रु0 120
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	9350	रु0 850
योग (ब)	रु0	11735	रु0 970
महायोग (अ एवं ब)	रु0	30078	रु0 2796


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 935.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/13** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती मनोरमा पाण्डेय पत्नी श्री अर्जुन पाण्डेय,
ग्राम-डोहरिया कला, पोस्ट-मिनवा, तहसील-सहजनवाँ,
जिला-गोरखपुर
पिन कोड-273008

आवंटन पत्र संख्या **447** दिनांक **25.05.2005** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/13** से. **15** क्षे. **1220.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-80	रु0	-776
योग (अ)	रु0	-80	रु0	-776

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	13420	रु0	244
योग (ब)	रु0	13420	रु0	244
महायोग (अ एवं ब)	रु0	13340	रु0	-532


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1342.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/14** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती नेमा नायक पत्नी श्री अशोक कुमार नायक,
मकान संख्या-21, बुद्ध बिहार व्यावसायिक कालोनी,
तारामंडल रोड,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **445** दिनांक **06.05.2005** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/14** से. **15** क्षे. **1228.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	54710	रु0 2305
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	103152	रु0 2579
योग (अ)	रु0	157862	रु0 4884

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	20522	रु0 320
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	13508	रु0 246
योग (ब)	रु0	34030	रु0 566
महायोग (अ एवं ब)	रु0	191892	रु0 5450


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1351.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/6A&** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स हाई-टेक मेडिकेयर डिवाइसेस प्रा0 लि0
द्वारा डा0 के0आर0 आजमी (निदेशक, चेयरमैन एण्ड मैनेजिंग
पता-सी-103/24, हाईटेक हाउस, कसया रोड,
मोहददीपुर, गोरखपुर-273012

आवंटन पत्र संख्या **450** दिनांक **16.06.2005** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/6A&** से. **13** क्षे. **3332.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 2
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2910	रु0 57
योग (अ)	रु0	2910	रु0 59

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	305	रु0 4
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	36652	रु0 666
योग (ब)	रु0	36957	रु0 670
महायोग (अ एवं ब)	रु0	39867	रु0 729

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **3665.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-8/9** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री अफजल अहमद पुत्र श्री हसन खुरशीद
मोहल्ला-बड़े काजीपुर, (नवाब साहब का हाता)
गोरखपुर ।

आवंटन पत्र संख्या **454** दिनांक **08.08.2005** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-8/9** से. **13** क्षे. **300.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2522	रु0
योग (अ)	रु0	2522	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	328	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3300	रु0
योग (ब)	रु0	3628	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	6150	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **330.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AL-22** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स शंकर टेक्नोलोजीज (इण्डिया) प्रा० लि०
द्वारा-श्री ओम प्रकाश जायसवाल (निदेशक),
मू० इण्डस्ट्रीयल एरिया, रोड़ नं० 11,
लच्छीपुर, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **455** दिनांक **31.08.2005** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AL-22** से. **13** क्षे. **7858.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-77388	रु० -430
योग (अ)	रु०	-77388	रु० -430

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	86438	रु० 1572
योग (ब)	रु०	86438	रु० 1572
महायोग (अ एवं ब)	रु०	9050	रु० 1142


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **8644.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/17** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स सरस्वती आयरन प्रा0 लि0
द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद (निदेशक)
निवासी-पूर्वी राजेन्द्र नगर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **456** दिनांक **03.09.2005** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/17** से. **15** क्षे. **5043.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	93545	रु0 3246
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	282408	रु0 6495
योग (अ)	रु0	375953	रु0 9741

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	48874	रु0 638
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	55473	रु0 1009
योग (ब)	रु0	104347	रु0 1647
महायोग (अ एवं ब)	रु0	480300	रु0 11388


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **5547.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/13** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स कौशिकी प्लास्टिक वर्क्स द्वारा श्रीमती आरती श्रीवास्तव पत्नी श्री
निवासी 135 के0, मानसपुरम, शिवपुर नई कालोनी, रुस्तमपुर
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **457** दिनांक **03.09.2005** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/13** से. **13** क्षे. **1117.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-625	रु0
योग (अ)	रु0	-625	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	12287	रु0
योग (ब)	रु0	12287	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	11662	रु0


नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1229.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B1-13** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री विनय कुमार अग्रवाल पुत्र श्री विजय कुमार अग्रवाल
प्रेम कृन्ज, रहमत नगर,
गोरखपुर-273005

आवंटन पत्र संख्या **458** दिनांक **23.09.2005** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B1-13** से. **13** क्षे. **623.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6853	रु0
योग (ब)	रु0	6853	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	6853	रु0


नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **685.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/1 &** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स इण्डियन इन्फ्राटेक (साझेदारी फर्म) द्वारा श्री नौसाद अहमद
पुत्र श्री निसाद अहमद एवं श्री मो० अयान (साझेदार) पुत्र श्री दिलशाद
निवासी-36, हरिओम नगर, सिविल लाइन्स,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **459** दिनांक **02.12.2005** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/1 &** से. **15** क्षे. **3249.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु०	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-372	रु०	0
योग (अ)	रु०	-372	रु०	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु०	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	35739	रु०	650
योग (ब)	रु०	35739	रु०	650
महायोग (अ एवं ब)	रु०	35367	रु०	650


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **3574.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AL-21** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स अमर उजाला पब्लिकेशन्स लि०

द्वारा-श्री अतुल कुमार माहेश्वरी (प्रबन्ध निदेशक) पुत्र स्व० एम० एल०

164-महाकमपुर, दिल्ली रोड़,

मेरठ-250002

आवंटन पत्र संख्या **460** दिनांक **06.01.2006** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AL-21** से. **13** क्षे. **9207.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-42	रु० -40
योग (अ)	रु०	-42	रु० -40

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	101277	रु० 1841
योग (ब)	रु०	101277	रु० 1841
महायोग (अ एवं ब)	रु०	101235	रु० 1801


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **10128.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-47** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती निर्मला सिंह पत्नी स्व० अशोक सिंह,
निवासी-ग्राम-मल्हीपार,
पोस्ट-पिपरौली बाजार,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **451** दिनांक **16.06.2005** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-47** से. **13** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	3006	रु० -188
योग (अ)	रु०	3006	रु० -188

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	391	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	4950	रु० 90
योग (ब)	रु०	5341	रु० 90
महायोग (अ एवं ब)	रु०	8347	रु० -98


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-46** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री प्रशान्त कुमार सिंह पुत्र स्व० रामकिशोर
23-डी, सिद्धार्थ नगर कालोनी,
तारामण्डल रोड,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **452** दिनांक **16.06.2005** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-46** से. **13** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	11146	रु० 67
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	28077	रु० 296
योग (अ)	रु०	39223	रु० 363

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	5099	रु० 24
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	4950	रु० 90
योग (ब)	रु०	10049	रु० 114
महायोग (अ एवं ब)	रु०	49272	रु० 477


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AL-20** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स आर० के० लक्ष्मी एग्रीटेक प्रा० लि०
द्वारा श्री लक्ष्मीकान्त राय (निदेशक) पुत्र स्व० दीनानाथ राय,
ग्राम व पोस्ट-नन्दौर,
जिला-संत कबीर नगर।

आवंटन पत्र संख्या **461** दिनांक **06.01.2006** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AL-20** से. **13** क्षे. **9029.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु०	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-18	रु०	-26
योग (अ)	रु०	-18	रु०	-26

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु०	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	99319	रु०	1806
योग (ब)	रु०	99319	रु०	1806
महायोग (अ एवं ब)	रु०	99301	रु०	1780


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **9932.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. A-1/19 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री मोहित सराफ पुत्र श्री विनोद कुमार सराफ
निवासी-सी/184/969, बेचलाल सराफ भवन,
मुहल्ला-बसन्तपुर, थाना-राजघाट,
शहर-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 465 दिनांक 28.02.2006 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. A-1/19 से. 15 क्षे. 1285.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-191	रु0	-38
योग (अ)	रु0	-191	रु0	-38

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	14135	रु0	257
योग (ब)	रु0	14135	रु0	257
महायोग (अ एवं ब)	रु0	13944	रु0	219


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 1414.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/16** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री आदित्य कुमार झाँ पुत्र श्री सुरेश चन्द्र झाँ,
निवासी-सुलेखा फीश कम्पनी, नवीन फीश मार्केट,
महेवा (न्यू शिवपुरी कालोनी), थाना-खोराबार,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **466** दिनांक **28.02.2006** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/16** से. **15** क्षे. **1243.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-313	रु0	-8576
योग (अ)	रु0	-313	रु0	-8576

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	13673	रु0	249
योग (ब)	रु0	13673	रु0	249
महायोग (अ एवं ब)	रु0	13360	रु0	-8327


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1367.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/21** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री गोरख नन्द यादव पुत्र श्री रामधारी यादव,
निवासी-395 डी, बशारतपुर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **467** दिनांक **28.02.2006** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/21** से. **15** क्षे. **1295.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	53187	रु0 1321
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	97470	रु0 2058
योग (अ)	रु0	150657	रु0 3379

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	19585	रु0 221
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	14245	रु0 259
योग (ब)	रु0	33830	रु0 480
महायोग (अ एवं ब)	रु0	184487	रु0 3859

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1425.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/40&** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स दीवान पैकेजिंग प्रा0 लि0

द्वारा श्रीमती अनुराधा कक्कड़ (निदेशक) पत्नी स्व0 रविकान्त कक्कड़,

पता-भूखण्ड संख्या ए-2/35, सेक्टर-15,

गीडा, गोरखपुर 273209

आवंटन पत्र संख्या **471** दिनांक **27.03.2006** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/40&** से. **15** क्षे. **5246.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-4	रु0
योग (अ)	रु0	-4	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	57706	रु0
योग (ब)	रु0	57706	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	57702	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **5771.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/39** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री विरेन्द्र मल्ल पुत्र श्री जय प्रकाश मल्ल
निवासी-मूहल्ला-रसूलपुर निकट टेलीफोन गोदाम
पोस्ट-न्यू शिवपुरी कालोनी,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **472** दिनांक **27.03.2006** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/39** से. **15** क्षे. **2659.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-3069	रु0
योग (अ)	रु0	-3069	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	29249	रु0
योग (ब)	रु0	29249	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	26180	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2925.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/37** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री स्वपनिल पाण्डेय पुत्र श्री एस0 पी0 पाण्डेय,
बी-746 राजेन्द्र नगर (पूर्वी),
गोरखनाथ,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **473** दिनांक **28.03.2006** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/37** से. **15** क्षे. **2712.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	94677	रु0 14489
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	195095	रु0 9630
योग (अ)	रु0	289772	रु0 24119

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	34145	रु0 1581
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	29832	रु0 542
योग (ब)	रु0	63977	रु0 2123
महायोग (अ एवं ब)	रु0	353749	रु0 26242


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2983.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/36** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री विजय नाथ मिश्रा पुत्र स्व० रामजी मिश्रा
निवासी-परसादी भवन,
हमायपुर दक्षिणी,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **474** दिनांक **28.03.2006** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/36** से. **15** क्षे. **2736.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	94192	रु० 13179
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	196905	रु० 9719
योग (अ)	रु०	291097	रु० 22898

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	37843	रु० 1501
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	30096	रु० 547
योग (ब)	रु०	67939	रु० 2048
महायोग (अ एवं ब)	रु०	359036	रु० 24946

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **3010.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **BL-5** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स समानी एग्रो उड प्रोडक्ट्स
द्वारा-श्रीमती सादिया बानो पत्नी श्री जमालद्दीन अहमद
निवासी-रहमत नगर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **462** दिनांक **08.01.2006** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **BL-5** से. **13** क्षे. **4056.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	39563	रु0 1054
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	175125	रु0 3480
योग (अ)	रु0	214688	रु0 4534

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	27909	रु0 297
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	44616	रु0 811
योग (ब)	रु0	72525	रु0 1108
महायोग (अ एवं ब)	रु0	287213	रु0 5642


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **4462.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/18** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स स्लाईस लेमिनेट्स प्रा0 लि0

द्वारा श्री एहसान करीम खॉ (निदेशक) पुत्र स्व0 शब्बीर हसन खॉ,
निवासी-मकान संख्या-0354बी, हिमालय प्लाई के सामने,
दिवान बाजार, जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **463** दिनांक **28.02.2006** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/18** से. **15** क्षे. **1277.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-474	रु0	0
योग (अ)	रु0	-474	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	14047	रु0	255
योग (ब)	रु0	14047	रु0	255
महायोग (अ एवं ब)	रु0	13573	रु0	255


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1405.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. A-1/15 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स झॉ फ्लोर मिल्स प्रा0 लि0 द्वारा श्री आदित्य कुमार झा (निदेशक)
आदित्य कुमार एण्ड सन्स, बी-2, नवीन फीश मार्केट, महेवा,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 464 दिनांक 28.02.2006 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. A-1/15 से. 15 क्षे. 1172.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0 0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 -106	रु0 -823
योग (अ)	रु0 -106	रु0 -823

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0 0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 12892	रु0 234
योग (ब)	रु0 12892	रु0 234
महायोग (अ एवं ब)	रु0 12786	रु0 -589


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 1289.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/20** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स नवदुर्गा मार्बल एण्ड टाईल्स प्रा0 लि0 द्वारा
श्री मोहन सिंह एवं श्री राकेश सिंह (निदेशक) पुत्रगण श्री राम बहाल
निवासी-ग्राम-ठाटेबारी, पोस्ट-चड़राव, थाना व तहसील-
सहजनवाँ, जिला-गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र संख्या **468** दिनांक **28.02.2006** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/20** से. **15** क्षे. **1290.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1490	रु0
योग (अ)	रु0	-1490	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	14190	रु0
योग (ब)	रु0	14190	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	12700	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1419.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AL-5/3** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स निलम कैमिकल्स

द्वारा श्री संदीप ककड़ (पार्टनर) पुत्र श्री दीपक ककड़,

19-ए मोहददीपुर,

गोरखपुर-273001

आवंटन पत्र संख्या **475** दिनांक **29.03.2006** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AL-5/3** से. **13** क्षे. **6213.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	68343	रु0	1243
योग (ब)	रु0	68343	रु0	1243
महायोग (अ एवं ब)	रु0	68343	रु0	1243


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **6834.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AL-5/4** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स विध्वेश्वर रुलर प्रोसेस

द्वारा श्री विमल कुमार राय (साझेदार) पुत्र स्व० अनिरुद्ध राय

निवासी-अतायर पोस्ट-मझगाँवा,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **478** दिनांक **31.03.2006** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AL-5/4** से. **13** क्षे. **4645.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	0	रु० 0
योग (अ)	रु०	0	रु० 0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	51095	रु० 929
योग (ब)	रु०	51095	रु० 929
महायोग (अ एवं ब)	रु०	51095	रु० 929


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **5110.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/23A** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स
द्वारा श्रीमती गिरिजा देवी (पार्टनर) पत्नी श्री लाल चन्द्र सिंह
ग्राम-अड़िलापार, पोस्ट-अमटौरा,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **479** दिनांक **24.07.2006** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/23A** से. **13** क्षे. **478.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	38171	2700
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	45797	1674
योग (अ)	रु0	83968	4374

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	10916	287
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5258	96
योग (ब)	रु0	16174	383
महायोग (अ एवं ब)	रु0	100142	4757


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **526.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/35** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स दीवान पैकेजिंग प्रा0 लि0

द्वारा श्रीमती अनुराधा ककड़ (निदेशक) पत्नी श्री आर0 के0 ककड़

निवासी, मकान नं0-ए-118, सूरजकृण्ड कालोनी,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **480** दिनांक **22.08.2006** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/35** से. **15** क्षे. **2771.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1	रु0
योग (अ)	रु0	-1	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	30481	रु0
योग (ब)	रु0	30481	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	30480	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **3048.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/43** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती शादाब बानों पत्नी श्री मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी
निवासी-108बी, तुरहा टोली चौराहा,
छोटेकाजीपुर शहर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **481** दिनांक **30.08.2006** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/43** से. **15** क्षे. **2563.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	12816	रु0 13422
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	175812	रु0 8816
योग (अ)	रु0	188628	रु0 22238

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	134	रु0 1457
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	28193	रु0 513
योग (ब)	रु0	28327	रु0 1970
महायोग (अ एवं ब)	रु0	216955	रु0 24208


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2819.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/5C** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री पशुपतिनाथ गुप्ता पुत्र श्री बलदेव प्रसाद गुप्ता
निवासी-लाल डिग्गी चौक,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **482** दिनांक **02.09.2006** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/5C** से. **13** क्षे. **2448.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	41673	रु0 35
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	135390	रु0 513
योग (अ)	रु0	177063	रु0 548

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	23018	रु0 36
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	26928	रु0 490
योग (ब)	रु0	49946	रु0 526
महायोग (अ एवं ब)	रु0	227009	रु0 1074


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2693.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/10** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री चन्द्र सेन सिंह पुत्र स्व० झिन्नु सिंह
ग्राम व पोस्ट—डोहरिया बाजार,
जिला—गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **483** दिनांक **25.09.2006** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/10** से. **13** क्षे. **200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु० 24	रु० 0	
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु० 1997	रु० -17	
योग (अ)	रु० 2021	रु० -17	

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु० 263	रु० 0	
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु० 2200	रु० 40	
योग (ब)	रु० 2463	रु० 40	
महायोग (अ एवं ब)	रु० 4484	रु० 23	

नोट:—रख-रखाव शुल्क— समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **220.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट— समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/25** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती मीना दूबे पुत्री श्री पी0 पी0 ओझा,
ग्राम-बिनुआ टीकर,
पोस्ट आफिस-डवरपार,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **487** दिनांक **12.10.2006** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/25** से. **15** क्षे. **260.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-288	रु0	-1
योग (अ)	रु0	-288	रु0	-1

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2860	रु0	52
योग (ब)	रु0	2860	रु0	52
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2572	रु0	51

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **286.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/38** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री राधेश्याम यादव पुत्र श्री रामनवल यादव
श्री टाकिज के पीछे, मोहददीपुर,
पोस्ट आफिस-कूडाघाट,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **491** दिनांक **14.12.2006** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/38** से. **15** क्षे. **2685.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-2705	रु0
योग (अ)	रु0	-2705	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	29535	रु0
योग (ब)	रु0	29535	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	26830	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2954.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AL-23** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती मीना सिंह पत्नी श्री रणविजय नारायण सिंह,
सी/178/25, दाउदपुर-33 कसया रोड़,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **476** दिनांक **31.03.2006** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AL-23** से. **13** क्षे. **1039.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	103502	रु0 6065
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	107549	रु0 3694
योग (अ)	रु0	211051	रु0 9759

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	27437	रु0 640
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11429	रु0 208
योग (ब)	रु0	38866	रु0 848
महायोग (अ एवं ब)	रु0	249917	रु0 10607

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1143.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/44&** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स विजन पैरेन्टरल प्राइवेट लिमिटेड
द्वारा श्री संदीप अग्रवाल (निदेशक) पुत्र श्री जय प्रकाश अग्रवाल,
65-किरण कंन्ज, आवास विकास कालोनी,
बेतियाहाता, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **492** दिनांक **14.12.2006** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/44&** से. **15** क्षे. **4925.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-4925	रु0
योग (अ)	रु0	-4925	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	54175	रु0
योग (ब)	रु0	54175	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	49250	रु0


नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **5418.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/5D** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स मीना राजश्री प्लास्टिक प्रोडक्ट्स
निवासी-हरवंश गली, शेखपुर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **494** दिनांक **22.12.2006** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/5D** से. **13** क्षे. **2124.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	170516	रु0 8833
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	203904	रु0 6438
योग (अ)	रु0	374420	रु0 15271

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	48675	रु0 1001
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	23364	रु0 425
योग (ब)	रु0	72039	रु0 1426
महायोग (अ एवं ब)	रु0	446459	रु0 16697


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2336.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/5A** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स माहेश्वरी एल्यू-टेक प्रा0 लि0 द्वारा श्री अनिल माहेश्वरी
सत्यनारायण माहेश्वरी, निवासी-मकान संख्या-बी-155, आवास
शाहपुर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **497** दिनांक **27.01.2007** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/5A** से. **13** क्षे. **1668.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1424	रु0
योग (अ)	रु0	-1424	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	18348	रु0
योग (ब)	रु0	18348	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	16924	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1835.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-3/1** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स सेवा सर्जिकल्स प्रा0 लि0
श्री अमर तुल्सयान एवं श्रीमती पायल मुल्सयान (निदेशक)
402, गैलेन्ट लैण्ड मार्क, बैंक रोड,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **502** दिनांक **30.06.2007** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-3/1** से. **13** क्षे. **4299.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-4299	रु0
योग (अ)	रु0	-4299	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	47289	रु0
योग (ब)	रु0	47289	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	42990	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **4729.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/12** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री अरविन्द वर्मा पुत्र श्री श्याम देव वर्मा
ग्राम व पोस्ट-अमारी, थाना-उत्तरौलिया,
जिला-आजमगढ़।

आवंटन पत्र संख्या **509** दिनांक **03.07.2007** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/12** से. **13** क्षे. **288.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-25	रु0
योग (अ)	रु0	-25	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3168	रु0
योग (ब)	रु0	3168	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	3143	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **317.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-6** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री संदीप गोयल पुत्र श्री प्रदीप गोयल
निवासी-शशी स्टील्स,
हीरापट्टी,
आजमगढ़।

आवंटन पत्र संख्या **515** दिनांक **03.07.2007** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-6** से. **13** क्षे. **2240.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-2922	रु0
योग (अ)	रु0	-2922	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	24640	रु0
योग (ब)	रु0	24640	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	21718	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2464.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **BL-10B** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री सुरेश राजभर पुत्र श्री दयानन्द राजभर,
मुहल्ला-नरसिंहपुर,
पोस्ट आफिस-हेड पोस्ट आफिस,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **512** दिनांक **03.07.2007** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **BL-10B** से. **13** क्षे. **850.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	26014	रु0 1409
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	57290	रु0 1683
योग (अ)	रु0	83304	रु0 3092

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	10830	रु0 203
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	9350	रु0 170
योग (ब)	रु0	20180	रु0 373
महायोग (अ एवं ब)	रु0	103484	रु0 3465

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **935.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-5** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती मोनी गोयल पत्नी श्री संदीप गोयल
द्वारा मैसर्स शशि स्टील्स, पूराजोधी बिलेरिया की चूँगी,
तहसील-सदर,
जिला-आजमगढ़ ।

आवंटन पत्र संख्या **513** दिनांक **03.07.2007** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-5** से. **13** क्षे. **5937.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-6380	रु0
योग (अ)	रु0	-6380	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	65307	रु0
योग (ब)	रु0	65307	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	58927	रु0

नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **6531.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **BL-7** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स उड फैब्स द्वारा श्री एहसान करीम खॉ (पार्टनर) पुत्र स्व० शब्बीर
निवासी-मकान संख्या-0354बी, मू०-दीवान बाजार,
हिमालय प्लाई के सामने,
जिला-गोरखपुर

आवंटन पत्र संख्या **511** दिनांक **03.07.2007** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **BL-7** से. **13** क्षे. **2792.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 36
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	25022	रु० 556
योग (अ)	रु०	25022	रु० 592

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	3253	रु० 39
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	30712	रु० 558
योग (ब)	रु०	33965	रु० 597
महायोग (अ एवं ब)	रु०	58987	रु० 1189


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **3071.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/18** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री मनोज कुमार वर्मा पुत्र श्री अरविन्द वर्मा
निवासी-ग्राम व पोस्ट-अमारी, तहसील-बूढ़नपुर,
थाना-अतरौलिया,
जिला-आजमगढ़ ।

आवंटन पत्र संख्या **503** दिनांक **30.06.2007** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/18** से. **13** क्षे. **296.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-38	रु0	-32
योग (अ)	रु0	-38	रु0	-32

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3256	रु0	59
योग (ब)	रु0	3256	रु0	59
महायोग (अ एवं ब)	रु0	3218	रु0	27

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **326.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/23C** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री उमेश्वर लाल जायसवाल पुत्र स्व० दिनानाथ जायसवाल,
निवासी खूरमपुर,
गीताप्रेस, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **570** दिनांक **20.02.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/23C** से. **13** क्षे. **590.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	4632	रु० 6
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	23602	रु० 90
योग (अ)	रु०	28234	रु० 96

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	3670	रु० 6
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	6490	रु० 118
योग (ब)	रु०	10160	रु० 124
महायोग (अ एवं ब)	रु०	38394	रु० 220


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **649.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/3** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स चेतना स्पाईसेज इंडिया प्रा० लि० द्वारा श्री आर० सी० गुप्ता
(निदेशक) पुत्र स्व० हनुमान प्रसाद गुप्ता
निवासी-शाहमारुफ,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **486** दिनांक **09.10.2006** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/3** से. **15** क्षे. **1621.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	1216	रु० 9
योग (अ)	रु०	1216	रु० 9

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	132	रु० 1
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	17831	रु० 324
योग (ब)	रु०	17963	रु० 325
महायोग (अ एवं ब)	रु०	19179	रु० 334

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **1783.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/24** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती मेनिका सिंह पत्नी श्री राम सिंह
निवासी डी-ब्लाक,
स्टेशन रोड़,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **485** दिनांक **25.09.2006** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/24** से. **15** क्षे. **247.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेंट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	464	रु0
योग (अ)	रु0	464	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	60	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	2717	रु0
योग (ब)	रु0	2777	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	3241	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **272.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेंट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/9** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स बर्नवाल प्लास्टिक

द्वारा श्री हरेन्द्र बर्नवाल (साझेदार) पुत्र श्री रामनरेश बर्नवाल,

निवासी-ग्राम-चैनपुर, पोस्ट-विक्रम विशुनपुर,

जनपद-देवरिया।

आवंटन पत्र संख्या **484** दिनांक **25.09.2006** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/9** से. **13** क्षे. **200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 25
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1099	रु0 127
योग (अ)	रु0	1099	रु0 152

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	143	रु0 10
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2200	रु0 40
योग (ब)	रु0	2343	रु0 50
महायोग (अ एवं ब)	रु0	3442	रु0 202


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **220.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **BL-11** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स साईं पोली प्रिन्ट (साझेदारी फर्म) द्वारा श्री राजेश कुमार अग्रवाल
पुत्र स्व० जगदीश प्रसाद अग्रवाल, निवासी-लालडिग्गी वाटर बँक,
पोस्ट-गीता प्रेस,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **500** दिनांक **30.06.2007** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **BL-11** से. **13** क्षे. **2500.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 68
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-5017	रु० 626
योग (अ)	रु०	-5017	रु० 694

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 45
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	27500	रु० 500
योग (ब)	रु०	27500	रु० 545
महायोग (अ एवं ब)	रु०	22483	रु० 1239


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **2750.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-1/2 & 4** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स इण्डियन टर्कर्स प्रा० लि०

द्वारा श्री नौशाद अहमद पुत्र श्री निसार अली (डायरेक्टर)

ग्राम-बसिया उर्फ कप्तानगंज, तहसील-हाटा,

जिला-कूशीनगर।

आवंटन पत्र संख्या **520** दिनांक **24.09.2007** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-1/2 & 4** से. **15** क्षे. **7342.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु०	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	0	रु०	-10278
योग (अ)	रु०	0	रु०	-10278

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु०	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	80762	रु०	1468
योग (ब)	रु०	80762	रु०	1468
महायोग (अ एवं ब)	रु०	80762	रु०	-8810


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **8076.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-8/8** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री राकेश जायसवाल पुत्र श्री सूर्य नारायण
निवासी-ग्राम व पोस्ट-कूरी बाजार,
तहसील-खजनी,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **521** दिनांक **05.12.2007** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-8/8** से. **13** क्षे. **300.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	21658	रु0 1427
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	27729	रु0 965
योग (अ)	रु0	49387	रु0 2392

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	6420	रु0 157
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3300	रु0 60
योग (ब)	रु0	9720	रु0 217
महायोग (अ एवं ब)	रु0	59107	रु0 2609

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **330.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **DL-1** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स केजी बेकर्स प्रा0 लि0 (विस्तार)
7-पार्क रोड, गोलघर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **523** दिनांक **07.03.2008** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **DL-1** से. **13** क्षे. **9603.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-518	रु0
योग (अ)	रु0	-518	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	105633	रु0
योग (ब)	रु0	105633	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	105115	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **10563.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-4** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स फेथफूल कामर्शियल लिमिटेड
द्वारा श्री राजेश कुमार रुगटा (निदेशक)
130-बी, बेतियाहाता, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **524** दिनांक **20.03.2008** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-4** से. **13** क्षे. **20957.0** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	230527	रु0	4191
योग (ब)	रु0	230527	रु0	4191
महायोग (अ एवं ब)	रु0	230527	रु0	4191


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **23053.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/23B** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती कमलेश देवी पत्नी श्री गोविन्द जायसवाल,
निवासी ग्रा0 व पो0- पिपरौली,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **529** दिनांक **20.02.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/23B** से. **13** क्षे. **705.34** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	17184	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	43731	रु0 -1297
योग (अ)	रु0	60915	रु0 -1297

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	7919	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7759	रु0 141
योग (ब)	रु0	15678	रु0 141
महायोग (अ एवं ब)	रु0	76593	रु0 -1156

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **776.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **BL-6** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स एहसान एग्रो उड प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0 द्वारा श्री एहसान करीम खॉ
पुत्र स्व0 शब्बीर हसन खॉ, निवासी-मकान संख्या-0354बी, मू0-दिवान
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **564** दिनांक **20.02.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **BL-6** से. **15** क्षे. **3335.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	4038	रु0 181
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	66715	रु0 1365
योग (अ)	रु0	70753	रु0 1546

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	9198	रु0 101
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	36685	रु0 667
योग (ब)	रु0	45883	रु0 768
महायोग (अ एवं ब)	रु0	116636	रु0 2314


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **3669.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/5D(** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री शाहबुद्दीन पुत्र श्री तेलुद्दीन
ग्राम व पोस्ट-कैमल
थाना-घरोडां
जिला-करनाल (हरियाणा)

आवंटन पत्र संख्या **543** दिनांक **20.02.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/5D(** से. **13** क्षे. **1483.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1743	रु0
योग (अ)	रु0	-1743	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	16313	रु0
योग (ब)	रु0	16313	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	14570	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1631.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-1/3** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स इण्डियन टैंकर्स प्रा0 लि0

द्वारा श्री नौशाद अहमद (डायरेक्टर) पुत्र श्री निसार अली,

वसिया उर्फ कप्तानगंज, तहसील-हाटा,

जिला-पड़रौना,

आवंटन पत्र संख्या **490** दिनांक **14.12.2006** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-1/3** से. **15** क्षे. **5931.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-262	रु0
योग (अ)	रु0	-262	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	65241	रु0
योग (ब)	रु0	65241	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	64979	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **6524.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/25** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स स्वास्तिक इण्डस्ट्रीज (साझेदारी फर्म) द्वारा श्री नील सुन्दर
एवं श्री मनोज जालान (साझेदारी फर्म), पता-3 रायगंज दक्षिणी,
थाना-राजघाट,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **551** दिनांक **20.02.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/25** से. **15** क्षे. **595.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	12430	रु0 237
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	34758	रु0 620
योग (अ)	रु0	47188	रु0 857

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	6134	रु0 56
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6545	रु0 119
योग (ब)	रु0	12679	रु0 175
महायोग (अ एवं ब)	रु0	59867	रु0 1032

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **655.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **BL-3/B** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री राम निरंजन यादव पुत्र श्री रामभेजू यादव
निवासी-महेवा नई कालोनी,
पोस्ट-शिवपुरी न्यू कालोनी,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **527** दिनांक **20.02.2009** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **BL-3/B** से. **15** क्षे. **390.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	11628	रु0 85
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	26021	रु0 309
योग (अ)	रु0	37649	रु0 394

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	4894	रु0 26
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4290	रु0 78
योग (ब)	रु0	9184	रु0 104
महायोग (अ एवं ब)	रु0	46833	रु0 498


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **429.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-16** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स प्रियम्बदा इण्डस्ट्रीज प्रा० लि० द्वारा श्री शार्दूल चन्द्र कौशिक
पुत्र श्री शिव दयाल चन्द, निवासी-मकान संख्या सी०-179/39,
बेतियाहाता, कसया रोड,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **569** दिनांक **20.02.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-16** से. **13** क्षे. **5169.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 60
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	50251	रु० 926
योग (अ)	रु०	50251	रु० 986

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	6533	रु० 65
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	56859	रु० 1034
योग (ब)	रु०	63392	रु० 1099
महायोग (अ एवं ब)	रु०	113643	रु० 2085


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **5686.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-5/A** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स पापूलर एलाय कास्टिंग प्रा0 लि0
द्वारा श्री अशोक जोनेजा (निदेशक)
निवासी-जोनेजा कूटीर, गौंधी नगर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **542** दिनांक **20.02.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-5/A** से. **13** क्षे. **4512.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	49632	रु0	902
योग (ब)	रु0	49632	रु0	902
महायोग (अ एवं ब)	रु0	49632	रु0	902


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **4963.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-9** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री हरीश चन्द्र पाण्डेय पुत्र श्री मारकण्डेय पाण्डेय
निवासी-ग्राम व पोस्ट-इकौना,
तहसील-रुद्रपुर
जिला-देवरिया।

आवंटन पत्र संख्या **540** दिनांक **20.02.2009** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-9** से. **13** क्षे. **949.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	57745	रु0 3776
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	83617	रु0 2824
योग (अ)	रु0	141362	रु0 6600

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	18377	रु0 433
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	10439	रु0 190
योग (ब)	रु0	28816	रु0 623
महायोग (अ एवं ब)	रु0	170178	रु0 7223


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1044.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AL-19/B** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स श्याम मोटर्स
द्वारा श्री विनोद कुमार शर्मा (पार्टनर)
निवासी-ग्राम-बरवार, पोस्ट-छपिया,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **544** दिनांक **20.02.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AL-19/B** से. **13** क्षे. **1510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	57712	रु0 5999
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	110485	रु0 4489
योग (अ)	रु0	168197	रु0 10488

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	21866	रु0 687
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	16610	रु0 302
योग (ब)	रु0	38476	रु0 989
महायोग (अ एवं ब)	रु0	206673	रु0 11477


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1661.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AL-15** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री राकेश कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री दयाशंकर त्रिपाठी
निवासी-चकिया,
भीटी रावत,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **557** दिनांक **20.02.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AL-15** से. **13** क्षे. **895.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8460	रु0
योग (अ)	रु0	8460	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1100	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	9845	रु0
योग (ब)	रु0	10945	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	19405	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **985.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AL-19/F** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स लेटेस्ट केमिकल्स (साझेदार)
द्वारा श्री संदीप शुक्ला पुत्र श्री राजेन्द्र शुक्ला
आर/ओ, मुहल्ला-शुक्ला गली,
उन्नाव

आवंटन पत्र संख्या **537** दिनांक **20.02.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AL-19/F** से. **13** क्षे. **310.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-20	रु0
योग (अ)	रु0	-20	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3410	रु0
योग (ब)	रु0	3410	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	3390	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **341.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-15** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री वगिश चन्द्र पाठक पुत्र श्री राजेन्द्र पाठक,
निवासी-फ्लैट नं.-1003, टॉवर नं.-20, अंसल रायल हेरिटेज,
बल्लबगढ़, फरीदाबाद,
हरियाणा-121004

आवंटन पत्र संख्या **571** दिनांक **20.02.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-15** से. **13** क्षे. **402.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2901	रु0
योग (अ)	रु0	2901	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	377	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4422	रु0
योग (ब)	रु0	4799	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	7700	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **442.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-5/C** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स एस0 एण्ड जे0 बेवेरेज प्रा0 लि0

निदेशक श्री भाष्कर मणि त्रिपाठी पुत्र श्री जे0एन0त्रिपाठी

निवासी-70, रेल विहार सेक्टर-33

नोएडा (यू0पी0)

आवंटन पत्र संख्या **566** दिनांक **20.02.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-5/C** से. **13** क्षे. **4527.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	142654	रु0 17984
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	308621	रु0 13454
योग (अ)	रु0	451275	रु0 31438

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	58666	रु0 2060
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	49797	रु0 905
योग (ब)	रु0	108463	रु0 2965
महायोग (अ एवं ब)	रु0	559738	रु0 34403


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **4980.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-7** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स जे0 के0 फीड्स

द्वारा श्री मो0 आफताब एवं श्री नौसाद आलम पुत्रगण श्री बशीर

निवासी-ग्राम-सबयौं, टीचर कालोनी, नियर कचहरी,

पोस्ट-कसया, जिला-कूशीनगर।

आवंटन पत्र संख्या **549** दिनांक **20.02.2009** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-7** से. **13** क्षे. **1615.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	29904	रु0 60
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	90371	रु0 392
योग (अ)	रु0	120275	रु0 452

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	15636	रु0 30
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	17765	रु0 323
योग (ब)	रु0	33401	रु0 353
महायोग (अ एवं ब)	रु0	153676	रु0 805


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1777.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **BL-3/2&** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स सर्वोत्तम फीड प्रोडक्ट प्रा0 लि0
द्वारा श्री उमेश कुमार छापडिया (निदेशक)
निवासी-सी-179/133 एफ-हनुमान मंदिर रोड,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **555** दिनांक **20.02.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **BL-3/2&** से. **13** क्षे. **2560.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1825	रु0
योग (अ)	रु0	1825	रु0
			-1561

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	44	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	28160	रु0
योग (ब)	रु0	28204	रु0
			512
महायोग (अ एवं ब)	रु0	30029	रु0
			-1049

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2816.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AL-19** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स एस0डी0 इन्टरनेशनल (प्रा0) लि0 (विस्तार)
द्वारा श्रीमती शारदा देवी अग्रवाल (निदेशक) पत्नी श्री विजय कुमार
निवासी-रहमत नगर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **531** दिनांक **20.02.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AL-19** से. **13** क्षे. **3040.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	33440	रु0
योग (ब)	रु0	33440	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	33440	रु0

-2432


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **3344.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/23** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स कृतिका ट्रेडर्स

प्रोपराईटर श्री निखिल अग्रहरी पुत्र श्री राजेश अग्रहरी

निवासी-107, मिर्जापुर,

गोडियाना, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **534** दिनांक **20.02.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/23** से. **15** क्षे. **595.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-126	रु0
योग (अ)	रु0	-126	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6545	रु0
योग (ब)	रु0	6545	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	6419	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **655.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/24** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री रियाज अहमद पुत्र स्व० अमनूल्लाह
निवासी-तुर्कमानपुर पटवारी टोला
पोस्ट आफिस-गीता प्रेस
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **535** दिनांक **20.02.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/24** से. **15** क्षे. **595.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	18620	रु० 616
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	40460	रु० 952
योग (अ)	रु०	59080	रु० 1568

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	7680	रु० 103
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	6545	रु० 119
योग (ब)	रु०	14225	रु० 222
महायोग (अ एवं ब)	रु०	73305	रु० 1790

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **655.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AL-19G** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री विष्णु प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता
निवासी-नियर सहारा बैंक, डी0ए0वी0 इण्टर कालेज के पीछे वाली
इस्माईलपुर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **528** दिनांक **20.02.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AL-19G** से. **13** क्षे. **320.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	12200	रु0 419
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	23392	रु0 569
योग (अ)	रु0	35592	रु0 988

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	4627	रु0 65
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3520	रु0 64
योग (ब)	रु0	8147	रु0 129
महायोग (अ एवं ब)	रु0	43739	रु0 1117


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **352.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **BL-4** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स अयोध्या प्रसाद शुक्ल हौसिला प्रसाद शुक्ल इंजीनियरिंग वर्क्स
द्वारा श्री अयोध्या प्रसाद शुक्ल (पार्टनर) पुत्र स्व0 ब्रह्मचारी शुक्ल
निवासी-भूखण्ड संख्या-बी-26, सेक्टर-5,
गीडा, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **565** दिनांक **20.02.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **BL-4** से. **15** क्षे. **2081.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-352	रु0
योग (अ)	रु0	-352	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	22891	रु0
योग (ब)	रु0	22891	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	22539	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2289.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **BL-3/4&** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री रामगोपाल छापडिया पुत्र स्व० घनश्याम दास छापडिया,
हनुमान मंदिर रोड,
बेतियाहाता,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **556** दिनांक **20.02.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **BL-3/4&** से. **13** क्षे. **1347.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	186	रु० -1289
योग (अ)	रु०	186	रु० -1289

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	4	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	14817	रु० 269
योग (ब)	रु०	14821	रु० 269
महायोग (अ एवं ब)	रु०	15007	रु० -1020

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **1482.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/6D(** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती कृष्णा देवी जैसवाल पत्नी श्री सुभाष चन्द जैसवाल
निवासी-इ0डब्ल्यू0एस0-80,
सूर्य बिहार कालोनी,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **547** दिनांक **20.02.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/6D(** से. **13** क्षे. **1030.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	77	रु0 9
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11105	रु0 132
योग (अ)	रु0	11182	रु0 141

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1454	रु0 9
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11330	रु0 206
योग (ब)	रु0	12784	रु0 215
महायोग (अ एवं ब)	रु0	23966	रु0 356

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1133.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-4/18** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स मोदी केमिकल प्रा० लि०

द्वारा श्री परवीन मोदी (निदेशक) पुत्र श्री शिव कुमार मोदी,

निवासी-पाण्डेय हाता,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **533** दिनांक **20.02.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-4/18** से. **13** क्षे. **2495.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	0	रु० 0
योग (अ)	रु०	0	रु० 0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	27445	रु० 499
योग (ब)	रु०	27445	रु० 499
महायोग (अ एवं ब)	रु०	27445	रु० 499


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **2745.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-4/19** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री मनोज त्रिपाठी पुत्र श्री राज नारायण त्रिपाठी
निवासी-ग्राम-भरवलिया
पोस्ट आफिस-सरया तिवारी, तहसील-खजनी
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **541** दिनांक **20.02.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-4/19** से. **13** क्षे. **1500.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	1847	रु0 4
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	30134	रु0 60
योग (अ)	रु0	31981	रु0 64

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	4158	रु0 34
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	16500	रु0 300
योग (ब)	रु0	20658	रु0 334
महायोग (अ एवं ब)	रु0	52639	रु0 398


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1650.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-14** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री राम मिलन यादव पुत्र श्री लालमन यादव
निवासी-ग्राम-तिलौरा,
पोस्ट-पाली, थाना-सहजनवाँ,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **552** दिनांक **20.02.2009** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-14** से. **13** क्षे. **305.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	24108	रु0 1211
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	29113	रु0 907
योग (अ)	रु0	53221	रु0 2118

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	6919	रु0 139
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3355	रु0 61
योग (ब)	रु0	10274	रु0 200
महायोग (अ एवं ब)	रु0	63495	रु0 2318


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **336.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-13** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री दाताराम सिंह (एकल स्वामी) पुत्र श्री महन्त सिंह
निवासी-ग्राम-खूटहना, पोस्ट-खजनी,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **546** दिनांक **20.02.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-13** से. **13** क्षे. **505.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-716	रु0
योग (अ)	रु0	-716	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5555	रु0
योग (ब)	रु0	5555	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4839	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **556.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **BL-6** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स हिमालय टैम्बर्स

द्वारा श्री एहसान करीम खान, श्री फैजान अहमद एवं श्रीमती इस्मत

सी/153/9-घोसीपुर, तिवारीपुर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **496** दिनांक **25.01.2007** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **BL-6** से. **13** क्षे. **7557.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	9923	रु0 412
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	154609	रु0 3104
योग (अ)	रु0	164532	रु0 3516

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	21389	रु0 230
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	83127	रु0 1511
योग (ब)	रु0	104516	रु0 1741
महायोग (अ एवं ब)	रु0	269048	रु0 5257


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **8313.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-11** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री रनवीर सिंह पुत्र श्री फते सिंह
निवासी-कूलसूम नगर,
लच्छीपुर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **550** दिनांक **20.02.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-11** से. **13** क्षे. **701.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 4
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6464	रु0 57
योग (अ)	रु0	6464	रु0 61

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	840	रु0 4
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7711	रु0 140
योग (ब)	रु0	8551	रु0 144
महायोग (अ एवं ब)	रु0	15015	रु0 205

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **771.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-10** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री राम नारायण शर्मा पुत्र श्री तख्ताराम शर्मा
निवासी-मूहल्ला-निजामपुर,
पोस्ट-गीता प्रेस,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **567** दिनांक **20.02.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-10** से. **13** क्षे. **908.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-911	रु0	-1
योग (अ)	रु0	-911	रु0	-1

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	9988	रु0	182
योग (ब)	रु0	9988	रु0	182
महायोग (अ एवं ब)	रु0	9077	रु0	181


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **999.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B1-16** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

**मैसर्स एहसान एग्रो उड प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0 द्वारा श्री एहसान करीम खॉ
 (निदेशक) पुत्र स्व0 शब्बीर हसन खॉ, निवासी-मकान संख्या-0354बी,
 हिमालय प्लाई के सामने,
 जिला-गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **575** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B1-16** से. **13** क्षे. **728.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	931	रु0 37
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	14865	रु0 294
योग (अ)	रु0	15796	रु0 331

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	2053	रु0 22
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8008	रु0 146
योग (ब)	रु0	10061	रु0 168
महायोग (अ एवं ब)	रु0	25857	रु0 499


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **801.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/6D** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री गौरव अग्रवाल पुत्र श्री रजनीश कुमार,
निवासी-मकान संख्या-101,
खुर्रमपुर,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **538** दिनांक **20.02.2009** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/6D** से. **13** क्षे. **1963.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-826	रु0
योग (अ)	रु0	-826	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	21593	रु0
योग (ब)	रु0	21593	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	20767	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2159.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/6** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री सुनील कुमार गुप्ता पुत्र स्व० गुलाब चन्द गुप्ता
निवासी-मोहल्ला-नियामत चक, शिव मंदिर,
पोस्ट आफिस-अली नगर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **536** दिनांक **20.02.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/6** से. **13** क्षे. **200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-7	रु० -34
योग (अ)	रु०	-7	रु० -34

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	2200	रु० 40
योग (ब)	रु०	2200	रु० 40
महायोग (अ एवं ब)	रु०	2193	रु० 6

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **220.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/25** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती कविता पाल पत्नी श्री राम अनुज पाल
निवासी-ग्राम-धुरियापार,
तहसील-सहजनवाँ,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **539** दिनांक **20.02.2009** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/25** से. **13** क्षे. **470.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	96	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5496	रु0
योग (अ)	रु0	5592	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	727	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5170	रु0
योग (ब)	रु0	5897	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	11489	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **517.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. A-9 / से. 13 / 2023-24 दिनांक

श्री विनोद कुमार सिंह पुत्र श्री हरख चन्द सिंह
निवासी-वार्ड संख्या-7,
केशवपुर, सहजनवाँ नगर पंचायत,
जनपद-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 530 दिनांक 20.02.2009 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. A-9 से. 13 क्षे. 450.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	178	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3588	रु0
योग (अ)	रु0	3766	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	490	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4950	रु0
योग (ब)	रु0	5440	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	9206	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 495.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **BL-7** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स बी.आर. आटो व्हील्स इंडिया प्राईवेट लि0 द्वारा श्री रजनीश
पुत्र श्री विजय कुमार अग्रवाल, पता-सेक्रेण्ड फ्लोर, प्रीमियर बिल्डिंग
शाहनजफ रोड, हजरतगंज, लखनऊ
उ0 प्र0

आवंटन पत्र संख्या **545** दिनांक **20.02.2009** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **BL-7** से. **15** क्षे. **3965.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	224	रु0 57
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	47270	रु0 870
योग (अ)	रु0	47494	रु0 927

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	5159	रु0 61
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	43615	रु0 793
योग (ब)	रु0	48774	रु0 854
महायोग (अ एवं ब)	रु0	96268	रु0 1781


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **4362.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-8** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स मानसरोवर विडिंग एण्ड पोल्ट्री फार्म
द्वारा श्री होशियार सिंह एवं श्री मेवा सिंह पुत्रगण श्री मेवा सिंह
निवासी-मकान संख्या-286, वार्ड संख्या-9, सीता श्याम
कालोनी, सफीदो, जिला-जिन्द, हरियाणा।

आवंटन पत्र संख्या **568** दिनांक **20.02.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-8** से. **13** क्षे. **1145.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-252	रु0	-65
योग (अ)	रु0	-252	रु0	-65

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	12595	रु0	229
योग (ब)	रु0	12595	रु0	229
महायोग (अ एवं ब)	रु0	12343	रु0	164

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1260.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-38** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स राणी सती इण्टरप्राइजेज (साझेदारी फर्म)

द्वारा श्री दीपक कुमार जालान, अतुल कुमार जालान एवं पवन कुमार

निवासी-हासपुर,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **576** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-38** से. **13** क्षे. **450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	31500	रु0 6
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	41134	रु0 95
योग (अ)	रु0	72634	रु0 101

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	9442	रु0 7
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4950	रु0 90
योग (ब)	रु0	14392	रु0 97
महायोग (अ एवं ब)	रु0	87026	रु0 198


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **495.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **BL-3/A** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री हरि नारायण सिंह पुत्र स्व० मुन्नर सिंह
निवासी-ग्राम-जूडियान,
पोस्ट आफिस-सहजनवाँ,
गीडा, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **526** दिनांक **20.02.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **BL-3/A** से. **15** क्षे. **425.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु०	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-425	रु०	0
योग (अ)	रु०	-425	रु०	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु०	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	4675	रु०	85
योग (ब)	रु०	4675	रु०	85
महायोग (अ एवं ब)	रु०	4250	रु०	85

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **468.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AL-19/E** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री चन्द्रसेन सिंह पुत्र श्री झिन्नू सिंह
निवासी-ग्राम एवं पोस्ट-डोहरिया बाजार,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **558** दिनांक **20.02.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AL-19/E** से. **13** क्षे. **303.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-101	रु0
योग (अ)	रु0	-101	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3333	रु0
योग (ब)	रु0	3333	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	3232	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **333.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/16** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री मनोज कुमार गुप्ता पुत्र स्व० गुलाब चन्द
सी/128/4-हजारीपुर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **499** दिनांक **30.06.2007** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/16** से. **13** क्षे. **294.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-1	रु० -746
योग (अ)	रु०	-1	रु० -746

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	3234	रु० 59
योग (ब)	रु०	3234	रु० 59
महायोग (अ एवं ब)	रु०	3233	रु० -687

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **323.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/14** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री रणजीत यादव पुत्र श्री धूपचन्द्र यादव
ग्राम-सिधारी, पोस्ट-डाडी,
तहसील-गोला बाजार,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **505** दिनांक **30.06.2007** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/14** से. **13** क्षे. **293.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	20785	रु0 1473
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	25794	रु0 974
योग (अ)	रु0	46579	रु0 2447

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1493	रु0 160
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3223	रु0 59
योग (ब)	रु0	4716	रु0 219
महायोग (अ एवं ब)	रु0	51295	रु0 2666


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **322.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/15** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री दयाराम यादव पुत्र श्री केशव यादव
ग्राम-सूती, पोस्ट आफिस-शुकरौली,
तहसील-खजनी,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **506** दिनांक **03.07.2007** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/15** से. **13** क्षे. **293.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-177	रु0
योग (अ)	रु0	-177	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3223	रु0
योग (ब)	रु0	3223	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	3046	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **322.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/19** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती शकीला खान पत्नी श्री अल्लन खान
निवासी-मुहल्ला-खोखर टोला,
पोस्ट-गीता प्रेस,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **514** दिनांक **03.07.2007** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/19** से. **13** क्षे. **299.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	18917	रु0 12
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	26370	रु0 100
योग (अ)	रु0	45287	रु0 112

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	5887	रु0 7
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3289	रु0 60
योग (ब)	रु0	9176	रु0 67
महायोग (अ एवं ब)	रु0	54463	रु0 179


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **329.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. B-3/6 / से. 13 / 2023-24 दिनांक

श्री कृष्ण कुमार यादव पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव
निवासी-मकान संख्या 578ए,
उत्तरी हुमायूँपुर, गोरखनाथ,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 517 दिनांक 03.07.2007 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. B-3/6 से. 13 क्षे. 451.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	5289	रु0 135
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	20956	रु0 411
योग (अ)	रु0	26245	रु0 546

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	3412	रु0 36
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4961	रु0 90
योग (ब)	रु0	8373	रु0 126
महायोग (अ एवं ब)	रु0	34618	रु0 672

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 496.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/27** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स आदित्य ग्रह उद्योग

द्वारा श्री योगेश कुमार ओझा (साझेदार) पुत्र स्व० ब्रजकिशोर ओझा एवं

श्री रमेश ओझा (साझेदार) पुत्र श्री पी० पी० ओझा,

निवासी-ग्राम-बिन्नुआटीकर, पोस्ट-डवरपार, जि०-गो०

आवंटन पत्र संख्या **519** दिनांक **03.07.2007** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/27** से. **15** क्षे. **200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-208	रु० -15
योग (अ)	रु०	-208	रु० -15

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	2200	रु० 40
योग (ब)	रु०	2200	रु० 40
महायोग (अ एवं ब)	रु०	1992	रु० 25


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **220.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/26** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती मीना पुत्री श्री पी0पी0ओझा
ग्राम-बेनुआटीकर
पोस्ट-डवरपार
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **518** दिनांक **03.07.2007** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/26** से. **15** क्षे. **233.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-317	रु0	-27
योग (अ)	रु0	-317	रु0	-27

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2563	रु0	47
योग (ब)	रु0	2563	रु0	47
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2246	रु0	20


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **256.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/11** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री विजय कुमार अग्रवाल पुत्र श्री वी0 एन0 अग्रवाल
मकान नम्बर 132, वार्ड संख्या-10,
केशोपुर, सहजनवाँ,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **498** दिनांक **30.06.2007** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/11** से. **13** क्षे. **288.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	584	रु0	10
योग (अ)	रु0	584	रु0	10

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	42	रु0	1
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3168	रु0	58
योग (ब)	रु0	3210	रु0	59
महायोग (अ एवं ब)	रु0	3794	रु0	69

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **317.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **BL-12** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स एस0डी0 इण्टरनेशनल प्राईवेट लि0

द्वारा श्रीमती शारदा देवी (निदेशक) पत्नी श्री विजय कुमार अग्रवाल,

निवासी-45, फेज-2, हरिओम नगर, सिविल लाइन्स,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **501** दिनांक **30.06.2007** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **BL-12** से. **13** क्षे. **3421.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0	-3420
योग (अ)	रु0	0	रु0	-3420

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	37631	रु0	684
योग (ब)	रु0	37631	रु0	684
महायोग (अ एवं ब)	रु0	37631	रु0	-2736


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **3763.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-3/7** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री गोविन्द प्रसाद पुत्र स्व० फेकूलाल
निवासी-आजाद चौक,
रुस्तमपुर,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **504** दिनांक **30.06.2007** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-3/7** से. **13** क्षे. **271.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	5566	रु० 55
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	15732	रु० 204
योग (अ)	रु०	21298	रु० 259

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	2769	रु० 17
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	2981	रु० 54
योग (ब)	रु०	5750	रु० 71
महायोग (अ एवं ब)	रु०	27048	रु० 330


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **298.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/11A** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री गोविन्द प्रसाद पुत्र स्व० फेकू लाल
निवासी-मकान संख्या-393, आजाद नगर,
रुस्तमपुर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **516** दिनांक **03.07.2007** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/11A** से. **13** क्षे. **768.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	15476	रु० 10
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	44276	रु० 149
योग (अ)	रु०	59752	रु० 159

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	7768	रु० 15
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	8448	रु० 154
योग (ब)	रु०	16216	रु० 169
महायोग (अ एवं ब)	रु०	75968	रु० 328

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **845.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/10A** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री प्रकाश सिंह पुत्र श्री ओम प्रकाश सिंह
ग्राम व पोस्ट-दोहरिया बाजार,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **507** दिनांक **03.07.2007** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/10A** से. **13** क्षे. **340.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 27
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2384	रु0 164
योग (अ)	रु0	2384	रु0 191

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	310	रु0 13
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3740	रु0 68
योग (ब)	रु0	4050	रु0 81
महायोग (अ एवं ब)	रु0	6434	रु0 272


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **374.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/13** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री अरविन्द कुमार वर्मा पुत्र श्री श्यामदेव वर्मा
निवासी-ग्राम व पोस्ट-अमारी, तहसील-बूढ़नपुर,
थाना-अतरौलिया,
जिला-आजमगढ़ ।

आवंटन पत्र संख्या **510** दिनांक **03.07.2007** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/13** से. **13** क्षे. **290.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-40	रु0	-3
योग (अ)	रु0	-40	रु0	-3

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3190	रु0	58
योग (ब)	रु0	3190	रु0	58
महायोग (अ एवं ब)	रु0	3150	रु0	55

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **319.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **BL-10A** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री जय प्रकाश शर्मा पुत्र श्री काशी नाथ शर्मा
द्वारा श्री सूरज इण्टर प्राइजेज, 1-102 पाईप लाईन रोड,
निकट गणेश मन्दिर, फतहनगर,
हैदराबाद-18,

आवंटन पत्र संख्या **508** दिनांक **03.07.2007** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **BL-10A** से. **13** क्षे. **1104.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	54368	134
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	88832	664
योग (अ)	रु0	143200	798

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	18616	52
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	12144	221
योग (ब)	रु0	30760	273
महायोग (अ एवं ब)	रु0	173960	1071


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1214.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-4/20** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री अरविन्द सिंह पुत्र श्री दुर्गा सिंह,
निवासी-ग्राम व पोस्ट-भेउसा उर्फ बनकटा,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **572** दिनांक **20.02.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-4/20** से. **13** क्षे. **1375.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	108687	रु0 5462
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	131247	रु0 4088
योग (अ)	रु0	239934	रु0 9550

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	31191	रु0 626
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	15125	रु0 275
योग (ब)	रु0	46316	रु0 901
महायोग (अ एवं ब)	रु0	286250	रु0 10451


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1513.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-12** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री दिनेश यादव पुत्र श्री श्रीप्रसाद यादव
निवासी-ग्राम-कीरीहीरा बारी चकवैद्य पूरवा, पोस्ट-रुपनारी,
थाना-बासगाँव, तहसील-खजनी (हरनही),
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **560** दिनांक **20.02.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-12** से. **13** क्षे. **598.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	47266	रु0 2390
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	57080	रु0 1784
योग (अ)	रु0	104346	रु0 4174

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	13565	रु0 274
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6578	रु0 120
योग (ब)	रु0	20143	रु0 394
महायोग (अ एवं ब)	रु0	124489	रु0 4568

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **658.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/23D** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री मोहम्मद शाहीद रजा पुत्र श्री इम्तेयाज अहमद
निवासी-मकान संख्या-39,
इलाहीबाग,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **573** दिनांक **03.03.2009** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/23D** से. **13** क्षे. **528.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	41587	रु0 2097
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	50335	रु0 1572
योग (अ)	रु0	91922	रु0 3669

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	11950	रु0 240
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5808	रु0 106
योग (ब)	रु0	17758	रु0 346
महायोग (अ एवं ब)	रु0	109680	रु0 4015


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **581.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **BL-5** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स दीप जी उद्योग प्रा० लि०

द्वारा श्री राजेश कुमार रंगटा (निदेशक) पुत्र स्व० दीप चन्द्र रंगटा

निवासी- 130-बी, बेतियाहाता

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **554** दिनांक **20.02.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **BL-5** से. **15** क्षे. **12017.0** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	19374	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	0	रु० 0
योग (अ)	रु०	19374	रु० 0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	2367	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	132187	रु० 2403
योग (ब)	रु०	134554	रु० 2403
महायोग (अ एवं ब)	रु०	153928	रु० 2403


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **13219.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **BL-3/6** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती विन्दवासिनी देवी पत्नी श्री शिव शंकर प्रसाद गुप्ता
निवासी-मुण्डेरा बाजार, वार्ड संख्या-8,
चौरी चोरा,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **574** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **BL-3/6** से. **13** क्षे. **979.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	338
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-37	रु0	960
योग (अ)	रु0	-37	रु0	1298

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	85
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	10769	रु0	196
योग (ब)	रु0	10769	रु0	281
महायोग (अ एवं ब)	रु0	10732	रु0	1579


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1077.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-5/B** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री सौरभ कृष्ण पुत्र श्री सुभाष
निवासी-मकान संख्या-172,
सेक्टर-15ए,
चंडीगढ़।

आवंटन पत्र संख्या **532** दिनांक **20.02.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-5/B** से. **13** क्षे. **3960.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 48
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	35590	रु0 750
योग (अ)	रु0	35590	रु0 798

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	4627	रु0 52
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	43560	रु0 792
योग (ब)	रु0	48187	रु0 844
महायोग (अ एवं ब)	रु0	83777	रु0 1642


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **4356.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-22** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती मंजू सिंह पत्नी श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह
निवासी-1139 आवास विकास कालोनी कूडाघाट,
पोस्ट आफिस-कूडाघाट,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **561** दिनांक **20.02.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-22** से. **13** क्षे. **360.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	28437	रु0 1430
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	34363	रु0 1070
योग (अ)	रु0	62800	रु0 2500

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	8164	रु0 164
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3960	रु0 72
योग (ब)	रु0	12124	रु0 236
महायोग (अ एवं ब)	रु0	74924	रु0 2736


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **396.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-17** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती बिन्दू जायसवाल पत्नी श्री संजय जायसवाल
निवासी-मोहल्ला-बसन्तपुर, थाना-राजघाट, पोस्ट आफिस-गीता
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **579** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-17** से. **13** क्षे. **916.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	12431	रु0 127
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	45385	रु0 587
योग (अ)	रु0	57816	रु0 714

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	7516	रु0 47
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	10076	रु0 183
योग (ब)	रु0	17592	रु0 230
महायोग (अ एवं ब)	रु0	75408	रु0 944


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1008.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-26&2** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स गोरखनाथ एग्रो इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 द्वारा श्री शेखर शर्मा एवं श्री
पुत्र स्व0 प्रकाश चन्द शर्मा, मकान संख्या-65 एक्स, पोस्ट-गीताप्रेस,
मिर्जापुर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **577** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-26&2** से. **13** क्षे. **2500.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 1
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	667	रु0 14
योग (अ)	रु0	667	रु0 15

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	69	रु0 1
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	27500	रु0 500
योग (ब)	रु0	27569	रु0 501
महायोग (अ एवं ब)	रु0	28236	रु0 516


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2750.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AL-19/D** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री हामिद अली पुत्र श्री हाफिज आबिद अली
निवासी-वार्ड संख्या-14, लूचई नगर पंचायत,
सहजनवाँ,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **578** दिनांक **02.03.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AL-19/D** से. **13** क्षे. **694.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	54685	214
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	66168	642
योग (अ)	रु0	120853	856

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	15711	56
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7634	139
योग (ब)	रु0	23345	195
महायोग (अ एवं ब)	रु0	144198	1051

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **763.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **BL-8A** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स स्वास्तिक प्लास्टिक्स द्वारा श्री नवीन रँगटा पुत्र श्री ओमप्रकाश
एवं श्रीमती रानी रँगटा पत्नी श्री नवीन रँगटा, निवासी-मकान
आवास विकास कालोनी, बेतियाहाता,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **581** दिनांक **25.11.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **BL-8A** से. **13** क्षे. **2251.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	54850	रु0 1726
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	139562	रु0 3150
योग (अ)	रु0	194412	रु0 4876

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	25274	रु0 320
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	24761	रु0 450
योग (ब)	रु0	50035	रु0 770
महायोग (अ एवं ब)	रु0	244447	रु0 5646


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2476.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **BL-8B** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री गौरीशंकर गुप्ता
निवासी-मकान संख्या 696-एल0आई0जी0-2,
विकास नगर कालोनी,
बरगदवाँ, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **582** दिनांक **25.11.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **BL-8B** से. **13** क्षे. **1485.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	107125	रु0 5313
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	137222	रु0 4189
योग (अ)	रु0	244347	रु0 9502

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	31765	रु0 623
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	16335	रु0 297
योग (ब)	रु0	48100	रु0 920
महायोग (अ एवं ब)	रु0	292447	रु0 10422


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1634.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AL-19/C** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स भोले बाबा नीलकण्ड फूड प्रोडक्ट्स (साझेदारी फर्म)
द्वारा श्री ओम प्रकाश एवं श्री सुशान्त अग्रहरी (साझेदार), 216,
मिर्जापुर, वार्ड नं.-41,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **583** दिनांक **25.11.2009** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AL-19/C** से. **13** क्षे. **645.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-363	रु0
योग (अ)	रु0	-363	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7095	रु0
योग (ब)	रु0	7095	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	6732	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **710.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/6C** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री पशुपतिनाथ गुप्ता पुत्र श्री बलदेव प्रसाद गुप्ता
निवासी-लाल डिग्गी चौक,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **4820000** दिनांक **02.09.2006** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/6C** से. **13** क्षे. **2363.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	149535	रु0 91
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	208394	रु0 831
योग (अ)	रु0	357929	रु0 922

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	46531	रु0 60
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	25993	रु0 473
योग (ब)	रु0	72524	रु0 533
महायोग (अ एवं ब)	रु0	430453	रु0 1455


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2599.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **BL-8B/1** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री सुभाष चन्द गुप्ता पुत्र श्री गौरी शंकर गुप्ता
निवासी-मकान संख्या-696, एल0आई0जी0-द्वितीय,
विकास नगर कालोनी,
बरगदवा, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **584** दिनांक **04.03.2010** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **BL-8B/1** से. **13** क्षे. **424.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	29597	रु0 1446
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	38720	रु0 1176
योग (अ)	रु0	68317	रु0 2622

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	8881	रु0 172
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4664	रु0 85
योग (ब)	रु0	13545	रु0 257
महायोग (अ एवं ब)	रु0	81862	रु0 2879


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **466.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AL-5** / से. **23** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स गैलेन्ट इस्पात लि0

द्वारा श्री चन्द्र प्रकाश अग्रवाल (प्रबन्ध निदेशक)

बरगदवा, विकास नगर,

गोरखपुर-273007

आवंटन पत्र संख्या **489** दिनांक **29.11.2006** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AL-5** से. **23** क्षे. **436411.** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (ब)	रु0	0	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	0	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **0.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AL-19A1** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स उड फैब्स द्वारा श्री एहसान करीम खा (साझेदार)
पुत्र स्व0 शब्बीर हसन खा, निवासी-मकान संख्या 0354बी, मू0-दिवान
हिमालय प्लाई के सामने,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **686** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AL-19A1** से. **13** क्षे. **1800.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 74
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	17456	रु0 1152
योग (अ)	रु0	17456	रु0 1226

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	2269	रु0 80
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	19800	रु0 1800
योग (ब)	रु0	22069	रु0 1880
महायोग (अ एवं ब)	रु0	39525	रु0 3106

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1980.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-18** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री बाकेश ओझा पुत्र श्री कान्त ओझा
निवासी-ग्राम-बेनुआटीकर,
पोस्ट-डवरपार,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **830** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-18** से. **13** क्षे. **775.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-782	रु0
योग (अ)	रु0	-782	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8525	रु0	775
योग (ब)	रु0	8525	रु0	775
महायोग (अ एवं ब)	रु0	7743	रु0	775

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **853.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/21B** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स जी0आर0वी0 साल्वेक्स प्रा0 लि0 द्वारा श्री एहसान करीम खाँ
पुत्र स्व0 शब्बीर हसन खाँ, निवासी-सी-153/9,
घोसीपुर, तिवारीपुर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **662** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/21B** से. **15** क्षे. **11805.0** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	20313	रु0 3645
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	235042	रु0 23610
योग (अ)	रु0	255355	रु0 27255

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	33196	रु0 1786
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	129855	रु0 11805
योग (ब)	रु0	163051	रु0 13591
महायोग (अ एवं ब)	रु0	418406	रु0 40846

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **12986.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-15** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती कालिन्दी देवी पत्नी श्री सुबाष यादव
निवासी-ग्राम-सूती,
पोस्ट-सूकरौली,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **735** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-15** से. **15** क्षे. **453.36** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 28
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4374	रु0 432
योग (अ)	रु0	4374	रु0 460

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	569	रु0 30
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4987	रु0 453
योग (ब)	रु0	5556	रु0 483
महायोग (अ एवं ब)	रु0	9930	रु0 943

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **499.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-1/3** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री हनुमान सिंह पुत्र श्री देवीदीन सिंह
निवासी-ग्राम-कालेसर,
पोस्ट-सहजनवाँ,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **594** दिनांक **06.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-1/3** से. **15** क्षे. **448.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-2136	रु0
योग (अ)	रु0	-2136	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4928	रु0
योग (ब)	रु0	4928	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2792	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **493.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. I-1 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स शान्ति कन्टेनर्स द्वारा श्री उत्सव गुप्ता (प्रोपराईटर) पुत्र श्री राज
निवासी-ए-3, रुस्तमपुर, टेलीफोन कालोनी के सामने,
अम्बिका सिंह गली, बड़गों,
गोरखपुर-273016

आवंटन पत्र संख्या **728** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **I-1** से. **15** क्षे. **700.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1848	रु0
योग (अ)	रु0	-1848	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7700	रु0
योग (ब)	रु0	7700	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5852	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **770.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **H-25** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी श्री पारसनाथ
निवासी-ग्राम-देवकली, पोस्ट-गोपालपुर,
तहसील-गोला,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **817** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **H-25** से. **15** क्षे. **714.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	774	151
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	13544	1260
योग (अ)	रु0	14318	1411

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1861	92
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7854	714
योग (ब)	रु0	9715	806
महायोग (अ एवं ब)	रु0	24033	2217

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **785.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. H-7 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री शिवशंकर सिंह कृशवाहा पुत्र श्री रामाशंकर सिंह कृशवाहा
निवासी-कमरुद्दीनपुर,
जिला-गाजीपुर।

आवंटन पत्र संख्या 805 दिनांक 24.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. H-7 से. 15 क्षे. 714.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	1656	रु0 317
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	13774	रु0 1424
योग (अ)	रु0	15430	रु0 1741

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	2006	रु0 114
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7854	रु0 714
योग (ब)	रु0	9860	रु0 828
महायोग (अ एवं ब)	रु0	25290	रु0 2569


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 785.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-18A** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स स्पलाईस प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0 द्वारा श्री आरिफ हसैन साबिर
(निदेशक) पुत्र स्व0 साबिर हसैन, नि0 म0सं0-22, सन्तहसैन नगर,
पोस्ट-पादरी बाजार, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **734** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-18A** से. **15** क्षे. **2200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	2974	रु0 606
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	45677	रु0 4555
योग (अ)	रु0	48651	रु0 5161

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	6325	रु0 338
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	24200	रु0 2200
योग (ब)	रु0	30525	रु0 2538
महायोग (अ एवं ब)	रु0	79176	रु0 7699


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2420.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-1A** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स आर०के० ऑक्सीजन (साझेदारी फर्म) द्वारा श्री रुहील जायसवाल,
कृशाग्र जायसवाल एवं शेखर पाण्डेय, निवासी-3/320,
विश्वास खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ, उ० प्र० 226010

आवंटन पत्र संख्या **831** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-1A** से. **15** क्षे. **1647.33** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु०	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-751	रु०	-85
योग (अ)	रु०	-751	रु०	-85

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु०	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	18121	रु०	1647
योग (ब)	रु०	18121	रु०	1647
महायोग (अ एवं ब)	रु०	17370	रु०	1562


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **1812.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **H-34** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स पल्स कम्प्यूटर्स एण्ड प्रिन्टिंग टेक्नोलाजी
द्वारा श्री राहुल सिंह (साझेदार) पुत्र श्री विजय प्रताप सिंह एवं श्रीमती
पत्नी श्री राहुल सिंह, निवासी-ए-1/1202, कृष्णा अर्पा
गार्डन, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद-201014

आवंटन पत्र संख्या **828** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **H-34** से. **15** क्षे. **714.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-682	रु0	-78
योग (अ)	रु0	-682	रु0	-78

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7854	रु0	714
योग (ब)	रु0	7854	रु0	714
महायोग (अ एवं ब)	रु0	7172	रु0	636


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **785.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-10** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती मीनू बंसल पत्नी श्री मनोज कुमार बंसल
निवासी-मकान संख्या-45, उत्तरी बेतियाहाता, कमिश्नर कम्पाउण्ड,
गोरखपुर, उ0 प्र0

आवंटन पत्र संख्या **673** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-10** से. **15** क्षे. **561.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेंट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	-3	रु0	-36
योग (अ)	रु0	-3	रु0	-36

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	6171	रु0	561
योग (ब)	रु0	6171	रु0	561
महायोग (अ एवं ब)	रु0	6168	रु0	525

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **617.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेंट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **I-14** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री अनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता
निवासी-ग्राम-अकूआपार,
कोदरी, सहजनवाँ,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **812** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **I-14** से. **15** क्षे. **700.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 45
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6279	रु0 698
योग (अ)	रु0	6279	रु0 743

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	816	रु0 49
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7700	रु0 700
योग (ब)	रु0	8516	रु0 749
महायोग (अ एवं ब)	रु0	14795	रु0 1492

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **770.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **I-24** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती कलावती गुप्ता पत्नी श्री विदुर गुप्ता
निवासी-ग्राम व पोस्ट-तेनुहारी (शुक्ला)
सहजनवौ, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **616** दिनांक **06.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **I-24** से. **15** क्षे. **525.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	-53
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-122	रु0	-378
योग (अ)	रु0	-122	रु0	-431

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5775	रु0	525
योग (ब)	रु0	5775	रु0	525
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5653	रु0	94

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **578.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-20** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती मनोरमा पाण्डेय पत्नी श्री धनन्जय पाण्डेय
ग्राम-बाँसपार,
पिपरौली बाजार,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **590** दिनांक **06.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-20** से. **15** क्षे. **116.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	565	रु0 85
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3440	रु0 316
योग (अ)	रु0	4005	रु0 401

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	521	रु0 26
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1276	रु0 116
योग (ब)	रु0	1797	रु0 142
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5802	रु0 543

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **128.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-11 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री गुलाब चन्द्र जायसवाल पुत्र श्री सोती जायसवाल
निवासी-विशुनपुर,
गोरखपुर 273403

आवंटन पत्र संख्या 766 दिनांक 24.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-11 से. 15 क्षे. 561.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	703	रु0 135
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	10133	रु0 1073
योग (अ)	रु0	10836	रु0 1208

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1409	रु0 79
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6171	रु0 561
योग (ब)	रु0	7580	रु0 640
महायोग (अ एवं ब)	रु0	18416	रु0 1848


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 617.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. I-15 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री सनूप कुमार साह पुत्र स्व० लक्ष्मी नारायण साह,
निवासी-साह बिल्डिंग रेती रोड,
माया बाजार, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 814 दिनांक 24.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. I-15 से. 15 क्षे. 525.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	1800	रु० 150
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	15161	रु० 1091
योग (अ)	रु०	16961	रु० 1241

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	2205	रु० 81
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	5775	रु० 525
योग (ब)	रु०	7980	रु० 606
महायोग (अ एवं ब)	रु०	24941	रु० 1847


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० 578.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. C-1 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स मॉ वैष्णव इण्डस्ट्रीज द्वारा श्री सूर्यभान (साझेदार)
पुत्र स्व० कन्हैया लाल, निवासी-ग्राम-कालेसर,
पोस्ट-सहजनवाँ,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 769 दिनांक 24.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. C-1 से. 15 क्षे. 474.21 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	3969	रु० 538
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	19512	रु० 1931
योग (अ)	रु०	23481	रु० 2469

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	3052	रु० 162
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	5216	रु० 474
योग (ब)	रु०	8268	रु० 636
महायोग (अ एवं ब)	रु०	31749	रु० 3105


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० 522.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-5** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री आफाक अहमद पुत्र श्री निसार अहमद,
निवासी-41, गाजीरौजा, हकमंजिल,
तहसील-सदर, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **822** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-5** से. **15** क्षे. **478.21** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 25
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3926	रु0 385
योग (अ)	रु0	3926	रु0 410

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	510	रु0 27
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5260	रु0 478
योग (ब)	रु0	5770	रु0 505
महायोग (अ एवं ब)	रु0	9696	रु0 915

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **526.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. E-26 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री अजय कुमार सिंह पुत्र श्री वशिष्ठ सिंह
निवासी-मकान संख्या-575क्यू, कन्या जूनियर हाई स्कूल के पास,
गीता वाटिका, शाहपुर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 937 दिनांक 01.03.2019 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. E-26 से. 15 क्षे. 999.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-5311	रु0
योग (अ)	रु0	-5311	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	10989	रु0
योग (ब)	रु0	10989	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5678	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 1099.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **H-3** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री गौरी शंकर यादव पुत्र स्व० रामपति यादव
निवासी-ग्राम-तेनुहारी वार्ड नं०-11,
सहजनवाँ, जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **825** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **H-3** से. **15** क्षे. **714.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-20	रु० -28
योग (अ)	रु०	-20	रु० -28

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	7854	रु० 714
योग (ब)	रु०	7854	रु० 714
महायोग (अ एवं ब)	रु०	7834	रु० 686

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **785.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **H-12** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह पुत्र स्व० उदयभान सिंह
निवासी-ग्राम-बड़ेरिया,
पोस्ट-महावीर छपरा,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **757** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **H-12** से. **15** क्षे. **714.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	310	रु० 258
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	8929	रु० 1328
योग (अ)	रु०	9239	रु० 1586

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	1023	रु० 104
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	7854	रु० 714
योग (ब)	रु०	8877	रु० 818
महायोग (अ एवं ब)	रु०	18116	रु० 2404


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **785.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **I-21** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री तहसीलदार सिंह, श्री धर्मेन्द्र सिंह, श्री रविश कुमार सिंह, एवं
श्री सुनील कुमार सिंह, निवासी-ग्राम-छितौना, पोस्ट बरौव
(सिकरीगंज)
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **832** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **I-21** से. **15** क्षे. **525.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	4376	रु0 176
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	21609	रु0 1172
योग (अ)	रु0	25985	रु0 1348

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	3378	रु0 88
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5775	रु0 525
योग (ब)	रु0	9153	रु0 613
महायोग (अ एवं ब)	रु0	35138	रु0 1961

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **578.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. H-20 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स गणेश फीड्स इण्डस्ट्रीज (साझेदारी फर्म)
द्वारा श्रीमती विमला (साझेदार) पत्नी श्री गणेश एवं श्रीमती उर्मिला सिंह
स्व0 राकेश सिंह, निवासी-ग्राम-नेवास, पोस्ट-बड़गहन,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 834 दिनांक 24.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. H-20 से. 15 क्षे. 714.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-659	रु0
योग (अ)	रु0	-659	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7854	रु0
योग (ब)	रु0	7854	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	7195	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 785.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. E-25 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री आशीष गुप्ता पुत्र श्री फूलचन्द गुप्ता
निवासी-मूहल्ला-मिर्जापुर,
पोस्ट-गीताप्रेस, थाना-राजघाट,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 698 दिनांक 09.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. E-25 से. 15 क्षे. 977.69 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0 0	रु0 53
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 8125	रु0 826
योग (अ)	रु0 8125	रु0 879

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0 1056	रु0 58
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 10755	रु0 978
योग (ब)	रु0 11811	रु0 1036
महायोग (अ एवं ब)	रु0 19936	रु0 1915


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 1076.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2/2** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री ओम प्रकाश पुत्र स्व० सुन्दर
निवासी-ग्राम व पोस्ट-डाड़ीखास,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **748** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2/2** से. **15** क्षे. **261.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु०	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-73	रु०	-9
योग (अ)	रु०	-73	रु०	-9

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु०	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	2871	रु०	261
योग (ब)	रु०	2871	रु०	261
महायोग (अ एवं ब)	रु०	2798	रु०	252


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **287.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/7** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स विन्ध्यवासिनी इण्डस्ट्रीज एलएलपी (साझेदारी फर्म)
द्वारा श्री संजय सिंह राजपूत (साझेदार) पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार सिंह,
पता-ई-10, हाइडिल कालोनी, मोहददीपुर, कूडाघाट,
जिला-गोरखपुर, उ० प्र० 273008

आवंटन पत्र संख्या **752** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/7** से. **15** क्षे. **4004.33** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	16374	रु० 2247
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	124300	रु० 11688
योग (अ)	रु०	140674	रु० 13935

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	18288	रु० 913
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	44048	रु० 4004
योग (ब)	रु०	62336	रु० 4917
महायोग (अ एवं ब)	रु०	203010	रु० 18852


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **4405.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **H-39** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री सैयद गुफरान अहमद पुत्र स्व० कमर अहमद
निवासी-305सी, दिवान बाजार,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **791** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **H-39** से. **15** क्षे. **674.76** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 41
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	6340	रु० 637
योग (अ)	रु०	6340	रु० 678

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	824	रु० 44
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	7422	रु० 675
योग (ब)	रु०	8246	रु० 719
महायोग (अ एवं ब)	रु०	14586	रु० 1397

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **742.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-24** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री सूरज प्रताप यादव पुत्र स्व0 रमाशंकर यादव
निवासी-ग्राम-भरसाड़, टोला, चिरैसाडाड,
पोस्ट-भरसाड़, जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **727** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-24** से. **15** क्षे. **520.27** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	458	रु0 146
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8988	रु0 1031
योग (अ)	रु0	9446	रु0 1177

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1228	रु0 77
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5723	रु0 520
योग (ब)	रु0	6951	रु0 597
महायोग (अ एवं ब)	रु0	16397	रु0 1774


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **572.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **H-23** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री प्रवीन कुमार यादव पुत्र श्री उदयरज यादव
निवासी-ग्राम-शहाबुद्दीनपुर,
पोस्ट-केराकत,
जिला-जौनपुर।

आवंटन पत्र संख्या **794** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **H-23** से. **15** क्षे. **714.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-23	रु0
योग (अ)	रु0	-23	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7854	रु0
योग (ब)	रु0	7854	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	7831	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **785.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-10** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स शिवा इण्डस्ट्रीज (साझेदारी फर्म)

निवासी-एच0 आई0जी0-09, तारामण्डल सिद्धार्थपुरम विस्तार,

सिद्धार्थ इन्वलेव,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **681** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-10** से. **15** क्षे. **4300.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	33757	रु0 4701
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	172000	रु0 17200
योग (अ)	रु0	205757	रु0 21901

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	26748	रु0 1435
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	47300	रु0 4300
योग (ब)	रु0	74048	रु0 5735
महायोग (अ एवं ब)	रु0	279805	रु0 27636


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **4730.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-19** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री आदर्श उपाध्याय पुत्र श्री सत्येन्द्र नाथ उपाध्याय
निवासी-ग्राम-डेबरी,
जिला-संत कबीर नगर।

आवंटन पत्र संख्या **773** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-19** से. **15** क्षे. **525.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	445	रु0 83
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8926	रु0 782
योग (अ)	रु0	9371	रु0 865

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1218	रु0 57
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5775	रु0 525
योग (ब)	रु0	6993	रु0 582
महायोग (अ एवं ब)	रु0	16364	रु0 1447


नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **578.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **E-9** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री बलवान सिंह पुत्र श्री दयाचन्द सिंह
निवासी-कूलसुम नगर,
लच्छीपुर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **712** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **E-9** से. **15** क्षे. **1926.28** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-700	रु0
योग (अ)	रु0	-700	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	21189	रु0
योग (ब)	रु0	21189	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	20489	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2119.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. E-21 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री भागीरथी यादव पुत्र श्री हीरा लाल यादव
निवासी-महादेव झारखण्डी, टुकड़ा नं०-1,
शिवपुर, कूड़ाघाट, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 741 दिनांक 24.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. E-21 से. 15 क्षे. 892.42 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	6	रु० 6717
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	9334	रु० 8497
योग (अ)	रु०	9340	रु० 15214

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	1214	रु० 997
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	9817	रु० 892
योग (ब)	रु०	11031	रु० 1889
महायोग (अ एवं ब)	रु०	20371	रु० 17103

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० 982.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-1/1 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स मॉ शाकम्भरी इण्टरप्राइजेज द्वारा श्री सुनील कुमार अग्रवाल
पुत्र श्री जय नारायण अग्रवाल (साझेदार), निवासी-सी-57, माधोपुर,
तिवारीपुर, थाना-तिवारीपुर, तहसील-सदर,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 687 दिनांक 09.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-1/1 से. 15 क्षेत्र 2257.50 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	1062	रु0 142
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	22078	रु0 2200
योग (अ)	रु0	23140	रु0 2342

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	3008	रु0 269
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	24833	रु0 2258
योग (ब)	रु0	27841	रु0 2527
महायोग (अ एवं ब)	रु0	50981	रु0 4869


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 2483.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-21** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री सुनील कुमार पुत्र श्री शिव नारायण
निवासी-म0न0562ए, दक्षिणी जटेपुर, पुलिस चौकी के पीछे,
पोस्ट-सदर,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **775** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-21** से. **15** क्षे. **524.63** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 11
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2351	रु0 170
योग (अ)	रु0	2351	रु0 181

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	306	रु0 12
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5771	रु0 525
योग (ब)	रु0	6077	रु0 537
महायोग (अ एवं ब)	रु0	8428	रु0 718


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **577.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-22** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री दयाराम यादव पुत्र श्री केशव प्रसाद यादव
निवासी-ग्राम-सूती, पोस्ट-सूकरौली सूती,
खजनी,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **700** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-22** से. **15** क्षे. **524.63** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	43
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3610	रु0	573
योग (अ)	रु0	3610	रु0	616

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	116	रु0	40
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5771	रु0	525
योग (ब)	रु0	5887	रु0	565
महायोग (अ एवं ब)	रु0	9497	रु0	1181

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **577.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-4/18A** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स नेमानी प्लाईवुड प्रा0 लि0

द्वारा श्री संजीव कुमार नेमानी (निदेशक) पुत्र श्री कैलाश कुमार नेमानी,
निवासी-5, आवास विकास कालोनी, बेतियाहाता पूर्वी,
गोरखपुर, उ0 प्र0 273001

आवंटन पत्र संख्या **706** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-4/18A** से. **13** क्षे. **5128.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 3
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-3658	रु0 114
योग (अ)	रु0	-3658	रु0 117

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0 8
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	56408	रु0 5128
योग (ब)	रु0	56408	रु0 5136
महायोग (अ एवं ब)	रु0	52750	रु0 5253


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **5641.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. B-17 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री अमरजीत विश्वकर्मा पुत्र श्री रामराज विश्वकर्मा
निवासी-ग्राम-उन्नौली, पोस्ट-झरकटा,
तहसील-गोला,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 695 दिनांक 09.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. B-17 से. 15 क्षे. 199.24 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-227	रु0	-58
योग (अ)	रु0	-227	रु0	-58

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2192	रु0	199
योग (ब)	रु0	2192	रु0	199
महायोग (अ एवं ब)	रु0	1965	रु0	141


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 219.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. C-1/1 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री हरिहर सिंह पुत्र स्व० राम नरेश सिंह
निवासी-ग्राम-नेवास,
पोस्ट-बड़गहन,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 608 दिनांक 06.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. C-1/1 से. 15 क्षे. 412.50 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0 0	रु0 2
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 131	रु0 47
योग (अ)	रु0 131	रु0 49

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0 13	रु0 3
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 4538	रु0 413
योग (ब)	रु0 4551	रु0 416
महायोग (अ एवं ब)	रु0 4682	रु0 465


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 454.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-5** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स इस्टर्न डोर्स द्वारा श्री एहसान करीम खान (निदेशक) पुत्र स्व०
निवासी-मकान संख्या-0354बी, मू०-दिवान बाजार, हिमालय प्लाई के
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **632** दिनांक **06.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-5** से. **15** क्षे. **11592.0** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	13992	रु० 3119
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	231578	रु० 23648
योग (अ)	रु०	245570	रु० 26767

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	31924	रु० 1754
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	127512	रु० 11592
योग (ब)	रु०	159436	रु० 13346
महायोग (अ एवं ब)	रु०	405006	रु० 40113


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **12751.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-1/5** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री सचिन्द्र बहादुर सिंह पुत्र श्री वृन्दावन सिंह
निवासी-मकान संख्या-200ए,
रामलीला मैदान के उत्तर तरफ,
पुराना गोरखपुर, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **597** दिनांक **06.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-1/5** से. **15** क्षे. **347.13** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	2006	रु0 232
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	10067	रु0 1041
योग (अ)	रु0	12073	रु0 1273

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1569	रु0 83
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3818	रु0 347
योग (ब)	रु0	5387	रु0 430
महायोग (अ एवं ब)	रु0	17460	रु0 1703

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **382.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-1/8** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम दयाल भगत
निवासी-ग्राम-प्रैनी, पोस्ट-रामपुर ब्रजूरग,
जिला-देवरिया।

आवंटन पत्र संख्या **674** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-1/8** से. **15** क्षे. **387.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-17	रु0
योग (अ)	रु0	-17	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4257	रु0
योग (ब)	रु0	4257	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4240	रु0
			387


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **426.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. E-18 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती शालिनी सिंह पत्नी श्री संदीप सिंह
निवासी-245, मदरसा चौराहा, उर्दू बाजार,
शेषपुर,
जनपद-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 756 दिनांक 24.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. E-18 से. 15 क्षे. 828.59 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	1103	रु0 181
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	17118	रु0 1491
योग (अ)	रु0	18221	रु0 1672

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	2369	रु0 110
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	9114	रु0 829
योग (ब)	रु0	11483	रु0 939
महायोग (अ एवं ब)	रु0	29704	रु0 2611


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 911.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-16** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती रईसा पत्नी श्री एजाज अहमद
निवासी-मूहल्ला-252, बक्शीपुर, नियर एक मिनार मस्जिद,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **770** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-16** से. **15** क्षे. **199.24** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	12
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-165	रु0	193
योग (अ)	रु0	-165	रु0	205

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	17
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2192	रु0	199
योग (ब)	रु0	2192	रु0	216
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2027	रु0	421

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **219.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. B-3 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती सोनमती पत्नी स्व० राम चरन यादव
निवासी-ग्राम-बड़सरी,
पोस्ट-सूमहा,
जिला-संतकबीर नगर।

आवंटन पत्र संख्या 802 दिनांक 24.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. B-3 से. 15 क्षे. 199.24 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	374	रु० 76
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	4498	रु० 472
योग (अ)	रु०	4872	रु० 548

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	633	रु० 36
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	2192	रु० 199
योग (ब)	रु०	2825	रु० 235
महायोग (अ एवं ब)	रु०	7697	रु० 783


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० 219.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-13** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती चन्द्रावती देवी पत्नी स्व० उमा प्रसाद गुप्ता
निवासी-ग्राम-गाहासाड़,
पोस्ट-सहजनवाँ,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **796** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-13** से. **15** क्षे. **199.24** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु०	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-233	रु०	-48
योग (अ)	रु०	-233	रु०	-48

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु०	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	2192	रु०	199
योग (ब)	रु०	2192	रु०	199
महायोग (अ एवं ब)	रु०	1959	रु०	151


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **219.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **H-18** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री रामानन्द साहनी पुत्र श्री सागर प्रसाद
निवासी-ग्राम व पोस्ट-गाहासाड़,
सहजनवाँ,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **753** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **H-18** से. **15** क्षे. **714.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	25347	रु0 5378
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	50794	रु0 6802
योग (अ)	रु0	76141	रु0 12180

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	9898	रु0 798
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7854	रु0 714
योग (ब)	रु0	17752	रु0 1512
महायोग (अ एवं ब)	रु0	93893	रु0 13692

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **785.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **E-29** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स बाबा इण्टरप्राइजेज

द्वारा श्रीमती अर्चना चौधरी (साझेदार) पत्नी श्री सुधीर गौतम,

निवासी-टी-1, वैष्णवी कृन्ज, 141डी ब्लाक, पनकी,

जिला-कानपुर।

आवंटन पत्र संख्या **742** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **E-29** से. **15** क्षे. **1444.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	19512	रु0 10875
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	71404	रु0 13756
योग (अ)	रु0	90916	रु0 24631

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	11819	रु0 1614
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	15884	रु0 1444
योग (ब)	रु0	27703	रु0 3058
महायोग (अ एवं ब)	रु0	118619	रु0 27689


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1588.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. K-10 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री विजय कुमार अग्रवाल पुत्र स्व० माधव प्रसाद अग्रवाल
निवासी-264, दीवान बाजार, पोस्ट आफिस गली,
गोरखपुर 273001

आवंटन पत्र संख्या 836 दिनांक 24.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. K-10 से. 15 क्षे. 830.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-432	रु० -265
योग (अ)	रु०	-432	रु० -265

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	9130	रु० 830
योग (ब)	रु०	9130	रु० 830
महायोग (अ एवं ब)	रु०	8698	रु० 565

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० 913.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **F-3** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स पी0सी0 इण्डिया प्रा0 लि0
द्वारा श्री परमानन्द चन्द पुत्र श्री ज्ञानेन्द्र चन्द
निवासी-सी/139/79, 33-कसया रोड,
बेतियाहाता, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **653** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **F-3** से. **15** क्षे. **4418.74** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	529	रु0 1650
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	48408	रु0 4665
योग (अ)	रु0	48937	रु0 6315

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	6083	रु0 414
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	48606	रु0 4419
योग (ब)	रु0	54689	रु0 4833
महायोग (अ एवं ब)	रु0	103626	रु0 11148


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **4861.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-21** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती कौशिल्या देवी पत्नी स्व० राजमन
निवासी-गंगा टोला, बशारतपुर,
मकान संख्या-701डी, पोस्ट-आरोग्य मंदिर,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **777** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-21** से. **15** क्षे. **4140.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	146972	रु० 31178
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	294518	रु० 39438
योग (अ)	रु०	441490	रु० 70616

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	57394	रु० 4628
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	45540	रु० 4140
योग (ब)	रु०	102934	रु० 8768
महायोग (अ एवं ब)	रु०	544424	रु० 79384


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **4554.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **E-23** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री अजय कुमार पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता
निवासी-मकान संख्या 201,,
मोहल्ला-घासीकटरा, थाना-तिवारीपुर,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **663** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **E-23** से. **15** क्षे. **935.13** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	33506	रु0 7099
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	66756	रु0 8945
योग (अ)	रु0	100262	रु0 16044

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	13034	रु0 1051
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	10286	रु0 935
योग (ब)	रु0	23320	रु0 1986
महायोग (अ एवं ब)	रु0	123582	रु0 18030


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1029.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-30** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स नाईन प्रा0 लि0 द्वारा श्री अमर तुलस्यान (निदेशक) पुत्र स्व0 कृष्ण
निवासी-801, बसन्त इंकलेव, राजेन्द्र नगर (पूर्वी),
लच्छीपुर, गोरखपुर-273015

आवंटन पत्र संख्या **621** दिनांक **06.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-30** से. **15** क्षे. **12126.0** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-972	रु0 -113
योग (अ)	रु0	-972	रु0 -113

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	133386	रु0 12126
योग (ब)	रु0	133386	रु0 12126
महायोग (अ एवं ब)	रु0	132414	रु0 12013

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **13339.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **G-3** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स श्रीनवीन इंडिया एफएमसीजी ब्रांड्स प्रा0 लि0
द्वारा श्रीमती उपमा अग्रवाल (निदेशक) पत्नी श्री नवीन अग्रवाल,
तहसील-सदर, थाना-कैन्ट, गोलघर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **620** दिनांक **06.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **G-3** से. **15** क्षे. **6000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-325	रु0
योग (अ)	रु0	-325	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	66000	रु0
योग (ब)	रु0	66000	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	65675	रु0

नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **6600.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-15** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री बिरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र स्व० सुबेदार शर्मा
निवासी-मुहल्ला-गड़ेडिया टोला, कृष्णा नगर,
रेलवे कालोनी के पास, पोस्ट-बशरतपुर,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **928** दिनांक **01.03.2019** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-15** से. **15** क्षे. **116.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु०	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-85	रु०	-42
योग (अ)	रु०	-85	रु०	-42

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु०	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	1276	रु०	116
योग (ब)	रु०	1276	रु०	116
महायोग (अ एवं ब)	रु०	1191	रु०	74

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **128.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/24B** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री राधेश्याम जायसवाल पुत्र स्व० राम दलारे जायसवाल
निवासी-प्राईमरी स्कूल के पास, लूचई वार्ड नं.-15
सहजनवाँ,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **933** दिनांक **01.03.2019** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/24B** से. **13** क्षे. **298.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-340	रु० -1529
योग (अ)	रु०	-340	रु० -1529

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	3278	रु० 298
योग (ब)	रु०	3278	रु० 298
महायोग (अ एवं ब)	रु०	2938	रु० -1231

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **328.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-2** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री गोरखनाथ यादव पुत्र स्व० राम अधारे यादव
निवासी-ग्राम-नचनी, पोस्ट-रिठुआखोर,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **840** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-2** से. **15** क्षे. **199.24** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेंट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु०	-7	रु० -1
योग (अ)	रु०	-7	रु० -1

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु०	2192	रु० 199
योग (ब)	रु०	2192	रु० 199
महायोग (अ एवं ब)	रु०	2185	रु० 198

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **219.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेंट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. A-6 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स एसआर उसोसियेट (साझेदारी फर्म) द्वारा श्रीमती मीनाक्षी गोयल
(साझेदार) पुत्री श्री ओम प्रकाश नाथानी, निवासी-8, आवास विकास
बेतियाहाता पूर्वी, तहसील-सदर,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 603 दिनांक 06.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. A-6 से. 15 क्षे. 4488.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 265
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	44463	रु0 4112
योग (अ)	रु0	44463	रु0 4377

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	5780	रु0 287
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	49368	रु0 4488
योग (ब)	रु0	55148	रु0 4775
महायोग (अ एवं ब)	रु0	99611	रु0 9152


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 4937.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-11** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री विनय नारायण शुक्ल पुत्र श्री राज नारायण शुक्ल
निवासी-मकान संख्या-13सी,
साकेत नगर शिवपुरी न्यू कालोनी,
महई सुधरपुर, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **725** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-11** से. **15** क्षे. **2275.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	3569	रु0 482
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	40661	रु0 4016
योग (अ)	रु0	44230	रु0 4498

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	5750	रु0 295
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	25025	रु0 2275
योग (ब)	रु0	30775	रु0 2570
महायोग (अ एवं ब)	रु0	75005	रु0 7068


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2503.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **H-26** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

**मैसर्स एम0पी0 स्टील (साझेदारी फर्म) द्वारा श्रीमती मनोरमा सिंह
एवं डा0 पूजा सिंह (साझेदार) पत्नी डा0 विजय प्रताप सिंह
पता-अमहिया, जंगल गोरी नं.-2, उर्फ अमहिया,
गोरखपुर।**

आवंटन पत्र संख्या **747** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **H-26** से. **15** क्षे. **714.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-2573	रु0
योग (अ)	रु0	-2573	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7854	रु0
योग (ब)	रु0	7854	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5281	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **785.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/3** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री राजू गुप्ता पुत्र श्री उमाशंकर गुप्ता
निवासी-डोहरिया बाजार,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **610** दिनांक **06.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/3** से. **15** क्षे. **2175.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	23925	रु0	2175
योग (ब)	रु0	23925	रु0	2175
महायोग (अ एवं ब)	रु0	23925	रु0	2175

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2393.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-3** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री कमल यादव पुत्र श्री रामपति यादव
निवासी-ग्राम-मल्हीपुर,
पोस्ट-पिपरौली बाजार,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **759** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-3** से. **15** क्षे. **474.21** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	16832	रु0 3569
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	33735	रु0 4515
योग (अ)	रु0	50567	रु0 8084

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	6574	रु0 530
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5216	रु0 474
योग (ब)	रु0	11790	रु0 1004
महायोग (अ एवं ब)	रु0	62357	रु0 9088


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **522.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-10** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री के० डी० प्रसाद
निवासी-सुरत सदन-1,
अलहदादपुर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **659** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-10** से. **15** क्षे. **116.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	186	31
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	2544	235
योग (अ)	रु०	2730	266

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	355	17
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	1276	116
योग (ब)	रु०	1631	133
महायोग (अ एवं ब)	रु०	4361	399

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **128.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. I-10 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती रम्भा देवी पत्नी श्री ध्रुव मोर्य
निवासी-132/8, सेक्टर-13,
सहजनवाँ,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 654 दिनांक 09.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. I-10 से. 15 क्षे. 525.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	516	रु0
योग (अ)	रु0	516	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	51	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5775	रु0
योग (ब)	रु0	5826	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	6342	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 578.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **H-13** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री मनीष कुमार पुत्र श्री महेश कुमार
निवासी-भूखण्ड संख्या-डी-37,
फेज-1, औद्योगिक एरिया,
मोहाली, पंजाब-160055

आवंटन पत्र संख्या **699** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **H-13** से. **15** क्षे. **714.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	25582	रु0 5422
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	50970	रु0 6831
योग (अ)	रु0	76552	रु0 12253

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	9952	रु0 803
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7854	रु0 714
योग (ब)	रु0	17806	रु0 1517
महायोग (अ एवं ब)	रु0	94358	रु0 13770


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **785.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. B-2/1 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री भैरव प्रसाद विश्वकर्मा पुत्र श्री रामलाल
निवासी-ग्राम-बसन्तपुर, पोस्ट-देईडिहा,
तहसील-गोला बाजार,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 730 दिनांक 09.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. B-2/1 से. 15 क्षे. 261.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	45	रु0 31
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2606	रु0 311
योग (अ)	रु0	2651	रु0 342

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	345	रु0 22
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2871	रु0 261
योग (ब)	रु0	3216	रु0 283
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5867	रु0 625


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 287.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/5** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स गीता टेक्सटाईल प्राईवेट लिमिटेड द्वारा
श्री सौरभ जालान (निदेशक) पुत्र श्री माधव प्रसाद जालान,
निवासी-साहबगंज, गोरखपुर,
उ० प्र०

आवंटन पत्र संख्या **684** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/5** से. **15** क्षे. **2093.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-1175	रु० -424
योग (अ)	रु०	-1175	रु० -424

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	23029	रु० 2094
योग (ब)	रु०	23029	रु० 2094
महायोग (अ एवं ब)	रु०	21854	रु० 1670

नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **2303.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ० प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-30** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री रवि प्रताप सिंह पुत्र श्री शंखधारी सिंह
निवासी-ग्राम-वेलवाडाड़ी,
पोस्ट-गाडर, खजनी,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **934** दिनांक **01.03.2019** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-30** से. **13** क्षे. **690.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 37
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6884	रु0 581
योग (अ)	रु0	6884	रु0 618

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	895	रु0 41
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7590	रु0 690
योग (ब)	रु0	8485	रु0 731
महायोग (अ एवं ब)	रु0	15369	रु0 1349


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **759.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. C-11 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री देवेन्द्र कुमार मिश्र पुत्र श्री सूर्यप्रकाश मिश्र
निवासी-ग्राम-रमवापुर मिश्र, पोस्ट-सेखई उर्फ कोटिया, सेखई,
संत कबीर नगर-272270

आवंटन पत्र संख्या 740 दिनांक 24.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. C-11 से. 15 क्षे. 116.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0 0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 159	रु0 11
योग (अ)	रु0 159	रु0 11

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0 16	रु0 1
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 1276	रु0 116
योग (ब)	रु0 1292	रु0 117
महायोग (अ एवं ब)	रु0 1451	रु0 128


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 128.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **G-2** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री अमृत जैसवाल पुत्र श्री अशोक कुमार जैसवाल
निवासी-0102जी, अशोका स्टील ट्यूब्स,
बरगदवों (सोनौली रोड)
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **637** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **G-2** से. **15** क्षे. **6833.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-177	रु0	0
योग (अ)	रु0	-177	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	75163	रु0	6833
योग (ब)	रु0	75163	रु0	6833
महायोग (अ एवं ब)	रु0	74986	रु0	6833


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **7516.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. A-12 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स क्लासिक फर्नीचर (साझेदारी फर्म) द्वारा श्री रामप्रकाश दूबे पुत्र
एवं श्री रामकृपाल प्रजापति पुत्र श्री राजमंगल प्रजापति, निवासी-4/55,
सहारा स्टेट, थाना-खोराबार,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 693 दिनांक 09.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. A-12 से. 15 क्षे. 3940.50 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	141190	रु0 29928
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	281298	रु0 37704
योग (अ)	रु0	422488	रु0 67632

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	54923	रु0 4432
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	43346	रु0 3941
योग (ब)	रु0	98269	रु0 8373
महायोग (अ एवं ब)	रु0	520757	रु0 76005


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 4335.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-7** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री प्रधुम्न शर्मा पुत्र श्री सुभाष चन्द्र शर्मा
निवासी-काजी कम्पनी स्टेशन रोड,
सिविल लाईन्स-2,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **762** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-7** से. **15** क्षे. **561.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	19917	रु0 4226
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	39909	रु0 5344
योग (अ)	रु0	59826	रु0 9570

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	7777	रु0 627
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6171	रु0 561
योग (ब)	रु0	13948	रु0 1188
महायोग (अ एवं ब)	रु0	73774	रु0 10758


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **617.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-1** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स स्पलाईस लेमिनेट प्रा0 लि0

द्वारा श्री फैजान अहमद (निदेशक) पुत्र स्व0 शब्बीर हसन खॉ,

निवासी-मकान नं. सी-153/9, घोसीपुर,

तिवारीपुर, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **660** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-1** से. **15** क्षे. **5360.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 236
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	43731	रु0 3667
योग (अ)	रु0	43731	रु0 3903

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	5685	रु0 1269
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	58960	रु0 5360
योग (ब)	रु0	64645	रु0 6629
महायोग (अ एवं ब)	रु0	108376	रु0 10532


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **5896.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. K-27 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स मंडेलाश्री इण्डस्ट्रीज द्वारा श्री सुमित रँगटा,
(निदेशक) पुत्र श्री शिव कुमार रँगटा, निवासी-फ्लैट नं.208, सर्राफ
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 656 दिनांक 09.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. K-27 से. 15 क्षे. 6000.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0 0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 0	रु0 0
योग (अ)	रु0 0	रु0 0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0 0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 66000	रु0 6000
योग (ब)	रु0 66000	रु0 6000
महायोग (अ एवं ब)	रु0 66000	रु0 6000


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 6600.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-19** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री जनार्दन पुत्र श्री विश्वनाथ
निवासी-ग्राम-एकला बाजार,
बाघागाड़ा, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **800** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-19** से. **13** क्षे. **586.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	10
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4706	रु0	162
योग (अ)	रु0	4706	रु0	172

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	612	रु0	11
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6446	रु0	586
योग (ब)	रु0	7058	रु0	597
महायोग (अ एवं ब)	रु0	11764	रु0	769


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **645.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **H-6** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती पूजा अग्रहरी पत्नी श्री विकास चन्द्र अग्रहरी
निवासी-मकान संख्या-139, ठाकूर नगर,
कैम्पियरगंज, जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **826** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **H-6** से. **15** क्षे. **714.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	53	रु0 56
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8243	रु0 797
योग (अ)	रु0	8296	रु0 853

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1078	रु0 56
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7854	रु0 714
योग (ब)	रु0	8932	रु0 770
महायोग (अ एवं ब)	रु0	17228	रु0 1623


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **785.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. H-16 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री पूर्णवासी सिंह पुत्र स्व० राम सुन्दर सिंह
निवासी-ग्राम व पोस्ट-भूसवल,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 718 दिनांक 09.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. H-16 से. 15 क्षे. 714.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-1356	रु० -6477
योग (अ)	रु०	-1356	रु० -6477

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	7854	रु० 714
योग (ब)	रु०	7854	रु० 714
महायोग (अ एवं ब)	रु०	6498	रु० -5763


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० 785.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-17 &** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती सुशीला तिवारी पत्नी श्री गिरिजा शंकर तिवारी
निवासी-सी/190/78,
बौसगाँव कालोनी, बिलन्दपुर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **723** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-17 &** से. **15** क्षे. **4150.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 254
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	40117	रु0 3934
योग (अ)	रु0	40117	रु0 4188

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	5215	रु0 274
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	45650	रु0 4150
योग (ब)	रु0	50865	रु0 4424
महायोग (अ एवं ब)	रु0	90982	रु0 8612


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **4565.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **I-4** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री सत्येन्द्र कुमार पुत्र श्री बसन्त
निवासी-382/ए, जटेपुर उत्तरी, शिव नगर कालोनी,
अल्युमिनियम फैक्ट्री के पीछे, बशारतपुर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **783** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **I-4** से. **15** क्षे. **525.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4229	रु0
योग (अ)	रु0	4229	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	550	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5775	रु0
योग (ब)	रु0	6325	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	10554	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **578.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. I-6 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री अमन राज पुत्र श्री रामाश्रय प्रसाद
निवासी-92 न्यू अभयनन्दन इण्टर कालेज के पीछे,
भेड़ियागढ़
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 799 दिनांक 24.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. I-6 से. 15 क्षे. 525.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	4378	रु0 455
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	21522	रु0 1866
योग (अ)	रु0	25900	रु0 2321

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	3367	रु0 152
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5775	रु0 525
योग (ब)	रु0	9142	रु0 677
महायोग (अ एवं ब)	रु0	35042	रु0 2998


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 578.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-1/11** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री दिनेश शाही पुत्र श्री नर्वदेश्वर शाही
निवासी-ए-85, बुद्ध बिहार फेज-2,
तारा मण्डल रोड, सिद्धार्थ इन्क्लेव,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **719** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-1/11** से. **15** क्षे. **1471.29** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 91
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-784	रु0 1419
योग (अ)	रु0	-784	रु0 1510

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0 99
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	16184	रु0 1471
योग (ब)	रु0	16184	रु0 1570
महायोग (अ एवं ब)	रु0	15400	रु0 3080


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1618.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. H-33 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री चौधरी कैफूलवारा पुत्र स्व० चौधरी मकबूल हसैन
निवासी-मकान संख्या-812, पुराना गोरखपुर,
थाना-गोरखनाथ,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 774 दिनांक 24.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. H-33 से. 15 क्षे. 714.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0 0	रु0 46
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 6288	रु0 714
योग (अ)	रु0 6288	रु0 760

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0 817	रु0 53
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 7854	रु0 714
योग (ब)	रु0 8671	रु0 767
महायोग (अ एवं ब)	रु0 14959	रु0 1527


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 785.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. F-7 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स मुस्कान इण्डस्ट्रीज द्वारा श्रीमती उमा अग्रवाल (निदेशक) पुत्री श्री
निवासी-204, सरार्फ रेजीडेन्सी, निकट प्रेमचन्द पार्क,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 639 दिनांक 09.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. F-7 से. 15 क्षे. 12143.5 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-301	रु0
योग (अ)	रु0	-301	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	133579	रु0
योग (ब)	रु0	133579	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	133279	रु0


नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 13358.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/27A** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स महेश इण्डस्ट्रीज (साझेदारी फर्म) द्वारा श्री महेश नंदन गुप्ता पुत्र
श्री माधव गुप्ता पुत्र स्व० नन्हे लाल गुप्ता एवं श्रीमती लीला देवी पत्नी
निवासी-केशवपुर, पोस्ट व तहसील-सहजनवाँ,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **931** दिनांक **01.03.2019** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/27A** से. **15** क्षे. **199.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	197	33
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	3621	303
योग (अ)	रु०	3818	336

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	496	22
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	2189	199
योग (ब)	रु०	2685	221
महायोग (अ एवं ब)	रु०	6503	557

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **219.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-2** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री सतीश चन्द्र शुक्ला पुत्र श्री ओम प्रकाश शुक्ला
निवासी-ग्राम-तेनुहारी (शुक्ल)
पोस्ट-सहजनवाँ
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **758** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-2** से. **15** क्षे. **561.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 15
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4140	रु0 230
योग (अ)	रु0	4140	रु0 245

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	538	रु0 16
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6171	रु0 561
योग (ब)	रु0	6709	रु0 577
महायोग (अ एवं ब)	रु0	10849	रु0 822

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **617.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **H-32** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री रमा शंकर चौहान पुत्र श्री लालता प्रसाद चौहान,
निवासी-185, भगवानपुर चौहान टोला, वार्ड-16, गोरखपुर,
फर्टिलाइजर फैक्ट्री,
उ0 प्र0-273007

आवंटन पत्र संख्या **607** दिनांक **06.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **H-32** से. **15** क्षे. **714.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	281	40
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6365	621
योग (अ)	रु0	6646	661

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	864	43
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7854	714
योग (ब)	रु0	8718	757
महायोग (अ एवं ब)	रु0	15364	1418


नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **785.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-12** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स श्री बालाजी कैटल फिड्स (साझेदारी फर्म) द्वारा श्री टूनाजी
एवं श्री बच्चा पाण्डेय पुत्रगण स्व० राधेश्याम पाण्डेय, निवासी-
ग्राम व पोस्ट-नेतवार (वाया-दोन), थाना-दरौली,
जिला-सीवान, बिहार।

आवंटन पत्र संख्या **781** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-12** से. **15** क्षे. **2072.80** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	9637	रु० 1196
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	61748	रु० 6148
योग (अ)	रु०	71385	रु० 7344

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	9280	रु० 481
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	22801	रु० 2073
योग (ब)	रु०	32081	रु० 2554
महायोग (अ एवं ब)	रु०	103466	रु० 9898

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **2280.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. H-37 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री दीपचन्द्र मौर्य पुत्र श्री बरसाती,
निवासी-ग्राम-देवराजपार ब्रजग,
पोस्ट-भरवटिया,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 793 दिनांक 24.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. H-37 से. 15 क्षे. 714.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	25347	रु0 5378
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	50794	रु0 6802
योग (अ)	रु0	76141	रु0 12180

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	9898	रु0 798
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7854	रु0 714
योग (ब)	रु0	17752	रु0 1512
महायोग (अ एवं ब)	रु0	93893	रु0 13692


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 785.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-6** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री सत्य प्रकाश त्रिपाठी पुत्र श्री विद्या त्रिपाठी,
निवासी-ग्राम-केशोपुर,
पोस्ट-सहजनवाँ,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **671** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-6** से. **15** क्षे. **561.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	20100	रु0 4260
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	40048	रु0 5367
योग (अ)	रु0	60148	रु0 9627

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	7819	रु0 631
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6171	रु0 561
योग (ब)	रु0	13990	रु0 1192
महायोग (अ एवं ब)	रु0	74138	रु0 10819


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **617.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **F-8** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स श्री कनक बिहारी इण्डस्ट्रीज द्वारा श्री केशव प्रसाद अग्रवाल
पुत्र स्व0 महावीर प्रसाद अग्रवाल, निवासी-नरायन कूटीर,
पार्क रोड,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **638** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **F-8** से. **15** क्षे. **12972.0** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 471
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	83724	रु0 7308
योग (अ)	रु0	83724	रु0 7779

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	10884	रु0 510
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	142692	रु0 12972
योग (ब)	रु0	153576	रु0 13482
महायोग (अ एवं ब)	रु0	237300	रु0 21261


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **14269.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **H-14** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती पूनम राय पत्नी श्री विनय कुमार राय
निवासी-340, शक्तिनगर कालोनी,
पोस्ट-नई शिवपुरी कालोनी,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **599** दिनांक **06.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **H-14** से. **15** क्षे. **714.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	1118	रु0 167
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	12810	रु0 1337
योग (अ)	रु0	13928	रु0 1504

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1811	रु0 99
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7854	रु0 714
योग (ब)	रु0	9665	रु0 813
महायोग (अ एवं ब)	रु0	23593	रु0 2317

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **785.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. H-42 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री राजल गुप्ता पुत्र श्री राजेश कुमार गुप्ता
निवासी-198, असकरगंज, वाच हाउस,
रेती का पुल, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 736 दिनांक 24.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. H-42 से. 15 क्षे. 892.50 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	2579	रु0 287
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	15459	रु0 1977
योग (अ)	रु0	18038	रु0 2264

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	2345	रु0 148
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	9818	रु0 893
योग (ब)	रु0	12163	रु0 1041
महायोग (अ एवं ब)	रु0	30201	रु0 3305

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 982.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-14** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री विजय नारायण यादव पुत्र श्री राम अधारे,
निवासी-ग्राम-नचनी,
तहसील-सहजनवाँ,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **930** दिनांक **01.03.2019** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-14** से. **15** क्षे. **199.24** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-247	रु0	-13
योग (अ)	रु0	-247	रु0	-13

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2192	रु0	199
योग (ब)	रु0	2192	रु0	199
महायोग (अ एवं ब)	रु0	1945	रु0	186


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **219.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. B-5 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री अशोक कुमार नायक पुत्र श्री चन्द्रभूषण प्रसाद नायक
निवासी-एल0आई0जी0-21, बुद्ध बिहार व्यवसायिक कालोनी,
तारामंडल रोड, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 749 दिनांक 24.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. B-5 से. 15 क्षे. 199.24 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	1759	रु0 1499
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	14173	रु0 1896
योग (अ)	रु0	15932	रु0 3395

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	2071	रु0 222
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2192	रु0 199
योग (ब)	रु0	4263	रु0 421
महायोग (अ एवं ब)	रु0	20195	रु0 3816


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 219.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. E-20 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री नवीन कुमार रूंगटा पुत्र श्री ओम प्रकाश रूंगटा
निवासी-मकान संख्या-30, आवास विकास कालोनी,
उत्तरी बेतियाहाता,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 936 दिनांक 01.03.2019 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. E-20 से. 15 क्षे. 871.14 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	6255	रु0 1322
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	33437	रु0 4217
योग (अ)	रु0	39692	रु0 5539

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	5160	रु0 363
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	9583	रु0 871
योग (ब)	रु0	14743	रु0 1234
महायोग (अ एवं ब)	रु0	54435	रु0 6773


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 958.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-8** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री आशीष कुमार सिंघानिया पुत्र श्री सुशील कुमार सिंघानिया,
निवासी-भगवती वस्त्र भण्डार,
पोस्ट-हाटा,
जिला-कूशीनगर।

आवंटन पत्र संख्या **665** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-8** से. **15** क्षे. **1000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0	0
योग (अ)	रु0	0	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11000	रु0	1000
योग (ब)	रु0	11000	रु0	1000
महायोग (अ एवं ब)	रु0	11000	रु0	1000


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-1/2 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री विरेन्द्र नाथ सिंह पुत्र श्री शिव नाथ सिंह
निवासी-मकान संख्या-196/ए,
बशारतपुर, शाहपुर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 650 दिनांक 09.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-1/2 से. 15 क्षे. 2216.50 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	11078	रु0 1387
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	66495	रु0 6651
योग (अ)	रु0	77573	रु0 8038

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	10084	रु0 527
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	24382	रु0 2217
योग (ब)	रु0	34466	रु0 2744
महायोग (अ एवं ब)	रु0	112039	रु0 10782


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 2438.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. K-9 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती दुर्गावती देवी पत्नी स्व० नेबूलाल
निवासी-मूहल्ला-शास्त्रीनगर,
थाना व पोस्ट-गोरखनाथ,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 664 दिनांक 09.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. K-9 से. 15 क्षे. 1000.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	895	रु० 44
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	9490	रु० 685
योग (अ)	रु०	10385	रु० 729

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	1350	रु० 148
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	11000	रु० 1000
योग (ब)	रु०	12350	रु० 1148
महायोग (अ एवं ब)	रु०	22735	रु० 1877


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० 1100.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-8** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री अनूप कुमार सिंह पुत्र श्री मेघनाथ सिंह
निवासी-ग्राम व पोस्ट-बरपरवाँ,
संत कबीर नगर।

आवंटन पत्र संख्या **716** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-8** से. **15** क्षे. **561.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	16430	रु0 171
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	40048	रु0 246
योग (अ)	रु0	56478	रु0 417

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	7342	रु0 27
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6171	रु0 561
योग (ब)	रु0	13513	रु0 588
महायोग (अ एवं ब)	रु0	69991	रु0 1005

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **617.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. K-13 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स द्वारकाभगत फूड इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0
द्वारा श्री आशीष अग्रवाल (निदेशक) पुत्र डा0 द्वारका प्रसाद,
निवासी-12-आवास विकास कालोनी,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 640 दिनांक 09.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. K-13 से. 15 क्षे. 1000.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	18550	रु0 2709
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	56000	रु0 6000
योग (अ)	रु0	74550	रु0 8709

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	9692	रु0 571
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11000	रु0 1000
योग (ब)	रु0	20692	रु0 1571
महायोग (अ एवं ब)	रु0	95242	रु0 10280


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 1100.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **H-24** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री हरविन्दर सिंह पुत्र श्री जोरा सिंह
निवासी-नाहर सिंह पंजाबी ढाबा, एन.एच.-28 चकिया,
भीटी रावत, तहसील एवं थाना-सहजनवाँ,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **613** दिनांक **06.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **H-24** से. **15** क्षे. **714.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	6749	रु0 1027
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	31108	रु0 3308
योग (अ)	रु0	37857	रु0 4335

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	4921	रु0 284
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7854	रु0 714
योग (ब)	रु0	12775	रु0 998
महायोग (अ एवं ब)	रु0	50632	रु0 5333


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **785.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-8/16** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री सुहेल अहमद पुत्र श्री नन्हे खान
निवासी-07 बक्शीपुर,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **790** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-8/16** से. **13** क्षे. **2150.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	23650	रु0	2150
योग (ब)	रु0	23650	रु0	2150
महायोग (अ एवं ब)	रु0	23650	रु0	2150


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2365.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-15A** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती स्नेहलता वर्मा पुत्री श्री दिग्विजय वर्मा
निवासी-ग्राम-परतिया,
पोस्ट-बखीरा,
संत कबीर नगर।

आवंटन पत्र संख्या **729** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-15A** से. **15** क्षे. **1000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 717
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	21388	रु0 6073
योग (अ)	रु0	21388	रु0 6790

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1691	रु0 445
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11000	रु0 1000
योग (ब)	रु0	12691	रु0 1445
महायोग (अ एवं ब)	रु0	34079	रु0 8235

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. H-8 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री सुरेन्द्र कुमार साह पुत्र स्व० लक्ष्मी नारायण साह
निवासी-मुहल्ला-मिया बाजार (दक्षिणी फाटक),
अम्बिका मैरेज के पीछे,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 795 दिनांक 24.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. H-8 से. 15 क्षे. 714.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	2708	रु० 147
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	21601	रु० 1234
योग (अ)	रु०	24309	रु० 1381

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	3160	रु० 91
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	7854	रु० 714
योग (ब)	रु०	11014	रु० 805
महायोग (अ एवं ब)	रु०	35323	रु० 2186


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० 785.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-4 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री महेश कृशवाहा पुत्र स्व० राम अवध भगत
निवासी-ग्राम व पोस्ट-खुखुन्द,
जिला-देवरिया।

आवंटन पत्र संख्या 746 दिनांक 24.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-4 से. 15 क्षे. 561.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0 0	रु0 36
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 5147	रु0 551
योग (अ)	रु0 5147	रु0 587

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0 669	रु0 38
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 6171	रु0 561
योग (ब)	रु0 6840	रु0 599
महायोग (अ एवं ब)	रु0 11987	रु0 1186


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 617.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/22C** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स कामनी राधेश्याम आई0टी0 फिल्म एण्ड टूरिज्म इण्डस्ट्रीज द्वारा
म गुप्ता, श्रीमती कामनी देवी गुप्ता पत्नी स्व0 राधेश्याम गुप्ता, श्रीमती
I, श्री राजम गुप्ता पुत्र श्री राजेश गुप्ता (साधेदारगण
निवासीगण-रेती का पुल, मू0-असकरगंज, कोतवाली, गो0

आवंटन पत्र संख्या **669** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/22C** से. **15** क्षे. **5443.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	9256	रु0 1437
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	101384	रु0 11001
योग (अ)	रु0	110640	रु0 12438

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	14383	रु0 815
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	59873	रु0 5443
योग (ब)	रु0	74256	रु0 6258
महायोग (अ एवं ब)	रु0	184896	रु0 18696

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **5987.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **H-11** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती अनुराधा गुप्ता पत्नी श्री विनोद कुमार गुप्ता
निवासी-86-एल, महर्षिसुधरपुर,
तहसील-गोरखपुर सदर,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **720** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **H-11** से. **15** क्षे. **714.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	10	रु0 22
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7281	रु0 347
योग (अ)	रु0	7291	रु0 369

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	948	रु0 24
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7854	रु0 714
योग (ब)	रु0	8802	रु0 738
महायोग (अ एवं ब)	रु0	16093	रु0 1107

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **785.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. I-17 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती किरन शर्मा पत्नी श्री कृष्ण कुमार,
निवासी-ग्राम-मुडेरा ब्रजग, पोस्ट-सोनूघाट मुडेरा ब्रजग,
जिला-देवरिया।

आवंटन पत्र संख्या 827 दिनांक 24.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. I-17 से. 15 क्षे. 525.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-667	रु0
योग (अ)	रु0	-667	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5775	रु0	525
योग (ब)	रु0	5775	रु0	525
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5108	रु0	424


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 578.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-1/7** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री सतेन्द्र कुमार विश्वकर्मा पुत्र श्री राधेश्याम विश्वकर्मा
निवासी-40बी, रामपुर गौनरिया,
पोस्ट-नारायणपुर, रामपुर,
देवरिया।

आवंटन पत्र संख्या **625** दिनांक **06.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-1/7** से. **15** क्षे. **374.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2521	रु0
योग (अ)	रु0	2521	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	50	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4114	रु0
योग (ब)	रु0	4164	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	6685	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **411.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-3** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री वृन्दावन सिंह
निवासी-मकान संख्या-200ए,
मानसरोवर, रामलीला मैदान,
गोरखनाथ, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **622** दिनांक **06.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-3** से. **15** क्षे. **561.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	855	रु0	349	
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	12084	रु0	1683	
योग (अ)	रु0	12939	रु0	2032	

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1682	रु0	133	
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6171	रु0	561	
योग (ब)	रु0	7853	रु0	694	
महायोग (अ एवं ब)	रु0	20792	रु0	2726	

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **617.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-18** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री उमेश विश्वकर्मा पुत्र श्री दयाराम विश्वकर्मा
निवासी-ग्राम-सैदपुर,
पोस्ट-अराजी अमानी,
आजमगढ़।

आवंटन पत्र संख्या **751** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-18** से. **15** क्षे. **199.24** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 37
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1935	रु0 326
योग (अ)	रु0	1935	रु0 363

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	252	रु0 24
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2192	रु0 199
योग (ब)	रु0	2444	रु0 223
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4379	रु0 586


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **219.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-23** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री बेचन सिंह पुत्र स्व० रामानन्द सिंह
निवासी-एम०आई०जी०-82ए,
सिद्धार्थ नगर इन्क्लेव, विस्तार तारामण्डल,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **679** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-23** से. **15** क्षे. **524.63** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	236	31
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	5242	475
योग (अ)	रु०	5478	506

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	712	59
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	5771	525
योग (ब)	रु०	6483	584
महायोग (अ एवं ब)	रु०	11961	1090

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **577.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **H-29** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री यूसूफ बहाव पुत्र श्री वहाब खॉ,
निवासी-मूहल्ला-दाउदचक, निकट शाही मस्जिद,
इलाहीबाग, पोस्ट-सदर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **707** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **H-29** से. **15** क्षे. **714.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	16983	रु0 2737
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	43840	रु0 4998
योग (अ)	रु0	60823	रु0 7735

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	7907	रु0 507
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7854	रु0 714
योग (ब)	रु0	15761	रु0 1221
महायोग (अ एवं ब)	रु0	76584	रु0 8956


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **785.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-1/4 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स गीता टेक्सटाईल प्रा0 लि0 द्वारा श्री सौरभ जालान (निदेशक)
पुत्र श्री माधव प्रसाद जालान, निवासी-साहबगंज,
गोरखपुर, उ0 प्र0।

आवंटन पत्र संख्या 675 दिनांक 09.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-1/4 से. 15 क्षे. 2135.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-836	रु0
योग (अ)	रु0	-836	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	23485	रु0
योग (ब)	रु0	23485	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	22649	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 2349.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-5** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स आर० के० एग्रोवेट फार्मास्यूटिकल्स (साझेदारी फर्म) द्वारा श्री
श्री भगवती सिंह एवं श्री राम सनेही सिंह पुत्र स्व० जोखन सिंह,
नि०-ग्राम-टिकरियाखोर, पोस्ट-चड़राव,
सहजनवाँ, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **606** दिनांक **06.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-5** से. **15** क्षे. **561.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-612	रु० -58
योग (अ)	रु०	-612	रु० -58

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	6171	रु० 561
योग (ब)	रु०	6171	रु० 561
महायोग (अ एवं ब)	रु०	5559	रु० 503


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **617.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-12** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री उमाशंकर गुप्ता पुत्र श्री कन्हैया गुप्ता
निवासी-ग्राम-कालेसर,
पोस्ट-सहजनवाँ,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **927** दिनांक **01.03.2019** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-12** से. **15** क्षे. **116.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 5
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1120	रु0 84
योग (अ)	रु0	1120	रु0 89

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	146	रु0 6
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1276	रु0 116
योग (ब)	रु0	1422	रु0 122
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2542	रु0 211

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **128.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **E-11** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स अमर हैचरी द्वारा श्री राजवीर सिंह पुत्र श्री भरत सिंह,
निवासी-शानपुर, तहसील-सफीदो,
जिला-जिन्द (हरियाणा)।

आवंटन पत्र संख्या **697** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **E-11** से. **15** क्षे. **1926.28** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	69019	रु0 348
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	137511	रु0 4356
योग (अ)	रु0	206530	रु0 4704

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	26849	रु0 308
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	21189	रु0 1926
योग (ब)	रु0	48038	रु0 2234
महायोग (अ एवं ब)	रु0	254568	रु0 6938


नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2119.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-22** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री राजा राम यादव पुत्र श्री केशव प्रसाद यादव,
निवासी-ग्राम-सूती, पोस्ट-सूकरौली,
तहसील-खजनी,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **601** दिनांक **06.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-22** से. **15** क्षे. **199.24** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	7153	रु0 1490
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	14232	रु0 1906
योग (अ)	रु0	21385	रु0 3396

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	2780	रु0 223
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2192	रु0 199
योग (ब)	रु0	4972	रु0 422
महायोग (अ एवं ब)	रु0	26357	रु0 3818

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **219.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-29** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स सक्षम एग्रो प्रा0 लि0

द्वारा श्री सौरभ अग्रवाल (निदेशक) पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार अग्रवाल

घोसियाना रुदौली,

फैजाबाद ।

आवंटन पत्र संख्या **704** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-29** से. **15** क्षे. **12400.0** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-8523	रु0
योग (अ)	रु0	-8523	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	136400	रु0
योग (ब)	रु0	136400	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	127877	रु0

नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **13640.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !



(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-25** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स श्रीकेशव राईस इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०
द्वारा श्री सुमित रूंगटा (निदेशक) पुत्र श्री शिव कुमार रूंगटा,
सर्राफ रेजीडेन्सी, बेतियाहाता,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **609** दिनांक **06.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-25** से. **15** क्षे. **6000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	0	रु० 0
योग (अ)	रु०	0	रु० 0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	66000	रु० 6000
योग (ब)	रु०	66000	रु० 6000
महायोग (अ एवं ब)	रु०	66000	रु० 6000


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **6600.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/2D** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री फयानाथ चन्द्र कौशिक पुत्र श्री बंशराज चन्द्र कौशिक
निवासी-ग्राम-मानोकिशनपुर खजूरीबाबू,
पोस्ट-खजूरीबाबू, तहसील-बोंसगौंव,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **624** दिनांक **06.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/2D** से. **13** क्षे. **1064.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-2824	रु0
योग (अ)	रु0	-2824	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11704	रु0
योग (ब)	रु0	11704	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	8880	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1170.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/22B** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स मॉ अम्बे इण्डस्ट्रीज (साझेदारी फर्म) द्वारा श्री धीरज कुमार गुप्ता
(साझेदार) पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता, निवासी-मकान संख्या 16,
ग्राम-भगौरा, थाना व तहसील-सहजनवाँ,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **694** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/22B** से. **15** क्षे. **1870.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	67002	रु0 14203
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	133492	रु0 17891
योग (अ)	रु0	200494	रु0 32094

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	26064	रु0 2103
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	20570	रु0 1870
योग (ब)	रु0	46634	रु0 3973
महायोग (अ एवं ब)	रु0	247128	रु0 36067


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2057.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. I-9 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री दिलीप शर्मा पुत्र श्री रामजी शर्मा
निवासी-मकान संख्या-342, ग्राम-चौरीचौरा झमरी खर्द,
थाना व तहसील-चौरीचौरा,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 689 दिनांक 09.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. I-9 से. 15 क्षे. 525.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	2217	रु0 299
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	15744	रु0 1543
योग (अ)	रु0	17961	रु0 1842

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	2335	रु0 121
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5775	रु0 525
योग (ब)	रु0	8110	रु0 646
महायोग (अ एवं ब)	रु0	26071	रु0 2488


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 578.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. C-1/2 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती अनिता सिंह पत्नी श्री अवधेश कुमार सिंह
निवासी-ग्राम-अटौली, पोस्ट-विमूटी,
बड़हलगंज,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 786 दिनांक 24.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. C-1/2 से. 15 क्षे. 412.50 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	614	रु0 13
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8756	रु0 200
योग (अ)	रु0	9370	रु0 213

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1218	रु0 14
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4538	रु0 413
योग (ब)	रु0	5756	रु0 427
महायोग (अ एवं ब)	रु0	15126	रु0 640


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 454.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **E-16** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती अंजू सिंह पत्नी श्री उपेन्द्र सिंह
निवासी-बी-3बी-4, राप्तीनगर फेज-2,
चरगावा, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **743** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **E-16** से. **15** क्षे. **786.14** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-858	रु0
योग (अ)	रु0	-858	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8648	रु0
योग (ब)	रु0	8648	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	7790	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **865.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **H-36** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती सुनीता सिंह पत्नी श्री धनन्जय कुमार सिंह
निवासी-ग्राम व पोस्ट-तेनुआ,
सहजनवाँ,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **708** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **H-36** से. **15** क्षे. **714.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	3007	रु0 379
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	21038	रु0 2016
योग (अ)	रु0	24045	रु0 2395

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	3126	रु0 157
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7854	रु0 714
योग (ब)	रु0	10980	रु0 871
महायोग (अ एवं ब)	रु0	35025	रु0 3266


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **785.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/22D** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स राधे श्याम इण्डस्ट्रीज द्वारा श्री नीरज लखमानी (साझेदार) पुत्र श्री
निवासी-ए-1, विकास नगर,
बरगदवा,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **939** दिनांक **01.03.2019** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/22D** से. **15** क्षे. **1822.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 106
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	15279	रु0 1645
योग (अ)	रु0	15279	रु0 1751

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1986	रु0 115
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	20042	रु0 1822
योग (ब)	रु0	22028	रु0 1937
महायोग (अ एवं ब)	रु0	37307	रु0 3688

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2004.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **H-15** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती प्रुष्पा निगम पत्नी श्री कौशल किशोर
निवासी-ग्राम व पोस्ट-पिपरौली बाजार,
थाना एवं तहसील-सहजनवाँ,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **619** दिनांक **06.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **H-15** से. **15** क्षे. **714.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	25630	रु0 5432
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	51005	रु0 6837
योग (अ)	रु0	76635	रु0 12269

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	9963	रु0 804
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7854	रु0 714
योग (ब)	रु0	17817	रु0 1518
महायोग (अ एवं ब)	रु0	94452	रु0 13787

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **785.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. I-5 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स रणधीर हेल्थ केयर प्रा0 लि0 द्वारा श्रीमती पूनम राव (निदेशक)

पत्नी श्री अनिल कुमार राव, निवासी-म0न0-38, धर्मचौरा,

भाटपार रानी,

देवरिया-274404

आवंटन पत्र संख्या 788 दिनांक 24.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. I-5 से. 15 क्षे. 525.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-211	रु0	-17
योग (अ)	रु0	-211	रु0	-17

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5775	रु0	525
योग (ब)	रु0	5775	रु0	525
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5564	रु0	508


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 578.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-15** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री दीपक कुमार प्रसाद पुत्र श्री हरिश्चन्द्र प्रसाद
निवासी-7/1, राप्तीनगर, फेज-4, पोस्ट-चरगाँवा,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **754** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-15** से. **15** क्षे. **199.24** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	22	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1770	रु0
योग (अ)	रु0	1792	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	233	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2192	रु0
योग (ब)	रु0	2425	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4217	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **219.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-19** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती यादव प्रेमलता रविकान्त पत्नी श्री रविकान्त
निवासी-ग्राम-बन्हैता, पोस्ट-भेउसा,
धखा बाजार,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **764** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-19** से. **15** क्षे. **199.24** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	347
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-721	रु0	977
योग (अ)	रु0	-721	रु0	1324

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	87
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2192	रु0	199
योग (ब)	रु0	2192	रु0	286
महायोग (अ एवं ब)	रु0	1471	रु0	1610


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **219.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **H-1** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री अमर बहादुर सिंह पुत्र श्री राज किशोर सिंह,
निवासी-ग्राम-अनई,
पोस्ट-बघौली, खलीलाबाद, तहसील-खलीलाबाद,
जिला-संत कबीर नगर।

आवंटन पत्र संख्या **692** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **H-1** से. **15** क्षे. **892.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	4444	रु0 622
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	26731	रु0 2673
योग (अ)	रु0	31175	रु0 3295

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	4053	रु0 216
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	9818	रु0 893
योग (ब)	रु0	13871	रु0 1109
महायोग (अ एवं ब)	रु0	45046	रु0 4404


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **982.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-28** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स श्री सूरभि इण्डस्ट्रीज (साझेदारी फर्म)
द्वारा श्री चैतन्य अग्रवाल (साझेदार) पुत्र श्री विनोद कुमार अग्रवाल एवं
पत्नी श्री चैतन्य अग्रवाल, निवासी-393/ए, हनुमान मंदिर
रोड, बेतियाहाता, गोरखपुर, उ0 प्र0 273001

आवंटन पत्र संख्या **649** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-28** से. **15** क्षे. **4000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	44000	रु0
योग (ब)	रु0	44000	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	44000	रु0


नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **4400.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-1 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री शिवम भारती पुत्र स्व० शम्भूशरण
निवासी-बोकटा, वार्ड नं०-6,
सहजनवाँ,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 592 दिनांक 06.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-1 से. 15 क्षे. 561.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	20138	रु० 4269
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	40075	रु० 5372
योग (अ)	रु०	60213	रु० 9641

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	7828	रु० 632
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	6171	रु० 561
योग (ब)	रु०	13999	रु० 1193
महायोग (अ एवं ब)	रु०	74212	रु० 10834


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० 617.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. E-27 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती सुशीला सिंह पत्नी श्री गोरख बहादुर सिंह
निवासी-124ए, हमायपुर उत्तरी,
गोरखपुर,
उत्तर प्रदेश

आवंटन पत्र संख्या 703 दिनांक 09.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. E-27 से. 15 क्षे. 1020.26 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 53
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	9141	रु0 817
योग (अ)	रु0	9141	रु0 870

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1188	रु0 57
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11223	रु0 1020
योग (ब)	रु0	12411	रु0 1077
महायोग (अ एवं ब)	रु0	21552	रु0 1947

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 1122.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/21A** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स नरायणी लेमिनेट्स प्राईवेट लि०

द्वारा श्री आकाश जालान (निदेशक) पुत्र श्री ओम प्रकाश जालान,

निवासी-603, सर्राफ रेजीडेन्सी,

बेतियाहाता, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **612** दिनांक **06.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/21A** से. **15** क्षे. **11772.0** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-436	रु० -48
योग (अ)	रु०	-436	रु० -48

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	129492	रु० 11772
योग (ब)	रु०	129492	रु० 11772
महायोग (अ एवं ब)	रु०	129056	रु० 11724


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **12949.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/24A** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती पत्नी देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह
पता-322 आर, राजेन्द्र नगर (पश्चिमी)
पोस्ट-गोरखनाथ,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **690** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/24A** से. **13** क्षे. **1376.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	49303	रु0 10447
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	98228	रु0 13164
योग (अ)	रु0	147531	रु0 23611

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	19179	रु0 1547
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	15136	रु0 1376
योग (ब)	रु0	34315	रु0 2923
महायोग (अ एवं ब)	रु0	181846	रु0 26534

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1514.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **E-12** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री सुरेश कुमार गोयल पुत्र स्व० बाबूलाल गोयल
निवासी-44-हरिओम नगर कालोनी,
सिविल लाइन्स, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **670** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **E-12** से. **15** क्षे. **1926.28** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	4303	रु० 0
योग (अ)	रु०	4303	रु० 0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	21189	रु० 1926
योग (ब)	रु०	21189	रु० 1926
महायोग (अ एवं ब)	रु०	25492	रु० 1926


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **2119.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. H-9 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स उत्कृष्टा अपरेल इंडिया (वन परसन कम्पनी) प्रा0 लि0 द्वारा श्री
पता-बी-149, सेक्टर-23, गीडा
गोरखपुर-273209,
यू0पी0

आवंटन पत्र संख्या 935 दिनांक 01.03.2019 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. H-9 से. 15 क्षे. 714.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-282	रु0
योग (अ)	रु0	-282	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7854	रु0
योग (ब)	रु0	7854	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	7572	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 785.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. H-28 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स जीएमबी स्टील प्रोडक्ट्स (साझेदारी फर्म) द्वारा श्री प्रखर अग्रवाल
श्री मधुसूदन अग्रवाल, नि०-123/387 निकट महात्मा गाँधी डिग्री
श्री कृनाल तुलस्यान (साझेदार) पुत्र श्री अजय तुलस्यान,
नि०-503, गोकूल कालोनी, निकट सावित्री हास्पिटल, गो०

आवंटन पत्र संख्या 717 दिनांक 09.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. H-28 से. 15 क्षे. 714.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	6399	रु० 960
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	30124	रु० 3153
योग (अ)	रु०	36523	रु० 4113

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	4748	रु० 270
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	7854	रु० 714
योग (ब)	रु०	12602	रु० 984
महायोग (अ एवं ब)	रु०	49125	रु० 5097


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० 785.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-20** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती सुनीता गर्ग पत्नी श्री चन्द्र प्रकाश गर्ग,
निवासी-ए-103, जेमिनी अपार्टमेन्ट,
नियर राधिका काम्पलेक्स,
बशारतपुर, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **648** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-20** से. **15** क्षे. **4692.24** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	5760	रु0 4166
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	94257	रु0 18837
योग (अ)	रु0	100017	रु0 23003

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	13002	रु0 1507
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	51615	रु0 4692
योग (ब)	रु0	64617	रु0 6199
महायोग (अ एवं ब)	रु0	164634	रु0 29202


नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **5162.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **E-10** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री राजेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व० शंकर प्रसाद गुप्ता
निवासी-रेती का पुल, अस्करगंज,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **682** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **E-10** से. **15** क्षे. **1926.28** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-3946	रु० -1498
योग (अ)	रु०	-3946	रु० -1498

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	21189	रु० 1926
योग (ब)	रु०	21189	रु० 1926
महायोग (अ एवं ब)	रु०	17243	रु० 428


नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **2119.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-13** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री सुभाष चन्द शर्मा पुत्र स्व० चन्द्र भूषण शर्मा
निवासी-काजी कम्पनी,
स्टेशन रोड, सिविल लाईन्स,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **798** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-13** से. **15** क्षे. **451.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	16029	रु० 3403
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	32120	रु० 4306
योग (अ)	रु०	48149	रु० 7709

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	6259	रु० 505
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	4967	रु० 452
योग (ब)	रु०	11226	रु० 957
महायोग (अ एवं ब)	रु०	59375	रु० 8666

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **497.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-1/4** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री दिलीप कुमार यादव
निवासी-वार्ड संख्या-10,
पिपरा, सहजनवाँ,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **808** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-1/4** से. **15** क्षे. **1023.81** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 26
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	9362	रु0 397
योग (अ)	रु0	9362	रु0 423

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1217	रु0 28
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11262	रु0 1024
योग (ब)	रु0	12479	रु0 1052
महायोग (अ एवं ब)	रु0	21841	रु0 1475


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1126.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-21** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री शमशाद आलम पुत्र श्री कबीर अहमद
निवासी-मोहल्ला-शाहमारुफ,
कोतवाली,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **614** दिनांक **06.06.2014** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-21** से. **15** क्षे. **199.24** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	7153	रु0 1514
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	14232	रु0 1906
योग (अ)	रु0	21385	रु0 3420

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	2780	रु0 224
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2192	रु0 199
योग (ब)	रु0	4972	रु0 423
महायोग (अ एवं ब)	रु0	26357	रु0 3843


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **219.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. K-16 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती श्वेता जायसवाल पत्नी श्री सुमीत जायसवाल
निवासी-ए-89, बुद्ध बिहार, तारा मण्डल,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 807 दिनांक 24.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. K-16 से. 15 क्षे. 3508.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0 0	रु0 4
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 1140	रु0 103
योग (अ)	रु0 1140	रु0 107

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0 115	रु0 7
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 38588	रु0 3508
योग (ब)	रु0 38703	रु0 3515
महायोग (अ एवं ब)	रु0 39843	रु0 3622


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 3859.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-10** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती शहोदरा देवी पत्नी श्री राम चन्द्र सिंह
निवासी-ग्राम-कोटवाँ टीकमपार,
पोस्ट-बिहार ब्रजूर, थाना-पटहेरवाँ,
जिला-कृशीनगर,

आवंटन पत्र संख्या **709** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-10** से. **15** क्षे. **199.24** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1715	रु0
योग (अ)	रु0	-1715	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2192	रु0
योग (ब)	रु0	2192	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	477	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **219.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-31** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स जागरण प्रकाशन लि०

द्वारा श्री सुनील कुमार लब्ध (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता), पंजीकृत कार्यालय

जागरण बिल्डिंग-2, सूर्योदय नगर,

कानपुर।

आवंटन पत्र संख्या **739** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-31** से. **15** क्षे. **8346.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु०	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-562	रु०	-890
योग (अ)	रु०	-562	रु०	-890

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु०	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	91806	रु०	8346
योग (ब)	रु०	91806	रु०	8346
महायोग (अ एवं ब)	रु०	91244	रु०	7456


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **9181.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-4** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री चन्द्रभूषण सिंह पुत्र श्री राम आधार सिंह
निवासी-मकान संख्या-156,
नयी बस्ती, वर्रा-2,
कानपुर।

आवंटन पत्र संख्या **721** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-4** से. **15** क्षे. **474.21** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	816	42
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	10654	534
योग (अ)	रु0	11470	576

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1491	38
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5216	474
योग (ब)	रु0	6707	512
महायोग (अ एवं ब)	रु0	18177	1088


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **522.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. E-7 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स फेथफूल कामर्शियल लि० द्वारा श्री सुमित रूंगटा (निदेशक) पुत्र
शिव कुमार रूंगटा, निवासी-फ्लैट नं०-182, सराफ रेजीडेन्सी,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 636 दिनांक 09.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. E-7 से. 15 क्षे. 1926.64 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	240	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	0	रु० 0
योग (अ)	रु०	240	रु० 0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	28	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	21193	रु० 1927
योग (ब)	रु०	21221	रु० 1927
महायोग (अ एवं ब)	रु०	21461	रु० 1927

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० 2119.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. A-11 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री अनूप कुमार गोयल पुत्र स्व० जगदीश प्रसाद अग्रवाल
निवासी-लाल डिग्गी पानी टंकी के सामने,
हनुमान गढ़ी, लाल डिग्गी,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 605 दिनांक 06.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. A-11 से. 15 क्षे. 4300.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-744	रु० -574
योग (अ)	रु०	-744	रु० -574

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	47300	रु० 4300
योग (ब)	रु०	47300	रु० 4300
महायोग (अ एवं ब)	रु०	46556	रु० 3726


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० 4730.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. E-15 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री सुबाष चन्द्र जायसवाल पुत्र स्व० बैजनाथ जायसवाल
निवासी-डी-3, सूरजकृण्ड,
गोरखनाथ,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 623 दिनांक 06.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. E-15 से. 15 क्षे. 1926.28 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	16	रु0 123
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	19427	रु0 1904
योग (अ)	रु0	19443	रु0 2027

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	2528	रु0 133
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	21189	रु0 1926
योग (ब)	रु0	23717	रु0 2059
महायोग (अ एवं ब)	रु0	43160	रु0 4086


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 2119.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-4** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

सर्स आदित्य मोटर प्राईवेट लिमिटेड
द्वारा श्री राजू कुमार जैसवाल (निदेशक) पुत्र स्व० भीम प्रसाद
निवासी-20/146, विजय सिनेमा रोड,
गरुलपुर, देवरिया।

आवंटन पत्र संख्या **713** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-4** से. **15** क्षे. **12028.5** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-711	रु० -141
योग (अ)	रु०	-711	रु० -141

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	132314	रु० 12029
योग (ब)	रु०	132314	रु० 12029
महायोग (अ एवं ब)	रु०	131603	रु० 11888


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **13231.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-2** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री गोपाल सिंह राजपूत पुत्र स्व० रामेश्वर सिंह
निवासी-मकान संख्या 533एन, गंगानगर,
शिवमंदिर के पास, पोस्ट-आरोग्य मंदिर,
बशारतपुर, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **768** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-2** से. **15** क्षे. **474.21** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु०	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-20	रु०	0
योग (अ)	रु०	-20	रु०	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु०	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	5216	रु०	474
योग (ब)	रु०	5216	रु०	474
महायोग (अ एवं ब)	रु०	5196	रु०	474

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **522.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-25** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री विनोद सिंह पुत्र श्री हरख चन्द सिंह
निवासी-वार्ड नं. 7,
केशोपुर, सहजनवाँ,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **715** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-25** से. **13** क्षे. **1050.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	7720	रु0 987
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	40740	रु0 3881
योग (अ)	रु0	48460	रु0 4868

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	6300	रु0 319
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11550	रु0 1050
योग (ब)	रु0	17850	रु0 1369
महायोग (अ एवं ब)	रु0	66310	रु0 6237


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1155.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-26** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री अमरदीप गोयल पुत्र श्री प्रदीप गोयल,
निवासी-बिलरिया की चूँगी,
आजमगढ़।

आवंटन पत्र संख्या **629** दिनांक **06.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-26** से. **15** क्षे. **6000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-568	रु0
योग (अ)	रु0	-568	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	66000	रु0
योग (ब)	रु0	66000	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	65432	रु0


नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **6600.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-12** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती शान्ति पाण्डेय पत्नी श्री राधेश्याम पाण्डेय
निवासी-ग्राम-बोंसपार,
पोस्ट-पिपरौली,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **589** दिनांक **06.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-12** से. **15** क्षे. **561.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	7766	रु0 1007
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	28050	रु0 2803
योग (अ)	रु0	35816	रु0 3810

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	4656	रु0 250
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6171	रु0 561
योग (ब)	रु0	10827	रु0 811
महायोग (अ एवं ब)	रु0	46643	रु0 4621


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **617.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती दीप्ति धर तिवारी पत्नी श्री श्रवण कुमार तिवारी,
निवासी-205 क्यू, महेवा, थाना-खोराबार,
तहसील-सदर,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **683** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4** से. **15** क्षे. **199.24** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1524	रु0
योग (अ)	रु0	-1524	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2192	रु0
योग (ब)	रु0	2192	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	668	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **219.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. H-41 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स बालाजी पेन्ट्स प्रोपराईटर श्री तरुण कुमार विरेन्द्र जैसवाल पुत्र
निवासी-बुग्लोव न जी-1, श्री काम्पलेक्स, बेलावली, बदलापुर वेस्ट,
बदलापुर, ढाणे,
महाराष्ट्र-421503

आवंटन पत्र संख्या 726 दिनांक 09.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. H-41 से. 15 क्षे. 714.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1108	रु0
योग (अ)	रु0	-1108	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7854	रु0
योग (ब)	रु0	7854	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	6746	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 785.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-14** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स एनडीएस इण्डस्ट्रीज (साझेदार फर्म)

द्वारा श्री निशान्त कुमार अग्रवाल एवं निखिल अग्रवाल पुत्रगण श्री

निवासी-2, वैष्णवपुरम, गैस गोदाम गली, पुर्दिलपुर,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **702** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-14** से. **15** क्षे. **1000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेंट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	11000	रु0	1000
योग (ब)	रु0	11000	रु0	1000
महायोग (अ एवं ब)	रु0	11000	रु0	1000


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेंट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. H-22 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री संतोष कुमार गुप्ता पुत्र श्री गुलाब चन्द्र गुप्ता
निवासी-3981, ओल्ड पुलिया रोड, कूँवर बस्ती, मानगो,
जमशेदपुर, पूर्वी सिंह भूमि,
झारखण्ड।

आवंटन पत्र संख्या 738 दिनांक 24.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. H-22 से. 15 क्षे. 714.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-714	रु0
योग (अ)	रु0	-714	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7854	रु0
योग (ब)	रु0	7854	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	7140	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 785.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. I-13 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती पूनम गुप्ता पत्नी श्री राजेश कुमार गुप्ता
निवासी-द्वारा वाच हाउस,
रेती का पुल (असगरगंज)
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 810 दिनांक 24.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. I-13 से. 15 क्षे. 700.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	2001	रु0 178
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11948	रु0 1389
योग (अ)	रु0	13949	रु0 1567

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1813	रु0 103
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7700	रु0 700
योग (ब)	रु0	9513	रु0 803
महायोग (अ एवं ब)	रु0	23462	रु0 2370


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 770.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. I-22 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री सुरेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र स्व० छेदीलाल तिवारी,
निवासी-एल0आई0जी0-472,
विकास नगर, बरगदवाँ,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 838 दिनांक 24.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. I-22 से. 15 क्षे. 700.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	1097	रु0 172
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	15044	रु0 1185
योग (अ)	रु0	16141	रु0 1357

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	2098	रु0 89
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7700	रु0 700
योग (ब)	रु0	9798	रु0 789
महायोग (अ एवं ब)	रु0	25939	रु0 2146


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 770.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/24C** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती संजू देवी पत्नी श्री रामभवन प्रजापति
निवासी-ग्राम-रामपुर (खाले टोला),
पोस्ट-मंसूरगंज,
जिला-महाराजगंज।

आवंटन पत्र संख्या **932** दिनांक **01.03.2019** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/24C** से. **13** क्षे. **256.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	1838	रु0 390
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	9826	रु0 1239
योग (अ)	रु0	11664	रु0 1629

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1516	रु0 107
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2816	रु0 256
योग (ब)	रु0	4332	रु0 363
महायोग (अ एवं ब)	रु0	15996	रु0 1992


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **282.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-20** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री मनोज कुमार पाण्डेय पुत्र श्री अवधेश कुमार पाण्डेय
निवासी-195सी-2-सी, ब्लॉक पाकेट-2,
जनकपुरी, दिल्ली।

आवंटन पत्र संख्या **596** दिनांक **06.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-20** से. **15** क्षे. **524.63** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	10010	रु0 1443
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	29691	रु0 3170
योग (अ)	रु0	39701	रु0 4613

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	5161	रु0 302
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5771	रु0 525
योग (ब)	रु0	10932	रु0 827
महायोग (अ एवं ब)	रु0	50633	रु0 5440


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **577.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. H-31 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती शकीला खान पत्नी श्री अल्लन खान
निवासी-97, खोखर टोला,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 617 दिनांक 06.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. H-31 से. 15 क्षे. 714.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 45
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6489	रु0 705
योग (अ)	रु0	6489	रु0 750

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	844	रु0 49
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7854	रु0 714
योग (ब)	रु0	8698	रु0 763
महायोग (अ एवं ब)	रु0	15187	रु0 1513


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 785.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-16** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती अनीता पत्नी श्री किसन मोहन
निवासी-ग्राम व पोस्ट-चरथरी,
जिला-सिद्धार्थनगर।

आवंटन पत्र संख्या **676** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-16** से. **15** क्षे. **116.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	146	रु0 882
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1151	रु0 1110
योग (अ)	रु0	1297	रु0 1992

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	169	रु0 131
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1276	रु0 116
योग (ब)	रु0	1445	रु0 247
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2742	रु0 2239

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **128.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-11** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री मुन्नी लाल विश्वकर्मा पुत्र श्री त्रिवेणी विश्वकर्मा
निवासी-ग्राम-चन्द्रौटी, पोस्ट-नोक्टा,
जमिरा, जिला-संत कबीर नगर।

आवंटन पत्र संख्या **929** दिनांक **01.03.2019** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-11** से. **15** क्षे. **199.24** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	28720	रु0 120
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5780	रु0 594
योग (अ)	रु0	34500	रु0 714

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	4485	रु0 47
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2192	रु0 199
योग (ब)	रु0	6677	रु0 246
महायोग (अ एवं ब)	रु0	41177	रु0 960


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **219.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **E-30** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री सागर गुप्ता पुत्र श्री शिवहरि प्रसाद
निवासी-मकान संख्या-718, बेतियाहाता दक्षिणी,
मुंशीप्रेमचन्द्र पार्क के पास, वार्ड नं.-33,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **630** दिनांक **06.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **E-30** से. **15** क्षे. **1482.54** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	4421	रु0 698
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	38663	रु0 3923
योग (अ)	रु0	43084	रु0 4621

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	5601	रु0 303
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	16308	रु0 1483
योग (ब)	रु0	21909	रु0 1786
महायोग (अ एवं ब)	रु0	64993	रु0 6407

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1631.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **E-28** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री विनोद कुमार गुप्ता पुत्र श्री बहादुर गुप्ता
पता-86एल, शक्ति नगर कालोनी, निकट एस0पी0एस0 अकाडमी,
महुई सुधरपुर, गड़गों,
गोरखपुर, उ0 प्र0-273016

आवंटन पत्र संख्या **611** दिनांक **06.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **E-28** से. **15** क्षे. **1041.35** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-2010	रु0
योग (अ)	रु0	-2010	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11455	रु0
योग (ब)	रु0	11455	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	9445	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1146.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-8** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स एस0एस0 प्लास्ट (साझादारी फर्म) द्वारा श्री सौरभ जालान
पुत्र श्री श्रवण कुमार जालान, निवासी-25-साकेत नगर,
लच्छीपुर, गोरखनाथ,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **667** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-8** से. **15** क्षे. **4730.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	13654	रु0 1010
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	80352	रु0 8381
योग (अ)	रु0	94006	रु0 9391

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	12221	रु0 615
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	52030	रु0 4730
योग (ब)	रु0	64251	रु0 5345
महायोग (अ एवं ब)	रु0	158257	रु0 14736


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **5203.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. H-2 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स प्रज्जवल इण्डस्ट्रीज (साझेदारी फर्म) द्वारा श्रीमती चन्द्रकला
(साझेदार) पुत्री श्री मंशा यादव, निवासी—महाराजगंज नियर शारदा
खण्ड-32, यूसूफपुर नेवादा,
जिला—आजमगढ़।

आवंटन पत्र संख्या 761 दिनांक 24.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. H-2 से. 15 क्षे. 714.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	25347	रु0 5378
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	50794	रु0 6802
योग (अ)	रु0	76141	रु0 12180

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	9898	रु0 798
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7854	रु0 714
योग (ब)	रु0	17752	रु0 1512
महायोग (अ एवं ब)	रु0	93893	रु0 13692

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 785.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-18** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री रविन्द्र हरिश्चन्द्र पटेल पुत्र श्री हरिश्चन्द्र पटेल
निवासी-ए-6, केशवबाग सिंगरवां, अहमदाबाद सिटी,
अहमदाबाद,
गुजरात 382430

आवंटन पत्र संख्या **602** दिनांक **06.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-18** से. **15** क्षे. **450.66** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	342	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	451	रु0 -1482
योग (अ)	रु0	793	रु0 -1482

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	89	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4957	रु0 451
योग (ब)	रु0	5046	रु0 451
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5839	रु0 -1031


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **496.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. H-40 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री संजय कुमार पुत्र श्री साहब
निवासी-165, ग्राम-नन्दना,
तहसील-बूढ़नपुर,
जिला-आजमगढ़।

आवंटन पत्र संख्या 644 दिनांक 09.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. H-40 से. 15 क्षे. 714.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	25582	रु0 5422
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	50970	रु0 6831
योग (अ)	रु0	76552	रु0 12253

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	9952	रु0 803
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7854	रु0 714
योग (ब)	रु0	17806	रु0 1517
महायोग (अ एवं ब)	रु0	94358	रु0 13770


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 785.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. H-19 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री विन्ध्याचल पुत्र श्री घाम् साह,
निवासी-माड़ापार उत्तर टोला,
माड़ापार,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 772 दिनांक 24.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. H-19 से. 15 क्षे. 714.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-688	रु0
योग (अ)	रु0	-688	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7854	रु0
योग (ब)	रु0	7854	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	7166	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 785.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/2E** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री प्रकाश मिश्रा पुत्र श्री ज्ञान दत्त मिश्रा
निवासी-ग्राम-पतरा,
पोस्ट-कोरारी, गोला बाजार,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **631** दिनांक **06.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/2E** से. **13** क्षे. **2862.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-314	रु0
योग (अ)	रु0	-314	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	31482	रु0
योग (ब)	रु0	31482	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	31168	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **3148.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **H-21** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री संजय कुमार सिंह पुत्र स्व० ओम प्रकाश सिंह,
निवासी-ग्राम-पिपरा टोला,
घनश्याम, सहजनवाँ,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **651** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **H-21** से. **15** क्षे. **714.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	943	49
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	5234	723
योग (अ)	रु०	6177	772

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	803	51
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	7854	714
योग (ब)	रु०	8657	765
महायोग (अ एवं ब)	रु०	14834	1537


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **785.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-9** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स राठी हेचरी प्रा0 लि0 द्वारा श्री विनोद कुमार राठी,
पुत्र श्री बलबीर सिंह, निवासी-ग्राम व पोस्ट-शानपुर,
तहसील-सफीदो,
जिला-जिन्द (हरियाणा)

आवंटन पत्र संख्या **635** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-9** से. **15** क्षे. **4300.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-127750	रु0
योग (अ)	रु0	-127750	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	42570	रु0
योग (ब)	रु0	42570	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	-85180	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **4257.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-14** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री सचिदानन्द पुत्र श्री जगरनाथ गुप्ता,
निवासी-बेतियाहाता साउथ, वर्गो,
गोरखपुर
उ० प्र० 273006

आवंटन पत्र संख्या **782** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-14** से. **15** क्षे. **450.98** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु०	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-226	रु०	-27
योग (अ)	रु०	-226	रु०	-27

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु०	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	4961	रु०	451
योग (ब)	रु०	4961	रु०	451
महायोग (अ एवं ब)	रु०	4735	रु०	424

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **496.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. H-17 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री नौशाद आलम पुत्र श्री शाहिद अली
निवासी-मूहल्ला-खूनीपुर, पानी की टंकी के पास,
पोस्ट-गीता प्रेस,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 829 दिनांक 24.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. H-17 से. 15 क्षे. 714.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	6073	रु0 884
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	29413	रु0 3018
योग (अ)	रु0	35486	रु0 3902

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	4613	रु0 256
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7854	रु0 714
योग (ब)	रु0	12467	रु0 970
महायोग (अ एवं ब)	रु0	47953	रु0 4872

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 785.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **BL-9A** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री सुरेश राजभर पुत्र श्री दयानन्द
निवासी-नरसिंहपुर,
पोस्ट-सदर,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **628** दिनांक **06.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **BL-9A** से. **13** क्षे. **538.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	19313	रु0 4092
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	38432	रु0 5152
योग (अ)	रु0	57745	रु0 9244

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	7507	रु0 606
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5918	रु0 538
योग (ब)	रु0	13425	रु0 1144
महायोग (अ एवं ब)	रु0	71170	रु0 10388


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **592.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-17** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री राकेश कुमार पुत्र श्री मखन लाल वर्मा
निवासी-ग्राम-खूटभार,
पोस्ट-खजनी,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **835** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-17** से. **15** क्षे. **450.98** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	131	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3925	रु0 -3536
योग (अ)	रु0	4056	रु0 -3536

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	527	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4961	रु0 451
योग (ब)	रु0	5488	रु0 451
महायोग (अ एवं ब)	रु0	9544	रु0 -3085

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **496.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/19&** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री दाता राम पुत्र श्री मान सिंह
निवासी-भूखण्ड संख्या-एफ.एल.-13,
सेक्टर संख्या-13, गीडा, सहजनवाँ,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **598** दिनांक **06.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/19&** से. **13** क्षे. **2039.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	73193	रु0 15251
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	145657	रु0 19524
योग (अ)	रु0	218850	रु0 34775

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	28451	रु0 2279
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	22429	रु0 2039
योग (ब)	रु0	50880	रु0 4318
महायोग (अ एवं ब)	रु0	269730	रु0 39093

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2243.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **E-24** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री श्यामसुन्दर शर्मा पुत्र श्री राम गोपाल शर्मा
निवासी-मकान संख्या-60, बेतियाहाता पूर्वी, आवास विकास कालोनी,
वार्ड नं.-33,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **672** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **E-24** से. **15** क्षे. **956.41** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	1182	रु0 157
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	19294	रु0 1451
योग (अ)	रु0	20476	रु0 1608

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	2662	रु0 105
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	10521	रु0 956
योग (ब)	रु0	13183	रु0 1061
महायोग (अ एवं ब)	रु0	33659	रु0 2669


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1052.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AL-19A** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती मेहरुनिशा पत्नी श्री शब्बीर हसन खॉ
निवासी-मूहल्ला-घोसीपुर,
निकट थाना-तिवारीपुर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **641** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AL-19A** से. **13** क्षे. **4150.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	2802	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	210000	रु0
योग (अ)	रु0	212802	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	25466	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	45650	रु0
योग (ब)	रु0	71116	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	283918	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **4565.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **H-27** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स मद्धेशिया इण्डस्ट्रीज (साझेदारी फर्म) द्वारा श्रीमती नर्वदा पत्नी श्री
एवं श्रीमती उषा देवी पत्नी श्री गोपाल, निवासी-देवकली,
थाना-गोला,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **787** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **H-27** से. **15** क्षे. **714.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-190	रु0
योग (अ)	रु0	-190	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7854	रु0
योग (ब)	रु0	7854	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	7664	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **785.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **E-8** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती रीतिका बदलानी पत्नी श्री रंजीत बदलानी
निवासी-मानसरोवर रोड,
रामलीला मैदान, गोरखनाथ,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **839** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **E-8** से. **15** क्षे. **1926.28** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	17	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	19509	रु0
योग (अ)	रु0	19526	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	2538	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	21189	रु0
योग (ब)	रु0	23727	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	43253	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2119.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **H-10** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती संध्या त्रिपाठी पत्नी श्री दिग्विजय नाथ त्रिपाठी,
निवासी-मकान संख्या एच0आई0जी0- 111/12, सिद्धार्थपुरम,
तारामण्डल रोड, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **842** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **H-10** से. **15** क्षे. **714.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	854	रु0 1622
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	14200	रु0 3942
योग (अ)	रु0	15054	रु0 5564

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1957	रु0 365
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7854	रु0 714
योग (ब)	रु0	9811	रु0 1079
महायोग (अ एवं ब)	रु0	24865	रु0 6643

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **785.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-1/6** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स किसान इण्डस्ट्रीज द्वारा श्री मोलई (साझेदार)
पुत्र श्री मल्लू, निवासी-ग्राम-बेलडाड,
पोस्ट-सरया तिवारी,
खजनी, जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **811** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-1/6** से. **15** क्षे. **360.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-100	रु0	-37
योग (अ)	रु0	-100	रु0	-37

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3960	रु0	360
योग (ब)	रु0	3960	रु0	360
महायोग (अ एवं ब)	रु0	3860	रु0	323


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **396.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-23** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री नौशाद अहमद पुत्र श्री निसार अहमद
निवासी-36-हरिओम नगर,
सिविल लाइन्स,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **737** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-23** से. **15** क्षे. **4355.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-75	रु0
योग (अ)	रु0	-75	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	47905	रु0
योग (ब)	रु0	47905	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	47830	रु0
			4355

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **4791.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **E-13** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स महावीर इण्डस्ट्रीज (साझेदारी फर्म)
द्वारा श्री मन्धारी यादव (साझेदार) पुत्र श्री सवरु यादव
निवासी-10 मधुपुर समय थाना, भीटी, गोला,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **744** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **E-13** से. **15** क्षे. **1926.28** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	35733	रु0 5202
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	107872	रु0 11538
योग (अ)	रु0	143605	रु0 16740

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	18669	रु0 1097
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	21189	रु0 1926
योग (ब)	रु0	39858	रु0 3023
महायोग (अ एवं ब)	रु0	183463	रु0 19763


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2119.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-7** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स सालासर मैन्यूफैक्चरिंग (निदेशक) द्वारा श्री अंजनी कुमार
पुत्र स्व० मूलचन्द टिबडेवाल, निवासी-5, रामनगर कालोनी,
शेर कोठी के पीछे, बक्शीपुर,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **691** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-7** से. **15** क्षे. **4488.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-1702	रु० -199
योग (अ)	रु०	-1702	रु० -199

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	49368	रु० 4488
योग (ब)	रु०	49368	रु० 4488
महायोग (अ एवं ब)	रु०	47666	रु० 4289


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **4937.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. C-9 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री चन्द्रसेन सिंह पुत्र श्री झिन्नू सिंह
निवासी-ग्राम-डोहरिया बाजार,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 655 दिनांक 24.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. C-9 से. 15 क्षे. 116.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	150	रु0 28
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2363	रु0 224
योग (अ)	रु0	2513	रु0 252

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	327	रु0 17
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1276	रु0 116
योग (ब)	रु0	1603	रु0 133
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4116	रु0 385


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 128.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/5B** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स ए0बी0एम0 इन्टरप्राइजेज द्वारा श्री बाबर अली (साझेदार)
पुत्र श्री अब्दुल रहमान, निवासी-गोरखनाथ,
नथमलपुर, शिवनगर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **595** दिनांक **06.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/5B** से. **13** क्षे. **1676.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 73
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	14886	रु0 1133
योग (अ)	रु0	14886	रु0 1206

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1935	रु0 79
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	18436	रु0 1676
योग (ब)	रु0	20371	रु0 1755
महायोग (अ एवं ब)	रु0	35257	रु0 2961


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1844.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-4/17** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री समरेन्द्र सिंह पुत्र श्री योगेन्द्र पाल सिंह
निवासी-ग्राम-कालेसर,
पोस्ट-सहजनवाँ,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **593** दिनांक **06.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-4/17** से. **13** क्षे. **1510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	5625	रु0 375
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	45388	रु0 2945
योग (अ)	रु0	51013	रु0 3320

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	6632	रु0 218
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	16610	रु0 1510
योग (ब)	रु0	23242	रु0 1728
महायोग (अ एवं ब)	रु0	74255	रु0 5048

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1661.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. E-22 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स श्रीराम फूड इण्डस्ट्रीज द्वारा श्री लालमन वर्मा एवं श्री आलोक
श्री दीप नारायण वर्मा, निवासी-तिवारीपुर निकट शिव मंदिर, निलु बाबू
(नमकीन वाले),
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 714 दिनांक 09.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. E-22 से. 15 क्षे. 913.84 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	3041	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	33939	रु0 -6280
योग (अ)	रु0	36980	रु0 -6280

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	4807	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	10052	रु0 914
योग (ब)	रु0	14859	रु0 914
महायोग (अ एवं ब)	रु0	51839	रु0 -5366


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 1005.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. H-5 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती सपना गर्ग पत्नी श्री आशीष कुमार सिघानिया,
निवासी-कृष्णा ट्रेडर्स,
निकट मेनका टाकिज,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 685 दिनांक 09.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. H-5 से. 15 क्षे. 714.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	293	रु0 47
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	9217	रु0 722
योग (अ)	रु0	9510	रु0 769

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1236	रु0 50
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7854	रु0 714
योग (ब)	रु0	9090	रु0 764
महायोग (अ एवं ब)	रु0	18600	रु0 1533


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 785.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-24** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती ऊषा देवी पुत्री श्री लालसा
निवासी-ग्राम-कालेसर,
पोस्ट-सहजनवाँ,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **591** दिनांक **06.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-24** से. **13** क्षे. **850.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	20709	रु0 6464
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	52698	रु0 8139
योग (अ)	रु0	73407	रु0 14603

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	9543	रु0 957
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	9350	रु0 850
योग (ब)	रु0	18893	रु0 1807
महायोग (अ एवं ब)	रु0	92300	रु0 16410


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **935.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **BL-9** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स जगदम्बा इण्डस्ट्रीज (साझेदारी फर्म) द्वारा श्री सोमनाथ यादव
पुत्र श्री राज कुमार, निवासी-ग्राम-अमवा उर्फ कपार पोखर,
पोस्ट-मालहनपार, तहसील-खजनी,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **820** दिनांक **24.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **BL-9** से. **13** क्षे. **1012.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	5025	रु0 769
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	30273	रु0 2960
योग (अ)	रु0	35298	रु0 3729

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	4589	रु0 244
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11132	रु0 1012
योग (ब)	रु0	15721	रु0 1256
महायोग (अ एवं ब)	रु0	51019	रु0 4985

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1113.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. C-6 / से. 13 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स हरियाणा ब्रीडिंग फर्म (साझेदारी फर्म) द्वारा श्री दिनेश कुमार एवं
निवासी-वी0पी0ओ0 कवी,
तहसील-मडलौडा, जिला-पानीपत,
(हरियाणा)

आवंटन पत्र संख्या 600 दिनांक 06.06.2014 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. C-6 से. 13 क्षे. 793.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 39
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7392	रु0 605
योग (अ)	रु0	7392	रु0 644

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	961	रु0 42
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8723	रु0 793
योग (ब)	रु0	9684	रु0 835
महायोग (अ एवं ब)	रु0	17076	रु0 1479


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 872.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-1/3A** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स फेथफूल कामर्शियल लि0

द्वारा श्री सुमित रूंगटा पुत्र स्व0 शिव कुमार रूंगटा,

निवासी-फ्लैट नं.-207, सराफ रेजीडेन्सी,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **643** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-1/3A** से. **15** क्षे. **3517.42** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-43	रु0
योग (अ)	रु0	-43	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	38692	रु0
योग (ब)	रु0	38692	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	38649	रु0
			3517


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **3869.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **E-14** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स टेक्नो फिड्स इण्डिया

द्वारा श्री श्रवण कुमार सिंह (पार्टनर) पुत्र स्व० महात्म सिंह,

पोस्ट-गौरी बाजार,

जनपद-देवरिया।

आवंटन पत्र संख्या **633** दिनांक **06.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **E-14** से. **15** क्षे. **1926.28** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-359	रु० -240
योग (अ)	रु०	-359	रु० -240

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	21189	रु० 1926
योग (ब)	रु०	21189	रु० 1926
महायोग (अ एवं ब)	रु०	20830	रु० 1686

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **2119.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !



(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AL-7A** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स पैनउड इण्डस्ट्रीज द्वारा श्री राजेश कुमार अग्रवाल
पुत्र स्व० जय नारायण अग्रवाल, श्री शगुन कृष्ण अग्रवाल एवं श्री सुयश
निवासी-मकान संख्या-सी-57, सूरजकृण्ड कालोनी,
तहसील-सदर, थाना-तिवारीपुर, जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **688** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AL-7A** से. **13** क्षे. **2980.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-480	रु० -43
योग (अ)	रु०	-480	रु० -43

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	32780	रु० 2980
योग (ब)	रु०	32780	रु० 2980
महायोग (अ एवं ब)	रु०	32300	रु० 2937


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **3278.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-19** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स उषा फोम प्रा0 लि0 द्वारा सृश्री प्रियंका पुत्री श्री वीरसेन सिंह
पता-नयादरगंज, हीरो होण्डा शोरूम, गली जी.टी.रोड,
दादरी, गौतमबुद्ध नगर,
उ0 प्र0

आवंटन पत्र संख्या **971** दिनांक **26.10.2019** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-19** से. **15** क्षे. **5373.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	24011	रु0 6453
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	171053	रु0 22493
योग (अ)	रु0	195064	रु0 28946

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	25358	रु0 1897
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	59103	रु0 5373
योग (ब)	रु0	84461	रु0 7270
महायोग (अ एवं ब)	रु0	279525	रु0 36216


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **5910.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. I-11 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री मनीष सिंह पुत्र श्री वीरसेन सिंह
निवासी-नयादरगंज हीरो होन्डा शोरूम गली,
जी0टी0 रोड दादरी, गौतमबुद्ध नगर,
यूपी0

आवंटन पत्र संख्या 951 दिनांक 26.10.2019 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. I-11 से. 15 क्षे. 525.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	484	रु0 630
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	9257	रु0 2198
योग (अ)	रु0	9741	रु0 2828

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1266	रु0 185
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5775	रु0 525
योग (ब)	रु0	7041	रु0 710
महायोग (अ एवं ब)	रु0	16782	रु0 3538

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 578.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **I-16** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री अभिनेष पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद
द्वारा श्रीमती श्यामलता वैश सत्यम निवास
साहबगंज, मूंगफली गोला
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **950** दिनांक **26.10.2019** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **I-16** से. **15** क्षे. **525.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	675	रु0 89
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	9316	रु0 812
योग (अ)	रु0	9991	रु0 901

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1299	रु0 59
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5775	रु0 525
योग (ब)	रु0	7074	रु0 584
महायोग (अ एवं ब)	रु0	17065	रु0 1485

नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **578.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. I-23 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री मोईन अख्तर पुत्र श्री मोहम्मद यासीन
निवासी-मकान संख्या 363 हमायुपुर उत्तरी, निकट मो0 योनुस ट्रेलर,
गोरखनाथ, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 940 दिनांक 26.10.2019 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. I-23 से. 15 क्षे. 700.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	3127	रु0 831
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	22285	रु0 2930
योग (अ)	रु0	25412	रु0 3761

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	3304	रु0 246
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7700	रु0 700
योग (ब)	रु0	11004	रु0 946
महायोग (अ एवं ब)	रु0	36416	रु0 4707

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 770.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **I-25** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री ऋषिकान्त सिंह पुत्र श्री रघुनाथ सिंह
निवासी-भूखण्ड संख्या ए.एल.-19ई,
गीडा, सहजनवाँ,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **968** दिनांक **26.10.2019** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **I-25** से. **15** क्षे. **892.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	3986	रु0 1059
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	28397	रु0 3734
योग (अ)	रु0	32383	रु0 4793

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	4210	रु0 314
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	9812	रु0 892
योग (ब)	रु0	14022	रु0 1206
महायोग (अ एवं ब)	रु0	46405	रु0 5999

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **981.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-36** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री पंकज शुक्ला पुत्र श्री विनोद शुक्ला
निवासी-अन्नपूर्णा हार्डवेयर सेन्टर,
शुक्ला नगर, सहजनवाँ, पिपरा मेहता,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **962** दिनांक **26.10.2019** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-36** से. **13** क्षे. **659.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	16	रु0 53
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7682	रु0 789
योग (अ)	रु0	7698	रु0 842

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1001	रु0 55
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7249	रु0 659
योग (ब)	रु0	8250	रु0 714
महायोग (अ एवं ब)	रु0	15948	रु0 1556


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **725.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-18** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री सतवीर सिंह पुत्र स्व० भरत सिंह
निवासी-मकान संख्या-189, सेक्टर-15ए,
हिसार, हरियाणा-125001

आवंटन पत्र संख्या **946** दिनांक **26.10.2019** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-18** से. **15** क्षे. **116.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु०	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-638	रु०	-2
योग (अ)	रु०	-638	रु०	-2

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु०	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	1276	रु०	116
योग (ब)	रु०	1276	रु०	116
महायोग (अ एवं ब)	रु०	638	रु०	114


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **128.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-17** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री नितेश सिंह पुत्र श्री श्रवण सिंह
निवासी-डी-62, सेक्टर-23,
सहजनवीं आवासीय योजना, गीडा,
गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र संख्या **947** दिनांक **26.10.2019** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-17** से. **15** क्षे. **116.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-127	रु0	-40
योग (अ)	रु0	-127	रु0	-40

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1276	रु0	116
योग (ब)	रु0	1276	रु0	116
महायोग (अ एवं ब)	रु0	1149	रु0	76

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **128.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **I-18** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री मोनू सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह
निवासी-4/5, तीसरी मंजिल, बालाजी प्लाजा, चन्दन बाग,
भारत कालोनी, कामतघर रोड,
भिवंडी, जिला-थाणे।

आवंटन पत्र संख्या **969** दिनांक **26.10.2019** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **I-18** से. **15** क्षे. **1050.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	1205	रु0 156
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	20455	रु0 1510
योग (अ)	रु0	21660	रु0 1666

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	2816	रु0 109
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11550	रु0 1050
योग (ब)	रु0	14366	रु0 1159
महायोग (अ एवं ब)	रु0	36026	रु0 2825


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1155.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **J** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स सिद्धेश्वरी ग्रीनटेक प्रा0 लि0 द्वारा श्रीमती पूनम टिबडेवाल
पिता श्री विश्वनाथ प्रसाद अग्रवाल, पता-एम0आई0जी0-3, कोर्ट ऑफ
आवास विकास कालोनी, बेतियाहाता, गोरखपुर-273001
उ0 प्र0,

आवंटन पत्र संख्या **970** दिनांक **26.10.2019** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **J** से. **15** क्षे. **5565.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3848	रु0 -253
योग (अ)	रु0	3848	रु0 -253

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	93	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	61215	रु0 5565
योग (ब)	रु0	61308	रु0 5565
महायोग (अ एवं ब)	रु0	65156	रु0 5312

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **6122.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **G-34** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री सयेद गुफरान अहमद पुत्र स्व० सयेद कमर अहमद
305सी, दीवान बाजार, निकट हिमालया टिम्बर्स,
पोस्ट-सदर,
गोरखपुर-273001

आवंटन पत्र संख्या **1039** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **G-34** से. **13** क्षे. **2700.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 155
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	25594	रु० 2404
योग (अ)	रु०	25594	रु० 2559

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	3327	रु० 168
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	29700	रु० 2700
योग (ब)	रु०	33027	रु० 2868
महायोग (अ एवं ब)	रु०	58621	रु० 5427

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **2970.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-6** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री निशांत अग्रवाल पुत्र श्री सूशील अग्रवाल
निवासी-2, वैष्णवपुरम, गैस गोडाउन गली,
विजय चौक,
गोरखपुर-273001

आवंटन पत्र संख्या **975** दिनांक **26.10.2019** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-6** से. **15** क्षे. **504.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-57	रु0
योग (अ)	रु0	-57	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5544	रु0
योग (ब)	रु0	5544	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5487	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **554.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-35** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती शिल्पी श्रीवास्तव पत्नी श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव
निवासी-287जे, उत्तरी ओह इन्द्रलोक सिनेमा, गैस गोडाउन,
गली प्रदिनपुर, गोरखपुर-273001

आवंटन पत्र संख्या **961** दिनांक **26.10.2019** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-35** से. **13** क्षे. **658.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	2446	रु0 416
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	19947	रु0 2076
योग (अ)	रु0	22393	रु0 2492

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	2911	रु0 163
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7238	रु0 658
योग (ब)	रु0	10149	रु0 821
महायोग (अ एवं ब)	रु0	32542	रु0 3313

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **724.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-31** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स राल्सन पेन्ट्स एण्ड स्टील प्रोडक्ट्स द्वारा श्री मोहम्मद अली
पुत्र श्री गुलाम जिलानी, निवासी-ताज फूट वीयर बिल्डिंग, थवई का पुल,
बक्शीपुर, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **976** दिनांक **26.10.2019** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-31** से. **13** क्षे. **652.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-5279	रु0
योग (अ)	रु0	-5279	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7172	रु0
योग (ब)	रु0	7172	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	1893	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **717.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-32** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स अपलाईट इलेक्ट्रानिक प्रा0 लि0
द्वारा श्री रितेश कुमार यादव (निदेशक)
पता-जंगल तिकोनिया नं.-1, पोस्ट-जंगल सालीकराम,
पादरी बाजार, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **977** दिनांक **26.10.2019** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-32** से. **13** क्षे. **565.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	25	रु0 36
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5001	रु0 564
योग (अ)	रु0	5026	रु0 600

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	653	रु0 39
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6215	रु0 565
योग (ब)	रु0	6868	रु0 604
महायोग (अ एवं ब)	रु0	11894	रु0 1204

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **622.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. I-12 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स स्वर्णचक्र आटोमोबाईल्स प्रा0 लि0

द्वारा श्री आलोक अग्रहरी पुत्र श्री राधे श्याम अग्रहरी, पता-317के, श्याम

हड़हवा फाटक, बशारतपुर,

गोरखपुर-273004

आवंटन पत्र संख्या 957 दिनांक 26.10.2019 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. I-12 से. 15 क्षे. 525.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	626	रु0 47
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	10426	रु0 594
योग (अ)	रु0	11052	रु0 641

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1437	रु0 42
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5775	रु0 525
योग (ब)	रु0	7212	रु0 567
महायोग (अ एवं ब)	रु0	18264	रु0 1208


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 578.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-1/31 / से. 13 / 2023-24 दिनांक

श्री सुरेन्द्र कुमार जैसवाल पुत्र श्री रामदास जैसवाल
निवासी-ग्राम-लूचई, वार्ड नं.-15,
पोस्ट-सहजनवाँ,
जिला-गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र संख्या 1026 दिनांक 30.12.2020 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-1/31 से. 13 क्षे. 267.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-136	रु0	-41
योग (अ)	रु0	-136	रु0	-41

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2937	रु0	267
योग (ब)	रु0	2937	रु0	267
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2801	रु0	226


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 294.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **H-21B** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री मनोज त्रिपाठी पुत्र श्री राज नारायण त्रिपाठी
निवासी-एम0आर0सी0एफ0 इण्डस्ट्रीज, भूखण्ड संख्या ए-4/19,
निकट अमर उजाला प्रेस, सहजनवाँ, गीडा
गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र संख्या **955** दिनांक **26.10.2019** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **H-21B** से. **15** क्षे. **637.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 32
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6161	रु0 492
योग (अ)	रु0	6161	रु0 524

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	801	रु0 34
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7007	रु0 637
योग (ब)	रु0	7808	रु0 671
महायोग (अ एवं ब)	रु0	13969	रु0 1195

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **701.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **I-19** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री रवि प्रताप सिंह पुत्र स्व० राना प्रताप सिंह
निवासी-रानीबाग, बड़गो,
रुस्तमपुर, जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **959** दिनांक **26.10.2019** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **I-19** से. **15** क्षे. **646.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	2886	रु० 766
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	20566	रु० 2704
योग (अ)	रु०	23452	रु० 3470

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	3049	रु० 227
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	7106	रु० 646
योग (ब)	रु०	10155	रु० 873
महायोग (अ एवं ब)	रु०	33607	रु० 4343

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **711.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-20** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री नितेश कुमार सिंह पुत्र श्री कृष्ण मोहन सिंह
निवासी-मकान संख्या-121,
ग्राम व पोस्ट-तकिया कलाम
जिला-देवरिया-274604

आवंटन पत्र संख्या **952** दिनांक **26.10.2019** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-20** से. **15** क्षे. **199.24** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1407	रु0
योग (अ)	रु0	-1407	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2192	रु0
योग (ब)	रु0	2192	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	785	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **219.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-24** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती प्रतिभा पत्नी श्री सदानन्द
निवासी-हिन्द सिनेमा के पास, फैजाबाद रोड,
भादी, शाहगंज,
जिला-जैनपुर।

आवंटन पत्र संख्या **941** दिनांक **26.10.2019** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-24** से. **15** क्षे. **116.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	518	रु0 139
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3693	रु0 486
योग (अ)	रु0	4211	रु0 625

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	547	रु0 41
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1276	रु0 116
योग (ब)	रु0	1823	रु0 157
महायोग (अ एवं ब)	रु0	6034	रु0 782


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **128.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/24D** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री जमशेद रजा पुत्र श्री सईद खलीलूर रहमान
निवासी-497, याबू हाउस,
काजीपुर खर्द,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **953** दिनांक **26.10.2019** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/24D** से. **13** क्षे. **332.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-751	रु0
योग (अ)	रु0	-751	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3652	रु0
योग (ब)	रु0	3652	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2901	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **365.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-19** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री विनोद कुमार पुत्र श्री विन्ध्याचल गुप्ता
निवासी-नौसढ़,
गोरखपुर-273016

आवंटन पत्र संख्या **944** दिनांक **26.10.2019** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-19** से. **15** क्षे. **116.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	2	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1044	रु0
योग (अ)	रु0	1046	रु0
			121

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	136	रु0	8
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1276	रु0	116
योग (ब)	रु0	1412	रु0	124
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2458	रु0	245

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **128.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-1/12 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती वीना सिंह पत्नी श्री अतुल कुमार सिंह
निवासी-28/सी, ए0के0एस0 हाउस, पड़हा, मोहददीपुर,
पोस्ट आफिस-रेलवे कालोनी,
गोरखपुर-273012 (यू0पी0)

आवंटन पत्र संख्या 1029 दिनांक 30.12.2020 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-1/12 से. 15 क्षे. 2400.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	2885	रु0 540
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	47841	रु0 4393
योग (अ)	रु0	50726	रु0 4933

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	6594	रु0 323
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	26400	रु0 2400
योग (ब)	रु0	32994	रु0 2723
महायोग (अ एवं ब)	रु0	83720	रु0 7656


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 2640.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. C-21 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री आफताब पुत्र श्री मुश्ताक
निवासी-पार्क-2, सेक्टर-22,
गीडा, सहजनवाँ,
गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र संख्या 943 दिनांक 26.10.2019 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. C-21 से. 15 क्षे. 116.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	962	रु0
योग (अ)	रु0	962	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	62	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1276	रु0
योग (ब)	रु0	1338	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2300	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 128.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-14** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती फातिमा बानो पुत्री श्री अबैद उल्लाह खान
निवासी-मकान संख्या-267 के सामने, रुबी स्कूल, बाघा बाबा रोड,
रुस्तमपुर, बड़गों,
जिला-गोरखपुर-273016

आवंटन पत्र संख्या **948** दिनांक **26.10.2019** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-14** से. **15** क्षे. **116.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-156	रु0	-36
योग (अ)	रु0	-156	रु0	-36

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1276	रु0	116
योग (ब)	रु0	1276	रु0	116
महायोग (अ एवं ब)	रु0	1120	रु0	80


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **128.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. F-6 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स सुगुना फ़ड्स प्रा0 लि0 द्वारा श्री सतीश कुमार के
पुत्र श्री कृष्णा स्वामी, पता-मोहल्ला-2/5 विशेष खण्ड, गोमती नगर,
पोस्ट-गोमती नगर, तहसील-लखनऊ सदर,
226010

आवंटन पत्र संख्या 974 दिनांक 26.10.2019 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. F-6 से. 15 क्षे. 7303.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	9838	रु0 1873
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	136377	रु0 14557
योग (अ)	रु0	146215	रु0 16430

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	19008	रु0 1077
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	80333	रु0 7303
योग (ब)	रु0	99341	रु0 8380
महायोग (अ एवं ब)	रु0	245556	रु0 24810


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 8033.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/11** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स किसान हेचरीज (साझेदारी फर्म) द्वारा श्री महेन्द्र सिंह पुत्र स्व0
एवं श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री रलद राम (साझेदार),
निवासी-33-हरिओम नगर, सिविल लाइन्स,
गोरखपुर-273001

आवंटन पत्र संख्या **1011** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/11** से. **15** क्षे. **1800.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-2082	रु0
योग (अ)	रु0	-2082	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	19800	रु0
योग (ब)	रु0	19800	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	17718	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1980.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/35** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती पूजा शुकल पत्नी श्री अरुणेन्द्र कुमार शुकला
निवासी-थरौली, निकट प्राईमरी स्कूल, तेतरी बाजार,
सिद्धार्थ नगर, 272207

आवंटन पत्र संख्या **1030** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/35** से. **13** क्षे. **763.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3906	रु0
योग (अ)	रु0	3906	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	248	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8393	रु0
योग (ब)	रु0	8641	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	12547	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **839.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/29** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती अफशा खातून पत्नी श्री मो0 इल्ताफ
निवासी-359ए, तूकमानपुर, वार्ड संख्या-50,

आवंटन पत्र संख्या **1036** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/29** से. **13** क्षे. **458.50** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	561	273
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	9195	1380
योग (अ)	रु0	9756	1653

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1268	108
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5044	459
योग (ब)	रु0	6312	567
महायोग (अ एवं ब)	रु0	16068	2220


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **504.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/32** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री दिनेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री रंगीलाल गुप्ता
निवासी-बासूडीहा, पोस्ट-कोठा,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **1041** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/32** से. **13** क्षे. **270.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2437	रु0
योग (अ)	रु0	2437	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	317	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2970	रु0
योग (ब)	रु0	3287	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5724	रु0

नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **297.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-1/19 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव पत्नी श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव
निवासी-187बी, नई कालोनी, शारदा देवी हाउस के सामने,
बिलन्दपुर, गोरखपुर,
उ० प्र० 273001

आवंटन पत्र संख्या 1033 दिनांक 30.12.2020 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-1/19 से. 15 क्षे. 1800.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	2202	रु० 1062
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	36098	रु० 5410
योग (अ)	रु०	38300	रु० 6472

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	4979	रु० 424
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	19800	रु० 1800
योग (ब)	रु०	24779	रु० 2224
महायोग (अ एवं ब)	रु०	63079	रु० 8696


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० 1980.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/17** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती नेमा नायक पत्नी श्री अशोक कुमार नायक
निवासी-एल0आई0जी0-21, ब्रह्म विहार कालोनी, तारामंडल रोड,
पोस्ट-शिवपुरी न्यू कालोनी,
गोरखपुर-273001

आवंटन पत्र संख्या **1028** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/17** से. **15** क्षे. **2050.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-602	रु0
योग (अ)	रु0	-602	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	22550	रु0
योग (ब)	रु0	22550	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	21948	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2255.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **F-4** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स सर्वोत्तम एग्रो उद्योग प्रा० लि० द्वारा श्री रामगोपाल छापडिया,
पुत्र स्व० घनश्यामदास छापडिया, पता-52 हनुमान मंदिर रोड,
बेतियाहाता, जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **972** दिनांक **26.10.2019** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **F-4** से. **15** क्षे. **6546.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-60337	रु० 0
योग (अ)	रु०	-60337	रु० 0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	72006	रु० 6546
योग (ब)	रु०	72006	रु० 6546
महायोग (अ एवं ब)	रु०	11669	रु० 6546

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **7201.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **F-5** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स स्पलाईस लेमिनेट्स प्रा0 लि0 द्वारा श्री एहसान करीम खान
पुत्र स्व0 शब्बीर हसन खान, निवासी-0354बी, मोहल्ला-दिवान बाजार,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **973** दिनांक **26.10.2019** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **F-5** से. **15** क्षे. **6644.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	8006	रु0 1706
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	132619	रु0 13254
योग (अ)	रु0	140625	रु0 14960

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	18281	रु0 980
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	73084	रु0 6644
योग (ब)	रु0	91365	रु0 7624
महायोग (अ एवं ब)	रु0	231990	रु0 22584

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **7308.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-13** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री लल्लन यादव पुत्र श्री उमाशंकर यादव
निवासी-भूखण्ड संख्या ए-4/5, सेक्टर-13,
गीडा, सहजनवाँ,
गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र संख्या **949** दिनांक **26.10.2019** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-13** से. **15** क्षे. **116.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	409	रु0	54
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3430	रु0	305
योग (अ)	रु0	3839	रु0	359

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	499	रु0	24
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1276	रु0	116
योग (ब)	रु0	1775	रु0	140
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5614	रु0	499

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **128.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-46** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती ज्ञानमती पत्नी श्री दयाशंकर चौरसिया
निवासी-रानीबाग, पथरा,
बड़गों,
जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **956** दिनांक **26.10.2019** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-46** से. **13** क्षे. **628.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-2569	रु0
योग (अ)	रु0	-2569	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6908	रु0
योग (ब)	रु0	6908	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4339	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **691.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **I-2** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री मुकर्रम खान पुत्र श्री मोहम्मद आजम खान
निवासी-ए0आर0पी0 व्हाइट हाउस,
सरया छपिया,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **945** दिनांक **26.10.2019** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **I-2** से. **15** क्षे. **525.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	28	रु0 23
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5588	रु0 354
योग (अ)	रु0	5616	रु0 377

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	730	रु0 25
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5775	रु0 525
योग (ब)	रु0	6505	रु0 550
महायोग (अ एवं ब)	रु0	12121	रु0 927

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **578.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **H-21A** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री संदीप शर्मा पुत्र श्री राम कृपाल शर्मा
निवासी-1026 एफ, यादव टोला,
हमायपुर उत्तरी, गोरखनाथ मंदिर,
गोरखपुर, उ० प्र० 273015

आवंटन पत्र संख्या **967** दिनांक **26.10.2019** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **H-21A** से. **15** क्षे. **834.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 44
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	7646	रु० 683
योग (अ)	रु०	7646	रु० 727

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	994	रु० 48
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	9174	रु० 834
योग (ब)	रु०	10168	रु० 882
महायोग (अ एवं ब)	रु०	17814	रु० 1609


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **917.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-7** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती सुनीता सिंह पत्नी श्री धनन्जय सिंह
निवासी-कजाकपुर आक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के सामने,
रामपुर, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **954** दिनांक **26.10.2019** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-7** से. **15** क्षे. **443.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	1669	रु0 119
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	12673	रु0 901
योग (अ)	रु0	14342	रु0 1020

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1864	रु0 67
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4873	रु0 443
योग (ब)	रु0	6737	रु0 510
महायोग (अ एवं ब)	रु0	21079	रु0 1530


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **487.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **G-47** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री अभिषेक हरि सिंह पुत्र श्री ओम प्रकाश सिंह
निवासी-मकान संख्या-132एच, दक्षिणी बेतियाहाता, रुस्तमपुर ढाला,
शिवपुरी न्यू कालोनी, गोरखपुर,
यूपी-273016

आवंटन पत्र संख्या **994** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **G-47** से. **13** क्षे. **990.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1662	रु0
योग (अ)	रु0	-1662	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	10890	रु0
योग (ब)	रु0	10890	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	9228	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1089.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **G-71** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री प्रमोद कुमार सिंह पुत्र श्री राम सागर
निवासी-53 ई, महादेवपुरम, कूडाघाट, वार्ड संख्या-1
खोराबार उर्फ सूबाबाजार,
गोरखपुर, उ0 प्र0 -273008

आवंटन पत्र संख्या **1007** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **G-71** से. **13** क्षे. **1800.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 108
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	17407	रु0 1671
योग (अ)	रु0	17407	रु0 1779

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	2263	रु0 117
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	19800	रु0 1800
योग (ब)	रु0	22063	रु0 1917
महायोग (अ एवं ब)	रु0	39470	रु0 3696

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1980.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **G-48** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री धनन्जय राममूर्ति शाही पुत्र श्री राममूर्ति शाही
निवासी-1803, नार्थ साइड मीडोज, हीरानंदानी,
ठाणे वेस्ट, महाराष्ट्र-400607

आवंटन पत्र संख्या **1014** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **G-48** से. **13** क्षे. **1350.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	5	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	13611	रु0
योग (अ)	रु0	13616	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1770	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	14850	रु0
योग (ब)	रु0	16620	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	30236	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1485.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **G-43** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री कृष्ण मोहन सिंह पुत्र स्व० कृपा शंकर सिंह
निवासी-ग्राम-बकहा, पोस्ट-कोपिया,
जिला-संत कबीर नगर।

आवंटन पत्र संख्या **1015** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **G-43** से. **13** क्षे. **1300.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	2699	रु० 766
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	26071	रु० 3907
योग (अ)	रु०	28770	रु० 4673

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	3740	रु० 306
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	14300	रु० 1300
योग (ब)	रु०	18040	रु० 1606
महायोग (अ एवं ब)	रु०	46810	रु० 6279

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **1430.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **G-35** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री राम रतन
निवासी-ग्राम व पोस्ट-बरात गाडाहा, टोला-कूँसहवा, थाना व
जिला-महाराजगंज-273155

आवंटन पत्र संख्या **1016** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **G-35** से. **13** क्षे. **1100.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 648
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	9857	रु0 3306
योग (अ)	रु0	9857	रु0 3954

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1281	रु0 259
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	12100	रु0 1100
योग (ब)	रु0	13381	रु0 1359
महायोग (अ एवं ब)	रु0	23238	रु0 5313


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1210.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **G-42** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री राम नवल पाण्डेय पुत्र श्री कपिल देव पाण्डेय
निवासी-656-एम, श्याम बिहार, फेज-2,
गोरखनाथ,
गोरखपुर-273015

आवंटन पत्र संख्या **1038** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **G-42** से. **13** क्षे. **1070.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	1120	रु0 310
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	19961	रु0 2272
योग (अ)	रु0	21081	रु0 2582

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	2741	रु0 169
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11770	रु0 1070
योग (ब)	रु0	14511	रु0 1239
महायोग (अ एवं ब)	रु0	35592	रु0 3821


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1177.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **G-44** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री शिवम् जैसवाल पुत्र श्री विवेक जैसवाल
निवासी-शिव पार्वती भवन, सिनेमा रोड,
गोलघर, गोरखपुर,
उ० प्र० 273001

आवंटन पत्र संख्या **993** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **G-44** से. **13** क्षे. **990.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 56
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	8492	रु० 870
योग (अ)	रु०	8492	रु० 926

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	1104	रु० 61
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	10890	रु० 990
योग (ब)	रु०	11994	रु० 1051
महायोग (अ एवं ब)	रु०	20486	रु० 1977


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **1089.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **G-45** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री प्रदीप कुमार शुक्ला पुत्र स्व० सत्यदेव शुक्ला
निवासी-देवरिया रोड, विशुनपुरवा, खोराबार उर्फ
सूबाबाजार, गोरखपुर-273008

आवंटन पत्र संख्या **984** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **G-45** से. **13** क्षे. **990.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	8733	रु० -928
योग (अ)	रु०	8733	रु० -928

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	1135	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	10890	रु० 990
योग (ब)	रु०	12025	रु० 990
महायोग (अ एवं ब)	रु०	20758	रु० 62

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **1089.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **G-46** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री अनिल कुमार दूबे पुत्र श्री उमा कान्त दूबे
निवासी-एल0बाई0जी0-95, जनप्रिय विहार कालोनी,
जगसर पासी चौराहा, गोरखनाथ,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **983** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **G-46** से. **13** क्षे. **990.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	2056	रु0 584
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	19854	रु0 2975
योग (अ)	रु0	21910	रु0 3559

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	2848	रु0 233
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	10890	रु0 990
योग (ब)	रु0	13738	रु0 1223
महायोग (अ एवं ब)	रु0	35648	रु0 4782

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1089.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-32** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स मेडडॉक न्यूट्रास्यूटिकल्स द्वारा श्री मुन्ना सिंह पुत्र स्व० राम सेवक
28 श्री हरी विलास बंगलो, निकट अड़ानी सर्किल, एस०पी० रिंग रोड,
रामोल, अहमदाबाद,
गुजरात-382449

आवंटन पत्र संख्या **1004** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-32** से. **13** क्षे. **600.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु०	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	0	रु०	0
योग (अ)	रु०	0	रु०	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु०	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	6600	रु०	600
योग (ब)	रु०	6600	रु०	600
महायोग (अ एवं ब)	रु०	6600	रु०	600


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **660.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-47** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स औद्रा इंटरप्राइजेज प्रा0 लि0 द्वारा श्री उत्कर्ष राजेन्द्र पाठक पुत्र
निवासी-रिवर डेल, डी-104, कासा रिओ, कल्याण रोड, डोम्बिवली,
मुम्बई, ठाणे, महाराष्ट्र-421204

आवंटन पत्र संख्या **1000** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-47** से. **13** क्षे. **800.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 43
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7352	रु0 664
योग (अ)	रु0	7352	रु0 707

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	956	रु0 46
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8800	रु0 800
योग (ब)	रु0	9756	रु0 846
महायोग (अ एवं ब)	रु0	17108	रु0 1553


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **880.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-71** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री श्याम सुन्दर चौरसिया पुत्र श्री राम दास चौरसिया,
निवासी-सी-1, 504 हायडे पार्क, सेक्टर-35जी,
खरघर, नवी मुम्बई-410210

आवंटन पत्र संख्या **990** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-71** से. **13** क्षे. **1000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1054	रु0
योग (अ)	रु0	-1054	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11000	रु0
योग (ब)	रु0	11000	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	9946	रु0

नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. K-65 / से. 13 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स माधव गोविन्द फूड प्रोडक्ट्स प्रा० लि० द्वारा श्री अनूप कुमार
छापडिया, वार्ड नं.-7, सुभाष नगर, रेहरा, उसका बाजार,
सिद्धार्थनगर-272208

आवंटन पत्र संख्या 1040 दिनांक 30.12.2020 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. K-65 से. 13 क्षे. 4000.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	4893	रु० 2361
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	80219	रु० 12022
योग (अ)	रु०	85112	रु० 14383

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	11065	रु० 943
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	44000	रु० 4000
योग (ब)	रु०	55065	रु० 4943
महायोग (अ एवं ब)	रु०	140177	रु० 19326


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० 4400.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-73** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री संजय बहादुर यादव पुत्र स्व० खेलावन यादव
निवासी-192ई, इंदिरा नगर,
पैडलेगंज, गोरखपुर,
यूपी-273001

आवंटन पत्र संख्या **992** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-73** से. **13** क्षे. **1000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	1223	रु० 591
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	20055	रु० 3005
योग (अ)	रु०	21278	रु० 3596

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	2766	रु० 236
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	11000	रु० 1000
योग (ब)	रु०	13766	रु० 1236
महायोग (अ एवं ब)	रु०	35044	रु० 4832


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **1100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-38** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री धर्मब्रत शाही पुत्र श्री काशी नाथ शाही
निवासी-कूसमौल, गोरखपुर,
उत्तर प्रदेश-273401

आवंटन पत्र संख्या **1001** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-38** से. **13** क्षे. **700.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-713	रु0	-117
योग (अ)	रु0	-713	रु0	-117

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7700	रु0	700
योग (ब)	रु0	7700	रु0	700
महायोग (अ एवं ब)	रु0	6987	रु0	583


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **770.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-39** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री ब्रजेश कुमार मौर्या पुत्र श्री राजेश्वर मौर्या
निवासी-मकान संख्या-1980, निकट शकुन्तला विद्या विद्यालय,
देशराज कालोनी, पानीपत,
हरियाणा-132103

आवंटन पत्र संख्या **1002** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-39** से. **13** क्षे. **700.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-618	रु0	-23
योग (अ)	रु0	-618	रु0	-23

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7700	रु0	700
योग (ब)	रु0	7700	रु0	700
महायोग (अ एवं ब)	रु0	7082	रु0	677


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **770.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-41** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री सुरेश कुमार चौरसिया पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद चौरसिया,
निवासी-दक्षिणी बेतियाहाता (हरिजन बस्ती),
पोस्ट-नई शिवपुरी कालोनी,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **963** दिनांक **26.10.2019** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-41** से. **13** क्षे. **661.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	2484	रु0 414
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	19931	रु0 2047
योग (अ)	रु0	22415	रु0 2461

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	2914	रु0 161
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7271	रु0 661
योग (ब)	रु0	10185	रु0 822
महायोग (अ एवं ब)	रु0	32600	रु0 3283


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **727.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-44** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स मैक्सेल इंजीनियरिंग इंडिया प्रा0 लि0
द्वारा श्री रणधीर मौर्या (निदेशक) पुत्र श्री राम मिलन मौर्या,
पता-हिउरा, टेकवार, गोरखपुर,
उत्तर प्रदेश-273406

आवंटन पत्र संख्या **966** दिनांक **26.10.2019** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-44** से. **13** क्षे. **666.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	2976	रु0 791
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	21203	रु0 2788
योग (अ)	रु0	24179	रु0 3579

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	3143	रु0 235
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7326	रु0 666
योग (ब)	रु0	10469	रु0 901
महायोग (अ एवं ब)	रु0	34648	रु0 4480


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **733.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-23** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री धीरज कुमार गुप्ता पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता
निवासी-भगौरा, सहजनवाँ,
गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र संख्या **942** दिनांक **26.10.2019** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-23** से. **15** क्षे. **116.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 2
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	912	रु0 29
योग (अ)	रु0	912	रु0 31

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	119	रु0 2
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1276	रु0 116
योग (ब)	रु0	1395	रु0 118
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2307	रु0 149

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **128.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-42** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

कुमारी रिशू मौर्या पुत्री श्री परमहंस मौर्या
निवासी-भूखण्ड संख्या ए-2/12,
सेक्टर-15, गीडा, सहजनवाँ,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **964** दिनांक **26.10.2019** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-42** से. **13** क्षे. **663.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	35
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5818	रु0	538
योग (अ)	रु0	5818	रु0	573

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	756	रु0	38
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7293	रु0	663
योग (ब)	रु0	8049	रु0	701
महायोग (अ एवं ब)	रु0	13867	रु0	1274

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **729.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-43** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती पूनम नाथानी पुत्री श्री श्याम सुन्दर देवरा
निवासी-विलेज/मोहल्ला-सी-502, मधुसूदन होम नियर गीता
पोस्ट आफिस/थाना-गीता वाटिका, तहसील-गोरखपुर सदर
जिला-गोरखपुर, उ० प्र० 273016

आवंटन पत्र संख्या **965** दिनांक **26.10.2019** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-43** से. **13** क्षे. **666.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-974	रु० -612
योग (अ)	रु०	-974	रु० -612

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	7326	रु० 666
योग (ब)	रु०	7326	रु० 666
महायोग (अ एवं ब)	रु०	6352	रु० 54


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **733.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-47** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री मिथलेश पाण्डेय पुत्र श्री राजेन्द्र पाण्डेय
निवासी-ग्राम व पोस्ट-पथरदेवा,
देवरिया-274404

आवंटन पत्र संख्या **958** दिनांक **26.10.2019** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-47** से. **13** क्षे. **643.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	579	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	9971	रु0 -1
योग (अ)	रु0	10550	रु0 -1

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1372	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7073	रु0 643
योग (ब)	रु0	8445	रु0 643
महायोग (अ एवं ब)	रु0	18995	रु0 642


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **707.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-48** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री सोनू जैसवाल पुत्र श्री संजय जैसवाल
निवासी-लूचई, वार्ड नं.-15
सहजनवाँ, जिला-गोरखपुर,
उ० प्र० 273209

आवंटन पत्र संख्या **960** दिनांक **26.10.2019** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-48** से. **13** क्षे. **650.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	2905	रु० 773
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	20693	रु० 2721
योग (अ)	रु०	23598	रु० 3494

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	3068	रु० 229
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	7150	रु० 650
योग (ब)	रु०	10218	रु० 879
महायोग (अ एवं ब)	रु०	33816	रु० 4373


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **715.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **G-3A** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स क्रेजी बेकरी उद्योग

द्वारा श्रीमती उपमा अग्रवाल (साझेदार) पत्नी श्री नवीन कुमार अग्रवाल
निवासी-10 पार्क रोड, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **6200000** दिनांक **06.06.2014** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **G-3A** से. **15** क्षे. **7833.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-427	रु0	-33
योग (अ)	रु0	-427	रु0	-33

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	86163	रु0	7833
योग (ब)	रु0	86163	रु0	7833
महायोग (अ एवं ब)	रु0	85736	रु0	7800


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **8616.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **G-2A** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स शाश्वत पावर टेक (साझेदारी फर्म)

द्वारा श्री संतोष कुमार गुप्ता (साझेदार) पुत्र श्री मोहन गुप्ता,

झारखण्डी ट्रकडा नम्बर-1, खोराबार,

जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **6370000** दिनांक **09.06.2014** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **G-2A** से. **15** क्षे. **7000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	55029	रु0 7458
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	280152	रु0 27610
योग (अ)	रु0	335181	रु0 35068

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	43574	रु0 2298
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	77000	रु0 7000
योग (ब)	रु0	120574	रु0 9298
महायोग (अ एवं ब)	रु0	455755	रु0 44366


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **7700.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/45** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

श्री मो0 इस्लाम पुत्र श्री शाह मोहम्मद,
निवासी : म0सं0 359ए,
निकट सुल्तान खान की मस्जिद,
तुर्कमानपुर, गोरखपुर 273005

आवंटन पत्र संख्या **1063** दिनांक **30.03.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/45** से. **26** क्षे. **510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 58
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3870	रु0 897
योग (अ)	रु0	3870	रु0 955

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	503	रु0 63
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5610	रु0 510
योग (ब)	रु0	6113	रु0 573
महायोग (अ एवं ब)	रु0	9983	रु0 1528


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **561.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/58** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

श्री शिवचन्द्र राम पुत्र श्री पांचू राम,
निवासी : ग्राम-बूढावे कौटूकपुर,
पोस्ट अलीनगर,
मऊ इन्द्रा, उ0प्र0 275102,

आवंटन पत्र संख्या **1094** दिनांक **30.03.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/58** से. **26** क्षे. **510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-76	रु0	-44
योग (अ)	रु0	-76	रु0	-44

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5610	रु0	510
योग (ब)	रु0	5610	रु0	510
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5534	रु0	466

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **561.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/37** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

श्री रामेश्वर सिंह पुत्र स्व० राम बहादुर सिंह,
निवासी : 92, कटघर,
खजनी,
गोरखपुर 273212,

आवंटन पत्र संख्या **1079** दिनांक **30.03.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/37** से. **26** क्षे. **510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 58
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	3870	रु० 897
योग (अ)	रु०	3870	रु० 955

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	503	रु० 63
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	5610	रु० 510
योग (ब)	रु०	6113	रु० 573
महायोग (अ एवं ब)	रु०	9983	रु० 1528


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **561.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/35** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

श्री धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री मुन्नी लाल,
निवासी : चन्द्रौटी,
नोकटा,
संत कबीर नगर 272176,

आवंटन पत्र संख्या **1088** दिनांक **30.03.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/35** से. **26** क्षे. **510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 58
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3870	रु0 897
योग (अ)	रु0	3870	रु0 955

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	503	रु0 63
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5610	रु0 510
योग (ब)	रु0	6113	रु0 573
महायोग (अ एवं ब)	रु0	9983	रु0 1528


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **561.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/42** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

श्री दिलिप कुमार दूबे पुत्र श्री परमा नन्द दूबे,
निवासी : पाण्डेय हाता,
खरादी टोला,
गोरखपुर 273005,

आवंटन पत्र संख्या **1091** दिनांक **30.03.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/42** से. **26** क्षे. **510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-11	रु0
योग (अ)	रु0	-11	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5610	रु0
योग (ब)	रु0	5610	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5599	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **561.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/43** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

श्री संदीप कृशवाहा पुत्र श्री प्रेम प्रकाश कृशवाहा,
निवासी : 376/3, वागा कम्पाउण्ड,
थाणे पश्चिमी,
महाराष्ट्र 400607

आवंटन पत्र संख्या **1106** दिनांक **30.03.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/43** से. **26** क्षे. **586.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	66
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4447	रु0	1031
योग (अ)	रु0	4447	रु0	1097

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	578	रु0	72
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6446	रु0	586
योग (ब)	रु0	7024	रु0	658
महायोग (अ एवं ब)	रु0	11471	रु0	1755


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **645.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/80** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

श्री धनन्जय पाण्डेय पुत्र श्री सुदेश्वर पाण्डेय,
निवासी : ग्राम-चन्दौई,
पोस्ट-देहीदिहा,
जिला-गोरखपुर,

आवंटन पत्र संख्या **1092** दिनांक **30.03.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/80** से. **26** क्षे. **510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3870	रु0
योग (अ)	रु0	3870	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	503	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5610	रु0
योग (ब)	रु0	6113	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	9983	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **561.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/84** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

श्री भानु प्रताप सिंह पुत्र स्व० राम सिद्धी सिंह,
निवासी-एच.आई.जी.- III-60,
गौतम विहार विस्तार, तारामण्डल,
गोरखपुर-273017

आवंटन पत्र संख्या **1114** दिनांक **18.07.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/84** से. **26** क्षे. **510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	3	रु० -4
योग (अ)	रु०	3	रु० -4

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	5610	रु० 510
योग (ब)	रु०	5610	रु० 510
महायोग (अ एवं ब)	रु०	5613	रु० 506


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **561.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/13** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

श्री दीपक रंगटा पुत्र श्री आत्मा राम रंगटा
निवासी-ब्लाक बी-707, अम्बेश्वरी पैराडाइज,
बेतियाहाता,
जिला-गोरखपुर-273001

आवंटन पत्र संख्या **1116** दिनांक **18.07.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/13** से. **26** क्षे. **1000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	94
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4575	रु0	1458
योग (अ)	रु0	4575	रु0	1552

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	595	रु0	102
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11000	रु0	1000
योग (ब)	रु0	11595	रु0	1102
महायोग (अ एवं ब)	रु0	16170	रु0	2654


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2** / से. **27** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स वरुण बेवरेजेज लिमिटेड द्वारा श्री कमलेश कुमार जैन (कार्यकारी
पुत्र श्री नेमी चन्द जैन, पंजीकृत पता-एफ-2/7,
ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1,
नई-दिल्ली-110020

आवंटन पत्र संख्या **1118** दिनांक **22.09.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2** से. **27** क्षे. **195220**. वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 46
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	67151	रु0 32618
योग (अ)	रु0	67151	रु0 32664

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	4496	रु0 2141
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2147420	रु0 195220
योग (ब)	रु0	2151916	रु0 197361
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2219067	रु0 230025


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **214742.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/11** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स बाबा एक्वा सालूशन
प्रोपराईटर श्री विशाल त्रिपाठी पुत्र श्री सतीष चन्द्र त्रिपाठी
निवासी-मकान संख्या-950 महादेव झारखण्डी,
कूड़ाघाट, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **1131** दिनांक **28.11.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/11** से. **26** क्षे. **1500.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-510	रु0	-251
योग (अ)	रु0	-510	रु0	-251

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	16500	रु0	1500
योग (ब)	रु0	16500	रु0	1500
महायोग (अ एवं ब)	रु0	15990	रु0	1249

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1650.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/78** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स हंक टेक्सटाईल

प्रापराईटर श्रीमती महिमा पाण्डेय पत्नी श्री अविनिन्द्र पाण्डेय

निवासी-16जी, भगत चौराहा, तारामण्डल,

गोरखपुर-273016

आवंटन पत्र संख्या **1130** दिनांक **28.11.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/78** से. **26** क्षे. **510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 36
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	475	रु0 558
योग (अ)	रु0	475	रु0 594

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	62	रु0 39
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5610	रु0 510
योग (ब)	रु0	5672	रु0 549
महायोग (अ एवं ब)	रु0	6147	रु0 1143


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **561.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/77** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स मनोरमा इन्टरप्राइजेज
प्रोपराईटर श्रीमती मनोरमा देवी पुत्री स्व० नर्वदेश्वर पाण्डेय,
निवासी-ग्राम एवं पोस्ट-रुद्रपुर (शिवाला वार्ड), वार्ड
नं.-5, जिला-देवरिया, यू०पी०-274204

आवंटन पत्र संख्या **1121** दिनांक **28.11.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/77** से. **26** क्षे. **510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-2	रु० 2
योग (अ)	रु०	-2	रु० 2

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	5610	रु० 510
योग (ब)	रु०	5610	रु० 510
महायोग (अ एवं ब)	रु०	5608	रु० 512

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **561.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/8** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स असनजीत स्टाईल प्रा0 लि0
श्री अशोक प्रसाद पुत्र श्री लालता प्रसाद (निदेशक)
निवासी-9/1, श्रीबास दत्ता, द्वितीय बाई लेन,
होवरह-711101

आवंटन पत्र संख्या **1134** दिनांक **28.11.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/8** से. **26** क्षे. **1500.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-243	रु0
योग (अ)	रु0	-243	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	16500	रु0
योग (ब)	रु0	16500	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	16257	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1650.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/9** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स लकी क्रियेशन

श्रीमती कौशिल्या देवी पत्नी श्री राम सजन राजक (साझेदार)

पता-दी शिवालिका रग्स रिसालु रोड, सिवाह,

पानीपत, हरयाणा-132103

आवंटन पत्र संख्या **1132** दिनांक **28.11.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/9** से. **26** क्षे. **1500.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 106
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1397	रु0 1640
योग (अ)	रु0	1397	रु0 1746

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	182	रु0 114
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	16500	रु0 1500
योग (ब)	रु0	16682	रु0 1614
महायोग (अ एवं ब)	रु0	18079	रु0 3360


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1650.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/32** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स आर0 आर0 होम फैशन्स
प्रोपराईटर श्री राकेश मिश्रा पुत्र श्री मुक्ति नाथ मिश्रा
निवासी-डी-365, टी0डी0आई0 सीटी, निकट टोल प्लाजा,
पानीपत, हरियाणा-132103

आवंटन पत्र संख्या **1123** दिनांक **28.11.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/32** से. **26** क्षे. **510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेंट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	-7	रु0
योग (अ)	रु0	-7	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	5610	रु0
योग (ब)	रु0	5610	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5603	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **561.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेंट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/10** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स शिवाक्स पैकेजिंग प्रा0 लि0

निदेशक श्री शिवम कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम प्रसाद गुप्ता

पता-कूरमौल तेनुआ निकट आई0टी0एम0 गीडा

गोरखपुर, यू0पी0-273212

आवंटन पत्र संख्या **1133** दिनांक **28.11.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/10** से. **26** क्षे. **1500.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	106
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1397	रु0	1640
योग (अ)	रु0	1397	रु0	1746

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	182	रु0	114
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	16500	रु0	1500
योग (ब)	रु0	16682	रु0	1614
महायोग (अ एवं ब)	रु0	18079	रु0	3360


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1650.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/8** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स रचना ओवरसीज इंक

प्रोपराईटर श्री नवीन कुमार पुत्र श्री राम सुभग,

निवासी-सी-162, सेक्टर-1, रोहिणी,

नई-दिल्ली-110085

आवंटन पत्र संख्या **1138** दिनांक **28.11.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/8** से. **15** क्षे. **2500.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 176
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2329	रु0 2733
योग (अ)	रु0	2329	रु0 2909

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	303	रु0 191
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	27500	रु0 2500
योग (ब)	रु0	27803	रु0 2691
महायोग (अ एवं ब)	रु0	30132	रु0 5600


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2750.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/8C** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स श्रीमारुतीनन्दन आईरन स्टील प्रा0 लि0
निदेशक श्री अंकूर अग्रवाल पुत्र श्री राज कुमार अग्रवाल,
पता-काव्यांजलि हाईट्स, फ्लैट नं. 408/409, देवरिया
मेनरोड, मोहददीपुर, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **1135** दिनांक **28.11.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/8C** से. **15** क्षे. **1800.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेंट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	-12	रु0	-7
योग (अ)	रु0	-12	रु0	-7

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	19800	रु0	1800
योग (ब)	रु0	19800	रु0	1800
महायोग (अ एवं ब)	रु0	19788	रु0	1793

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1980.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेंट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-45** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स नरवाल हेचरी

पार्टनर श्री सुरजीत सिंह नरवाल पुत्र श्री लेहना सिंह

निवासी-ग्राम पोस्ट आफिस-खेरी नारु

जिला-करनाल, हरियाणा-132036

आवंटन पत्र संख्या **1137** दिनांक **28.11.2022** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-45** से. **13** क्षे. **2450.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 173
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2282	रु0 2678
योग (अ)	रु0	2282	रु0 2851

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	297	रु0 187
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	26950	रु0 2450
योग (ब)	रु0	27247	रु0 2637
महायोग (अ एवं ब)	रु0	29529	रु0 5488


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2695.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/55** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स पंकज गुप्ता

प्रोपराईटर श्री पंकज गुप्ता पुत्र श्री राम नक्षत्र गुप्ता

निवासी-114, भिखमपुर रोड, वार्ड नं.-1,

अम्बेडकर नगर, देवरिया-274001

आवंटन पत्र संख्या **1120** दिनांक **28.11.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/55** से. **26** क्षे. **510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-310	रु0	-225
योग (अ)	रु0	-310	रु0	-225

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5610	रु0	510
योग (ब)	रु0	5610	रु0	510
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5300	रु0	285


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **561.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/66** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स आमोद इन्टरप्राइजेज

प्रोपराईटर—श्री राजेश रंजन झा पुत्र श्री अनिल कुमार झा,

निवासी—के-13, सेक्टर-12, नोएडा,

यू0पी0-201301

आवंटन पत्र संख्या **1126** दिनांक **28.11.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/66** से. **26** क्षे. **510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेंट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	-2	रु0
योग (अ)	रु0	-2	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	5610	रु0
योग (ब)	रु0	5610	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5608	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **561.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेंट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/7** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स वी०के० पैकेजिंग प्रा० लि०

निदेशक, श्री पवन कुमार यादव पुत्र श्री विनय कुमार यादव

पता-महानग ताल नौगढ़

सिद्धार्थ नगर-272207 (यू०पी०)

आवंटन पत्र संख्या **1142** दिनांक **28.11.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/7** से. **26** क्षे. **1800.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 127
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	1677	रु० 1968
योग (अ)	रु०	1677	रु० 2095

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	218	रु० 137
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	19800	रु० 1800
योग (ब)	रु०	20018	रु० 1937
महायोग (अ एवं ब)	रु०	21695	रु० 4032


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **1980.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/54** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स श्री स्टार इन्टरप्राइजेज
प्रोपराईटर श्री संजीव पाल पुत्र श्री देवेन्द्र पाल
निवासी-मकान संख्या 95, सेक्टर-73, विले सरफाबाद,
नोएडा, यू0पी0

आवंटन पत्र संख्या **1125** दिनांक **28.11.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/54** से. **26** क्षे. **510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-2	रु0
योग (अ)	रु0	-2	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5610	रु0
योग (ब)	रु0	5610	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5608	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **561.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/79** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स सारिका गुप्ता

प्रोपराईटर श्रीमती सारिका गुप्ता पत्नी श्री मनोज कुमार

निवासी-गोला गली, मुण्डेरवा बाजार,

बस्ती-272170

आवंटन पत्र संख्या **1127** दिनांक **28.11.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/79** से. **26** क्षे. **510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 36
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	475	रु0 558
योग (अ)	रु0	475	रु0 594

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	62	रु0 39
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5610	रु0 510
योग (ब)	रु0	5672	रु0 549
महायोग (अ एवं ब)	रु0	6147	रु0 1143


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **561.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/62** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स अनिल वस्त्रालय एवं रेडिमेड गारमेन्ट्स
प्रोपराईटर श्री अनिल कुमार पाण्डेय पुत्र श्री मारकण्डेय पाण्डेय,
निवासी-रुद्रपुर, खजनी बाजार,
गोरखपुर-273001

आवंटन पत्र संख्या **1129** दिनांक **28.11.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/62** से. **26** क्षे. **510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 36
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	475	रु0 558
योग (अ)	रु0	475	रु0 594

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	62	रु0 39
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5610	रु0 510
योग (ब)	रु0	5672	रु0 549
महायोग (अ एवं ब)	रु0	6147	रु0 1143


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **561.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. A-3 / से. 26 / 2023-24 दिनांक

ग्रुप जनरल मैनेजर
मैसर्स केन्द्रीय भण्डारण निगम,
रिजनल आफिस-विभूती खण्ड,
लखनऊ-226010

आवंटन पत्र संख्या 1136 दिनांक 28.11.2022 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. A-3 से. 26 क्षे. 22282.0 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेंट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	9	रु0
योग (अ)	रु0	9	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	245102	रु0
योग (ब)	रु0	245103	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	245112	रु0

22282


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 24510.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेंट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. C-21 / से. 26 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स कानव मेटल्स एल0एल0पी0 द्वारा श्री किशोरी लाल, श्री कोविद
निवासी-7ए, बिलन्दपुर,
निकट डी0आई0जी0 बंगला,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 1159 दिनांक 01.04.2023 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. C-21 से. 26 क्षे. 3996.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0	0
योग (अ)	रु0	0	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	33118	रु0	7007
योग (ब)	रु0	33118	रु0	7007
महायोग (अ एवं ब)	रु0	33118	रु0	7007


नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 3312.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-1** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स केयान डिस्टीलरीज प्रा० लि० द्वारा श्री विनय कुमार सिंह
पुत्र श्री महेन्द्र नाथ सिंह, निवासी-फ्लैट नं.-301, सहारा उपहार
दाउदपुर, हरिहर प्रसाद दूबे मार्ग, गोरखपुर,
उ० प्र०-273001

आवंटन पत्र संख्या **1158** दिनांक **29.03.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-1** से. **26** क्षे. **41643.0** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	0	रु० 0
योग (अ)	रु०	0	रु० 0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	348888	रु० 73360
योग (ब)	रु०	348888	रु० 73360
महायोग (अ एवं ब)	रु०	348888	रु० 73360


नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **34889.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ० प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. J-117 / से. 13 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स शिवांश इण्डस्ट्रीज द्वारा श्रीमती इन्द्रासनी देवी
पत्नी श्री मनोज कुमार गुप्ता, निवासी-0004-ए, नियामत चक,
निकट शिव मंदिर हजारीपुर,
गोरखपुर-273001

आवंटन पत्र संख्या 1143 दिनांक 23.03.2023 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. J-117 से. 13 क्षे. 388.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0 0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 0	रु0 0
योग (अ)	रु0 0	रु0 0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0 0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 3321	रु0 690
योग (ब)	रु0 3321	रु0 690
महायोग (अ एवं ब)	रु0 3321	रु0 690


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 332.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **J-127** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स महाशक्ति इण्डस्ट्रीज प्रोपराईटर श्री उमेश्वरलाल जायसवाल
पुत्र श्री दीनानाथ जायसवाल, निवासी-161ए, खूर्मपुर,
वार्ड संख्या 39,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **1145** दिनांक **23.03.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **J-127** से. **13** क्षे. **384.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3287	रु0
योग (ब)	रु0	3287	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	3287	रु0


नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **329.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **J-128** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स खान इण्डस्ट्रीज द्वारा श्रीमती लाइबा खान पत्नी श्री सृहैल खान
निवासी-ऊचवा, थाना-तिवारीपुर सैयद निसार कालोनी,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **1146** दिनांक **23.03.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **J-128** से. **13** क्षे. **412.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0	0
योग (अ)	रु0	0	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3526	रु0	733
योग (ब)	रु0	3526	रु0	733
महायोग (अ एवं ब)	रु0	3526	रु0	733


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **353.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **J-120** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स तारा ट्रेक्टर स्पेयर पार्ट्स द्वारा श्री राकेश गोविन्द राव (साझेदार)
पुत्र श्री रामेश्वर गोविन्द राव, निवासी-शाप संख्या ए-56,
ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **1152** दिनांक **23.03.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **J-120** से. **13** क्षे. **615.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0	0
योग (अ)	रु0	0	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5264	रु0	1094
योग (ब)	रु0	5264	रु0	1094
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5264	रु0	1094


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **526.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-24** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स इंडियन इन्फ्रस्ट्रेक (साझेदारी फर्म)
द्वारा श्री नौसाद अहमद (साझेदार) पुत्र श्री निसार अहमद
निवासी-36, हरिओम नगर, सिविल लाईन,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **1157** दिनांक **23.03.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-24** से. **15** क्षे. **6070.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0	0
योग (अ)	रु0	0	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	51953	रु0	10793
योग (ब)	रु0	51953	रु0	10793
महायोग (अ एवं ब)	रु0	51953	रु0	10793


नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **5195.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **P-51** / से. **28** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स ध्रुव इण्डस्ट्रीज, प्रोपराईटर श्री ध्रुव कुमार जायसवाल
पुत्र श्री विजय शंकर जायसवाल, निवासी-इन्फ्रन्ट ऑफ एम.एम.29, सूर्य
गोरखनाथ, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **1200** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **P-51** से. **28** क्षे. **600.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0	0
योग (अ)	रु0	0	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2025	रु0	784
योग (ब)	रु0	2025	रु0	784
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2025	रु0	784

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **203.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/4** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स तरु फारमेलिन प्रा0 लि0

द्वारा श्री राजेश जैन (निदेशक) पुत्र श्री बाबू राम

जैम, निवासी-205, हर्ष विहार, पित्तमपुरा,

देलही, इंडिया-110088

आवंटन पत्र संख्या **1154** दिनांक **23.03.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/4** से. **26** क्षे. **4480.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	38344	रु0	7966
योग (ब)	रु0	38344	रु0	7966
महायोग (अ एवं ब)	रु0	38344	रु0	7966


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **3834.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/23** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स श्री रामसरन प्रोपराईटर श्री राम सरन
पुत्र श्री लालसा, निवासी-चकिया भीटी रावत,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **1151** दिनांक **23.03.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/23** से. **26** क्षे. **510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4365	रु0	907
योग (ब)	रु0	4365	रु0	907
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4365	रु0	907

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **437.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. A-1/2 / से. 26 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स ओमशक्ति कैटल फीड्स प्रा0 लि0 द्वारा श्री रुबी मिश्रा
पत्नी श्री संजीव मिश्रा (निदेशक), निवासी-मकान संख्या 38,
आदित्यपुरम कालोनी, विकास नगर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 1155 दिनांक 23.03.2023 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. A-1/2 से. 26 क्षे. 4480.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0 0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 0	रु0 0
योग (अ)	रु0 0	रु0 0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0 0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 38344	रु0 7966
योग (ब)	रु0 38344	रु0 7966
महायोग (अ एवं ब)	रु0 38344	रु0 7966


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 3834.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/15** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स गीता गारमेन्ट्स द्वारा श्रीमती गीता यादव
पुत्री श्री शिव शंकर यादव, निवासी-7 राम नगर कालोनी,
पचपेडवा, गोरखनाथ वार्ड नं. 12,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **1156** दिनांक **23.03.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/15** से. **26** क्षे. **1000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0	0
योग (अ)	रु0	0	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8559	रु0	1778
योग (ब)	रु0	8559	रु0	1778
महायोग (अ एवं ब)	रु0	8559	रु0	1778


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **856.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/47** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स निवासी ट्रेडर्स द्वारा श्री महेन्द्र यादव
पुत्र श्री रामजी यादव (प्रोपराईटर),
निवासी-बेला,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **1149** दिनांक **23.03.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/47** से. **26** क्षे. **510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0	0
योग (अ)	रु0	0	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4365	रु0	907
योग (ब)	रु0	4365	रु0	907
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4365	रु0	907


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **437.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/39** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स कान्हा ट्रेडर्स द्वारा श्रीमती लालमती देवी पत्नी श्री इन्द्रजीत यादव
(प्रोपराईटर), निवासी-भूखण्ड संख्या के-65,
सेक्टर-22, गीडा,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **1150** दिनांक **01.04.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/39** से. **26** क्षे. **510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक	31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं	लीज रेन्ट	रु0	0	रु0	0
	योग (अ)	रु0	0	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4227	रु0	894
योग (ब)	रु0	4227	रु0	894
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4227	रु0	894


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **423.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. J-119 / से. 13 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स शिवशक्ति पेपर ट्रेडिंग द्वारा श्री मकेश जायसवाल पुत्र श्री
निवासी-जगदीशपुर, कसया रोड, मल्लपुर, सिसवा उर्फ चनकापुर,
जगदीशपुर, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 1148 दिनांक 23.03.2023 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. J-119 से. 13 क्षे. 480.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4108	रु0	853
योग (ब)	रु0	4108	रु0	853
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4108	रु0	853


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 411.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-46A** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स मिथिला फूड बेवरेजेज द्वारा श्रीमती अंजली गुप्ता
पत्नी श्री संजय गुप्ता (प्रोपराईटर), निवासी-गंगा धर रायगंज
चौरसिया धर्मशाला के सामने,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **1147** दिनांक **23.03.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-46A** से. **13** क्षे. **425.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3638	रु0	756
योग (ब)	रु0	3638	रु0	756
महायोग (अ एवं ब)	रु0	3638	रु0	756


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **364.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **P-49** / से. **28** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स अनास इण्डस्ट्रीज
प्रोपराईटर-नफीस अहमद पुत्र श्री अब्दुल रहमान
निवासी-मकान संख्या-46, ग्राम-डिबडिबा, तहसील-बिलासपुर
जिला-रामपुर-244923

आवंटन पत्र संख्या **1198** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **P-49** से. **28** क्षे. **600.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2025	रु0	784
योग (ब)	रु0	2025	रु0	784
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2025	रु0	784

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **203.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **P-48** / से. **28** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स स्वर्ण ट्रेडिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रोपराईटर—श्रमती रुबी सिंह
पत्नी श्री धीरज सिंह, निवासी—फ्लैट नं.—ए.एम.—516, राज ईम्पायर,
ब्लॉक—ए, राज नगर, एक्टेन्शन, गाजियाबाद,
यू0पी0—201017

आवंटन पत्र संख्या **1196** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **P-48** से. **28** क्षे. **600.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :—

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :—

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2025	रु0	784
योग (ब)	रु0	2025	रु0	784
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2025	रु0	784


नोट:—रख-रखाव शुल्क— समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **203.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट— समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **P-47** / से. **28** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स हर्ष इण्टरप्राइजेज प्रोपराईटर श्री सत्येन्द्र सिंह
पुत्र श्री राम चन्द्र सिंह, निवासी-सिधौरवां,
रामपुर रेवाती,
बस्ती-272170

आवंटन पत्र संख्या **1195** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **P-47** से. **28** क्षे. **600.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0	0
योग (अ)	रु0	0	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2025	रु0	784
योग (ब)	रु0	2025	रु0	784
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2025	रु0	784

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **203.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **P-91** / से. **28** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स आर0पी0 इण्डस्ट्रीज प्रोपराईटर श्री प्रतीक लॉरेन्स पुत्र श्री स्वप्न
निवासी-ए-1, विकास नगर आवासीय कालोनी, बिहाइन्ड खेतान
बरगदवा, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **1213** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **P-91** से. **28** क्षे. **1179.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3980	रु0	1541
योग (ब)	रु0	3980	रु0	1541
महायोग (अ एवं ब)	रु0	3980	रु0	1541

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **398.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. J-118 / से. 13 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स आदर्श इन्टरलाकिंग उद्योग
प्रोपराईटर श्री ओम प्रकाश पाल पुत्र श्री बलिभद्र पाल,
निवासी-भगवानपुर भेलेन्दरी शिवघाट,
भौवापार-273401, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 1144 दिनांक 23.03.2023 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. J-118 से. 13 क्षे. 348.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2979	रु0	619
योग (ब)	रु0	2979	रु0	619
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2979	रु0	619


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 298.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-31A** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स श्री बालाजी फीड्स द्वारा श्री रिषिकेश कुमार पाण्डेय (साझेदार)
निवासी-48 जी, अशोका गैस गोदाम, पोस्ट-कूडाघाट, सरवन नगर,
सिधडिया, खोराबार उर्फ सूबाबाजार,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **1153** दिनांक **23.03.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-31A** से. **13** क्षे. **1529.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	13087	रु0	2719
योग (ब)	रु0	13087	रु0	2719
महायोग (अ एवं ब)	रु0	13087	रु0	2719

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1309.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **P-50** / से. **28** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स श्री शत्रुधन सिंह
प्रोपराईटर श्री शत्रुधन सिंह पुत्र श्री राम प्रताप सिंह
निवासी-ग्राम-सरवसी, पोस्ट-बढ़नी, गोपालपुर,
गोरखपुर-273400

आवंटन पत्र संख्या **1199** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **P-50** से. **28** क्षे. **600.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेंट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	0	रु0	0
योग (अ)	रु0	0	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	2025	रु0	784
योग (ब)	रु0	2025	रु0	784
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2025	रु0	784


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **203.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेंट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **P-15** / से. **28** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स रेवेस टेक्नोपैक (साझेदार) श्री मनोज कुमार सिंह पुत्र श्री
निवासी-बी-405, कास्टलिया बिल्डिंग, हीरानन्दनी इस्टेट,
थाणे वेस्ट, 400607, महाराष्ट्र।

आवंटन पत्र संख्या **1216** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **P-15** से. **28** क्षे. **2141.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7227	रु0	2798
योग (ब)	रु0	7227	रु0	2798
महायोग (अ एवं ब)	रु0	7227	रु0	2798

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **723.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **P-30** / से. **28** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स कृष्ण प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज,
प्रोपराईटर-श्रीमती कृष्णमावती देवी पत्नी श्री राम अनूज त्रिपाठी
निवासी-भूखण्ड संख्या डी-12, सेक्टर-13,
गीडा, गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र संख्या **1217** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **P-30** से. **28** क्षे. **2296.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7750	रु0	3001
योग (ब)	रु0	7750	रु0	3001
महायोग (अ एवं ब)	रु0	7750	रु0	3001


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **775.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **P-80 &** / से. **28** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स एडवान्स ब्लो मोल्टिंग एण्ड मशीनरी
प्रोपराईटर्स-श्री जय प्रकाश ओझा पुत्र श्री नारायण ओझा,
निवासी-ग्राम-ददीहात, पोस्ट-सिकरीगंज,
जिला-गोरखपुर-273213

आवंटन पत्र संख्या **1255** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **P-80 &** से. **28** क्षे. **1200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4050	रु0	1568
योग (ब)	रु0	4050	रु0	1568
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4050	रु0	1568


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **405.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **P-83 &** / से. **28** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स अमन ट्रेडर्स

प्रोपराईटर—श्री मोहम्मद आवेश पुत्र श्री फजलुर रहमान

निवासी—110—बी/1, भरपुरवा, तिवारीपुर,

गोरखपुर—273001

आवंटन पत्र संख्या **1254** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **P-83 &** से. **28** क्षे. **1200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :—

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :—

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4050	रु0	1568
योग (ब)	रु0	4050	रु0	1568
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4050	रु0	1568


नोट:—रख-रखाव शुल्क— समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **405.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट— समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **P-85** / से. **28** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स गजानन पाली प्लास्ट

द्वारा श्री सृशील मित्तल (निदेशक) पुत्र श्री अशोक कुमार मित्तल,

निवासी-निकट रेलवे क्रासिंग, विलेज करुआ मोरेना,

मध्य प्रदेश-476001

आवंटन पत्र संख्या **1215** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **P-85** से. **28** क्षे. **1196.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4037	रु0	1563
योग (ब)	रु0	4037	रु0	1563
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4037	रु0	1563


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **404.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. P-4 / से. 28 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स टेक्नोप्लास्ट पैकेजिंग प्रा0 लि0 द्वारा श्री पुलकित गुप्ता (निदेशक)
निवासी-सी-85, द्वितीय फ्लोर, रोड़ नं.-40, निकट सेन्ट्रल पार्क,
पंजाबी बाग,
वेस्ट-दिल्ली-110026

आवंटन पत्र संख्या 1219 दिनांक 11.09.2023 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. P-4 से. 28 क्षे. 20000.0 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	67507	रु0	26137
योग (ब)	रु0	67507	रु0	26137
महायोग (अ एवं ब)	रु0	67507	रु0	26137

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 6751.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **P-79** / से. **28** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स पगारीया ट्रेडर्स

प्रोपराईटर श्री रोहित पगारिया पुत्र श्री अनिल कुमार पगारिया,

निवासी-288-जेड, प्रदिर्लपुर गैस गोदाम गली,

विजय चौक, गोरखपुर-273001

आवंटन पत्र संख्या **1212** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **P-79** से. **28** क्षे. **1196.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4037	रु0	1563
योग (ब)	रु0	4037	रु0	1563
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4037	रु0	1563


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **404.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. A-1/6 / से. 26 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स आलोक अग्रवाल प्रोपराईटर श्री आलोक अग्रवाल
पुत्र स्व0 रामस्वरूप अग्रवाल, निवासी-फ्लैट नं. 101, गोकूल
हैमायपुर उत्तरी,
गोरखपुर-273015

आवंटन पत्र संख्या 1164 दिनांक 11.09.2023 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. A-1/6 से. 26 क्षे. 5600.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	18902	रु0	7318
योग (ब)	रु0	18902	रु0	7318
महायोग (अ एवं ब)	रु0	18902	रु0	7318


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 1890.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **P-88** / से. **28** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स रागिनी प्लास्टिक
प्रोपराईटर श्री गोविन्दभाई गुप्ता पुत्र श्री काशीराम मंगली गुप्ता
निवासी-19, वेद बंगला, नाना चिलोडा, नरोदा,
अहमदाबाद-382330

आवंटन पत्र संख्या **1214** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **P-88** से. **28** क्षे. **1196.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0	0
योग (अ)	रु0	0	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4037	रु0	1563
योग (ब)	रु0	4037	रु0	1563
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4037	रु0	1563


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **404.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/24** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स कुमार होजरी प्रोपराईटर श्री गौतम कुमार
पुत्र श्री सुभाष चन्द, निवासी-ग्राम-दरिवा,
पोस्ट-गाहासाड़
गोरखपुर, यू0पी0

आवंटन पत्र संख्या **1160** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/24** से. **26** क्षे. **510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1721	रु0	666
योग (ब)	रु0	1721	रु0	666
महायोग (अ एवं ब)	रु0	1721	रु0	666


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **172.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/10** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स जी0 वी0 नाईट प्रा0 लि0 द्वारा श्री दीपक कम्बोज (निदेशक)
पुत्र श्री सुखबीर सिंह कम्बोज, निवासी-सी-9/2, साईट-सी, सूरजपुर,
औद्योगिक क्षेत्र, ग्रेटर नोएडा-201308

आवंटन पत्र संख्या **1162** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/10** से. **26** क्षे. **1000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3375	रु0	1307
योग (ब)	रु0	3375	रु0	1307
महायोग (अ एवं ब)	रु0	3375	रु0	1307


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **338.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/26** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स क्लार्क आर्ट वर्ल्ड

प्रोपराईटर श्री राधेश्याम मल्ल पुत्र श्री रामाशंकर मल्ल,

निवासी-खजुराही उर्फ जोगिया पाली,

सहजनवाँ, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **1163** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/26** से. **26** क्षे. **510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0	0
योग (अ)	रु0	0	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1721	रु0	666
योग (ब)	रु0	1721	रु0	666
महायोग (अ एवं ब)	रु0	1721	रु0	666


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **172.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **P-76** / से. **28** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स सार्प प्लास्ट टेक प्रोपराईटर श्रीमती रंजना पाण्डेय पत्नी श्री हरि
नि0-मकान संख्या-123 के, शितला माता मंदिर के सामने,
मलोनी बंधा महेवा, पो0आ0-शिवपुरी नई कालोनी,
गोरखपुर, यू0पी0-273016

आवंटन पत्र संख्या **1210** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **P-76** से. **28** क्षे. **600.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेंट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	2025	रु0
योग (ब)	रु0	2025	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2025	रु0
			784


नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **203.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेंट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **P-75** / से. **28** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स एन0 बी0 इण्डस्ट्रिज
प्रोपराईटर श्री इफ्तेखार हसैन खान पुत्र श्री हिदायत हसैन खान,
निवासी-भूखण्ड संख्या-ए-4/16, सेक्टर-13,
गीडा, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **1209** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **P-75** से. **28** क्षे. **600.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2025	रु0
योग (ब)	रु0	2025	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2025	रु0
			784


नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **203.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **P-74** / से. **28** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स ध्रुव इण्डस्ट्रिज

प्रोपराईटर श्री जयनारायण पाण्डेय पुत्र श्री गौतम प्रसाद पाण्डेय,

निवासी-एस/ओ गौतम पाण्डेय, कसिहार,

गोरखपुर-273413

आवंटन पत्र संख्या **1208** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **P-74** से. **28** क्षे. **600.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2025	रु0	784
योग (ब)	रु0	2025	रु0	784
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2025	रु0	784


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **203.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **P-73** / से. **28** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स अयान इण्डस्ट्रिज प्रोपराईटर श्री प्रवीन सिंह
पुत्र श्री रामप्रभाकर मल्ल, निवासी-जयंत्रा सदन, विवेकपुरम
निकट होली फ्लेम एकेडमी, सिद्धार्थ इन्वलेव,
गोरखपुर-273017

आवंटन पत्र संख्या **1207** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **P-73** से. **28** क्षे. **600.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0	0
योग (अ)	रु0	0	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2025	रु0	784
योग (ब)	रु0	2025	रु0	784
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2025	रु0	784


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **203.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. P-67 / से. 28 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स आर0 एल0 इण्डस्ट्रिज
प्रोपराईटर श्रीमती रेनु मिश्रा पुत्री पारस नाथ पाठक
निवासी-शाप नं.13 14 द्वितीय फ्लोर, क्रास रोड दी माल
पूर्विलपुर बैंक रोड, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 1204 दिनांक 11.09.2023 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. P-67 से. 28 क्षे. 600.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0 0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 0	रु0 0
योग (अ)	रु0 0	रु0 0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0 0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 2025	रु0 784
योग (ब)	रु0 2025	रु0 784
महायोग (अ एवं ब)	रु0 2025	रु0 784

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 203.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **P-64** / से. **28** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स दीपम इण्डस्ट्रिज

प्रोपराईटर श्रीमती पूनम श्रीवास्तव पत्नी श्री देवेन्द्र लाल श्रीवास्तव

निवासी-386 उत्तरी जटेपुर निकट काली मंदिर,

गोरखनाथ, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **1203** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **P-64** से. **28** क्षे. **600.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2025	रु0	784
योग (ब)	रु0	2025	रु0	784
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2025	रु0	784


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **203.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **P-63** / से. **28** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स अवात राम इण्डस्ट्रिज
प्रोपराईटर श्री भुवन राहुजा पुत्र श्री सुनील राहुजा
निवासी-विजय नगर कालोनी, गोरखनाथ रोड,
गोरखपुर-273015

आवंटन पत्र संख्या **1202** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **P-63** से. **28** क्षे. **600.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2025	रु0
योग (ब)	रु0	2025	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2025	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **203.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **P-62** / से. **28** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स शान्ति प्लास्ट इण्डस्ट्री

प्रोपराईटर श्री उत्सव गुप्ता पुत्र श्री राज राजेश्वर गुप्ता,

निवासी-ए-3, रुस्तमपुर अपोजिट टेलीफोन कालोनी,

गोरखपुर-273016

आवंटन पत्र संख्या **1201** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **P-62** से. **28** क्षे. **600.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2025	रु0	784
योग (ब)	रु0	2025	रु0	784
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2025	रु0	784


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **203.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **P-68** / से. **28** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स सूर्या पॉवर सालूसन

प्रोपराईटर श्री गुलशन नासा पुत्र श्री मोहन लाल नासा,

निवासी-एन-195, सेक्टर-12,

नोएडा, यू0पी0-201301

आवंटन पत्र संख्या **1205** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **P-68** से. **28** क्षे. **600.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2025	रु0	784
योग (ब)	रु0	2025	रु0	784
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2025	रु0	784


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **203.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **P-77** / से. **28** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स हैपी पेट एण्ड प्लास्ट

प्रोपराईटर श्री उत्सव शर्मा पुत्र श्री दिनेश शर्मा

निवासी-हरसेवकपुर नं.-2, शताब्दी पुरम,

गोरखपुर-273014, यू0पी0

आवंटन पत्र संख्या **1211** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **P-77** से. **28** क्षे. **600.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2025	रु0
योग (ब)	रु0	2025	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2025	रु0
			784


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **203.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **P-70** / से. **28** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स जगदम्बा शक्ति इण्टरप्राइजेज
प्रोपराईटर श्री उमा शंकर सिंह पुत्र श्री सोविन्दर सिंह
निवासी-मकान संख्या 471ए, राम जानकी नगर,
बशारतपुर, गोरखपुर-273004

आवंटन पत्र संख्या **1206** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **P-70** से. **28** क्षे. **600.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2025	रु0	784
योग (ब)	रु0	2025	रु0	784
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2025	रु0	784


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **203.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. J-24 / से. 13 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स इंडियन इण्डस्ट्रिज

द्वारा श्री रसूल अहमद अंसारी (साझेदार) पुत्र श्री मो० शमीम

निवासी-34, जाहिदाबाद थाना,

गोरखनाथ, गोरखपुर-273015

आवंटन पत्र संख्या 1178 दिनांक 11.09.2023 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. J-24 से. 13 क्षे. 1800.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	0	रु० 0
योग (अ)	रु०	0	रु० 0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	6076	रु० 2352
योग (ब)	रु०	6076	रु० 2352
महायोग (अ एवं ब)	रु०	6076	रु० 2352


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० 608.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. J-23 / से. 13 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स शीवम ट्रेडर्स

प्रोपराईटर श्री शिवम रत्ना पुत्र श्री टूनाजी पाण्डेय

निवासी-अपर प्राईमरी मिडिल स्कूल नेतवार, दरौली

नेतवार, सिवान बिहार-841235

आवंटन पत्र संख्या 1177 दिनांक 11.09.2023 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. J-23 से. 13 क्षे. 1800.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0 0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 0	रु0 0
योग (अ)	रु0 0	रु0 0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0 0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 6076	रु0 2352
योग (ब)	रु0 6076	रु0 2352
महायोग (अ एवं ब)	रु0 6076	रु0 2352


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 608.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **J-22** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स राजन ब्रुक डिपोट

प्रोपराईटर श्री राजन पाण्डेय पुत्र स्व० राम पाण्डेय

निवासी-725के, श्रीराम नगर कालोनी, निकट कृष्णा नगर

कालोनी, बशारतपुर, गोरखपुर-273001

आवंटन पत्र संख्या **1180** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **J-22** से. **13** क्षे. **1800.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु०	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	0	रु०	0
योग (अ)	रु०	0	रु०	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु०	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	6076	रु०	2352
योग (ब)	रु०	6076	रु०	2352
महायोग (अ एवं ब)	रु०	6076	रु०	2352


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **608.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. J-21 / से. 13 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स इस्मत फातमा

प्रोपराईटर श्रीमती ईसमत फातमा पत्नी श्री एहसान करीम खान

निवासी-मकान संख्या-0354बी, हिमालय प्लाइ के सामने,

दिवान बाजार, गोरखपुर-273001

आवंटन पत्र संख्या 1184 दिनांक 11.09.2023 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. J-21 से. 13 क्षे. 2900.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	9788	रु0	3790
योग (ब)	रु0	9788	रु0	3790
महायोग (अ एवं ब)	रु0	9788	रु0	3790


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 979.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. J-27 / से. 13 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स विनय कुमार अग्रवाल, प्रोपराईटर श्री विनय कुमार अग्रवाल
पुत्र श्री बलदाउ जी अग्रवाल, निवासी-सी-118 86/प्रथम गाँधी गली,
पी0सी0 एक्स-रे के आगे,
गोरखपुर-273001

आवंटन पत्र संख्या 1183 दिनांक 11.09.2023 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. J-27 से. 13 क्षे. 2900.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	9788	रु0	3790
योग (ब)	रु0	9788	रु0	3790
महायोग (अ एवं ब)	रु0	9788	रु0	3790


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 979.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. J-26 / से. 13 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स तन्मय इण्टरप्राइजेज

प्रोपराईटर श्रीमती प्रीती पत्नी श्री गोविन्द कुमार खण्डेलवाल

निवासी-भूखण्ड संख्या ए-48, ए-34, सेक्टर-13,

गीडा, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 1181 दिनांक 11.09.2023 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. J-26 से. 13 क्षे. 1800.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0 0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 0	रु0 0
योग (अ)	रु0 0	रु0 0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0 0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 6076	रु0 2352
योग (ब)	रु0 6076	रु0 2352
महायोग (अ एवं ब)	रु0 6076	रु0 2352


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 608.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. J-25 / से. 13 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स शक्ति ट्रेडिंग कम्पनी, प्रोपराईटर श्री शक्ति सुन्दरम पुत्र श्री
निवासी-अपर प्राईमरी मिडिल स्कूल नेतवार
दरौली, नेतवार, सिवान,
बिहार-841235

आवंटन पत्र संख्या 1179 दिनांक 11.09.2023 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. J-25 से. 13 क्षे. 1800.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6076	रु0	2352
योग (ब)	रु0	6076	रु0	2352
महायोग (अ एवं ब)	रु0	6076	रु0	2352

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 608.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **G-36** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स पायनियर इण्टरप्राइजेज

प्रोपराईटर श्री सिद्धान्त प्रताप राव पुत्र श्री सत्येन्द्र प्रताप राव,

निवासी-सेक्टर-13, गीडा, गोरखपुर।

मो0 नं0 9415417179

आवंटन पत्र संख्या **1171** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **G-36** से. **13** क्षे. **800.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0	0
योग (अ)	रु0	0	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2700	रु0	1045
योग (ब)	रु0	2700	रु0	1045
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2700	रु0	1045


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **270.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **G-41** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स ग्रीन ग्लोबल इण्डस्ट्रिज
प्रोपराईटर श्री गौरव केडिया पुत्र श्री गिरधारी लाल केडिया,
निवासी-सेक्टर-13, गीडा, सहजनवाँ,
गोरखपुर। मो0नं0-7272848586

आवंटन पत्र संख्या **1176** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **G-41** से. **13** क्षे. **1250.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0	0
योग (अ)	रु0	0	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4219	रु0	1634
योग (ब)	रु0	4219	रु0	1634
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4219	रु0	1634


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **422.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-40** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री फैसल अजीज पुत्र श्री महमूद अजीज
निवासी-ग्रुनाईटेड ट्रेडिंग कम्पनी के पीछे,
976-तुर्कमानपुर, गोरखपुर,
उत्तर प्रदेश-273001

आवंटन पत्र संख्या **1003** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-40** से. **13** क्षे. **700.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 40
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6663	रु0 627
योग (अ)	रु0	6663	रु0 667

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	866	रु0 44
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7700	रु0 700
योग (ब)	रु0	8566	रु0 744
महायोग (अ एवं ब)	रु0	15229	रु0 1411


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **770.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-72** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री मनीष कुमार चौधरी पुत्र श्री राजबीर चौधरी
निवासी-जी002, यूनिनव हार्ट्स, राज नगर एक्सटेंशन,
गाजियाबाद,
उत्तर प्रदेश-201017

आवंटन पत्र संख्या **991** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-72** से. **13** क्षे. **1000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1388	रु0
योग (अ)	रु0	-1388	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11000	रु0
योग (ब)	रु0	11000	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	9612	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/13** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

श्री विवेक कुमार सिंह पुत्र श्री राम गढ़ी सिंह
निवासी-एच-15एम,
दाउदपुर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **981** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/13** से. **15** क्षे. **750.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 54
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7242	रु0 782
योग (अ)	रु0	7242	रु0 836

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	941	रु0 55
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8250	रु0 750
योग (ब)	रु0	9191	रु0 805
महायोग (अ एवं ब)	रु0	16433	रु0 1641


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **825.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-1/30 / से. 13 / 2023-24 दिनांक

श्री अशोक कुमार गुप्ता पुत्र श्री गौरी शंकर गुप्ता
निवासी-एस/एस-37, राप्तिनगर, फेज-1,
निकट आरोग्य मंदिर,
गोरखपुर-273003

आवंटन पत्र संख्या 1022 दिनांक 30.12.2020 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-1/30 से. 13 क्षे. 210.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-350	रु0	-53
योग (अ)	रु0	-350	रु0	-53

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2310	रु0	210
योग (ब)	रु0	2310	रु0	210
महायोग (अ एवं ब)	रु0	1960	रु0	157


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 231.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-1/9 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री गोरख नन्द यादव पुत्र श्री रामधारी यादव
निवासी-395डी, आदर्श नगर,
बशारतपुर,
गोरखपुर-273004

आवंटन पत्र संख्या 1019 दिनांक 30.12.2020 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-1/9 से. 15 क्षे. 3000.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	6229	रु0 1770
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	60164	रु0 9016
योग (अ)	रु0	66393	रु0 10786

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	8631	रु0 707
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	33000	रु0 3000
योग (ब)	रु0	41631	रु0 3707
महायोग (अ एवं ब)	रु0	108024	रु0 14493


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 3300.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-1/18 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स मॉ विंध्यवासिनी इंडस्ट्रिज द्वारा श्री टूनाजी पाण्डेय पुत्र श्री
निवासी-15बी, राम नगर कालोनी,
मोहददीपुर, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या 1012 दिनांक 30.12.2020 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-1/18 से. 15 क्षे. 1800.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 106
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	17206	रु0 1644
योग (अ)	रु0	17206	रु0 1750

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	2237	रु0 115
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	19800	रु0 1800
योग (ब)	रु0	22037	रु0 1915
महायोग (अ एवं ब)	रु0	39243	रु0 3665


नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 1980.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-1/15 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

श्री पवन कुमार सिंह पुत्र श्री ओम प्रकाश सिंह
निवासी-मकान संख्या-132, दक्षिणी बेतियाहाता, रुस्तमपुर ढाला,
शिवपुरी न्यू कालोनी,
गोरखपुर, उ0 प्र0-273016

आवंटन पत्र संख्या 1017 दिनांक 30.12.2020 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-1/15 से. 15 क्षे. 1050.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0 0	रु0 31
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 9890	रु0 474
योग (अ)	रु0 9890	रु0 505

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0 1286	रु0 33
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 11550	रु0 1050
योग (ब)	रु0 12836	रु0 1083
महायोग (अ एवं ब)	रु0 22726	रु0 1588


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 1155.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-1/28 / से. 13 / 2023-24 दिनांक

श्री आशीष चौरसिया पुत्र श्री ओम प्रकाश
निवासी-ग्राम-कटया, हरपुर,
हरपुर बुद्धहट, सहजनवाँ,
गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र संख्या 1024 दिनांक 30.12.2020 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-1/28 से. 13 क्षे. 290.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	602	रु0 171
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5816	रु0 872
योग (अ)	रु0	6418	रु0 1043

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	834	रु0 68
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3190	रु0 290
योग (ब)	रु0	4024	रु0 358
महायोग (अ एवं ब)	रु0	10442	रु0 1401


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 319.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/34** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री अर्जुन विश्वकर्मा पुत्र श्री लालजी
निवासी-सैदली बेन्दली, बाघा बाबा रोड, पोस्ट-बड़गों,
(शिवपुरी न्यू कालोनी)
गोरखपुर-273016

आवंटन पत्र संख्या **1025** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/34** से. **13** क्षे. **350.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-373	रु0	-364
योग (अ)	रु0	-373	रु0	-364

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3850	रु0	350
योग (ब)	रु0	3850	रु0	350
महायोग (अ एवं ब)	रु0	3477	रु0	-14

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **385.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-55** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स गोकुल इण्डस्ट्रीज (साझेदारी फर्म) द्वारा श्री गौरव अग्रवाल
निवासी-101, सरोज कृन्ज, निकट नार्मल रोड,
जैसवाल मोटर के पीछे, खूर्मपुर,
गोरखपुर-273001

आवंटन पत्र संख्या **1021** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-55** से. **13** क्षे. **1800.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1812	रु0
योग (अ)	रु0	-1812	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	19800	रु0
योग (ब)	रु0	19800	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	17988	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1980.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-42** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती सुशीला सिंह पत्नी श्री गोरख बहादुर सिंह
निवासी-124ए, हमार्यूपर उत्तरी,
गोरखनाथ,
गोरखपुर-273015

आवंटन पत्र संख्या **1042** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-42** से. **13** क्षे. **470.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	976	रु0 277
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	9426	रु0 1413
योग (अ)	रु0	10402	रु0 1690

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1352	रु0 111
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5170	रु0 470
योग (ब)	रु0	6522	रु0 581
महायोग (अ एवं ब)	रु0	16924	रु0 2271

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **517.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-48** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री राम वशिष्ठ यादव पुत्र श्री राम नक्षत्र यादव
निवासी-ए-239, पंडारा रोड, निकट इण्डिया गेट,
नई-दिल्ली-110003

आवंटन पत्र संख्या **1043** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-48** से. **13** क्षे. **3000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	3670	रु0 1770
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	60164	रु0 9016
योग (अ)	रु0	63834	रु0 10786

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	8298	रु0 707
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	33000	रु0 3000
योग (ब)	रु0	41298	रु0 3707
महायोग (अ एवं ब)	रु0	105132	रु0 14493


नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **3300.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. K-37 / से. 13 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स कान्हा इण्डस्ट्रीज (प्रोपराईटर) श्रीमती कान्ति मल्ल पत्नी श्री
निवासी-एल0आई0जी0-6, ब्रह्म विहार पार्ट-सी,
तारामण्डल, गोरखपुर-273016

आवंटन पत्र संख्या 1035 दिनांक 30.12.2020 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. K-37 से. 13 क्षे. 940.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-778	रु0
योग (अ)	रु0	-778	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	10340	रु0
योग (ब)	रु0	10340	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	9562	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 1034.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-41** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती किरन पाण्डेय पत्नी श्री शिवराम कृष्ण पाण्डेय
निवासी-214, दिग्विजय नगर, उत्तरी हमार्यूपुर,
गोरखनाथ,
गोरखपुर-273015

आवंटन पत्र संख्या **1031** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-41** से. **13** क्षे. **700.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	856	रु0 413
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	14038	रु0 2104
योग (अ)	रु0	14894	रु0 2517

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	1936	रु0 165
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7700	रु0 700
योग (ब)	रु0	9636	रु0 865
महायोग (अ एवं ब)	रु0	24530	रु0 3382


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **770.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-31** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती डौली गुप्ता पत्नी श्री अजय कुमार गुप्ता
निवासी-भरटोलिया स्टेनपुर, जंगल तिकोनिया नगर, जंगल सालिक
पादरी बाजार, गोरखपुर,
उ० प्र० 273014

आवंटन पत्र संख्या **1032** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-31** से. **13** क्षे. **720.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	1494	रु० 425
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	14439	रु० 2164
योग (अ)	रु०	15933	रु० 2589

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	2071	रु० 170
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	7920	रु० 720
योग (ब)	रु०	9991	रु० 890
महायोग (अ एवं ब)	रु०	25924	रु० 3479


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **792.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-33** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री उमेन्द्र सिंह पुत्र श्री एम0एस0 सिंह
निवासी-78, सिंघपुर कला, बनरसिहा खर्द,
महाराजगंज,
उ0 प्र0 273164

आवंटन पत्र संख्या **1005** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-33** से. **13** क्षे. **600.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0	0
योग (अ)	रु0	0	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6600	रु0	600
योग (ब)	रु0	6600	रु0	600
महायोग (अ एवं ब)	रु0	6600	रु0	600


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **660.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-69** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री आनन्द प्रकाश दूबे पुत्र श्री नरेन्द्र प्रसाद दूबे
निवासी-85, शिवाजी नगर, निकट दुर्गा चौक,
पोस्ट-शिवपुरी न्यू कालोनी, गोरखपुर,
उ० प्र०-273016

आवंटन पत्र संख्या **1020** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-69** से. **13** क्षे. **1000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु०	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-758	रु०	-163
योग (अ)	रु०	-758	रु०	-163

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु०	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	11000	रु०	1000
योग (ब)	रु०	11000	रु०	1000
महायोग (अ एवं ब)	रु०	10242	रु०	837

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **1100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-52** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स एम0वी0 उद्योग (साझेदारी फर्म) द्वारा श्रीमती विन्ध्यवासिनी देवी एवं श्री राजेश कुमार गुप्ता (साझेदार) पुत्र श्री विजय चन्द गुप्ता, निवासी-नगर पंचायत मुंडेरा बाजार, चौरी-चौरा, जिला-गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **1027** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-52** से. **13** क्षे. **1800.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 111
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	17574	रु0 1715
योग (अ)	रु0	17574	रु0 1826

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	2285	रु0 120
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	19800	रु0 1800
योग (ब)	रु0	22085	रु0 1920
महायोग (अ एवं ब)	रु0	39659	रु0 3746


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1980.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-53** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स स्पार्टी टफन प्रा0 लि0 द्वारा श्री राम प्रवेश शर्मा (निदेशक)
पता-गैस गोदाम गली, पुर्दिलपुर,
गोरखपुर, उ0 प्र0 273001

आवंटन पत्र संख्या **1008** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-53** से. **13** क्षे. **1800.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 88
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	17293	रु0 1368
योग (अ)	रु0	17293	रु0 1456

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	2248	रु0 95
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	19800	रु0 1800
योग (ब)	रु0	22048	रु0 1895
महायोग (अ एवं ब)	रु0	39341	रु0 3351


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1980.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-28** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स विन्ध्यवासिनी इण्डस्ट्रीज एल0एल0पी0 द्वारा श्री संजय सिंह
पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, निवासी-ई-10, हाइडिल कालोनी,
कूडाघाट, गोरखपुर-273008

आवंटन पत्र संख्या **1037** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-28** से. **13** क्षे. **8500.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	10412	रु0 5015
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	170464	रु0 25546
योग (अ)	रु0	180876	रु0 30561

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	23514	रु0 2003
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	93500	रु0 8500
योग (ब)	रु0	117014	रु0 10503
महायोग (अ एवं ब)	रु0	297890	रु0 41064


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **9350.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-70** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री संत कुमार जालान पुत्र स्व० प्रेमसुख दास जालान
निवासी-बैंक रोड़,
सिसवा बाजार,
महाराजगंज।

आवंटन पत्र संख्या **982** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-70** से. **13** क्षे. **1000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-1000	रु० 0
योग (अ)	रु०	-1000	रु० 0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	11000	रु० 1000
योग (ब)	रु०	11000	रु० 1000
महायोग (अ एवं ब)	रु०	10000	रु० 1000


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **1100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-62** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स एस0आर0वी0के0 इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 द्वारा श्री अभिषेक सिंह पुत्र
निवासी-3के, अशोक नगर (दक्षिणी),
बशारतपुर, गोरखपुर-273004

आवंटन पत्र संख्या **985** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-62** से. **13** क्षे. **6475.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1266	रु0	163
योग (अ)	रु0	1266	रु0	163

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	25	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	71225	रु0	6475
योग (ब)	रु0	71250	रु0	6475
महायोग (अ एवं ब)	रु0	72516	रु0	6638

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **7123.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-63** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स ऐशवी फार्मस प्रा0 लि0 द्वारा श्री विकास अग्रवाल पुत्र श्री श्याम
निवासी-फ्लैट नं.-203, ब्लाक-ए, अम्बेश्वरी पैराडाइज,
एच0पी0 दूबे मार्ग, रुस्तमपुर,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **986** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-63** से. **13** क्षे. **4200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-20144	रु0
योग (अ)	रु0	-20144	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	46200	रु0
योग (ब)	रु0	46200	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	26056	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **4620.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-46** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री युधिष्ठिर सिंह पुत्र श्री देवी शरन सिंह
निवासी-बिडार, चड़राव,
सहजनवाँ,
गोरखपुर, यू0पी0

आवंटन पत्र संख्या **996** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-46** से. **13** क्षे. **940.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1570	रु0
योग (अ)	रु0	-1570	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	10340	रु0
योग (ब)	रु0	10340	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	8770	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1034.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-43** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री ईश्वर चन्द जायसवाल पुत्र श्री पुरुषोत्तम जायसवाल
निवासी-निकट काली मंदिर, लूचई वार्ड नं.-15,
सहजनवाँ,
गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र संख्या **995** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-43** से. **13** क्षे. **980.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	2035	रु0 578
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	19654	रु0 2945
योग (अ)	रु0	21689	रु0 3523

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	2820	रु0 231
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	10780	रु0 980
योग (ब)	रु0	13600	रु0 1211
महायोग (अ एवं ब)	रु0	35289	रु0 4734


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1078.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-35** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री अभिषेक गुप्ता पुत्र श्री धनश्याम गुप्ता
निवासी-354ई, आवास विकास कालोनी,
बेतियाहाता, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **998** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-35** से. **13** क्षे. **890.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	1848	रु0 526
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	17849	रु0 2675
योग (अ)	रु0	19697	रु0 3201

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	2561	रु0 210
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	9790	रु0 890
योग (ब)	रु0	12351	रु0 1100
महायोग (अ एवं ब)	रु0	32048	रु0 4301


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **979.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. K-36 / से. 13 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स डी0एस0सी0 इंटीरियर द्वारा श्री दिनेश रामानंद शर्मा पुत्र श्री
निवासी-बी-203, अंक्र इन्क्लेव, विजय पार्क गेट नं.-2, झटवल मीरा
ईस्ट-मीरा भयंदर, ठाणे, मीरा रोड,
महाराष्ट्र-401107

आवंटन पत्र संख्या 999 दिनांक 30.12.2020 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. K-36 से. 13 क्षे. 800.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-310	रु0
योग (अ)	रु0	-310	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8800	रु0	800
योग (ब)	रु0	8800	रु0	800
महायोग (अ एवं ब)	रु0	8490	रु0	800


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 880.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-44** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री निवास सिंह
निवासी-2के0एच0, देवरिया बाई पास, एस0बी0आई0 तारामंडल,
सिद्धार्थ इन्क्लेव, एस0ओ0, गोरखपुर,
उ0 प्र0 273017

आवंटन पत्र संख्या **978** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-44** से. **13** क्षे. **2600.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेंट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	5399	रु0 1535
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	52142	रु0 7814
योग (अ)	रु0	57541	रु0 9349

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	7480	रु0 613
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	28600	रु0 2600
योग (ब)	रु0	36080	रु0 3213
महायोग (अ एवं ब)	रु0	93621	रु0 12562


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **2860.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेंट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-64** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स हरिओम फीडिय प्राइवेट लिमिटेड द्वारा श्री दिलीप कुमार सिंह पुत्र
द्वारा हरिओम एग्रो इंडस्ट्रीज, निकट रेलवे स्टेशन, भूदेव संस्कृत
गोपालगंज-841428

आवंटन पत्र संख्या **987** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-64** से. **13** क्षे. **5364.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेंट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेंट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	48	रु0 1251
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	24063	रु0 3687
योग (अ)	रु0	24111	रु0 4938

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	3117	रु0 324
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	59004	रु0 5364
योग (ब)	रु0	62121	रु0 5688
महायोग (अ एवं ब)	रु0	86232	रु0 10626


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **5900.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेंट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-34** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री राजेश्वर प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री मिठाई लाल
निवासी-मिर्जापुर, गोड़ियाना, वार्ड नं.-41,
गोरखपुर, उ० प्र० -273005

आवंटन पत्र संख्या **1006** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-34** से. **13** क्षे. **600.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	-687	रु० -65
योग (अ)	रु०	-687	रु० -65

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	6600	रु० 600
योग (ब)	रु०	6600	रु० 600
महायोग (अ एवं ब)	रु०	5913	रु० 535


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **660.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ० प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. K-61 / से. 13 / 2023-24 दिनांक

श्री राजू कुमार सिंह पुत्र श्री उपेन्द्र सिंह
निवासी-मकान संख्या-232सी, नकहा नं.-2, भगवानपुर खास,
पोस्ट-मोहरीपुर,
गोरखपुर-273007

आवंटन पत्र संख्या 1013 दिनांक 30.12.2020 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. K-61 से. 13 क्षे. 1480.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1568	रु0
योग (अ)	रु0	-1568	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	16280	रु0
योग (ब)	रु0	16280	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	14712	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 1628.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-1/14 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स सौरदिशा इन्वोवेशन्स प्रा0 लि0 द्वारा श्रीमती नमिता पाण्डेय पत्नी
व जीतेन्द्र कुमार पाण्डेय व श्री अरविन्द कुमार (निदेशक),
जिला-कूशीनगर-274401

आवंटन पत्र संख्या 1034 दिनांक 30.12.2020 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-1/14 से. 15 क्षे. 691.25 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-171	रु0
योग (अ)	रु0	-171	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7604	रु0
योग (ब)	रु0	7604	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	7433	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 760.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-68** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजेश कुमार यादव
निवासी-ग्राम-लूचई, वार्ड नं.-13,
नगर पंचायत सहजनवाँ,
जिला-गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र संख्या **1018** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-68** से. **13** क्षे. **1000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-1247	रु0
योग (अ)	रु0	-1247	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11000	रु0
योग (ब)	रु0	11000	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	9753	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-54** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

श्री मानस सिंह पुत्र श्री राम प्रकाश सिंह
निवासी-ग्राम-भगौरा,
पोस्ट-सहजनवाँ,
जिला-गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र संख्या **1009** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-54** से. **13** क्षे. **1800.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	2172	रु0 353
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	35954	रु0 3025
योग (अ)	रु0	38126	रु0 3378

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	4956	रु0 221
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	19800	रु0 1800
योग (ब)	रु0	24756	रु0 2021
महायोग (अ एवं ब)	रु0	62882	रु0 5399


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1980.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-60** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स कान्सेप्ट इन्फ्राकोन प्राईवेट लिमिटेड द्वारा श्री गौरव सिन्हा पुत्र
निवासी-फ्लैट नं.-371, नवल टेक आफिसर सोसाएटी, प्लॉट नं.-3ए,
सेक्टर-22, द्वारिका, नई-दिल्ली-110077

आवंटन पत्र संख्या **980** दिनांक **30.12.2020** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-60** से. **13** क्षे. **2800.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 155
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	27344	रु0 2406
योग (अ)	रु0	27344	रु0 2561

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	3555	रु0 168
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	30800	रु0 2800
योग (ब)	रु0	34355	रु0 2968
महायोग (अ एवं ब)	रु0	61699	रु0 5529

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **3080.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **AL-5A** / से. **23** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स गैलेन्ट इण्डस्ट्री प्रा0 लि0 द्वारा श्री प्रेम प्रकाश अग्रवाल (निदेशक)
पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद अग्रवाल, निवासी-भूखण्ड संख्या-ए.एल.-5,
सेक्टर-23, गीडा,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **4890000** दिनांक **29.11.2006** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **AL-5A** से. **23** क्षे. **20025.0** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0 -3
योग (अ)	रु0	0	रु0 -3

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0 4
योग (ब)	रु0	0	रु0 4
महायोग (अ एवं ब)	रु0	0	रु0 1

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **0.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/1** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स तत्वा प्लास्टिक पाईप्स प्रा0 लि0 द्वारा श्रीमती सूशीला देवी गोयल
पत्नी श्री जवाहर लाल गोयल, निवासी-22, नन्दतारा, ओ.ए.के. ड्राईव,
सुल्तानपुर-मेहरौली, दक्षिणी दिल्ली,
नई-दिल्ली-110030

आवंटन पत्र संख्या **1045** दिनांक **23.11.2021** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/1** से. **26** क्षे. **22000.0** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 23
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6965	रु0 697
योग (अ)	रु0	6965	रु0 720

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	685	रु0 47
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	242000	रु0 22000
योग (ब)	रु0	242685	रु0 22047
महायोग (अ एवं ब)	रु0	249650	रु0 22767

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **24200.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-9** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स क्वार्टेज ओपलवेयर प्रा0 लि0

द्वारा श्री रविन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री शिवनाथ प्रसाद अग्रवाल

पता—म0न0—25, तरंग रोड, मोहल्ला—हजारीपुर,

गोरखपुर—273001

आवंटन पत्र संख्या **1047** दिनांक **28.03.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-9** से. **26** क्षे. **20067.3** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-711	रु0	-3505
योग (अ)	रु0	-711	रु0	-3505

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	220741	रु0	20067
योग (ब)	रु0	220741	रु0	20067
महायोग (अ एवं ब)	रु0	220030	रु0	16562


नोट:—रख-रखाव शुल्क— समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **22074.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट— समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. B-11 / से. 26 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स आदित्य मोटर प्रा0 लि0

द्वारा श्री राजू कुमार जायसवाल पुत्र स्व0 भीम जायसवाल

पता-20/146, विजय सिनेमा रोड, गरुलपार,

जिला-देवरिया-274001

आवंटन पत्र संख्या 1046 दिनांक 28.03.2022 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. B-11 से. 26 क्षे. 20067.3 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0 0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 -341	रु0 -79
योग (अ)	रु0 -341	रु0 -79

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0 0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 220741	रु0 20067
योग (ब)	रु0 220741	रु0 20067
महायोग (अ एवं ब)	रु0 220400	रु0 19988


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 22074.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-18** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

मै0 नेचुरल रिसोर्स बायोकेम प्रा0 लि0 द्वारा श्री शिव प्रसाद सहानी,
पुत्र श्री बैजू प्रसाद सहानी, पता-एम0आई0जी0-5, नेताजी सूबास चन्द्र
बोस नगर, बिलन्दपुर खत्ता,
गोरखपुर-273015

आवंटन पत्र संख्या **1051** दिनांक **28.03.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-18** से. **26** क्षे. **3996.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-638	रु0
योग (अ)	रु0	-638	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	43956	रु0
योग (ब)	रु0	43956	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	43318	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **4396.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. C-1 / से. 26 / 2023-24 दिनांक

श्री मनीष केडिया पुत्र जगदीश प्रसाद केडिया,
पता: एम-705, मंजू कूटिर, बेतियाहाता,
उत्तरी, गोरखपुर,
उ0प्र0-273001

आवंटन पत्र संख्या 1048 दिनांक 28.03.2022 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. C-1 से. 26 क्षे. 3996.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 454
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	30545	रु0 7050
योग (अ)	रु0	30545	रु0 7504

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	3971	रु0 492
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	43956	रु0 3996
योग (ब)	रु0	47927	रु0 4488
महायोग (अ एवं ब)	रु0	78472	रु0 11992

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 4396.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/16** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

श्री मयूर अग्रवाल पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार अग्रवाल,
निवासी : द्वारा श्री बालाजी ट्रेडर्स, गांधीगली,
गोलघर,
गोरखपुर 273001

आवंटन पत्र संख्या **1064** दिनांक **30.03.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/16** से. **26** क्षे. **1000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7589	रु0
योग (अ)	रु0	7589	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	987	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11000	रु0
योग (ब)	रु0	11987	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	19576	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/31** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

कुमारी पूनम गौतम पुत्री श्री राहुल कुमार गौतम,
निवासी : ग्राम व पोस्ट बरईपार,
तहसील सहजनवां,
गोरखपुर 273209

आवंटन पत्र संख्या **1078** दिनांक **30.03.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/31** से. **26** क्षे. **510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-171	रु0
योग (अ)	रु0	-171	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5610	रु0
योग (ब)	रु0	5610	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5439	रु0


नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **561.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. A-2/61 / से. 26 / 2023-24 दिनांक

श्री अभिनव सिंह पुत्र श्री रणजीत कुमार सिंह,
निवासी : सी/130/167, 43 जेल रोड़, शाहपुर,
गीता वाटिका,
गोरखपुर 273006

आवंटन पत्र संख्या 1089 दिनांक 30.03.2022 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. A-2/61 से. 26 क्षे. 510.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 58
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3870	रु0 897
योग (अ)	रु0	3870	रु0 955

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	503	रु0 63
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5610	रु0 510
योग (ब)	रु0	6113	रु0 573
महायोग (अ एवं ब)	रु0	9983	रु0 1528


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 561.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. A-2/1 / से. 26 / 2023-24 दिनांक

मै0 स्नाइडर लाइफसाइंस प्रा0लि0 द्वारा श्री राजेश पाण्डेय (निदेशक)
पुत्र श्री पारस नाथ पाण्डेय, पता : 4/4, विकास खण्ड, निकट शंकर
गोमती नगर,
लखनऊ 226010,

आवंटन पत्र संख्या 1110 दिनांक 30.03.2022 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. A-2/1 से. 26 क्षे. 4306.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 488
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	32678	रु0 7574
योग (अ)	रु0	32678	रु0 8062

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	4248	रु0 528
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	47366	रु0 4306
योग (ब)	रु0	51614	रु0 4834
महायोग (अ एवं ब)	रु0	84292	रु0 12896


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 4737.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/41** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

श्री प्रसून गोयल पुत्र श्री गोपाल चंद्र अग्रवाल,
निवासी : 359, अलीनगर उत्तरी,
गोरखपुर 273001,

आवंटन पत्र संख्या **1061** दिनांक **30.03.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/41** से. **26** क्षे. **510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 58
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3870	रु0 897
योग (अ)	रु0	3870	रु0 955

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	503	रु0 63
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5610	रु0 510
योग (ब)	रु0	6113	रु0 573
महायोग (अ एवं ब)	रु0	9983	रु0 1528


नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **561.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. A-2/99 / से. 26 / 2023-24 दिनांक

मै0 फ्यूचर गोल्ड स्कूल यूनिफार्म प्रा0लि0
द्वारा श्री जहांगीर आलम अंसारी (निदेशक) पुत्र श्री कमालुद्दीन अंसारी,
पता : भू0सं0 ए-4/09, सेक्टर-22, गीडा,
गोरखपुर 273212,

आवंटन पत्र संख्या 1071 दिनांक 30.03.2022 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. A-2/99 से. 26 क्षे. 800.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 91
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6071	रु0 1407
योग (अ)	रु0	6071	रु0 1498

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	789	रु0 98
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8800	रु0 800
योग (ब)	रु0	9589	रु0 898
महायोग (अ एवं ब)	रु0	15660	रु0 2396

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 880.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/91** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

श्री राज कुमार मल्ल पुत्र श्री पारस नाथ मल्ल,
निवासी : ग्राम व पोस्ट-लालनपुर,
मधुबन,
मऊ 221603,

आवंटन पत्र संख्या **1111** दिनांक **30.03.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/91** से. **26** क्षे. **800.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6071	रु0
योग (अ)	रु0	6071	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	789	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8800	रु0
योग (ब)	रु0	9589	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	15660	रु0

2396


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **880.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. B-10 / से. 26 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स सी0पी0 मिल्क एण्ड फूड प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0
द्वारा श्री अनुज अग्रवाल (निदेशक) पुत्र श्री एस0पी0 अग्रवाल,
विभूती खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ, उ0 प्र0-226006

आवंटन पत्र संख्या 1113 दिनांक 13.05.2022 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. B-10 से. 26 क्षे. 20067.3 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0 0	रु0 2119
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 128101	रु0 32877
योग (अ)	रु0 128101	रु0 34996

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0 16653	रु0 2293
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 220741	रु0 20067
योग (ब)	रु0 237394	रु0 22360
महायोग (अ एवं ब)	रु0 365495	रु0 57356

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 22074.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. B-2 / से. 26 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स केयान डिस्टीलरीज प्रा0 लि0 द्वारा श्री विनय कुमार सिंह
पुत्र श्री महेन्द्र नाथ सिंह, निवासी-फ्लैट नं.-301, सहारा उपहार
टाईप-2ए दाउदपुर, हरिहर प्रसाद दूबे मार्ग, गोरखपुर
उ0 प्र0 -273001

आवंटन पत्र संख्या 1112 दिनांक 29.04.2022 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. B-2 से. 26 क्षे. 79441.0 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-86504	रु0
योग (अ)	रु0	-86504	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	873851	रु0
योग (ब)	रु0	873851	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	787347	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 87385.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/40** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

मै0 लक्ष्मीवासुदेव प्रा0लि0 द्वारा श्रीमती अनीता गुप्ता (निदेशक)
पत्नी श्री प्रदीप कुमार साव, निवासी : ग्राम व पोस्ट घघसरा बाजार,
तहसील सहजनवां,
जिला गोरखपुर 273209

आवंटन पत्र संख्या **1062** दिनांक **30.03.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/40** से. **26** क्षे. **510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 58
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3870	रु0 897
योग (अ)	रु0	3870	रु0 955

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	503	रु0 63
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5610	रु0 510
योग (ब)	रु0	6113	रु0 573
महायोग (अ एवं ब)	रु0	9983	रु0 1528

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **561.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/34** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

श्री सुरेन्द्र शुक्ला पुत्र श्री दीना नाथ शुक्ला,
निवासी : 85बी, रामजानकी नगर,
बशारतपुर,
गोरखपुर 273004,

आवंटन पत्र संख्या **1086** दिनांक **30.03.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/34** से. **26** क्षे. **510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	58
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3870	रु0	897
योग (अ)	रु0	3870	रु0	955

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	503	रु0	63
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5610	रु0	510
योग (ब)	रु0	6113	रु0	573
महायोग (अ एवं ब)	रु0	9983	रु0	1528


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **561.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/48** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

श्री देव नारायण यादव पुत्र श्री गोरख नाथ यादव,
निवासी : 360सी, ज्ञानेन्द्र नगर, अलहदादपुर,
गोरखपुर,
उ०प्र० 273001,

आवंटन पत्र संख्या **1073** दिनांक **30.03.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/48** से. **26** क्षे. **510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	321	रु० 78
योग (अ)	रु०	321	रु० 78

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	13	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	5610	रु० 510
योग (ब)	रु०	5623	रु० 510
महायोग (अ एवं ब)	रु०	5944	रु० 588


नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **561.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/60** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

श्री अजीत पाण्डेय पुत्र श्री धनंजय पाण्डेय,
निवासी : सी-148/3, आर.डी.एस.ओ. कालोनी,
मानक नगर,
लखनऊ 226011,

आवंटन पत्र संख्या **1101** दिनांक **30.03.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/60** से. **26** क्षे. **510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 58
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3870	रु0 897
योग (अ)	रु0	3870	रु0 955

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	503	रु0 63
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5610	रु0 510
योग (ब)	रु0	6113	रु0 573
महायोग (अ एवं ब)	रु0	9983	रु0 1528


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **561.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/52** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

श्री हरि राम मिश्रा पुत्र स्व० गंगा प्रसाद मिश्रा,
निवासी : म०सं० सी-107, सेक्टर-5,
न्यू गोरखपुर आवासीय योजना,
गीडा, गोरखपुर 273212,

आवंटन पत्र संख्या **1074** दिनांक **30.03.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/52** से. **26** क्षे. **510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 58
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	3870	रु० 897
योग (अ)	रु०	3870	रु० 955

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	503	रु० 63
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	5610	रु० 510
योग (ब)	रु०	6113	रु० 573
महायोग (अ एवं ब)	रु०	9983	रु० 1528

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **561.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/8** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती अनिता अग्रवाल पत्नी श्री संजय कुमार अग्रवाल,
निवासी : 0354-एच, बेतियाहाता,
निकट सराफ बिल्डिंग, सदर,
गोरखपुर 273001

आवंटन पत्र संख्या **1060** दिनांक **30.03.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/8** से. **26** क्षे. **1000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-68	रु0
योग (अ)	रु0	-68	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11000	रु0
योग (ब)	रु0	11000	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	10932	रु0

नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/29** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती सुमन पत्नी श्री बिद्यानन्द,
निवासी : वार्ड नं0 11,
पूर्वी इचौना, सलेमपुर,
देवरिया 274509,

आवंटन पत्र संख्या **1087** दिनांक **30.03.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/29** से. **26** क्षे. **510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	58
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3870	रु0	897
योग (अ)	रु0	3870	रु0	955

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	503	रु0	63
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5610	रु0	510
योग (ब)	रु0	6113	रु0	573
महायोग (अ एवं ब)	रु0	9983	रु0	1528


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **561.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/95** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

मै0 गजेन्द्र इण्डस्ट्रीज (साझेदारी फर्म) द्वारा श्री शान्तनु चतुर्वेदी
पुत्र श्री सुनील कुमार चतुर्वेदी, पता : एच.आई.जी./बी 363, पूर्वी
तारामण्डल, सिद्धार्थ इक्लेव,
गोरखपुर 273017,

आवंटन पत्र संख्या **1080** दिनांक **30.03.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/95** से. **26** क्षे. **800.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 91
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6071	रु0 1407
योग (अ)	रु0	6071	रु0 1498

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	789	रु0 98
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8800	रु0 800
योग (ब)	रु0	9589	रु0 898
महायोग (अ एवं ब)	रु0	15660	रु0 2396


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **880.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. A-2/12 / से. 26 / 2023-24 दिनांक

श्री इमरान अहमद पुत्र श्री वसी अहमद,
निवासी : म0नं0 155, रसूलपुर, निकट गोरखनाथ मंदिर,
पोस्ट-गोरखनाथ,
गोरखपुर 273015,

आवंटन पत्र संख्या 1099 दिनांक 30.03.2022 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. A-2/12 से. 26 क्षे. 1000.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 113
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7589	रु0 1759
योग (अ)	रु0	7589	रु0 1872

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	987	रु0 123
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11000	रु0 1000
योग (ब)	रु0	11987	रु0 1123
महायोग (अ एवं ब)	रु0	19576	रु0 2995


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 1100.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/92** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

श्री इस्तेयाक अहमद पुत्र स्व0 मो0 इस्माइल,
निवासी : पिपरौली बाजार,
सहजनवां,
गोरखपुर 273212,

आवंटन पत्र संख्या **1070** दिनांक **30.03.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/92** से. **26** क्षे. **800.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 91
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6071	रु0 1407
योग (अ)	रु0	6071	रु0 1498

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	789	रु0 98
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8800	रु0 800
योग (ब)	रु0	9589	रु0 898
महायोग (अ एवं ब)	रु0	15660	रु0 2396


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **880.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/50** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

श्रीमती माधुरी सिंह पत्नी श्री उग्रसेन सिंह,
निवासी : ग्राम-मेहदिया,
गोरखपुर 273411,

आवंटन पत्र संख्या **1096** दिनांक **30.03.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/50** से. **26** क्षे. **510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	58
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3870	रु0	897
योग (अ)	रु0	3870	रु0	955

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	503	रु0	63
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5610	रु0	510
योग (ब)	रु0	6113	रु0	573
महायोग (अ एवं ब)	रु0	9983	रु0	1528


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **561.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/49** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

श्री मुन्नी लाल विश्वकर्मा पुत्र श्री त्रिवेनी विश्वकर्मा,
निवासी : 51, ग्राम-चन्द्रौटी,
पोस्ट-नोकटा, जमिरा,
संत कबीर नगर 272176,

आवंटन पत्र संख्या **1083** दिनांक **30.03.2022** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/49** से. **26** क्षे. **510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 58
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3870	रु0 897
योग (अ)	रु0	3870	रु0 955

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	503	रु0 63
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5610	रु0 510
योग (ब)	रु0	6113	रु0 573
महायोग (अ एवं ब)	रु0	9983	रु0 1528


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **561.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/44** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

श्री मो० इल्ताफ पुत्र श्री मो० इस्लाम,
निवासी : 359ए, तूकमानपुर,
वार्ड नं० 50,
गोरखपुर 273005,

आवंटन पत्र संख्या **1108** दिनांक **30.03.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/44** से. **26** क्षे. **596.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 68
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	4523	रु० 1048
योग (अ)	रु०	4523	रु० 1116

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	588	रु० 73
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	6556	रु० 596
योग (ब)	रु०	7144	रु० 669
महायोग (अ एवं ब)	रु०	11667	रु० 1785


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **656.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/93** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

श्री राज कुमार यादव पुत्र श्री बाल किशुन यादव,
निवासी : म0सं0 बी-72, सेक्टर-23,
यादव मोड़, गीडा, सहजनवां,
गोरखपुर, उ0प्र0 273209,

आवंटन पत्र संख्या **1077** दिनांक **30.03.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/93** से. **26** क्षे. **800.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 91
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6071	रु0 1407
योग (अ)	रु0	6071	रु0 1498

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	789	रु0 98
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8800	रु0 800
योग (ब)	रु0	9589	रु0 898
महायोग (अ एवं ब)	रु0	15660	रु0 2396


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **880.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/81** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

श्री अभिनव अग्रवाल पुत्र श्री गोविन्द दास अग्रवाल,
निवासी-4786, तुलसी धाम कालोनी
उरई, जिला-जालौन,
उ0 प्र0-285001

आवंटन पत्र संख्या **1057** दिनांक **30.03.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/81** से. **26** क्षे. **510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-17	रु0	-77
योग (अ)	रु0	-17	रु0	-77

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5610	रु0	510
योग (ब)	रु0	5610	रु0	510
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5593	रु0	433


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **561.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/46** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

श्री अवध प्रताप सिंह पुत्र श्री राम पाल सिंह,
निवासी : सोल्हवां,
अम्बेडकर नगर, 224147,

आवंटन पत्र संख्या **1100** दिनांक **30.03.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/46** से. **26** क्षे. **510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 58
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3870	रु0 897
योग (अ)	रु0	3870	रु0 955

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	503	रु0 63
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5610	रु0 510
योग (ब)	रु0	6113	रु0 573
महायोग (अ एवं ब)	रु0	9983	रु0 1528

नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **561.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/59** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

श्री अनूप उपाध्याय पुत्र श्री अरुण कुमार उपाध्याय,
पता : 43एफ, नथमलपुर,
गोरखनाथ,
गोरखपुर 273015,

आवंटन पत्र संख्या **1093** दिनांक **30.03.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/59** से. **26** क्षे. **510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 58
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3870	रु0 897
योग (अ)	रु0	3870	रु0 955

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	503	रु0 63
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5610	रु0 510
योग (ब)	रु0	6113	रु0 573
महायोग (अ एवं ब)	रु0	9983	रु0 1528


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **561.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. A-2/11 / से. 26 / 2023-24 दिनांक

श्रीमती कृष्णम जायसवाल पत्नी श्री राजेश जायसवाल,
निवासी : म0सं0 173,
छोटेकाजीपुर,
गोरखपुर 273001,

आवंटन पत्र संख्या 1075 दिनांक 30.03.2022 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. A-2/11 से. 26 क्षे. 1000.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 113
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7589	रु0 1759
योग (अ)	रु0	7589	रु0 1872

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	987	रु0 123
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11000	रु0 1000
योग (ब)	रु0	11987	रु0 1123
महायोग (अ एवं ब)	रु0	19576	रु0 2995


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 1100.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/9** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

श्री रोहित छापड़िया पुत्र श्री शिव कुमार छापड़िया,
निवासी : म0सं0 सी/179/133जी,
हनुमान मन्दिर रोड़, बेतियाहाता,
गोरखपुर 273001,

आवंटन पत्र संख्या **1059** दिनांक **30.03.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/9** से. **26** क्षे. **1000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-760	रु0	-1
योग (अ)	रु0	-760	रु0	-1

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11000	रु0	1000
योग (ब)	रु0	11000	रु0	1000
महायोग (अ एवं ब)	रु0	10240	रु0	999


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1100.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/7** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

मै0 ईक्जुट इण्टरप्राइजेज एल.एल.पी.

द्वारा डा0 विजाहत करीम (निदेशक) पुत्र श्री अब्दुल करीम,

पता : ई2, चारु चन्द्रपुरी कालोनी,

गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **1107** दिनांक **30.03.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/7** से. **26** क्षे. **961.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 109
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7293	रु0 1690
योग (अ)	रु0	7293	रु0 1799

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	948	रु0 118
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	10571	रु0 961
योग (ब)	रु0	11519	रु0 1079
महायोग (अ एवं ब)	रु0	18812	रु0 2878


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1057.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **C-22** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स कानव मेटल्स एल0एल0पी0

श्री किशोरी लाल पुत्र स्व0 पन्ना लाल, श्री अनुराग जैसवाल एवं श्री

(साझेदार), निवासी-7ए, बिलन्दपुर,

निकट डी0आई0जी0 बंगला, गोरखपुर-273001

आवंटन पत्र संख्या **1139** दिनांक **28.11.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **C-22** से. **26** क्षे. **3996.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 282
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3722	रु0 4368
योग (अ)	रु0	3722	रु0 4650

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	484	रु0 305
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	43956	रु0 3996
योग (ब)	रु0	44440	रु0 4301
महायोग (अ एवं ब)	रु0	48162	रु0 8951

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **4396.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !



(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/57** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स मान सिंह
प्रोपराईटर श्री मान सिंह पुत्र श्री संतराज,
निवासी-ग्राम-सैरो, पोस्ट-भैंसा बाजार,
खजनी, गोरखपुर, यू0पी0-273212

आवंटन पत्र संख्या **1122** दिनांक **28.11.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/57** से. **26** क्षे. **510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेंट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	-12	रु0
योग (अ)	रु0	-12	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	5610	रु0
योग (ब)	रु0	5610	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	5598	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **561.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेंट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1/12** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स महादेव एसोसियेट्स
प्रोपराईटर श्री अंजनी नन्दन जायसवाल पुत्र श्री गणेश प्रसाद
निवासी-निकट घोस कम्पनी चौराहा,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **1141** दिनांक **28.11.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1/12** से. **26** क्षे. **1500.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	-936	रु0
योग (अ)	रु0	-936	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	16500	रु0
योग (ब)	रु0	16500	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	15564	रु0

नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1650.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/63** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स विनय गारमेन्ट्स

प्रोपराईटर श्री विनय गुप्ता पुत्र श्री हरि लाल गुप्ता

निवासी-624 पाण्डेय हाता, यूनाईटेड लॉज, पाण्डेय

हाता, गोरखपुर, यू0पी0-273001

आवंटन पत्र संख्या **1124** दिनांक **28.11.2022** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/63** से. **26** क्षे. **510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0 36
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	475	रु0 558
योग (अ)	रु0	475	रु0 594

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	62	रु0 39
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	5610	रु0 510
योग (ब)	रु0	5672	रु0 549
महायोग (अ एवं ब)	रु0	6147	रु0 1143


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **561.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-50** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स विष्णु जी गुप्ता प्रोपराईटर श्री विष्णु जी गुप्ता
पुत्र स्व0 गंगा प्रसाद, निवासी-106 निकट ग्लास हाउस,
आर्य नगर, गोरखपुर-273001

आवंटन पत्र संख्या **1182** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-50** से. **13** क्षे. **1800.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	6076	रु0
योग (ब)	रु0	6076	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	6076	रु0
			2352

नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **608.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-58** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स अभिषेक पशु आहार केन्द्र
प्रोपराईटर अभिषेक कुमार गुप्ता पुत्र श्री राजेश्वर प्रसाद गुप्ता
निवासी-मिर्जापुर, गोडियाना वार्ड नं.-41,
गोरखपुर-273005

आवंटन पत्र संख्या **1170** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-58** से. **13** क्षे. **797.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0	0
योग (अ)	रु0	0	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2690	रु0	1042
योग (ब)	रु0	2690	रु0	1042
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2690	रु0	1042


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **269.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. K-2 / से. 13 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स इंडियन आटो व्हील्स

द्वारा श्री दिलशाद अहमद (साझेदार) पुत्र श्री निसार अहमद,

निवासी-36-हरिओम नगर, सिविल लाइन्स,

गोरखपुर-273001

आवंटन पत्र संख्या 1197 दिनांक 11.09.2023 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. K-2 से. 13 क्षे. 32547.2 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव	लीज रेंट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0 0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0 0	रु0 0
योग (अ)	रु0 0	रु0 0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0 0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0 109858	रु0 42534
योग (ब)	रु0 109858	रु0 42534
महायोग (अ एवं ब)	रु0 109858	रु0 42534


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 10986.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेंट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **G-40** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स लक्ष्मी मेटल

प्रोपराईटर श्री गिरधारीलाल गुप्ता पुत्र स्व० शंकर लाल कसौधन,
नगर, तेतरी बाजार, सिद्धार्थनगर-272207

आवंटन पत्र संख्या **1175** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **G-40** से. **13** क्षे. **1250.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु०	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	0	रु०	0
योग (अ)	रु०	0	रु०	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु०	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	4219	रु०	1634
योग (ब)	रु०	4219	रु०	1634
महायोग (अ एवं ब)	रु०	4219	रु०	1634


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **422.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-45** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स मॉ वैष्णों टिम्बर

द्वारा श्री मनोज कुमार जायसवाल (साझेदार) पुत्र श्री राधेश्याम

निवासी-निकट प्राईमरी विद्यालय, लुचई वार्ड नं.-10,

सहजनवाँ, गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र संख्या **1169** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-45** से. **13** क्षे. **620.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेंट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	2093	रु0
योग (ब)	रु0	2093	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2093	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **209.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेंट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-33** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स एम0एस0 सम्राट कन्स्ट्रक्शन, प्रोपराईटर श्री ध्रुव नारायण सिंह
पुत्र स्व0 राम लखन सिंह, निवासी-ई0डब्ल्यू0एस0-506/507-ए,
पी0 एस0 चित्ताताल, नकहा नं.-1,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **1173** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-33** से. **13** क्षे. **740.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2498	रु0	967
योग (ब)	रु0	2498	रु0	967
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2498	रु0	967


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **250.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-40** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स सुशील कन्स्ट्रक्शन एण्ड फेब्रिकेशन
प्रोपराईटर श्री सुशील चौहान पुत्र श्री कूदे सिंह
निवासी-गुलीस्तानपुर,
ग्रेटर नोएडा।

आवंटन पत्र संख्या **1168** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-40** से. **13** क्षे. **610.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2059	रु0	797
योग (ब)	रु0	2059	रु0	797
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2059	रु0	797

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **206.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-39** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स मॉ कामाख्या फूड प्रोडक्ट्स
प्रोपराईटर श्री अविनाश गुप्ता पुत्र श्री सतीश चन्द्र
निवासी-गीडा, सेक्टर-13, सहजनवाँ,
गोरखपुर। मो. नं.-9956463959

आवंटन पत्र संख्या **1167** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-39** से. **13** क्षे. **610.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2059	रु0
योग (ब)	रु0	2059	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2059	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **206.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-38** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स एन. डी. फास्टेनर्स

प्रोपराईटर श्री प्रशान्त कुमार गोस्वामी पुत्र श्री देवेन्द्र गोस्वामी,

निवासी-पकडियहवा, रानीडिहा,

गोरखपुर-273010

आवंटन पत्र संख्या **1166** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-38** से. **13** क्षे. **610.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2059	रु0	797
योग (ब)	रु0	2059	रु0	797
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2059	रु0	797


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **206.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **FL-34** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स यस इण्डस्ट्रिज

प्रोपराईटर श्रीमती प्रिया मिथिलेश पटेल पत्नी श्री मिथिलेश पटेल

निवासी-भूखण्ड संख्या डी-18, सेक्टर-15,

गीडा, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **1165** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **FL-34** से. **13** क्षे. **560.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1890	रु0	732
योग (ब)	रु0	1890	रु0	732
महायोग (अ एवं ब)	रु0	1890	रु0	732


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **189.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/8H** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स गोयल मारकेटिंग

प्रोपराईटर श्री शशांक गोयल पुत्र श्री मनोज कुमार अग्रवाल

निवासी-निकट नरायण टॉवर गौंधी गली,

गोलघर, गोरखपुर-273001

आवंटन पत्र संख्या **1188** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/8H** से. **15** क्षे. **1200.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4050	रु0
योग (ब)	रु0	4050	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4050	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **405.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/8F** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स अजय गुप्ता
प्रोपराईटर श्री अजय गुप्ता पुत्र श्री नेबूलाल
निवासी-182आर, कालेपुर अजय ट्रेक्टर कबाडी मार्केट,
गोरखपुर-273009

आवंटन पत्र संख्या **1185** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/8F** से. **15** क्षे. **759.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेंट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	0	रु0	0
योग (अ)	रु0	0	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	2562	रु0	992
योग (ब)	रु0	2562	रु0	992
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2562	रु0	992

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **256.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेंट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/8J** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स इन्नमोटेक एल.एल.पी.

द्वारा श्रीमती आकांक्षा तूलस्यान (साझेदार) पत्नी श्री विनीत कुमार

निवासी-80, भरत मिलाप चौक, भारतीय शिक्षा मंदिर

स्कूल के पीछे, गोरखपुर, यू0पी0, इंडिया-273001

आवंटन पत्र संख्या **1189** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/8J** से. **15** क्षे. **2079.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0	0
योग (अ)	रु0	0	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	7017	रु0	2717
योग (ब)	रु0	7017	रु0	2717
महायोग (अ एवं ब)	रु0	7017	रु0	2717


नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **702.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/8G** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स दीपक इंजीनियरिंग ट्रेलर वर्कशाप
प्रोपराईटर श्री विजय शर्मा पुत्र श्री राम पाल शर्मा
निवासी-भूखण्ड संख्या ए-8/14, सेक्टर-13,
गीडा, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **1186** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/8G** से. **15** क्षे. **1000.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0	0
योग (अ)	रु0	0	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3375	रु0	1307
योग (ब)	रु0	3375	रु0	1307
महायोग (अ एवं ब)	रु0	3375	रु0	1307


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **338.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/8K** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स नेचुरल सोयाबीन

प्रोपराईटर श्री रविश कुमार गुप्ता पुत्र श्री राज कुमार गुप्ता,

निवासी-वार्ड नं.-11, गौंधी नगर, पोस्ट-जंगीपुर,

गाजीपुर, यू0पी0-233305

आवंटन पत्र संख्या **1187** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/8K** से. **15** क्षे. **1116.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3767	रु0	1458
योग (ब)	रु0	3767	रु0	1458
महायोग (अ एवं ब)	रु0	3767	रु0	1458


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **377.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/10** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स लक्ष्मी ब्रीडिंग फार्म
प्रोपराईटर श्री बलवान सिंह पुत्र स्व० दयाचन्द नांदल
निवासी-भूखण्ड संख्या ई-9, सेक्टर-15, गीडा,
गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र संख्या **1220** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/10** से. **15** क्षे. **1600.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	0	रु० 0
योग (अ)	रु०	0	रु० 0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	5401	रु० 2091
योग (ब)	रु०	5401	रु० 2091
महायोग (अ एवं ब)	रु०	5401	रु० 2091


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **540.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/21** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स अलवीवा स्टील्स लिमिटेड

द्वारा श्री अपूर्व अग्रवाल (निदेशक) पुत्र श्री कैलाश नाथ अग्रवाल,

निवासी-84/11, फजलगंज,

कानपुर। मो0 नं0-7905526936

आवंटन पत्र संख्या **1190** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/21** से. **15** क्षे. **2100.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेंट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	7088	रु0	2744
योग (ब)	रु0	7088	रु0	2744
महायोग (अ एवं ब)	रु0	7088	रु0	2744

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **709.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेंट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !



(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-1/22 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स शाईन प्लास्टिक प्रोडक्ट
प्रोपराईटर श्री श्रेय जैन पुत्र श्री विनय जैन
निवासी-139, दिवान बाजार निकट अली नगर,
गोरखपुर-273001

आवंटन पत्र संख्या 1191 दिनांक 11.09.2023 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-1/22 से. 15 क्षे. 2100.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेंट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	7088	रु0	2744
योग (ब)	रु0	7088	रु0	2744
महायोग (अ एवं ब)	रु0	7088	रु0	2744


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 709.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेंट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-1/23 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स पुरुषोत्तम कुमार जायसवाल
प्रोपराईटर श्री पुरुषोत्तम कुमार जायसवाल पुत्र श्री छेदी प्रसाद
निवासी-रुद्रपुर, कुसुम्ही बाजार,
गोरखपुर-273002

आवंटन पत्र संख्या 1192 दिनांक 11.09.2023 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-1/23 से. 15 क्षे. 2100.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेंट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	7088	रु0	2744
योग (ब)	रु0	7088	रु0	2744
महायोग (अ एवं ब)	रु0	7088	रु0	2744


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 709.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेंट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **D-1/24** / से. **15** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स ग्रोवर पेट्रो एण्ड आटो इण्डस्ट्रीज
द्वारा श्री कपील ग्रोवर (साझेदार) पुत्र श्रीराम प्रकाश ग्रोवर,
निवासी-भूखण्ड संख्या-बी.एल.-08बी, सेक्टर-13,
गीडा, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **1221** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **D-1/24** से. **15** क्षे. **2600.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	8776	रु0	3398
योग (ब)	रु0	8776	रु0	3398
महायोग (अ एवं ब)	रु0	8776	रु0	3398


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **878.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-1/25 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स रूंगटा इण्डस्ट्रिज प्रा० लि०

द्वारा श्री राजेश कुमार रूंगटा (निदेशक) पुत्र स्व० दीप चन्द रूंगटा,

निवासी-भूखण्ड संख्या बी.एल.-1, सेक्टर-15,

गीडा, गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र संख्या 1194 दिनांक 11.09.2023 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-1/25 से. 15 क्षे. 15470.0 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु० 0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु० 0	रु० 0
योग (अ)	रु० 0	रु० 0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु० 0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु० 52217	रु० 20217
योग (ब)	रु० 52217	रु० 20217
महायोग (अ एवं ब)	रु० 52217	रु० 20217


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० 5222.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-27** / से. **27** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स श्रीनिवास कृष्ण प्रताप प्राइवेट लिमिटेड
द्वारा श्री अशोक कुमार सिंह (निदेशक) पुत्र स्व० श्रीराम प्रसाद सिंह,
निवासी-मन्हत, भरवलिया ब्रजग,
तारामण्डल रोड़, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **1236** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-27** से. **27** क्षे. **770.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	0	रु० 0
योग (अ)	रु०	0	रु० 0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	2599	रु० 1006
योग (ब)	रु०	2599	रु० 1006
महायोग (अ एवं ब)	रु०	2599	रु० 1006


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **260.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-48** / से. **27** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स राग पेपर कन्वर्टर्स

प्रोपराईटर श्री आयुश गर्ग पुत्र श्री अशोक कुमार अग्रवाल

बी-माधव भवन, दीवान बाजार,

गोरखपुर-273001

आवंटन पत्र संख्या **1222** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-48** से. **27** क्षे. **595.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2008	रु0	778
योग (ब)	रु0	2008	रु0	778
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2008	रु0	778


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **201.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-47** / से. **27** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स अंजली मेटल इण्डस्ट्रिज
प्रोपराईटर श्री उमेश कुमार वर्मा पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद वर्मा,
निवासी-खिरीकोटा, सुल्तानपुर, बरह गावन,
जिला-मऊ, यू0पी0

आवंटन पत्र संख्या **1232** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-47** से. **27** क्षे. **630.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0	0
योग (अ)	रु0	0	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2126	रु0	823
योग (ब)	रु0	2126	रु0	823
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2126	रु0	823


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **213.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-46** / से. **27** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स सूर्यकेश कुमार जैसवाल
प्रोपराईटर श्री सूर्यकेश कुमार जैसवाल पुत्र श्री राम नयन जैसवाल,
निवासी-ग्राम एवं पोस्ट-भगवानपुर, खजनी,
सहजनवाँ, जिला-गोरखपुर-273401

आवंटन पत्र संख्या **1231** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-46** से. **27** क्षे. **598.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0	0
योग (अ)	रु0	0	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2018	रु0	782
योग (ब)	रु0	2018	रु0	782
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2018	रु0	782

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **202.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-5** / से. **27** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स विकास अग्रवाल, प्रोपराईटर श्री विकास अग्रवाल पुत्र श्री ओम
निवासी-पी0डी0 मेमोरियल, अपोजिट हाउस संख्या-97, गेट नं.-1,
पितमपुरा, सरस्वती विहार, नार्थ वेस्ट दिल्ली
दिल्ली-110034

आवंटन पत्र संख्या **1251** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-5** से. **27** क्षे. **2853.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	9630	रु0	3728
योग (ब)	रु0	9630	रु0	3728
महायोग (अ एवं ब)	रु0	9630	रु0	3728


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **963.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-7 TO** / से. **27** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स बालाजी प्रोसेसर्स द्वारा श्री हिमांशु खेतान (साझेदार)
पुत्र श्री संजय खेतान, निवासी-602, गैलेण्ट लैण्डमार्क,
बैंक रोड, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **1256** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-7 TO** से. **27** क्षे. **18738.0** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	63247	रु0	24488
योग (ब)	रु0	63247	रु0	24488
महायोग (अ एवं ब)	रु0	63247	रु0	24488


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **6325.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-6** / से. **27** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स रिडिफाईन कम्पोजिट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा श्री अनिल कुमार
पुत्र श्री राम लगन पाठक, निवासी-फ्लैट नं.-66जी, मयूर विहार
4, फेज-1, नई-दिल्ली-110091

आवंटन पत्र संख्या **1250** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-6** से. **27** क्षे. **3364.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	11355	रु0	4396
योग (ब)	रु0	11355	रु0	4396
महायोग (अ एवं ब)	रु0	11355	रु0	4396

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1136.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. D-1/26 / से. 15 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स स्मार्टव्हील प्राइवेट लिमिटेड

द्वारा श्री विक्रम साराफ (निदेशक) पुत्र स्व० श्री विनोद कुमार साराफ,

निवासी-47, साराफ सदन, गाँधी नगर,

गोलघर, गोरखपुर-273001

आवंटन पत्र संख्या 1193 दिनांक 11.09.2023 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. D-1/26 से. 15 क्षेत्र 11960.0 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0 0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 0	रु0 0
योग (अ)	रु0 0	रु0 0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0 0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 40369	रु0 15630
योग (ब)	रु0 40369	रु0 15630
महायोग (अ एवं ब)	रु0 40369	रु0 15630


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 4037.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-1** / से. **27** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स अमगुन क्रियेशन एल0एल0पी0 द्वारा श्री अमित चोपरा पुत्र श्री
निवासी-भूखण्ड संख्या सी-105, सेक्टर-44, नोएडा,
गौतम बुद्ध नगर, यू0पी0-201303

आवंटन पत्र संख्या **1245** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-1** से. **27** क्षे. **1051.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0	0
योग (अ)	रु0	0	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3547	रु0	1374
योग (ब)	रु0	3547	रु0	1374
महायोग (अ एवं ब)	रु0	3547	रु0	1374

नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **355.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. B-2 / से. 27 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स गूनवान इण्टरनेशनल एल.एल.पी. द्वारा श्री गूनीत अहलवालिया
(साझेदार) पुत्र श्री हरिन्दर पाल सिंह, निवासी-डी-137, सेक्टर-36,
नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, यू0पी0-201303

आवंटन पत्र संख्या 1234 दिनांक 11.09.2023 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. B-2 से. 27 क्षे. 760.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0 0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 0	रु0 0
योग (अ)	रु0 0	रु0 0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0 0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 2565	रु0 993
योग (ब)	रु0 2565	रु0 993
महायोग (अ एवं ब)	रु0 2565	रु0 993


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 257.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-3** / से. **27** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स अजय कुमार, प्रोपराईटर श्री अजय कुमार
पुत्र श्री शिव पूजन गुप्ता, निवासी-ए.एम.-119, ग्राउण्ड फ्लोर,
उत्तरी पश्चिमी दिल्ली-110088

आवंटन पत्र संख्या **1253** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-3** से. **27** क्षे. **848.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2862	रु0	1108
योग (ब)	रु0	2862	रु0	1108
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2862	रु0	1108


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **286.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-10** / से. **27** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स कृष्णा जैसवाल

प्रोपराईटर श्री कृष्णा जैसवाल पुत्र श्री रामानुज जैसवाल

निवासी-निकट पी0एन0बी0 बैंक, कृष्णी बाजार,

गोरखपुर-273002

आवंटन पत्र संख्या **1248** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-10** से. **27** क्षे. **1328.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4482	रु0	1736
योग (ब)	रु0	4482	रु0	1736
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4482	रु0	1736


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **448.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-13** / से. **27** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स साहिल बेदी प्रोपराईटर श्री साहिल बेदी
पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार बेदी, निवासी-बी-27, सूर्या नगर,
निकट अग्रवाल स्वीट्स, चन्दर नगर
गाजियाबाद।

आवंटन पत्र संख्या **1246** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-13** से. **27** क्षे. **1156.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3902	रु0	1511
योग (ब)	रु0	3902	रु0	1511
महायोग (अ एवं ब)	रु0	3902	रु0	1511


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **390.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-44** / से. **27** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स आयुश पेन्ट इण्डस्ट्रिज,
प्रोपराईटर श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री राम बेलाश सिंह
निवासी-ग्राम, पोस्ट-भैसला,
सहजनवाँ, गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र संख्या **1230** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-44** से. **27** क्षे. **546.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0	0
योग (अ)	रु0	0	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1843	रु0	714
योग (ब)	रु0	1843	रु0	714
महायोग (अ एवं ब)	रु0	1843	रु0	714


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **184.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-43** / से. **27** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स अन्जनेय कुमार जैसवाल, प्रोपराईटर श्री अन्जनेय कुमार
पुत्र श्री अनिल कुमार जैसवाल, निवासी-186-जी, शिव मंदिर के पूरब,
बिलन्दपुर, गोरखपुर-273001

आवंटन पत्र संख्या **1227** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-43** से. **27** क्षे. **541.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0	0
योग (अ)	रु0	0	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1826	रु0	707
योग (ब)	रु0	1826	रु0	707
महायोग (अ एवं ब)	रु0	1826	रु0	707

नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **183.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-42** / से. **27** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स आयुश जैसवाल, प्रोपराईटर श्री आयुश जैसवाल पुत्र श्री अशोक
निवासी-जे0बी0-14, फ्लैट नं.-7, तृतीय तल, गुप्ता कालोनी, खिरकी
मालवीया नगर, नई-दिल्ली,
दक्षिण दिल्ली-110017

आवंटन पत्र संख्या **1228** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-42** से. **27** क्षे. **542.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1829	रु0
योग (ब)	रु0	1829	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	1829	रु0


नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **183.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-41** / से. **27** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स आयुश पैन्ट इण्डस्ट्रिज, प्रोपराईटर श्रीमती स्मीता देवी
पत्नी श्री रणवीर सिंह, निवासी-ग्राम व पोस्ट-भैसला,
सहजनवाँ,
गोरखपुर, यू0पी0-273209

आवंटन पत्र संख्या **1229** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-41** से. **27** क्षे. **544.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1836	रु0	711
योग (ब)	रु0	1836	रु0	711
महायोग (अ एवं ब)	रु0	1836	रु0	711


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **184.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-31** / से. **27** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स करिंगपा प्रोडक्ट, प्रोपराईटर श्रीमती अमृता राय पत्नी श्री मनीष
निवासी-भिलौरा खर्द, पियूष, आर0ओ0 लेन, पराग डेयरी के पीछे,
खजनी रोड, गोरखपुर, यू0पी0-273016

आवंटन पत्र संख्या **1239** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-31** से. **27** क्षे. **770.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2599	रु0	1006
योग (ब)	रु0	2599	रु0	1006
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2599	रु0	1006


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **260.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-30** / से. **27** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स ओम इण्टरप्राइजेज, प्रोपराईटर श्री अमित कुमार
पुत्र श्री राम नेवास प्रसाद, निवासी-माल गोदाम रोड,
मैरवा, सिवान,
बिहार-841239

आवंटन पत्र संख्या **1237** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-30** से. **27** क्षे. **770.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2599	रु0	1006
योग (ब)	रु0	2599	रु0	1006
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2599	रु0	1006


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **260.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. B-15 / से. 27 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स हिन्देन इंजीनियर्स

प्रोपराईटर श्री विपुल द्विवेदी पुत्र श्री उमा शंकर द्विवेदी

निवासी-18-ओ, तारामण्डल रोड, विवेकपुरम,

गोरखपुर-273017

आवंटन पत्र संख्या 1242 दिनांक 11.09.2023 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. B-15 से. 27 क्षे. 1156.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0 0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 0	रु0 0
योग (अ)	रु0 0	रु0 0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0 0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 3902	रु0 1511
योग (ब)	रु0 3902	रु0 1511
महायोग (अ एवं ब)	रु0 3902	रु0 1511


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 390.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-33** / से. **27** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स पैराडिश आटो फ़ैब इण्डस्ट्रिज, प्रोपराईटर श्री शान्तनु अग्रवाल
पुत्र श्री हरिश अग्रवाल, निवासी-सी-5, सेक्टर-56,
नोएडा, जिला-गौतम बुद्ध नगर,
यूपी0-201301

आवंटन पत्र संख्या **1241** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-33** से. **27** क्षे. **770.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2599	रु0	1006
योग (ब)	रु0	2599	रु0	1006
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2599	रु0	1006


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **260.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-32** / से. **27** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स सत्यम इण्टरप्राइजेज
प्रोपराईटर श्रीमती अनीता वर्मा पत्नी श्री सन्तोष वर्मा,
निवासी-हरनही, खजनी,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **1240** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-32** से. **27** क्षे. **770.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2599	रु0	1006
योग (ब)	रु0	2599	रु0	1006
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2599	रु0	1006


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **260.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-52** / से. **27** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स रीशी पेपर एण्ड स्टेशनर्स
प्रोपराईटर श्रीमती शीखा जैन पत्नी श्री रोहित जैन,
निवासी-261, अली नगर उत्तरी, पोस्ट-सदर,
थाना-कोतवाली, गोरखपुर-273001

आवंटन पत्र संख्या **1226** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-52** से. **27** क्षे. **3616.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0 0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 0	रु0 0
योग (अ)	रु0 0	रु0 0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0 0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 12205	रु0 4726
योग (ब)	रु0 12205	रु0 4726
महायोग (अ एवं ब)	रु0 12205	रु0 4726

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **1221.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-28** / से. **27** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स अव्या इण्टरप्राइजेज
प्रोपराईटर श्रीमती अंतिमा सिंह पत्नी श्री सम्प्रत सिंह, निवासी-मकान
मानस विहार कालोनी, पादरी बाजार,
गोरखपुर, यू0पी0-273014

आवंटन पत्र संख्या **1238** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-28** से. **27** क्षे. **770.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2599	रु0	1006
योग (ब)	रु0	2599	रु0	1006
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2599	रु0	1006


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **260.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-26** / से. **27** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स बालाजी सरकार, प्रोपराईटर श्री गौरव कुमार श्रीवास्तवा
पुत्र श्री अशोक कुमार श्रीवास्तवा, निवासी-ई0डब्ल्यू0एस0-751, शास्त्री
गोरखनाथ, गोरखपुर-273015

आवंटन पत्र संख्या **1235** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-26** से. **27** क्षे. **770.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0	0
योग (अ)	रु0	0	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2599	रु0	1006
योग (ब)	रु0	2599	रु0	1006
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2599	रु0	1006


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **260.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-25** / से. **27** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स ज्योति नारायण, प्रोपराईटर श्री ज्योति नारायण
पुत्र श्री योगेश चन्द्र, निवासी-बरगदवा अव्वल, भीटीया,
संत कबीर नगर, उ0 प्र0-272126

आवंटन पत्र संख्या **1233** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-25** से. **27** क्षे. **770.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2599	रु0	1006
योग (ब)	रु0	2599	रु0	1006
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2599	रु0	1006

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **260.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-24** / से. **27** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स रिङ्गफोर्स कन्जूमर प्रोडक्शन
प्रोपराईटर श्रीमती स्वीटी शुकला पत्नी श्री सत्येन्द्र शुकला,
निवासी-463ए, रुस्तमपुर, पोस्ट आफिस-शिवपुरी नई
कालोनी, गोरखपुर-273016

आवंटन पत्र संख्या **1225** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-24** से. **27** क्षे. **770.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2599	रु0	1006
योग (ब)	रु0	2599	रु0	1006
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2599	रु0	1006


नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **260.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-23** / से. **27** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स सूर्या पॉवर सालूशन, प्रोपराईटर श्री गुलशन नाशा
पुत्र श्री मोहन लाल नाशा, निवासी-एन-195, सेक्टर-12,
नोएडा, जिला-गौतम बुद्ध नगर,
यूपी-201301

आवंटन पत्र संख्या **1249** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-23** से. **27** क्षे. **1357.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4580	रु0	1773
योग (ब)	रु0	4580	रु0	1773
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4580	रु0	1773


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **458.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-16** / से. **27** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स मिश्रा रेफ्रीजरेशन इंजीनियर्स प्रा० लि०
द्वारा श्री कार्तिक कुमार मिश्रा पुत्र श्री राधा कान्त मिश्रा (निदेशक)
निवासी-डी-13, सेक्टर-10,
नोएडा, यू०पी०।

आवंटन पत्र संख्या **1244** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-16** से. **27** क्षे. **1156.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	0	रु० 0
योग (अ)	रु०	0	रु० 0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	3902	रु० 1511
योग (ब)	रु०	3902	रु० 1511
महायोग (अ एवं ब)	रु०	3902	रु० 1511

नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **390.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-4** / से. **27** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स बी0के0 पालीमर्स प्रोपराईटर श्री दर्गेश सिंह पुत्र श्री विक्रम सिंह
निवासी-प्लॉट नं.-44, उद्योग विहार एक्सटेन्शन इकोटेक,
द्वितीय क्षेत्र ग्रेटर नोएडा।

आवंटन पत्र संख्या **1224** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-4** से. **27** क्षे. **1139.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3845	रु0
योग (ब)	रु0	3845	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	3845	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **385.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-6** / से. **27** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स रीशम चन्द सूधीर कुमार जैन सराफ,
प्रोपराईटर श्री सूधीर कुमार जैन पुत्र स्व० रीशम चन्द जैन,
निवासी-अली नगर,
गोरखपुर-273001

आवंटन पत्र संख्या **1223** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-6** से. **27** क्षे. **1815.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	0	रु० 0
योग (अ)	रु०	0	रु० 0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	6126	रु० 2372
योग (ब)	रु०	6126	रु० 2372
महायोग (अ एवं ब)	रु०	6126	रु० 2372


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **613.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-14** / से. **27** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स अनुभव बेदी, प्रोपराईटर श्री अनुभव बेदी
पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार बेदी, निवासी-बी-27, सूर्य नगर, निकट अग्रवाल
गाजियाबाद,
उ० प्र०-201011

आवंटन पत्र संख्या **1247** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-14** से. **27** क्षे. **1156.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु०	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	0	रु०	0
योग (अ)	रु०	0	रु०	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु०	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	3902	रु०	1511
योग (ब)	रु०	3902	रु०	1511
महायोग (अ एवं ब)	रु०	3902	रु०	1511


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **390.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/25** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स महालक्ष्मी दूबे, प्रोपराईटर श्रीमती महालक्ष्मी दूबे,
पत्नी श्री रुदल प्रसाद दूबे, निवासी-ए-30/2,
सूरजकुण्ड कालोनी, गोरखनाथ,
गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **1161** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/25** से. **26** क्षे. **510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेंट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	1721	रु0
योग (ब)	रु0	1721	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	1721	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **172.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेंट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **P-9** / से. **28** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स ओमफ्लेक्स इण्डस्ट्रीज प्रा० लि० द्वारा श्री शीवेन्द्र टेकरीवाल,
पुत्र श्री प्रमोद कुमार टेकरीवाल,
निवासी-तिरुपति सेल्स, शाप नं.-7, यू०जी०एफ०, जी०के०
अलहदादपुर, गोरखपुर, यू०पी०-273001

आवंटन पत्र संख्या **1218** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **P-9** से. **28** क्षे. **4150.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	0	रु० 0
योग (अ)	रु०	0	रु० 0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु०	0	रु० 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु०	14008	रु० 5423
योग (ब)	रु०	14008	रु० 5423
महायोग (अ एवं ब)	रु०	14008	रु० 5423


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु० **1401.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-45** / से. **27** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स ट्रवेटा हेल्थकेयर, प्रोपराईटर श्रीमती मीता तिवारी पत्नी श्री नरेन्द्र
निवासी-551/349 मधुबन नगर, निकट तातम्बरी आश्रम, आलमबाग,
लखनऊ, यू0पी0-226005

आवंटन पत्र संख्या **1252** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-45** से. **27** क्षे. **568.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेंट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेंट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	0	रु0	0
योग (अ)	रु0	0	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	1917	रु0	742
योग (ब)	रु0	1917	रु0	742
महायोग (अ एवं ब)	रु0	1917	रु0	742


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **192.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेंट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **G-38** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स आर0 के0 इण्टरप्राइजेज
प्रोपराईटर श्री रोहित कुमार गिरी पुत्र श्री रमेश कुमार गिरी
निवासी-सी-132/22, थवई का पुल, दिवान बाजार,
गोरखपुर, यू0पी0-273001

आवंटन पत्र संख्या **1174** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **G-38** से. **13** क्षे. **920.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	3105	रु0	1202
योग (ब)	रु0	3105	रु0	1202
महायोग (अ एवं ब)	रु0	3105	रु0	1202

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **311.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **G-37** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स विराज इन्फ्रा पावर,
प्रोपराईटर श्री विनोद कुमार गुप्ता पुत्र श्री बहादुर प्रसाद गुप्ता
निवासी-शक्ति नगर कालोनी, रुस्तमपुर,
गोरखपुर, यू0पी0-273016

आवंटन पत्र संख्या **1172** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **G-37** से. **13** क्षे. **800.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2700	रु0	1045
योग (ब)	रु0	2700	रु0	1045
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2700	रु0	1045


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **270.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-35** / से. **27** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स एम0 एण्ड एम0 प्लास्ट द्वारा श्री आकाश जैयवाल,
पुत्र श्री रमेश चन्द्र जायसवाल, निवासी-ग्राम-मुण्डेरा बाजार,
वार्ड संख्या-10, पोस्ट आफिस-चौरी चौरा,
गोरखपुर-273201

आवंटन पत्र संख्या **1243** दिनांक **11.09.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-35** से. **27** क्षे. **770.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	2599	रु0	1006
योग (ब)	रु0	2599	रु0	1006
महायोग (अ एवं ब)	रु0	2599	रु0	1006


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **260.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **K-1** / से. **13** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स एस.डी. इण्टरनेशनल प्रा0 लि0 यूनिट ।।।

द्वारा श्री विनय अग्रवाल पुत्र श्री विजय कुमार अग्रवाल

निवासी-भूखण्ड संख्या ए.एल.-18बी एवं ए.एल.-19,

सेक्टर-13, गीडा, गोरखपुर।

आवंटन पत्र संख्या **1266** दिनांक **29.11.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **K-1** से. **13** क्षे. **42284.2** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	42053	रु0	46107
योग (ब)	रु0	42053	रु0	46107
महायोग (अ एवं ब)	रु0	42053	रु0	46107


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **4205.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. B-36 / से. 27 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स वी. के. इण्टरप्राइजेज द्वारा श्री विजेन्द्र कुमार जैन (प्रोपराईटर)

पुत्र श्री भोला नाथ जैन, निवासी-ए-802, इलाइट होमज

सेक्टर-77, नोएडा,

यूपी0।

आवंटन पत्र संख्या 1275 दिनांक 29.11.2023 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. B-36 से. 27 क्षे. 1164.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0 0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 0	रु0 0
योग (अ)	रु0 0	रु0 0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0 0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 1158	रु0 1269
योग (ब)	रु0 1158	रु0 1269
महायोग (अ एवं ब)	रु0 1158	रु0 1269


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 116.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-18** / से. **27** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स एस.एस. रिपैकेजिंग द्वारा श्री शुभम अग्रहरी (प्रोपराईटर) श्री शुभम पुत्र श्री अनिल अग्रहरी, निवासी-ग्राउण्ड निकट वाटर पम्पिंग हाउस, नरसिंहपुर बंधा, नरसिंहपुर, गोरखपुर
यू0पी0-273005

आवंटन पत्र संख्या **1271** दिनांक **29.11.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-18** से. **27** क्षे. **1156.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1150	रु0	1261
योग (ब)	रु0	1150	रु0	1261
महायोग (अ एवं ब)	रु0	1150	रु0	1261


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **115.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. B-37 / से. 27 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स विनायक स्टील्स द्वारा श्री मथुरा प्रसाद गुप्ता (प्रोपराईटर)
पुत्र स्व० श्री बिभूती राम गुप्ता, निवासी-810, जेमिन गार्डनिया
अपोजिट ब्रुद्धा म्यूजियम नौका विहार रामपुर,
गोरखपुर-273016

आवंटन पत्र संख्या 1278 दिनांक 29.11.2023 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. B-37 से. 27 क्षे. 1072.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेंट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	1066	रु0	1169
योग (ब)	रु0	1066	रु0	1169
महायोग (अ एवं ब)	रु0	1066	रु0	1169


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 107.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेंट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-20** / से. **27** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स प्रीमियर इण्टरप्राइजेज द्वारा श्री तौकीर अहमद सिद्दीकी
पुत्र श्री सगीर अहमद सिद्दीकी (प्रोपराईटर)
निवासी-365, काजीपुर ख़र्द,
गोरखपुर-273001

आवंटन पत्र संख्या **1272** दिनांक **29.11.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-20** से. **27** क्षे. **1156.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1150	रु0	1261
योग (ब)	रु0	1150	रु0	1261
महायोग (अ एवं ब)	रु0	1150	रु0	1261


नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **115.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. B-17 / से. 27 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स शिवम इलेक्ट्रिकल्स द्वारा श्री रामकलेश पुत्र श्री बंशराज
निवासी-मकान संख्या 102, ग्राम-टेकवार, पोस्ट आफिस-खजनी,
टेकवार, गोरखपुर
यू0पी0-273406

आवंटन पत्र संख्या 1269 दिनांक 29.11.2023 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. B-17 से. 27 क्षे. 1156.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेंट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव	लीज रेंट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0 0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0 0	रु0 0
योग (अ)	रु0 0	रु0 0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0 0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0 1150	रु0 1261
योग (ब)	रु0 1150	रु0 1261
महायोग (अ एवं ब)	रु0 1150	रु0 1261


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 115.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेंट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. A-4 / से. 27 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स मुक्ता जैन द्वारा श्रीमती मुक्ता जैन पत्नी श्री प्रनीत जैन
निवासी-नन्दन भवन, भैंडिया गरह, वार्ड नं.-36,
पोस्ट आफिस-गीता वाटिका,
गोरखपुर-273006

आवंटन पत्र संख्या 1274 दिनांक 29.11.2023 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. A-4 से. 27 क्षे. 4448.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	4424	रु0	4850
योग (ब)	रु0	4424	रु0	4850
महायोग (अ एवं ब)	रु0	4424	रु0	4850


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 442.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-1B** / से. **27** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स कपीला कृषि उद्योग लिमिटेड,
द्वारा श्री सौरभ शिवहरे पुत्र श्री रमेश चन्द शिवहरे (निदेशक)
निवासी-91-ए ब्लॉक विकास नगर, के.पी. यूनिवर्सिटी,
कानपुर, यू0पी0-208024

आवंटन पत्र संख्या **1276** दिनांक **29.11.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-1B** से. **27** क्षे. **62952.0** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0	0
योग (अ)	रु0	0	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	62607	रु0	68644
योग (ब)	रु0	62607	रु0	68644
महायोग (अ एवं ब)	रु0	62607	रु0	68644


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **6261.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-34** / से. **27** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स राघव स्कैफफोल्डिंग द्वारा श्रीमती रीता सिंह पत्नी श्री राघवेन्द्र
निवासी-ए-112, शिव इन्क्लेव, नगपगढ़,
दक्षिण पश्चिम
नई-दिल्ली-110043

आवंटन पत्र संख्या **1270** दिनांक **29.11.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-34** से. **27** क्षे. **770.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0	0
योग (अ)	रु0	0	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	766	रु0	840
योग (ब)	रु0	766	रु0	840
महायोग (अ एवं ब)	रु0	766	रु0	840


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **77.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-22** / से. **27** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स वरुण गोयल द्वारा श्री वरुण गोयल पुत्र श्री महेन्द्र कुमार
निवासी-द्वारा श्री महेन्द्र कुमार, 947 सेक्टर-17,
पुराना फरीदाबाद,
हरियाणा-121002

आवंटन पत्र संख्या **1277** दिनांक **29.11.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-22** से. **27** क्षे. **1430.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	1422	रु0	1559
योग (ब)	रु0	1422	रु0	1559
महायोग (अ एवं ब)	रु0	1422	रु0	1559


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **142.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **B-49** / से. **27** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स जैसवाल इण्डस्ट्रिज द्वारा श्री प्रनभ कुमार जैसवाल पुत्र श्री
निवासी-पुरानी हनुमान गढ़ी,
बरहलगंज,
गोरखपुर-273402

आवंटन पत्र संख्या **1268** दिनांक **29.11.2023** के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **B-49** से. **27** क्षे. **740.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0	0
योग (अ)	रु0	0	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	736	रु0	807
योग (ब)	रु0	736	रु0	807
महायोग (अ एवं ब)	रु0	736	रु0	807

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **74.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. A-1/3 / से. 26 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स सिंह पेपर प्रोडक्ट एण्ड प्रिन्टर्स
द्वारा श्रीमती सुनीता सिंह पत्नी श्री राम कुमार सिंह (प्रोपराईटर)
निवासी-इंदिरा नगर, गौधी नगर,
बस्ती-272001

आवंटन पत्र संख्या 1267 दिनांक 29.11.2023 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. A-1/3 से. 26 क्षे. 4480.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0 0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 0	रु0 0
योग (अ)	रु0 0	रु0 0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0 0	रु0 0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0 4455	रु0 4885
योग (ब)	रु0 4455	रु0 4885
महायोग (अ एवं ब)	रु0 4455	रु0 4885


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 446.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/67** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स स्मार्ट इण्डस्ट्रिज द्वारा श्री आभा भार्गवा पुत्र श्री राजू भार्गवा
निवासी-कोठी नं.-2, रोड़ नं.-2, इस्ट पंजाबी बाग,
वेस्ट दिल्ली-110026

आवंटन पत्र संख्या **1259** दिनांक **29.11.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/67** से. **26** क्षे. **510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेंट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेंट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	507	रु0	556
योग (ब)	रु0	507	रु0	556
महायोग (अ एवं ब)	रु0	507	रु0	556


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **51.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेंट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/68** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स ब्राइट इण्डस्ट्रीज

द्वारा श्रीमती मितु भार्गव पुत्री श्री गोपाल नारायण (प्रोपराईटर)

निवासी-कोठी नं.-2, रोड़ नं.-22, ईस्ट पंजाबी बाग,

वेस्ट दिल्ली-110026

आवंटन पत्र संख्या **1260** दिनांक **29.11.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/68** से. **26** क्षे. **510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	रख-रखाव		लीज रेन्ट	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0	0
योग (अ)	रु0	0	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	507	रु0	556
योग (ब)	रु0	507	रु0	556
महायोग (अ एवं ब)	रु0	507	रु0	556


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **51.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/69** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स सोना इण्डस्ट्रीज द्वारा श्री आकाश कुमार यादव
पुत्र श्री हरहंगी यादव (प्रोपराईटर), निवासी-टंडवा कला,
सहजनवाँ,
गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र संख्या **1258** दिनांक **29.11.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/69** से. **26** क्षे. **510.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेंट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	0	रु0	0
योग (अ)	रु0	0	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	507	रु0	556
योग (ब)	रु0	507	रु0	556
महायोग (अ एवं ब)	रु0	507	रु0	556


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **51.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेंट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **A-2/85** / से. **26** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स गूलशन फेब्रिक द्वारा श्री पूजा तिवारी पुत्र श्री राम नगीना तिवारी
निवासी-32-ए, उत्सव विहार कराला,
दिल्ली-110081

आवंटन पत्र संख्या **1257** दिनांक **29.11.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **A-2/85** से. **26** क्षे. **613.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेन्ट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0	0
योग (अ)	रु0	0	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	610	रु0	668
योग (ब)	रु0	610	रु0	668
महायोग (अ एवं ब)	रु0	610	रु0	668


नोट:- रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **61.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **P-56** / से. **28** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स आदित्य कुमार गोस्वामी द्वारा श्री आदित्य कुमार गोस्वामी
पुत्र श्री देवेन्द्र गोस्वामी, निवासी-पकड़ियहवा, रानीडिहा,
पी.एस. पब्लिक स्कूल, खोराबार,
गोरखपुर, यू0पी0-273010

आवंटन पत्र संख्या **1265** दिनांक **29.11.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **P-56** से. **28** क्षे. **600.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	597	रु0	654
योग (ब)	रु0	597	रु0	654
महायोग (अ एवं ब)	रु0	597	रु0	654

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **60.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. P-55 / से. 28 / 2023-24 दिनांक

मैसर्स मोहम्मद अख्तर खान द्वारा श्री मोहम्मद अख्तर खान (प्रोपराईटर)
पुत्र श्री अब्दुल मजीद खान, निवासी-153/9, घोसीपुर निकट चौदनी
तिवारीपुर, गोरखपुर
273001

आवंटन पत्र संख्या 1264 दिनांक 29.11.2023 के माध्यम से गीडा की औद्योगिक नगर योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. P-55 से. 28 क्षे. 600.00 वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक 01.01.2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	597	रु0	654
योग (ब)	रु0	597	रु0	654
महायोग (अ एवं ब)	रु0	597	रु0	654


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक 01.01.2024 को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 60.00 अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **P-54** / से. **28** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स कार्तिक ट्रेडर्स द्वारा श्रीमती सीमा सहानी पत्नी श्री रामकेवल
निवासी-मोहल्ला-प्रयागपुरम, पोस्ट आफिस-न्यू शिवपुरी कालोनी,
जिला बड़गों,
गोरखपुर-273016

आवंटन पत्र संख्या **1263** दिनांक **29.11.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **P-54** से. **28** क्षे. **600.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	597	रु0
योग (ब)	रु0	597	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	597	रु0


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **60.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **P-53** / से. **28** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स श्याम इण्डस्ट्रीज द्वारा श्री अनिल वर्मा पुत्र श्री अरविन्द कुमार वर्मा
निवासी-भूखण्ड संख्या बी-2/12, सेक्टर-13,
सहजनवाँ, गीडा,
गोरखपुर-273209

आवंटन पत्र संख्या **1262** दिनांक **29.11.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **P-53** से. **28** क्षे. **600.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		<u>रख-रखाव</u>	<u>लीज रेन्ट</u>
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	597	रु0
योग (ब)	रु0	597	रु0
महायोग (अ एवं ब)	रु0	597	रु0

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **60.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **P-52** / से. **28** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स एवन प्लाई सेन्टर द्वारा श्री मजीब अर्शद खान पुत्र श्री अब्दुल
निवासी-155, घोसीपुर निकट थाना-तिवारीपुर,
गोरखपुर-273001

आवंटन पत्र संख्या **1261** दिनांक **29.11.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना
के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **P-52** से. **28** क्षे. **600.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव
शुल्क एवं लीज रेन्ट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

		रख-रखाव	लीज रेन्ट
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	0	रु0
योग (अ)	रु0	0	रु0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेन्ट	रु0	597	रु0	654
योग (ब)	रु0	597	रु0	654
महायोग (अ एवं ब)	रु0	597	रु0	654


नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **60.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेन्ट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू.सं. **P-59** / से. **28** / 2023-24 दिनांक

मैसर्स एसियन एजेन्सिज द्वारा श्रीमती सलिहा इकबाल पुत्री श्री जमील
निवासी-मकान संख्या-318, बसंतपुर,
गोरखपुर
यू0पी0-273005

आवंटन पत्र संख्या **1273** दिनांक **29.11.2023** के माध्यम से गीडा की **औद्योगिक नगर** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भू.सं. **P-59** से. **28** क्षे. **600.00** वर्गमीटर के सापेक्ष रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट मद में दिनांक **01.01.2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है :-

	<u>रख-रखाव</u>		<u>लीज रेंट</u>	
1. ब्याज दिनांक 31.12.2022 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	0	रु0	0
योग (अ)	रु0	0	रु0	0

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक **01.01.2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है :-

1. ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक	रु0	0	रु0	0
2. रख-रखाव शुल्क एवं लीज रेंट	रु0	597	रु0	654
योग (ब)	रु0	597	रु0	654
महायोग (अ एवं ब)	रु0	597	रु0	654

नोट:-रख-रखाव शुल्क- समस्त बकाया धनराशि एवं दिनांक **01.01.2024** को जैसा कि महायोग के सापेक्ष धनराशि अंकित है, को माह फरवरी के अंतिम तिथि तक गीडा के खाते में निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक समस्त बकाया धनराशि जमा हो जाने पर वर्तमान कलेण्डर वर्ष के लिये देय रख-रखाव शुल्क की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की छूट रु0 **60.00** अनुमन्य होगी अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

लीज रेंट- समस्त बकाया एवं देय धनराशि माह फरवरी के अंतिम तिथि तक निर्धारित चालान के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बकाया धनराशि पर 1 जनवरी से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

बकाये धनराशि की वसूली उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये के रूप में आर.सी. के माध्यम से किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No : 09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है !


(मयंक मंगल)
प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा, गोरखपुर।